खण्ड-391, अंक-3
बुधवार, 24 फाल्गुन, शक संवत् 1910
(15 मार्च, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 391 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	1–63
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रणवीर सिंह तथा श्री कैलाश सिंह एवं साहित्यकार श्री जैनेन्द्र कुमार के निधन पर शोकोद्गार	63
श्रीमती शकुन्तला कपूर जिला प्रोग्राम अधिकारी लखनऊ द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद गाजीपुर की रामगढ़ लिफ्ट नहर की विद्युत आपूर्ति हेतु अलग से फीडर बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69
जनपद जौनपुर के विकास खंड रामपुर में सूखा राहत योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच कराने तथा सम्पर्क मार्गों को पूर्ण करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69
जनपद लखनऊ की राजाजीपुरम् आवास विकास कालोनी के दुर्बल आय वर्ग के आवंटियों से अनुबंध के अनुसार जलकर वसूलने एवं भवन कर से मुक्ति दिलाने के संबंध में नियम 301के अन्तर्गत सूचना	70
जिला फैजाबाद के विकास खंड जहांगीरगंज, रामनगर तथा मियांवा को जनपद आजमगढ़ में मिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	71
कृषि निदेशालय के दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	71
सार्वजनिक निर्माण विभाग में चयनित सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची में ऊपर स्थान देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72
उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग से संबंधित अधिनियम को रिपील किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	73
लखनऊ के लामार्टिनियर ब्वायज एण्ड गर्ल्स कालेजों में राष्ट्रीय पर्वों एवं राष्ट्रीय गान का निरादर करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	74
श्री राम लक्षन सदस्य विधान सभा के प्रकरण पर दिनांक 22 फरवरी, 1989 को गृह मंत्री की घोषणा का कार्यान्वयन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	82
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989 (राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	93
जनपद लखनऊ की इन्द्रिरानगर कालोनी के सी0 ब्लाक में एच0ए0 एल0 में चर्च की ओर जाने वाली सड़क के दोनों पटरियों पर खड़ंजा लगवाने, नालियों पर सीमेंट कंकरीट के ढक्कन लगवाने व समुचित प्रकाश की व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री प्रेमचन्द्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गई)	93
कार्यस्थगन के प्रस्ताव की सूचनायें	94
वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	108
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	189
दिनांक 22 जनवरी, 1989 को सायंकाल जनपद वाराणसी के थाना आदमपुर क्षेत्र के सलेमपुरा मुहल्ले के एक मकान में हुए भीषण विस्फोट से आठ व्यक्तियों की मृत्यु के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	189

विषय	पृ0 संख्या
दिनांक 25-26 जनवरी, 1989 को अधिवक्ता श्री राना रंजीत सिंह की हत्या के विरोध में मथुरा की समस्त अदालतों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	191
आगरा की जमुना नदी पर बने जवाहर पुल के मरम्मत हेतु 6 माह से बन्द हो जाने के फलस्वरूप आवागमन की असुविधा से नागरिकों में व्याप्त असंतोष के संबंध में वक्तव्य	193
नस्थियां	197

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हुसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद	भगवती प्रसाद, चौधरी	मिर्जापुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
अरुण प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	मंगलदेव, श्री	गोण्डा
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
आर0 एन0 पाठक, श्री	कानपुर	मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
केशरी सिंह कर्नल, श्री	बस्ती	राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर	श्रीनाथ, श्री	वाराणसी
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
त्रियुगी नारायण मिश्र, श्री	गोरखपुर	सतीश चन्द्र, श्री	आगरा
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर	सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
देवेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सुरेन्द्र सिंह, श्री	गढ़वाल
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं	सैयद अली अशरफी, श्री	पीलीभीत
बलदेव सिंह, कैप्टेन,	अलीगढ़	सैयद जावेद अली सब्जपोश, श्री	गोरखपुर
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री	बुलन्दशहर	हाफिज मो0 उमर, श्री	कानपुर
ब्रहमदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नि:शुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत किसानों को अनुदान आदि की सुविधा

**1–कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि नि:शुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत सिंचाई हेतु जो बोरिंग करायी जाती है, उनके असफल होने पर किसान को क्षति से बचाने के लिए क्या सुविधा दी जाती है? क्या सरकार बोरिंग असफल होने पर दुबारा बोरिंग कराये जाने या ऋण राशि में अनुदान आदि की सुविधा दिये जाने अथवा सरकार अपने स्तर पर असफल बोरिंग को ठीक कराने के सुझाव पर विचार करेगी?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

असफल बोरिंग पर कोई भी सुविधा अनुमन्य नहीं है।

जी नहीं। कृषक को सफल बोरिंग ही हस्तान्तरित की जाती है, अस्तु दोबारा बोरिंग कराने अथा ऋणराशि में अनुदान की सुविधा प्रदान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश की स्थिति में गिरावट

**2–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री मैनेजर सिंह, श्री हर्षवर्धन तथा श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सरकार को जानकारी है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में इस वर्ष उत्तर प्रदेश पहले से तेरहवें नम्बर पर आ गया है? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और इसके लिए कौन दोषी है?

ऊर्जा एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

यह सही नहीं है कि प्रदेश इस वर्ष अन्य प्रदेशों की तुलना में 13वें स्थान पर आया है। भारत सरकार द्वारा रैंकिंग अप्रैल से मार्च के बीच कार्यपूर्ति के आधार पर की जाती है। इस प्रकार अभी पूरे वर्ष की रैंकिंग निर्धारित ही नहीं हुई है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि अक्तूबर, 1988 में अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश 13वें स्थान पर था किन्तु जनवरी, 1989 में 8वें स्थान पर आ गया है। इस प्रकार प्रगति बराबर अच्छी होती जा रही है।

ऐसी दशा में किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है कि अक्तूबर, 1988 में हमारा प्रदेश 13वें स्थान पर पहुंच गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के किन-किन कार्यक्रमों में हम पीछे रहे कि जिसके कारण हमारा प्रदेश 13वें स्थान पर पहुंच गया? माननीय मंत्री जी कृपया यह भी बतायें कि इन 2–4 महीनों में जो प्रगति हमने की है, जिसके कारण हमारा प्रदेश 8वें स्थान पर आ गया, तो वह प्रगति किन-किन कार्यक्रमों में की है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, हम लोग एक तो परिवार नियोजन में पीछे रहे, दूसरे ग्रामों में विद्युतीकरण करने में पीछे रहे तथा तीसरे स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण में पीछे रहे। इन तीन कार्यक्रमों में हम पीछे रहे।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि जब उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता था तो गलत आंकड़े भारत सरकार को दिए जाते थे इस बार सही आंकड़े दिए गये इसलिए यह स्थिति आई है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

पिछले सालों के मुकाबले स्थिति बहुत अच्छी है । जैसे कि पिछले साल उत्तर प्रदेश 16वें स्थान पर था इस वर्ष 13वां स्थान हो गया पिछली बार नवम्बर में 15वें स्थान पर था, इस वर्ष 14वें स्थान पर आ गया है पिछले वर्ष जनवरी में दसवें स्थान पर था इस वर्ष जनवरी में आठवें स्थान पर आ गया है। मैं बताना चाहूंगा कि बरसात के बाद काम तेजी से शुरू हो जाता है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि विद्युत, स्वास्थ्य, नियोजन विभागों में पीछे रहने के कारण 20 सूत्री कार्यक्रम में यह स्थिति आई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन विभागों के कार्य की गति और तेज हो, इस संबंध में शासन की तरफ से कौन से प्राविधान और कौन सी योजनायें रखी गई हैं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इस संबंध में सम्मानित मंत्रियों को लिखा गया है कमिश्नर की बैठक में उनसे कहा गया है। पिछले वर्षों के मुकाबले प्रगति बहुत अच्छी है जनवरी में पिछले वर्ष दसवें नम्बर पर था इस वर्ष आठवें नम्बर पर है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने सवाल किया था कि तेरहवें नम्बर पर था, तो किन-किन विभागों में प्रगति कम थी। श्रीमन् आगे पूछा गया कि उसके बाद किन विभागों ने प्रगति ज्यादा कर ली जो आठवें स्थान पर आ गया। इस प्रकार की मानीटरिंग की व्यवस्था है कि कहीं न कहीं विभाग ने प्रगति नहीं की, तो जो विभाग ने प्रगति नहीं की उसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्राविधान है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

बरसात में काम कम होता है, उसके बाद कार्य में गति आती है उसके बाद लगातार मानीटरिंग होती है । डिस्टिक्ट लेबिल पर, स्टेट लेबिल पर, स्टेट लेबिल पर जैसा कि मैंने बताया कि कमिश्नर से बातचीत की मंत्रियों से बातचीत की। तिवारी जी ने दूसरा प्रश्न किया कि किस-किस विभाग की प्रगति हुई उसकी सूचना मेरे पास नहीं है उससे अवगत करा दिया जाएगा।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम अक्तूबर, 1988 में उत्तर प्रदेश तेरहवें स्थान पर पहुंच गया। यह कहा गया कि उसके लिये तीन विभाग में शिथिलता है एक तो परिवार नियोजन है, दूसरा विद्युतीकरण तीसरा स्वास्थ्य में, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए माननीय विधायकों के लिए जो चयनित गांवों में अभी तक 1987-88 का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, तो इस दिशा में 20 सूत्रीय कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए क्या उन गांवों का विद्युतीकरण करायेंगे।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैं 1987-1988 की बात नहीं करता हूं, लेकिन इस वर्ष का जो लक्ष्य है उसको पूरा किया जाएगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बताया कि ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वास्थ्य, और परिवार नियोजन में पीछे रहने के कारण अक्तूबर, 88 में आप 13वें स्थान पर पहुंच गये। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन 3 विभागों की वजह से आप 13वें नम्बर पर पहुंच गये उस समय हमारे इन तीनों विभागों का भारत में कौन सा स्थान था और आज हमारा कौन सा स्थान है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा कि हमारा स्थान 13वें नम्बर पर था, पिछले साल हमारा स्थान 16वें नंबर पर था। पिछले सालों के मुकाबले इस साल प्रगति हुयी है। जहां तक इसमें गति देने की बात है तो इसको और गति दी जायगी।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कौन से जनपद हैं जो सबसे आगे हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम में और कौन सा जनपद सबसे पीछे है। जो जनपद पीछे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया जा रहा है ? दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि वर्षा के कारण प्रगति नहीं हो सकी तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन से ऐसे प्रदेश हैं जहां वर्षा उत्तर प्रदेश जैसी होती है लेकिन वर्षा के बावजूद भी वह प्रदेश उत्तर प्रदेश से आगे हैं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो ग्राम आपने विद्युतीकरण करने के लिये-लिये थे 1988-89 में उनमें आधा सामान पहुंच गया है । सामान की कमी के कारण खम्भे लगे हैं लेकिन तार वगैरह नहीं हैं। तो इन ग्रामों के विद्युतीकरण करने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। इन ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायगा या नहीं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस प्रश्न पर कल बहुत चर्चा हो चुकी है और इसका वास्ता ऊर्जा मंत्री से है। इस समय तो मैं जवाब 20 सूत्रीय कार्यक्रम के मंत्री की हैसियत दे रहा हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 13वें स्थान से आठवें स्थान पर पहुंच गये हैं। अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने अच्छा काम किया और 8वें नम्बर पर पहुंच गये उसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह सूचना आप किस आधार पर दे रहे हैं कि 13वें स्थान से आप 8वें स्थान पर आ गये । इसका आधार क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, भारत सरकार से जो रैंकिंग होती है उस आधार पर मैंने बताया कि अक्तूबर में हमारा स्थान 13वां था। हमारे वर्मा जी ने जानना चाहा था कि कौन सा जिला पहले स्थान पर था और कौन सा जिला सबसे पीछे था तो यह सूचना मेरे पास अब आ गयी है। पहले नंबर पर ललितपुर जिला था और सबसे आखिरी स्थान पर फर्रुखाबाद, 57वें स्थान पर था।

(ता0 प्र0 सं0–1 पुकारे जाने पर)

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, इसमें रुचि है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकर्ता ही नहीं हैं, रुचि तो आपकी है ही।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य के पठारी जनपदों में राजकीय नलकूपों के पानी देने की क्षमता को पांच हजार गैलन प्रति घन्टा करने पर विचार

*1–कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय नलकूपों को सफल माने जाने के लिए न्यूनतम क्षमता कितने हजार गैलन प्रति घण्टा पानी देने की निश्चित की गई है? क्या मंत्री जी बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य के पठारी जनपदों में पानी के निचले जलस्तर एवं सिंचाई के सीमित साधनों को देखते हुए इस सीमा को कम करके न्यूनतम पांच हजार गैलन प्रति घण्टा करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

प्रदेश में राजकीय नलकूप सामान्यतः 33750 गैलन प्रति घंटा (1.5 क्यूसेक) निकास की क्षमता के निर्मित किये जाते हैं।

बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य के जनपद इलाहाबाद में यमुनापार क्षेत्रों में भूगर्भीय जल की कम उपलब्धता तथा सिंचाई के अन्य साधन उपलब्ध न होने के कारण कुछ नलकूपों को 10,000 गैलन प्रति घंटा निकास तक भी सफल माना गया है।

प्रदेश में कुछ ऐसे विशेष क्षेत्रों में जहां भूगर्भीय जल की उपलब्धता कम है तथा सिंचाई के अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, वहां पर 5000 गैलन प्रति घंटा तक निष्कास वाले राजकीय नलकूपों को भी सफल मान लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय नलकूपों की मशीनरी की आयु सीमा का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाना

*2–श्री हर्ष वर्धन–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि राजकीय नलकूपों की मशीनरी की आयु सीमा का निर्धारण न होने के कारण नलकूपों की एक समयावधि के बाद सुचारु रूप से संचालन होने में कठिनाई होती है? यदि हां, तो क्या राजकीय नलकूपों की मशीनरी की आयु सीमा का निर्धारण कराने का कार्य सरकार द्वारा किया जायेगा?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मुईद अहमद)–

जी नहीं। राजकीय नलकूपों की मशीनरी की आयु सीमा वर्तमान में निर्धारित नहीं है परन्तु आयु सीमा निर्धारण न होने के कारण नलकूपों को सुचारु रूप से संचालन करने में सामान्यत: कठिनाई नहीं हो रही है।

विचाराधीन है।

श्री हर्ष वर्धन–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि मशीनरी की आयु सीमा वर्तमान समय में निर्धारित नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या राजकीय नलकूपों की मशीनरी की आयु सीमा को निर्धारित करने का काम सरकार द्वारा किया जायगा । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह विचाराधीन है, तो यह निश्चित ही है कि यह जो हर मशीन और मीटर की आयु सीमा होती है, उस आयु सीमा के समाप्त हो जाने पर, उसकी कार्य-क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके कारण सारे नलकूप खराब पड़े हुए हैं। इस पर विचार करके शासन कब तक इस संबंध में निर्णय ले लेगा?

श्री मुईद अहमद–

अभी तक कोई सीमा निर्धारित नहीं है। जो माननीय सदस्य की आकांक्षा है, उसके आधार पर यह विभाग ने भी महसूस किया और इस मामले को केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार को भेजा गया है कि इसकी सीमा निर्धारित कर दी जाय।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मैं जानना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने माना है कि बहुत से नलकूप ऐसे हैं जिनकी मशीन खराब रहती है और वे काम नहीं करते हैं। यह बहुत बड़ी कठिनाई है। जैसे पुलों की, भवनों की आयु सीमा निर्धारित रहती है, उसी तरह से नलकूपों की, मशीनों की आयु सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार को लिखा गया है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि नलकूपों की आयु सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में लिखा गया है या कोई अन्य विषय उसमें उठाया गया है?

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, शायद माननीय सदस्य समझ नहीं पाये। नलकूपों की आयु सीमा तो निर्धारित है, सामान्यतया 17 वर्ष या 57 हजार घन्टे। मशीनों की ही आयु सीमा निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग को लिखा गया है कि वह हमारे पम्प सेट्स या मोटर पार्ट्स की आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्देशित करें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपका विभाग और आपकी सरकार यह समझ रही है या नहीं कि आयु सीमा निर्धारित न होने के कारण आप केवल रिप्लेसमेंट ही नहीं कर सकते, बल्कि उनकी मरम्मत करा कर ही काम चलाते हैं, जिसकी वजह से प्रदेश के किसानों को सिंचाई में जगह-जगह पर कठिनाई महसूस हो रही है। इसको अगर आप महसूस कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए अपनी तरफ से योजना आयोग पर दबाव डाल कर इस सम्बन्ध में जल्द कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, नवें वित्त आयोग के समक्ष यह प्रश्न रख दिया गया है और उसमें विचार हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह कहा था कि माननीय सदस्यों की जो भावना है, इसके रख-रखाव के लिए और पुनरुद्धार के लिए 54 करोड़ रु0 की भारत सरकार से मांग की गयी है तथा इसके रखरखाव की जो धनराशि 5 हजार रु0 थी, उसे बढ़ा कर 10 हजार रु0 किया गया है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने नलकूप की आयु सीमा 17 वर्ष या 57 हजार घंटे बताया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो नलकूप 17 वर्ष से ज्यादा पुराने हो गये हैं या 57 हजार घंटे से ज्यादा चल चुके हैं, उनके लिए पुनर्निर्माण की कोई योजना है?

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, ऐसे नलकूपों का पुनर्निर्माण हर साल करते रहते हैं, जो भी खराब होते हैं, उनको बनाते रहते हैं।

स्वतंत्रता सेनानी के साथ अभद्र व्यवहार के लिए जनपद गोरखपुर के आबकारी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

*3–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर के मुहल्ला शेखपुर निवासी जनपद के प्रमुख एवं वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री बैजनाथ राम ने अपने पहले शिकायती पत्र पर शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के कारण 1 फरवरी, 1989 को पुनः मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखकर कार्यवाही न किये जाने पर उनके निवास पर अनशन

किये जाने की सूचना दी है? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में उक्त स्वतंत्रता सेनानी ने जिला आबकारी अधिकारी गोरखपुर के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि उक्त अधिकारी ने स्वतंत्रता सेनानी के साथ अभद्र एवं अमर्यादित व्यवहार किया? यदि हां, तो संदर्भित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं? कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी?

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस बात की ये सूचना एकत्र कर रहे हैं। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने स्पष्ट उस समय के तत्कालीन मंत्री संकठा प्रसाद शास्त्री को अपना पत्र दिया और मंत्री जी ने स्पष्ट तौर से आर्डर करके जिलाधिकारी गोरखपुर को दिया था कि आप इसकी स्पष्ट इन्क्वायरी कराकर उस भ्रष्ट आदमी जिसने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्व्यवहार किया है, मारा-पीटा है, गाली दिया है, उसके खिलाफ कार्यवाही करें तो जब स्पष्ट मंत्री जी ने जिलाधिकारी को आदेश दिया, पत्र भी है, तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्व्यवहार हो और उस पर भी सूचना आप एकत्र कर रहे हैं। मेरे पत्र को सही मानकर क्या आप उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने यह सूचित किया है कि यह पत्र उन्होंने संकठा प्रसाद शास्त्री तत्कालीन जो राज्य मंत्री हैं, उस समय सम्भवतः आबकारी देख रहे होंगे उनको दिया लेकिन प्रश्न में उन्होंने सूचित किया है कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया तो इसे माननीय मुख्यमंत्री के प्रत्येक अनुभाग में दिखवाया, आठ अनुभाग हैं तो इसको दिखवाया गया कि क्या कहीं इस प्रकार का पत्र प्राप्त हुआ है, श्री बैजनाथ राम जी का कोई पत्र है तो मान्यवर, वहां कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ था। लेकिन चूंकि माननीय विधायक जी का पत्र था तो मैंने फिर फाइल पर आर्डर किया कि इसको दुबारा देख लिया जाय लेकिन मान्यवर, पत्र नहीं मिला। तो मान्यवर, उस पत्र को प्राप्त करना जरूरी था इसीलिए लिखा कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, जिस तरह से अब माननीय सदस्य ने सूचित किया है तो उस पत्र के हिसाब से उसकी जांच करवा ली जायेगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सिंचाई विभाग के छटनीशुदा सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों को कृषि सेवा वर्ग–3 के पदों पर समायोजित किये जाने की मांग

*1–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के छटनीशुदा सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों की 450 कर्मचारियों की एक सूची कृषि सेवा वर्ग–3

के पक्ष में समायोजित करने के लिए सन् 1985-86 में उ0 प्र0 शासन को दी गयी थी जिनमें से 252 लोग समायोजित किये गये? यदि हां, तो शेष लोगों के समायोजन के लिए क्या कार्यवाही की गई?

श्री मुईद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सूचना एकत्र की जा रही है तो इस पर क्या पूछें?

किसानों द्वारा गेहूं की अच्छी पैदावार के फलस्वरूप किसानों के लिए बोनस की मांग

*2–श्री हर्षवर्धन–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1988-89 में रबी की फसल में उत्पादित होने वाले गेहूं का जो खरीद मूल्य केन्द्र सरकार ने निश्चित किया है उस पर प्रदेश के किसानों को प्रोत्साहन देने के निमित प्रदेश सरकार क्या 25 रुपये प्रति कुन्तल बोनस देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी नहीं।

राज्य सरकार के सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए किसानों को गेहूं खरीद पर बोनस दिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष कृषकों ने काफी मेहनत करके बहुत अच्छा उत्पादन किया है और जो उनको दाम दिये गये हैं केन्द्र सरकार द्वारा जो निर्धारित मूल्य है वह उनकी उपज लागत मूल्य से कम है इसको दृष्टि में रखते हुए इसमें बोनस देकर पूरा करने की बात की गयी है। तो जो लागत मूल्य है और जो निर्धारित मूल्य है उसमें बहुत विषमता है। यह जो बोनस का मामला है इसको बोनस के रूप में न सही लेकिन जो खरीद मूल्य है इस अन्तर को देखकर क्या कुछ धनराशि किसानों को देने का काम करेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वैसे तो मैंने उत्तर दे दिया लेकिन जहां तक किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य देने का प्रश्न है यह जो न्यूनतम मूल्य है, समर्थन मूल्य है कोई किसान के ऊपर पाबन्दी नहीं है कि इस मूल्य पर किसान को बेचना ही है। आपने 88-89 का प्रश्न किया। 88-89 में जो 173 रुपये समर्थन मूल्य घोषित था बाजार में उससे कहीं अधिक मूल्य मिला, मैं जानकारी देता हूं कि 173 तो न्यूनतम था लेकिन 230 रुपये का किसान को मूल्य मिला था। तो 25 रुपये बोनस की बात कर रहे हैं और यह 50 रुपये 60 रुपये समर्थन मूल्य से अधिक किसानों को मिला है तो जो मूल्य की बात है, वह 173 से गिर नहीं पाया, उससे ऊपर ही मिला है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार आटो ट्रैक्टर्स जैसे प्रतापगढ़ के कारखाने को सबसिडी देकर उत्पादन इसलिये करा रही है, ताकि लोग बेकार न हों और उसको घाटे पर भी चलाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में खेती, जो इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग है और उसमें लाखों खेतिहर मजदूर काम भी करते हैं, तो यह उद्योग कायदे से चलता रहे और लाभकारी मूल्य किसानों को मिलता रहे, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से आटो ट्रैक्टर्स, प्रतापगढ़ को सबसिडाइज करते हैं, उसी तरह से किसानों को उत्साहवर्धक मूल्य प्रदान करने के लिए 25 न सही कुछ धनराशि देने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो किस आधार पर उस फैक्ट्री को दे रहे हैं और यहां न देने का क्या कारण है?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं विद्वान सदस्य का आशय नहीं समझ पाया। जिन किसानों का गेहूं का उत्पादन सरकार के अलावा बाजार में बिक रहा है, तो जो गेहूं बाजार में बिक रहा है, उसके लिये बोनस सरकार देगी? मैंने पहले ही कहा कि बाजार में 240 रुपये तक किसानों को मिला, तो फिर 173 पर 25 रुपये जोड़ने की बात कहां है?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि न्यूनतम कीमत, जितने पर गल्ला किसान से खरीदते हैं, जो सपोर्ट प्राइस तय की है, उस पर सस्ते गल्ले की दुकान से जो मुनाफे पर बेचा, आम जनता को सस्ता गल्ला कह कर, तो किसान से सस्ता खरीदा और सस्ते गल्ले की दुकान पर 215 रुपये प्रति क्विंटल बिकवाया तो खरीद पर जो फायदा हुआ, बोनस एक्ट के तहत उस मुनाफे को किसान को बोनस के रूप में देने की कृपा करेंगी?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है, किसान का गल्ला खरीदने के बाद सस्ते गल्ले की दुकान के माध्यम से बिकवाने में केन्द्र सरकार को लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की सबसिडी प्रतिवर्ष देनी पड़ती है जो आप मुनाफे की बात करते हैं, इसमें पहले से ही 2 हजार करोड़ रुपये की सबसिडी देनी पड़ती है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, सस्ते गल्ले की दुकान पर जो बेचते हैं और जो खरीद करते हैं, उसकी जो कीमत है, उस पर जो मुनाफा हुआ, उस पर बोनस देंगे?

श्री हुकुम सिंह–

आपने 215 बताया, 175 के बाद 215 में इन्सीडेंटल, ट्रान्सपोर्टेशन, बोरी लगाकर और स्टोरेज लगाकर क्या खर्च आता है, इसका आकलन कर लें तो स्वयं सहमत होंगे कि 2 हजार करोड़ रुपये की सबसिडी दी जा रही है।

श्री अमर चन्द्र–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बताया कि किसान को 50–60 रुपया अधिक मूल्य समर्थन मूल्य से मिल रहा है, तो बोनस न देकर गेहूं का समर्थन मूल्य दो सौ रुपया करने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मा0 सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि 173 से इस वर्ष 183 पहले ही कर दिया गया है। मा0 सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए पहले ही बढ़ा दिया गया है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने स्वीकार किया कि समर्थन मूल्य से बढ़कर बाजार में किसानों को पैसा मिला तो इसमें सरकार की कोई सराहना नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो चीज खुले बाजार में 230 रुपये में बिकी तो इतना ही मूल्य ये समर्थन के मूल्य के रूप में देने के लिए तैयार नहीं हैं, दूसरे क्या सही है कि पंजाब के किसानों को गेहूं पर बोनस मिलता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में किसानों को बोनस देने पर सरकार विचार करेगी?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, दो प्रकरण हैं। सम्मानित सदस्य शायद उन पर विचार करने का कष्ट करेंगे। सरकार ने लगभग साढ़े 6 हजार क्रय केन्द्र पूरे प्रदेश में इसलिये खोले कि किसानों को डिस्ट्रेस्ड सेल न करनी पड़े और कम दाम पर न बेचना पड़े। अपने अतिरिक्त साधनों से केन्द्र खोलने पड़े, गांव-गांव में केन्द्र खोलने पड़े ताकि किसानों को असुविधा न हो। दाम घोषित कर दिये थे 173 रु0 8 मई के बाद में 175 घोषित कर दिये। मंडियों में बेचने के लिए किसानों को आजादी थी। 230 रु0 तक मिल रहा था किसानों ने लिया है। कन्ट्रोल कर देते वैसे कांग्रेस की सरकार तो यह काम कभी नहीं करेगी कि किसान को मजबूर करे कम दाम पर बेचने के लिए। आपने वह करके देख लिया फल भुगत भी लिया। माननीय सदस्य ने पंजाब की बात कही, मुझे जानकारी नहीं है कि वहां बोनस दिया जा रहा है। अगर दिया जा रहा है तो मैं उसकी जानकारी करा लूंगा।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर सपोर्ट प्राइज न्यूनतम मूल्य है आपने कहा कि किसान के हित में है। मैं जानना चाहता हूं कि सपोर्ट प्राइज की पालिसी का आधार क्या है। यह आप किसान के हित में नहीं करते हैं यह उपभोक्ताओं के हित में करते हैं। जब किसान का हित निहित है तो आप यह कष्टपूर्ण प्रैक्टिस क्यों करते हैं, बाजार में फिक्स प्राइज करके, किसानों को खुले बाजारों में बेचने दें। उपभोक्ताओं को कम कीमत पर मिले, येन केन प्रकारेण प्रक्रिया बाजार में इस तरह की करते हैं। गेहूं बाजार में आता है उसकी कीमत गिरने न पाये सपोर्ट प्राइज फिक्स कर देते हैं। सपोर्ट प्राइज फिक्स करने में हमारे उपभोक्ताओं का हित निहित है किसानों का नहीं। इस सपोर्ट प्राइज की पालिसी को हटाकर किसानों को खुले बाजारों में बेचने देंगे?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, किसान के ऊपर छोड़ी हुई है, सपोर्ट प्राइज पर बेचे या जो उसे अधिकतम प्राइज मिले। उसे आजादी है उसको बेचने के लिये।

श्री विजय सिंह राणा–

बाजार में उससे मेन्टेन करते हैं कीमत उससे कीमत आगे नहीं बढ़नी चाहिए उससे कम बिकेगी तो यह खरीदेंगे यह बाजार में कीमत मेन्टेन करते हैं जो कीमत सपोर्ट प्राइज की है उसके इर्द गिर्द खरीद कीमत रहे कीमत बढ़ने न पाये।

श्री हुकुम सिंह–

सम्मानित सदस्य राणा जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर नियंत्रण बाजार के प्राइज पर रहा होता तो 230 रु0 240 रु0 किसान को कैसे मिले होते। कोई नियंत्रण का प्रश्न नहीं है। नियंत्रण अगर होता है तो जो हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं देते हैं प्रति माह वह बाजार का भाव मेन्टेन करने में सहायक होता है। किसान को जो समर्थन मूल्य देते हैं, समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में कोई सामंजस्य नहीं है। 173 दे रहे हैं बाजार में उसे 230 रु0 240 रु0 तक मिल रहा था।

जनपद बांदा में मारों बांध की खांचा माइनर के निर्माण के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा न दिये जाने के कारण

*3–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में मारों बांध की खांचा माइनर के निर्माण के लिए कितने किसानों की कितनी-कितनी जमीनें अधिग्रहीत की गई थी? इसका निर्माण-कार्य कब पूरा हो गया? किसानों को अभी तक जमीनों का मुआवजा न दिये जाने के क्या कारण है? मुआवजा न देने के लिए कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? मुआवजा कब तक दिया जायेगा?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

राम सजीवन जी नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह जो हर्षवर्द्धन जी और राणा जी वाला सवाल चल रहा था उस पर आप चर्चा करा दें यह किसानों का मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

[बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

*1–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 अक्टूबर, 1988 तक कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका है और कितना और होना शेष है और यह कब तक

पूरा होने की सम्भावना है ? क्या सरकार, हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की जो पांच हजार रुपये की सीमा रखी है, उसको बढ़ायेगी जिससे कि समस्त हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण शीघ्र हो सके?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री राम आंतार दीक्षित)–

31 अक्टूबर, 1988 तक प्रदेश में 44026 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका है।

हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण, ग्रामों के विद्युतीकरण के साथ-साथ हो रहा है। गति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

ग्राम के विद्युतीकरण के साथ एक हरिजन बस्ती विद्युतीकृत की जा रही है। प्रथम हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के लिए सीमा निर्धारित नहीं है। रु0 5000/- की सीमा पहले से विद्युतीकृत ग्रामों की छूटी हुई हरिजन बस्तियों के लिए है। सीमित संसाधनों के कारण इस सीमा को बढ़ाना अभी संभव है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम में कमजोर वर्ग निर्बल वर्ग के लिए प्राथमिकता की बात करते हैं, मैं ने सवाल पूछा कि कितनी हरिजन बस्ती हैं और कितने का विद्युतीकरण किया गया। इन्होंने कहा कि 44026 का हुआ कुल हरिजन बस्तियां हैं कितनी, यह नहीं बताया। आप भी इससे परिचित हैं माननीय मंत्री जी भी अवगत हैं कि...

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इन गांवों में 2-2, 3-3 हरिजन बस्तियां हैं। आपने कहा कि सभी हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण का प्रस्ताव है, लेकिन आप करते एक को ही हैं और आपने सीमा बांध दी है कि 5 हजार से ज्यादा नहीं होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी हरिजन बस्तियां अभी विद्युतीकरण के लिए अवशेष हैं और जहां एक गांव में 2-3 हरिजन बस्तियां पड़ती हैं, वहां के लिये नियम को शिथिल करके चाहे जितना पैसा लगे, वहां तक पोल पहुंचाने की आप कृपा करेंगे ?

श्री राम आंतार दीक्षित–

मान्यवर, इसकी तो निश्चित जानकारी मेरे पास नहीं है कि हरिजन बस्तियां कितनी हैं, लेकिन आपके कथनानुसार, जैसा कि माननीय सदस्य ने अपेक्षा की है, हम हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण में प्राथमिकता अपना रहे हैं और शीघ्र ही इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो जाय।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, कल विद्युत का बजट था और माननीय मंत्री जी ने बजट में कहा था कि 76 हजार गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। श्रीमन् अभी जो हरिजन बस्तियों की बात आयी, उसमें माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि लगभग 40 हजार कुछ का हुआ है तो क्या जिन 76 हजार का विद्युतीकरण किया है, उन गांवों में कुछ ऐसी हरिजन बस्तियां भी हैं, जिनको विद्युतीकरण नहीं किया है, यदि ऐसा है तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, कल मैंने बताया था कि 76 हजार गांवों का विद्युतीकरण सी० ए० डेफनीशन के आधार पर हुआ है। दरअसल जो एल० टी० मैंन से विद्युतीकरण हुआ है, वह 44 हजार गांवों के करीब का है। मान्यवर, अब अगर इस तादाद को देखें तो करीब-करीब वह तादाद बराबर बैठती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहले शुरू में कुछ गांवों का विद्युतीकरण हुआ है, जिनमें हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण न हुआ हो, इसलिए अब यह व्यवस्था की गयी है कि जिन हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है, उन गांवों में विद्युतीकरण कराया जाय, और वह कराया जा रहा है।

चौधरी राम गोविन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि संसाधनों को देखते हुये हरिजन बस्तियों के लिये पैसा बढ़ाना संभव नहीं है। कल ही माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हरिजन बस्ती को विद्युतीकृत करने के लिये लघु कुटीर पर्व योजना लागू करेंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि 5 हजार रुपये में कितने खंभे लगेंगे? हम लोगों के हिसाब से केवल 3 खंभे लग पायेंगे तो क्या 3 खंभों से हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो जायगा यदि नहीं हो जायगा, तो 5 हजार रुपये की सीमा बढ़ाकर 20 हजार कम से कम कर दें जिससे हरिजन बस्तियों का सही रूप से विद्युतीकरण हो जाय, तो क्या माननीय मंत्री जी 5 हजार की सीमा को बढ़ाकर 20 हजार करने का कष्ट करेंगे, यदि नहीं तो जो ज्योति पर्व मना रहे हैं, उसको समाप्त कर देंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि ज्योति पर्व नहीं है, यह कुटीर ज्योति है। गरीब की कुटिया में भी रोशनी पहुंचे, इसलिए इस योजना को चालू किया गया है। जो लोग अपने घर में रोशनी नहीं पहुंचा सकते हैं, जो अपने साधन से रोशनी नहीं लगवा सकते हैं, उनको मुफ्त कनेक्शन देने की योजना है। कनेक्शन के लिये जो आम आदमी से 17 रुपया लिया जाता है, लेकिन जो गरीब हरिजन कुटीर ज्योति योजना के तहत बिजली दी जाती है, उसमें उनसे सिर्फ 7 रुपया लिया जाता है। जहां तक 5 हजार से 20 हजार करने की बात है, यह कर पाना संसाधनों पर निर्भर है, लेकिन हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को रोशनी मिल सके।

श्री जगदीश सिंह बरार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस समय जो विद्युतीकरण कर रहे हैं, उसमें मात्र एक खंभा हरिजन बस्ती में लगा दिया जाता है और उसे विद्युतीकरण कह दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन गांवों को विद्युतीकृत कर चुके हैं, जिसमें हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत मान लिया है, तो अब जिन गांवों को विद्युतीकृत करने जा रहे हैं, क्या उन गांवों में आप हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण में स्पष्ट निर्देश जारी करने की कृपा करेंगे कि वहां जितनी हरिजन आबादी है, उतने ही प्रतिशत खंभे लगवायें जायें, क्या यह स्पष्ट निर्देश जारी करने का कष्ट करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस बारे में बहुत स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं। एक बात मैं बता दूं कि पहले के विद्युतीकरण और आज के विद्युतीकरण में एक फर्क है। अब यह आदेश गये हैं कि जिस गांव का विद्युतीकरण होगा, उसमें जो पहला पोल लगेगा, वह हरिजन बस्ती में लगेगा। इस प्रकार से हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की शुरुआत हो गई।

श्री कांशिक रमा शंकर–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले जो गांवों का विद्युतीकरण हुआ, उनमें से हरिजन बस्तियों में खम्भें नहीं पहुंच पाये। यह भी सही है कि आपके आदेश है कि अगर किसी गांव में विद्युतीकरण हो चुका है और हरिजन बस्ती में बिजली नहीं पहुंच पाई है तो वहां पर अधीक्षण अभियंता 2 खम्भों की स्वीकृति दे सकता है और उसका विद्युतीकरण कर सकता है। परन्तु मान्यवर, ये दो खम्भे बहुत ही कम हैं। क्या आप ऐसे निर्देश निर्गत करेंगे कि जहां पहले विद्युतीकरण हो चुका है किन्तु हरिजन बस्ती में बिजली नहीं पहुंची है, वहां पर अधीक्षण अभियंता आवश्यकतानुसार खम्भे स्वीकृत कर विद्युतीकरण कर दें।

(माननीय ऊर्जा मंत्री जी के उत्तर देने के लिए खड़े होने पर, श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने में व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री राणा जी कृपा करके आप बैठ जायें। मुझे कोई एतराज नहीं है, किन्तु मैं इस प्रश्न के बाद आगे नहीं बढ़ूंगा। जिन लोगों के प्रश्न छूट जाते हैं, वे रोजाना मेरे पास आते हैं। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैं तो आपकी सहायता चाहता हूं।

(कुंवर रेवती रमण सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री रेवती रमण सिंह जी मैं केवल इस शर्त पर आपको इजाजत दूंगा कि फिर इसके बाद इस प्रश्न पर और कोई प्रश्न नहीं होगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह सही है कि हरिजन बस्तियों में काफी संख्या में विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। जो आपके वर्तमान में 5 हजार रुपए का नियम है, उससे विद्युतीकरण हो पाना भी सम्भव नहीं है। आपके संसाधन कम है। क्या विशेष कमजोर वर्ग के लोगों को देखते हुए और हरिजनों की समस्याओं को देखते हुए साथ ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्राथमिकता को देखते हुए, क्या माननीय मंत्री जी इस काम के लिए बजट में विशेष प्राविधान करेंगे। हरिजन बस्तियों में कम से कम 10 पोल, यदि उससे कम में हो जाता है तो ठीक है, देने की व्यवस्था करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह एक पोल, दो पोल व दस पोल की बात नहीं है। मैंने ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन गांवों का विद्युतीकरण हो रहा है

उनमें पहले पोल हरिजन बस्तियों में लगा रहे हैं। दूसरी बात, बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें पहले विद्युतीकरण हुआ लेकिन हरिजन बस्तियां रह गयी थीं उनमें भी विद्युतीकरण करने का प्रयास हो रहा है और उन गांवों को भी विद्युतीकृत करने की कोशिश हो रही है। उसके लिये 5 हजार रु0 की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा जो हमारी दूसरी योजना है "कुटीर ज्योति" की, उन गांवों में यह हो सकता है कि इस बात को प्राथमिकता दे दी जाय कि जिन गांवों में हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण पूरा नहीं हुआ है, उनमें "कुटीर ज्योति" के माध्यम से पूरा करा दिया जाय।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि "कुटीर ज्योति" योजना क्या प्रदेश के सभी जिलों में लागू है ? यदि नहीं, तो क्या पूरे प्रदेश में लागू करेंगे जिससे छूटी हुई हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण हो सके?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

पूरे प्रदेश में इस वर्ष 1,08,000 गरीब हरिजनों को विद्युत के मुफ्त कनेक्शन दिये जाने हैं। प्रदेश के सभी जिलों में इस योजना को लागू किया गया है, हर जिले विद्युतीकरण हुआ है और हरिजन बस्ती नहीं हुई हैं, उन गांवों को प्राथमिकता दी के अलग-अलग लक्ष्य हैं। इस बात के लिये निर्देशित करूंगा कि जिन गांवों में जाय।

प्रदेश में सिंचाई एवं पेयजल हेतु उपलब्ध जल का उपयोग करने हेतु समयबद्ध योजना का बनाया जाना

*2–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उपलब्ध स्तरीय तथा भूगर्भीय जल का कोई आंकलन किया गया है? क्या प्रशासन ने इसमें से सिंचाई तथा पेयजल हेतु उपलब्ध जल की मात्रा का भी कोई आंकलन किया है? यदि हां, तो क्या तथ्य सामने आये हैं तथा सिंचाई एवं पेयजल हेतु उपलब्ध जल का उपयोग करने हेतु शासन ने कोई समयबद्ध योजना बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुईद अहमद–

जी हां।

इस आंकलन हेतु एक समिति अगस्त, 1988 में गठित की गई है।

अभी समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त समिति की रिपोर्ट आने पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब शासन को यह ही ज्ञात नहीं था कि सिंचाई और पेयजल हेतु कितना जल उपलब्ध है तो आज तक जितनी योजनायें बनायी हैं, वे किस आधार पर बनायी हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, जल का आकलन उपलब्ध है मगर जल का प्रयोग भी बहुत हुआ है। भविष्य में कितना जल उपलब्ध है, इस बात की जानकारी आवश्यक है, इसीलिये इस समिति का गठन हुआ है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैंने जो प्रश्न किया था अगर उसको देख लें कि अगर कोई ऐसा आंकलन किया गया है तो जानकारी दें, मन्त्री जी ने कहा कि समिति बनायी गयी है। सरकार ने अभी तक कोई आंकलन नहीं किया है। मैंने जो मूल प्रश्न किया था कि सिंचाई एवं पेयजल हेतु कितना जल उपलब्ध है, इसका आकलन नहीं किया है। मैं अपने प्रश्न को दोबारा दोहराना चाहूंगा जब यह आकलन नहीं था तो योजनायें कैसे बनाते रहे? अब जो समिति गठित की है उसके लिये कोई समय निश्चित किया है कि इस समय तक रिपोर्ट आ जायगी ताकि आठवीं पंचवर्षीय योजना को उसके अनुरूप बना सकें?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सतही जल 124 लाख हैक्टेयर मीटर है और भूगर्भ जल 56 लाख से 58 लाख हैक्टेयर मीटर है। कितना प्रयोग हो गया है और कितना उपलब्ध है जब तक यह सूचना नहीं आ जायगी, देना सम्भव नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा नई आबकारी नीति की जानकारी

*3–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार, वर्तमान आबकारी नीति के स्थान पर किसी नई आबकारी नीति बनाए जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या वर्तमान आबकारी नीति के स्थान पर नई आबकारी नीति बनाते समय उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत रूप से शराब बनाने वाली जातियों को देशी शराब बनाए जाने की अनुज्ञप्ति दिए जाने के मुद्दे को भी सरकार ने संज्ञान में लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार शराब की बिक्री से सम्बन्धित जनहित के किन-किन बिन्दुओं पर विचार कर रही है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

शीरा/अल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योगों को आकर्षित करने हेतु दीर्घकालीन आबकारी नीति विचाराधीन है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मेरा प्रश्न देखने का कष्ट करें. प्रश्न में तीन बिन्दु पूछे गये हैं । पहला यह कि वर्तमान आबकारी नीति के स्थान पर क्या किसी अन्य आबकारी नीति के बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है?

तो मान्यवर, इसका उत्तर आ गया है कि आबकारी नीति विचाराधीन है । लेकिन जो दूसरा प्रश्न था कि क्या वर्तमान आबकारी नीति के स्थान पर नई आबकारी नीति बनाते समय उ0 प्र0 के ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत रूप से शराब बनाने वाली जातियों

को देशी शराब बनाये जाने की अनुज्ञप्ति दिये जाने के मुद्दे को भी सरकार ने संज्ञान में लिया है ? श्रीमन्, सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश में लाखों लोग पुलिस से सांठ-गांठ करके, पुलिस की शह पर शराब बना रहे हैं । तो अगर उनको लाईसेन्स दे दिया जाय जो कि नीचे तबके के लोग हैं उनको तो क्या इस बात को सरकार अपने विचार में लेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

इसमें पूरे के पूरे आबकारी के अधिनियम को परिवर्तन करने का विचार शासन का नहीं है । शासन ने इण्डस्ट्रियल उद्योग अल्कोहेल का जो है उसमें दीर्घ काल तक चलने वाली नीति का जो मामला है वह जरूर शासन के विचाराधीन है । जो दूसरा प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में, तो यह तो नहीं कर सकते हैं, किन्तु भारत सरकार ने सर्वेक्षण कराया था तो उसके आधार पर यह संस्तुति की थी कि जो ट्राइवल जाति हैं जो खुद ही शराब बनाती हैं और खुद ही उसे पीती हैं तो आबकारी के मैनुअल के अनुसार उनको लाईसेन्स दे दिया जाता है । और उसके लिये 1 रुपया फीस का निर्धारित किया गया है । इन ट्राइवल जातियों में जैसे थारु जाति, भोटिया जाति तथा लेबचा जाति इत्यादि आती है, इनको लाईसेन्स दिये जाने का प्राविधान है ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

क्या माननीय मंत्री जी सन् 1977 से 1980 तक जो आबकारी की नीति थी, उसको दुबारा लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

क्या नीति थी ?

श्री मुहम्मद आजम खां–

अब इसका पता आप खुद लगाइये कि क्या नीति थी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

यह श्रीमन्, कोई अन्ताक्षरी तो है नहीं, न किसी को डाउन करना है । उस समय शासन ने कुछ अरसे के लिये मद्य-निषेध लागू किया था, लेकिन उस समय मृत-संजीवनी सुरा धड़ल्ले से बिकती थी ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी नें बतलाया कि कुछ जन जातियों को जैसे कि भोटिया और लेबचा बगैरह हैं उनको आबकारी मैनुअल के आधार पर लाईसेन्स दिया जाता है । तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या ऐसे लाईसेन्स दिये गये हैं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जी हां, व्यतिगत लाईसेन्स दिये गये हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न की मूल भावना पर पर्दा डाल दिया है । प्रश्न था कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग शराब बनाने का अवैध धन्धा करते हैं और यह

काम वे पुलिस की सांठ-गांठ से करते हैं । तो धन्धा तो वे कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे । तो उसको रेगुलराईज करने के लिये क्या माननीय मंत्री जी ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने वालों को लाईसेन्स देने पर विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

धारा 7 के अनुसार यह अपराधिक कार्य है और वे बड़ी डिस्टलरी लगा नहीं सकते हैं । डिस्टलरी के बिना शुद्ध मदिरा नहीं आयेगी । सदन में बराबर इस तरह के प्रश्न उठते रहते हैं और सभी माननीय सदस्यों की यह वेदना है जो कि समय-समय पर वे व्यक्त करते रहते हैं इसलिये उनको रेगुलराईज करने का विचार नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर एक निवेदन है....

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम आसरे वर्मा जी बड़ौदा में जो हाल हुआ है, वही उत्तर प्रदेश में होने लगेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर कुटीर उद्योग में यदि इसे बदल दें तो बड़ी मदद इनको मिल जायेगी ।

श्री जवाहर सिंह यादव–

मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आबकारी विभाग की ऐसी कोई नीति है, जिसके तहत शराब की दुकानों पर जो "नाम पट" होता है, जिस पर अंग्रेजी शराब या विदेश शराब की जगह पर अब "मधुशाला" लिखा हुआ देखा जा रहा है, ऐसी क्या कोई नीति बनायी गयी है ? और दूसरी बात क्या पंडित जवाहर लाल और महात्मा गांधी के आदर्शों के तहत यह मधुशाला का नाम हटवा-कर विदेशी शराब या अंग्रेजी शराब पहले की भांति पुनः करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

ऐसी कोई शासन की नीति नहीं है, दुकानदार जो लिखना चाहें वह लिख सकते हैं, उसी के आधार पर उन लोगों ने यह लिख लिया है अब आपने इंगित किया है तो हम दुकानदारों से कह देंगे ।

जनपद झांसी में पतराई बांध के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि के मुआवजे का भुगतान

*4–कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि झांसी जिले में बनाये जाने वाले पतराई बांध के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा भूस्वामियों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों और इसका कब तक भुगतान करा दिया जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

झांसी जनपद में पथराई बांध (पतराई बांध नहीं) के लिये भूमि अध्याप्ति अधि-नियम 1894 के अन्तर्गत कोई भी भूमि अभी तक अधिग्रहीत कर विभाग को सौंपी नहीं गई है । अतः भूमि का मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता । पथराई बांध की डैम साईट व बोरो एरिया हेतु तीन ग्रामों पहाड़ी खुर्द, विजयगढ़ व चन्द्रोधवारी के भूमि

अध्याप्ति की धारा 4(1) व 6 के अधीन विज्ञप्तियां निर्गत की जा चुकी हैं, एवं उक्त दोनों विज्ञप्तियां राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0 प्र0 इलाहाबाद को भेजी जा चुकी हैं ।

विज्ञप्तियां राजकीय गजट में प्रकाशित हो जाने के उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर यथा समय प्रतिकर का भुगतान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, झांसी द्वारा किया जायेगा ।

नलकूप विभाग में सहायक अभियन्ताओं की तदर्थ नियुक्ति तथा विनियमतीकरण

*5—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप विभाग में वर्ष 1986 में लगभग 60 सहायक अभियन्ताओं की तदर्थ नियुक्ति की गई थी तथा वर्ष 1987 में लगभग एक सप्ताह की सर्विस ब्रेक करके पुनः एक वर्ष के लिये तदर्थ नियुक्ति कर दी गयी थी ? यदि हां, तो इनको नियमित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मुख्य अभियंता नलकूप विभाग ने शासन को उपरोक्त सहायक अभियंताओं को नियमित कर देने हेतु संस्तुति की है ?

श्री मुईद अहमद—

जी हां ।

वर्ष 1986 में सिंचाई विभाग में 89 सहायक अभियन्ताओं (यांत्रिक) के पदों पर तदर्थ रूप से एक वर्ष के लिए अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए नियुक्तियां प्रदान की गई थी और एक वर्ष की तदर्थ नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर 1987 में तदर्थ रूप से सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा में कुछ दिन का व्यवधान करके इन्हें पुनः एक वर्ष के लिए तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया था ।

सहायक अभियन्ताओं के पदों पर नियमित चयन के सम्बन्ध में आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि सन् 1986 में सिंचाई विभाग में 89 सहायक अभियन्ताओं (यांत्रिक) के पदों पर तदर्थ रूप से एक वर्ष के लिए तदर्थ नियुक्ति की गयी थी, फिर दूसरे साल उनकी सर्विस ब्रेक कर उन्हें फिर रख लिया गया और आगे यह भी कहा कि इन पदों पर नियमित चयन के लिए आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

मान्यवर इन सब से तो ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग को इन की जरूरत तो है, लेकिन जरूरत के रहते हुए फिर इनकी सर्विस ब्रेक क्यों की गयी, इनको चलते रहने देना चाहिए था । दूसरे आयोग से जो 3-3 और 4-4 साल का समय लग रहा है तो इन सब को देखते हुए क्या सरकार नियमों में ढील देते हुए जिन्हें 3-3 व 4-4 साल हो गये हैं, काम करते हुए, क्या ऐसे लोगों के नियमतीकरण के बारे में विचार करेगी ?

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर जिन 89 सहायक अभियन्ताओं की तदर्थ नियुक्ति की गयी थी, इस बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन से स्वीकृति सूची मांगी गयी थी कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची भेज दी जाए, जब इस सूची के आने में काफी समय लगा तो इन सहायक अभियन्ताओं की तदर्थ नियुक्ति सर्विस कंडीशन्स के आधार पर कर ली गयी थी । वर्ष 88 में जब फिर यह सूची नहीं आयी तो कुछ दिन का व्यवधान करके इन्हें पुनः एक वर्ष के लिए तदर्थ रूप से नियुक्त कर लिया गया है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर मा0 मंत्री जी ने फिर वही उत्तर दे दिया मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहूंगा कि जिन सहायक अभियंताओं की तदर्थ नियुक्ति की गयी और जब एक साल पूरा हो गया तो उनकी सर्विस ब्रेक कर दी गयी और उन्हें फिर रख लिया गया, तो जब उनकी आवश्यकता आपको थी, तो फिर ब्रेक क्यों किया गया उनकी सर्विस में और दूसरी बात यह वर्ष 1989 चल रहा है, जिन लोगों को 3-4 साल हो गये कार्य करते हुए और उनके बारे में लोक सेवा आयोग से कुछ आया नहीं तो इन सब को देखते हुए क्या सरकार अपने नियमों में ढील देते हुए इनके नियमितीकरण पर कोई विचार करने को तैयार है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

नहीं श्रीमन्, यह सारी की सारी गजटेड पोस्ट हैं, इनका चयन लोक सेवा आयोग द्वारा ही होना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में हम उस अवधि तक इन्हें तदर्थ ही चला सकते हैं इसलिये लोक सेवा आयोग से सूची नहीं प्राप्त हो सकी, उन लोगों की सेवाओं में एक वर्ष का और मौका दे दिया गया है । भविष्य में जैसे ही सहायक अभियन्ताओं की सूची प्राप्त हो जायेगी, उनको रखा जायेगा ।

*6–श्री राज किशोर सिंह–

[दि0 1-3-89 का अता0 प्र0 सं0 8 द्वारा उत्तरित]

*7–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं को ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति

*8–श्री शारदा प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नति हेतु सिंचाई विभाग की सिविल विंग में वरिष्ठता कार्यभार ग्रहण की तिथि से लगायी जा रही है जबकि संचाई विभाग की मैकेनिकल विंग में वरिष्ठता पी0 एस0 सी0 के आधार पर लगाकर प्रोन्नति की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सिविल अपील संख्या 1917, 1981 एवं सिविल अपील 622–625 आफ 1982 सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की भांति सिंचाई विभाग में भी ज्येष्ठता पी0 एस0 सी0 के आधार पर तय कर प्रोन्नति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सिविल संवर्ग के सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता निर्धारण का प्रश्न उच्चतम न्यायालय में विवादग्रस्त होने के कारण महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त करके सिविल अपील संख्या–1717 आफ 1981 तथा 622–625 आफ 1982 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर सहायक अभियन्ताओं की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार कर अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पदों पर अस्थायी एवं अनन्तिम प्रोन्नतियां की गयी हैं । यह पदोन्नतियां उच्चतम न्यायालय में लम्बित ज्येष्ठता सम्बन्धी समस्त याचिकाओं एवं अपीलों के अन्तिम निर्णयाधीन रक्खी गयी हैं ।

जनपद गाजियाबाद के नोएडा में भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत वादकारियों को भुगतान कराने की मांग

*9–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा जिला-गाजियाबाद में अब तक भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 के अंतर्गत धारा 28-ए में लम्बित कितने वादकारियों को भुगतान कर दिया गया है ? क्या सारे भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कराने में कोई वैधानिक कठिनाई है ? यदि नहीं, तो यह समस्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

शिक्षा, वन एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री जगदम्बिका पाल)–

नोएडा के भूमि अर्जन अधिनियम 1984 के धारा 28-ए के संबंध में कुल 150 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनके विरुद्ध 124 वादकारियों को भुगतान कर दिया गया है, शेष 26 मामलों का भुगतान हेतु वारिसान प्रमाण-पत्र दाखिल न होने के कारण वैधानिक रूप से भुगतान करने में कठिनाई है, जिसके दाखिल होते ही भुगतान करने में विलम्ब या कठिनाई नहीं होगी ।

श्री महेन्द्र भाटी–

मान्यवर, यह बड़ी सुखद स्थिति है कि 124 वाद निपटा दिये गये हैं, लेकिन जो 26 वाद बचे हैं, तो क्या इनका परीक्षण अथारिटी करेगी या कोर्ट इनको तय करेगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सक्सेशन सर्टीफिकेट जो होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है । जो 26 लोग हैं, उनको नोटिस दी गयी है कि सक्सेशन सर्टीफिकेट दाखिल करें, जो नोटिस भेजी गयी है वह सुठारी गांव में 6 लोगों को, मोरना में एक, हरौला में 12, नगला में 1, ककराला में 1 और रघुनाथपुर में 5 को भेजी गयी है ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, तमाम लोगों की जमीन अधिगृहीत की गयी है, चाहे वह इण्डस्ट्रियल सेक्टर के लिये हो या आवासीय योजनाओं के लिये हो, लेकिन सरकार उनका प्रतिकर देने में लापरवाही करती है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रदेश में जो किसानों की जमीन अधिगृहीत की गयी है, उसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा, प्रदेश में चाहे इण्डस्ट्रियल एरियाज के लिये हो या और अन्य विकास कार्यों के लिये हो, किसानों की जमीन अर्जित की जाती है और उसका प्रतिकर दिया जाता है । लैण्ड एक्यूजिशन एक्ट, 1894 के अनुसार कार्यवाही की जाती है और जो धन-राशि निर्धारित की जाती है, और अगर उससे किसान सहमत नहीं होता है तो डी0 जे0 के यहां रेफरेन्स कर सकता है और फिर कलेक्टर 28-ए के अन्तर्गत कार्यवाही करता है और प्रतिकर निर्धारित करता है और उसका भुगतान किया जाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 28-ए के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यवाही करता है और बाजार भाव के अनुसार उसका प्रतिकर निर्धारित करता है । क्या यह सही है कि यह सरकार की नीति है कि बाजार भाव को उचित मूल्य से सब्स्ट्रीट्यूट किया जा रहा है, जिससे सरकार किसानों की जमीन मिट्टी के भाव से ले सकें । क्या इस तरह का निर्णय सरकार ने ले लिया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, किसान विरोधी नीति सरकार की नहीं है, बल्कि सरकार का दृष्टि-कोण है किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य मिले और उसके अनुसार उनको भुग-तान किया जाये । अगर कलेक्टर ने जो मूल्य तय किया है और किसान उससे सहमत नहीं है तो वह जिला जज के यहां जा सकता है और कलेक्टर प्रतिकर को निर्धारित करता है और उसका भुगतान करता है ।

हेडवर्क्स एण्ड आगरा नहर ओखला, नई दिल्ली के अधिशासी अभियन्ता द्वारा किये गये गबन की टेक्निकल जांच की मांग

*10–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि हेडवर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला, नई दिल्ली के अधिशासी अभियंता (श्री के0 एस0 बंसल) द्वारा विगत वर्ष में लगभग 5 करोड़ रुपये के गबन का प्रकरण प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या उसके द्वारा कराये गये कार्यों की टेक्निकल जांच कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुईद अहमद–

जी नहीं । प्रश्नगत अधिकारी के विरुद्ध 5 करोड़ रुपये के गबन का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है परन्तु इसके विरुद्ध कामरेड पी0 सी0 शर्मा, भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा ब्लाक–3, जगपुरा एक्सटेन्शन, नई दिल्ली का जून, 1987 का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें चार या पांच करोड़ रुपये से अधिक धनराशि के गबन का अंकन है ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की प्रारंभिक जांच अधीक्षण अभि-यन्ता, ड्रेनेज मण्डल, मेरठ द्वारा की जा रही है ।

प्रश्नगत अधिकारी के विरुद्ध इन्हीं शिकायतकर्ता द्वारा शासकीय धनराशि के गबन एवं अन्य शिकायतों के बारे में उत्तर प्रदेश के मा0 लोक आयुक्त के समक्ष भी परिवाद दायर किया गया है जो मा0 लोक आयुक्त के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो शिकायती पत्र दिया गया है जिसकी आप जांच करा रहे हैं अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मंडल, मेरठ द्वारा, उसमें मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं ?

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, आरोपों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–निर्माण कार्य में गबन, सरकारी जमीन की बिक्री, अवैधानिक कार्य एवं भ्रष्ट आचरण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना । मान्यवर, लोक आयुक्त को सन् 87 में जो शिकायती पत्र भेजा था उसमें निर्माण कार्य में गबन और सरकारी जमीन की बिक्री बताई गयी है ।

श्री मित्रसेन–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न में शिकायत के रूप में कई कार्यों में गबन का मामला प्रकाश में आया है । मैं जानना चाहूंगा कि इतने गम्भीर मामले की जांच कब से चल रही है और कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, शासन ने अधीक्षण अभियंता को इसकी प्रारम्भिक जांच के लिए दिया है । उनकी रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जायेगी । जो लोक आयुक्त कर रहे हैं उसकी जानकारी शासन को नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो आरोपों की फेहरिस्त दी है उससे स्पष्ट हो गया है कि मामला बहुत गम्भीर है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक की अवमानना हुई है साथ ही सब-स्टैन्डर्ड कार्य के भी आरोप हैं । मैं जानना चाहूंगा कि सरकार को इन आरोपों की जानकारी कब मिली और कब जांच के आदेश दिये गये ? क्योंकि प्रिलिमिनेरी रिपोर्ट भी सरकार के पास आयी है । उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सरकार को 15 जून 1987 को यह आरोप पत्र मिला था कामरेड शर्मा के द्वारा और उसी वर्ष जांच के आदेश हो गये थे ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहूंगा कि ऐसी शिकायतों के गम्भीर आरोप पत्र सरकार को और शासन को मिलते रहते हैं और उसका एक ही उत्तर मिलता है कि शिकायत मिली और उसकी हम जांच करवा रहे हैं । मैं जानना चाहूंगा कि जो यह शिकायत पत्र आपको मिला है, इसके संबंध में और इसी प्रकार जो अन्य शिकायतों

पत्र आपको पहले मिले हैं उन सब के लिए आप कोई निश्चित समय तय कर देंगे कि शिकायत मिलने के इतने दिनों के अन्दर उनका निस्तारण पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

शिकायतों के बारे में समय कैसे फिक्स कर दें क्योंकि शिकायत आती है तो उसकी जांच होना आवश्यक है । बिना जांच के अगर हम कार्यवाही कर देंगे तो माननीय सदस्य कहेंगे कि उस व्यक्ति को आगरा बरेली भेज दो वह यहां बैठने लायक नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, दो साल पहले माननीय मंत्री जी को यह शिकायती पत्र मिला था और दो साल बीत जाने के बाद भी आप कोई आरोप - पत्र तैयार नहीं कर पाये हैं । मान्यवर, उस समय सिंचाई मंत्री माननीय बीर बहादुर सिंह जी थे और अब माननीय लोकपति त्रिपाठी हैं । मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय लोकपति त्रिपाठी भी उसी तरह का फोर्स बनाये रखेंगे जो बीर बहादुर सिंह जी ने बनाया था ? यदि नहीं , तो इनके द्वारा कराये गये कार्यों की टेक्निकल जांच कराने में आपको क्या आपत्ति है ? दूसरी बात एक अधिशासी अभियंता के खिलाफ अधीक्षण अभियंता जांच कर रहे हैं तो उससे किसी उच्च अधिकारी से जांच न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

एक महीने के अंदर रिपोर्ट आ जायेगी और उसके उपरांत जो आवश्यक कार्यवाही होगी की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जानकारी

*11–श्री राम आसरे (अनुपस्थित)–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के अंतर्गत इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतनमान निर्धारण किया गया है ? यदि हां, तो कब और क्या-क्या वेतनमान है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि निगम के अंतर्गत सभी इकाइयों के कर्मचारियों के वेतनमान तथा अन्य सुविधायें एक समान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

राज्य वस्त्र निगम के अंतर्गत स्थापित इकाइयों में लिपिकीय वर्ग तथा श्रम कल्याण अधिकारी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के कार्मिकों का वेतनमान निर्धारित नहीं है ।

लिपिकीय कर्मचारियों का वेतनमान वर्ष 1977 में निर्धारित किया गया था जो जो समय-समय पर पुनरीक्षित किया गया है । लिपिकीय कर्मचारियों का वेतनमान निम्नवत है :–

1–कनिष्ठ लिपिक रु0 300–592

2–वरिष्ठ लिपिक रु0 400–744

इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों , सुरक्षा कर्मियों, ड्राइवरों इत्यादि कर्मचारियों को शासन द्वारा समय-समय पर त्रिपक्षीय समझौतों, शासनादेशों में निर्धारित वेतन दिया जाता है । इन कर्मचारियों के टैक्सटाइल उद्योग में सामान्यतः कहीं भी वेतनमान निर्धारित नहीं है ।

अधिकारियों को उनकी योग्यता, अनुभव क्षमता इत्यादि को देखते हुए सेवा शर्तों के अनुसार संहत वेतन दिया जाता है ।

निगम के अंतर्गत सभी इकाईयों के श्रमिकों तथा लिपिकीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तथा सुविधायें समान हैं ।

जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर के मांगारी ग्राम में स्थापित दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर लि0 को तेजाब बनाने का लाइसेंस दिये जाने की जानकारी

*12–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि फैजाबाद जनपद के बीकापुर तहसील के मांगारी ग्राम में दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर लि0 स्थापित किया गया है जिसमें तेजाब भी बनाया जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रोजेक्ट द्वारा तेजाब बनाकर बेचने की अनुमति दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या प्रोजेक्ट को दिया गया तेजाब बनाने का लाइसेन्स निरस्त किया जायेगा ? क्या यह सही है कि उक्त प्रोजेक्ट संचालित करने हेतु शेयर होल्डरों की समिति गठित किए बिना प्रोजेक्ट निर्माण की अनुमति दी गयी है ? यदि नहीं, तो बनी समिति के कुल कितने सदस्य हैं और उनके नाम तथा उनके पते क्या हैं ? उनके कितने शेयर प्रोजेक्ट में शामिल हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मे0 दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर लि0 ग्राम मांगारी तहसील बीकापुर जनपद फैजाबाद में स्थापित किया गया है जिन्हें सल्फूरिक एसिड बनाने का लाइसेन्स भारत सरकार द्वारा दिया गया है । इकाई द्वारा उत्पादित सल्फूरिक एसिड का अधिकांशत: उपयोग उनके द्वारा अपनी इकाई में प्रोसेस में किया जाता है । यदि कुछ तेजाब बचता है तो उसे व अन्य इकाई को देते हैं ।। सल्फूरिक एसिड का उत्पादन व बिक्री सेन्ट्रल एक्साइज के आधीन है । बोर्ड आफ डायरेक्टर्स गठित है जिसमें 9 सदस्य हैं, जिनका विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 197 पर)

श्री गोपी नाथ वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो जानकारी दी है वह बिलकुल सत्य से परे है । इसी सदन में इस सवाल को लेकर कई बार चर्चा हुई । मैं जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार जानबूझ कर इस फर्टिलाइजर फैक्ट्री को मदद करती है । इसी कारण इस फर्टिलाइजर से प्रदूषण हो रहा है और तेजाब के कारण हजारों एकड़ जमीन नष्ट हो जाती है । उस तेजाब से जानवरों और फसल को नुकसान हो रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर लि0 द्वारा प्रदूषण और तेजाब बनाने से नुकसान होने की घटनाओं की जानकारी करने के लिए इस सदन की कमेटी बनाने की कृपा करेंगे जो वहां जाकर जानकारी कर लें ?

श्री अध्यक्ष–

कमेटी कैसे बनेगी ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है उसके संबंध में मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर प्रदूषण हो रहा है तो मैं उसे स्वयं दिखवा लूंगा और जांच करवा लूंगा । अगर मेरी जांच से वह संतुष्ट न हों तो फिर जो भी फैसला लेंगे शिरोधार्य होगा ।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, इस संबंध में मैंने प्रश्न किया था अतारांकित प्रश्न जिसके उत्तर में कहा गया कि प्रदूषण नहीं हो रहा है और न तेजाब की कोई घटना है । तो मैं असंतुष्ट हूं ही इसलिए सदन की कमेटी बना दें जो वहां जाकर जांच कर ले और तथ्यों के आधार पर जानकारी दे दे ।

श्री अध्यक्ष–

इस सदन की कमेटी हर एक में नहीं बनती है ।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

वहां हजारों एकड़ जमीन नष्ट हो रही है और बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो सदन की कमेटी बनाने में क्या आपत्ति है । (व्यवधान) मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें उनको क्या कठिनाई है माननीय सदस्यों की कमेटी बनाने में ? जब कह रहे हैं सन्तुष्ट नहीं होंगे तो बना देंगे, हम सन्तुष्ट नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

वह कह रहे हैं एक्सपर्ट से जांच करा देंगे ।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

इनके एक्सपर्ट तो मिले हुए हैं और दवाब डालकर कहलवा रहे हैं कि लिख दो प्रदूषण नहीं हो रहा रहा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो इस फैक्ट्री का उत्पादन होता है उसका उपयोग वह अपनी इकाइयों में प्रोसेज में करते हैं और जो बच जाता है उसको दूसरी इकाइयों को देते हैं । जांच की बात का मैंने आस्वस्त किया कि जांच करवायेंगे और उन्हें भी अवगत करा देंगे और माननीय सदन को भी अवगत करा देंगे ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह जरूरी सवाल है किसी एक जगह या एक बस्ती की बात नहीं है कई जिलों में इस तरह की फैक्ट्रीज चल रही हैं । मेरे यहां भी इस तरह की फैक्ट्री चल रही हैं मैं जानता हूं कि यहां सदन में आश्वासन देने का मतलब क्या होता है । मान्यवर, जो फैक्ट्रियां आबादी के बीच में या ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके इर्द-गिर्द ऐसी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जिनके प्रदूषण की वजह से उनके मजदूरों पर बुरा असर पड़ता है । यह देखने में आया है कि दूसरी फैक्ट्रियों के मजदूर मर तक गए हैं, तो इस तरह का एक फैक्ट्री से माहौल खराब होता है और जो दूसरी इकाई लगी रहती हैं, उसके मजदूर बीमार रहते हैं और बेसमय मर जाते हैं, तथा आसपास की भूमि भी प्रभा-

वित हो जाता है, तो क्या आप इस मामले में यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस फैक्ट्री के इर्द-गिर्द कौन सी फैक्ट्रियां हैं और कितनी जमीन है, जिस पर काश्त होती है, यदि है तो आपको क्या दिक्कत है कि ऐसी समिति बना दें जो निर्धारित समय में अपनी रिपोर्ट दे दें । इस प्रकार का यह पहली बार प्रश्न नहीं आया है, यह प्रश्न कई सालों से आता रहा है और मंत्री जी की ओर से इसी प्रकार के ऊपरी और हल्के उत्तर आते रहे हैं । इन्होंने या इनके इस बोर्ड ने एक भी फैक्ट्री इसमें बन्द कराई हो तो यह उसके बारे में बता दें ?

श्री जगदम्बिका पाल–

जो माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है, उसमें स्वयं उत्तर प्रदेश प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड यह आवश्यक कार्यवाही कर रहा है । पूरे प्रदेश में जहां कहीं भी कोई नई फैक्ट्री बन रही है, उसमें सरकार या उत्तर प्रदेश प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड की ओर से आवश्यक क्लेयरेंश सार्टीफिकेट तब तक नहीं दिये जाएंगे जब तक वह अपने यहां ट्रीटमेन्ट प्लान्ट-प्रदूषण कन्ट्रोल यंत्र नहीं लगवा लेंगे । प्रदेश में जो पुरानी फैक्ट्रियां हैं, जिनमें कोई यंत्र नहीं लगा है, उसके सम्बन्ध में भी यह बोर्ड उनको नोटिस दे रहा है कि आप अपने कारखाने में यह यंत्र लगवा लें । इस संबंध में सरकार पूरे प्रदेश में चिंतित है और इसके तहत कार्यवाही हो रही है और कहीं प्रदूषण होता है तो यह बोर्ड उनके खिलाफ वाद दायर करता है, प्रासीक्यूशन की भी कार्यवाही करता है । तो इस दिशा में हम स्वयं आवश्यक और प्रभावी कदम उठा रहे हैं । फिर भी जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उनके पास कोई निश्चित सूचना हो तो वह हमें दे दें, हम उसके सम्बन्ध में अपने प्रदूषण बोर्ड को निर्देशित करेंगे कि वह इस पर आवश्यक कार्यवाही करें ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मंत्री जी ने अन्य क्षेत्रों के बारे में कहा, लेकिन मेरा निश्चित प्रश्न है, मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि इस फैक्ट्री के प्रदूषण के बारे में जानकारी माननीय मंत्री जी को कब हुई और जब से हुई तब से आजतक प्रदूषण रोकने के लिए शासन ने कौन-कौन सी कार्यवाही की ? क्या प्रदूषण बोर्ड ने यहां प्रदूषण रोकने के लिए अवश्यक यंत्र लगवाया है या नहीं लगवाया है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने देखा प्रश्न तो बहुत स्पष्ट है । जितना इस फैक्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड पैदा होता है, वह सारा इसकी इकाई की प्रोसेसिंग में ही इस्तेमाल हो जाता है और कभी कुछ यदि बचता है तो उसको अन्यत्र बाहर भेजते हैं इसलिए हमने इसमें पूरी सावधानी बरती है । ताकि जो हमारे फर्टिलाइजर है वहां कोई प्रदूषण न हो अगर कोई प्रदूषण की बात आती है ।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन–

प्रदूषण की जानकारी माननीय मंत्री जी को कब हुई और माननीय मंत्री जी ने इसका क्या उपाय किया । माननीय मंत्री जी इधर उधर की बातें कर रहे हैं और सही उत्तर नहीं दे रहे हैं ?

श्री मुहम्मद आजम खां–

आप मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें । इस प्रश्न की जानकारी माननीय मंत्री जी को है ही नहीं, किसी भी प्रश्न का जबाब नहीं आया है, मैं निवेदन करूंगा कि यह एक अहम सवाल है इसको इतने हल्केपन से न लिया जाए । मसलन फैक्ट्री लग गई और प्रदूषण को रोकने का यंत्र नहीं लगाया जाता है । फैक्ट्री के मालिक सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चालान हो जाएगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप उनकी बात को सुन लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य रामपुर हैं पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं । प्रदेश के किसी उद्योग के संबंध में कहां प्रदूषण हो रहा है उसमें यह प्रश्न कर सकते हैं और मुझे भी जानकारी दे सकते हैं ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपके सुझाव को सदन के सामने रखता हूं उचित होगा स्वीकृत हो ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, गोपीनाथ वर्मा जी का सवाल है उसका जवाब नहीं आ पा रहा है आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें या फिर प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको देख लूंगा जैसा होगा किया जायगा प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

*13–श्री विजय सिंह राणा–

[दि0 15-2-89 को तारां0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलिया में गंगा की कटान से पूज्य लोकनायक जय प्रकाश जी की जन्म भूमि की रक्षा की मांग

*14–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वाबा निर्वाचन क्षेत्र जनपद बलिया के पूर्वी छोर पर स्थित टीपुरी सठिया आदि कोडरहा नौबरार मौजे के पूरबे गंगा नदी के भयंकर कटान के खतरे में आ गये हैं और इसी के फलस्वरूप पूज्य लोकनायक जय प्रकाश जी की जन्म भूमि भी खतरे में है ? यदि हां, तो उसकी रक्षा की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नोट:–नत्थी घ के तारांकित प्रश्न 12 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्री लोक पति त्रिपाठी–

यह ग्राम बँरिया संसार टोला बांध व गंगा नदी के बीच स्थित है । ग्राम टिपुरी गंगा नदी के कटान से प्रभावित है, वर्तमान समय में अन्य ग्राम अभी गंगा नदी से काफी दूर है । उनमें तत्काल कोई खतरा नहीं है ।

पूज्य लोकनायक जय प्रकाश जी की जन्म भूमि जय प्रकाश नगर बांध के अन्दर सुरक्षित क्षेत्र में है ।

शासन एवं राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की नीति के अनुसार सुरक्षा की कार्यवाही न करके ग्राम टीपुरी को अन्यत्र बसाया जाना ही श्रेयस्कर होगा ।

जनपद फैजाबाद में स्थित थाना पूरा कलन्दर के निवासी श्री राम सुधार वर्मा की बिजली के तार से मृत्यु तथा आश्रितों को क्षतिपूर्ति का भुगतान

*15–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या ऊर्जा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद फैजाबाद स्थित थाना पूरा कलन्दर तहसील व जिला फैजाबाद के निवासी राम सुधार वर्मा की मृत्यु दिनांक 12-10-88 को बिजली के तार लग जाने से हो गयी और सीतापति व उसके भाई राम सिंगार वर्मा के भी शरीर बिजली से झुलस गये ? क्या यह सही है कि यह घटना बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही से हुई ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे और मृतक के आश्रितों को क्षति पूर्ति देंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

श्री राम सुधार वर्मा के आश्रित को राज्य विद्युत परिषद् द्वारा एक हजार रुपये की अन्तरिम क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है ।

अन्तिम क्षतिपूर्ति का भुगतान मामले में औपचारिकतायें पूर्ण होने पर राज्य विद्युत परिषद् द्वारा किया जायेगा ।

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय गोरखपुर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

*16–श्रीमती शारदा देवी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय गोरखपुर के विरुद्ध दिनांक 6 जुलाई, 1988 को प्रश्नकर्ता द्वारा कोई शिकायती पत्र बिजली के सामानों की खरीद-फरोख्त में भारी गोल माल करने के संबंध में विभाग के उच्च अधिकारियों को व शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय गोरखपुर द्वारा बिजली के सामानों की खरीद-फरोख्त में भारी गोल-माल से संबंधित आरोपों की जांच मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र द्वारा करायी गयी । जांचोपरान्त अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

थाना सिम्भावली जिला गाजियाबाद में जहरीली शराब पीने से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

*17–श्री यदुनाथ सिंह, श्री लक्ष्मी नरायण, श्री मूल चन्द्र, श्री अशोक बाजपेयी तथा श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के द्वितीय बुधवार को निर्धारित श्री कनक सिंह विधायक द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0–8 के संबंध में क्या न्यायिक जांच की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । परिक्षण किया जा रहा है ।

मोदी पेंट एण्ड वार्निश वर्क्स मोदीनगर जनपद गाजियाबाद को लाइसेन्स दिया जाना

*18–श्री कनक सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के पहले बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या–8 के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि खाद्य सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा 1982 के अन्त में मोदी पेन्ट एण्ड वार्निश वर्क्स को तिलहन उत्पादन नियंत्रण आदेश के तहत सम्भागीय खाद्य नियंत्रक मेरठ को यह आदेश दिए गये कि फर्म को वर्ष 1982 से लाइसेंन्स दे दिया जाय ? क्या यह सही है कि शासन ने 13-12-85 को, फर्म द्वारा 7-12-82 से मांगे गये लाइसेन्स पर स्वीकृति दे दी ? यदि हां, तो फर्म ने 3 वर्ष की अवधि में बिना लाइसेन्स के अवैधानिक रूप से कार्य किया जो उत्पादन (स्टोरेज कन्ट्रोल) आर्डर, 1966 के अन्तर्गत जुर्म है ? क्या मंत्री जी इस अवैधानिक कार्य के लिए फर्म को उक्त आरोप के तहत दंडित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

इस अवैधानिक कार्य के लिये फर्म के विरुद्ध थाना मोदीनगर, गाजियाबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसके बिरुद्ध अभियुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका दायर की । माननीय उच्च न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया । माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की जा चुकी है जो अभी लम्बित है ।

जनपद बरेली में स्थित सिन्थेटिक एण्ड केमिकल्स लि0 फैक्ट्री द्वारा अनुपयोगी भूमि को किसानों को वापस किये जाने की मांग

*19–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि लगभग 27 वर्ष पूर्व बरेली जनपद में स्थित सिन्थेटिक एण्ड केमिकल्स लि0 रबर फैक्ट्री लगाने के लिए कृषकों की बहुत सी भूमि अधिग्रहीत की गई थी जिसके कुछ भाग में फैक्ट्री लगाई गई बाकी भूमि वर्षों से खाली पड़ी थी व जनवरी, 1988 से उस पर फैक्ट्री द्वारा प्लान्टेशन लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृषकों की जो भूमि फैक्ट्री इस्तेमाल नहीं कर रही है उसे कृषकों को वापस कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में स्वीकृत नलकूपों को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने की शिकायत

*20–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जनवरी, 1987 से जून, 1988 तक काश्तकारों ने अपनी खेती और फसल को सूखा की भयानक चपेट से बचाने के लिए निजी नलकूपों के संचालन हेतु सबसे ज्यादा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि शासन ने ऊर्जा कनेक्शन निजी नलकूपों को प्रदान करने का वार्षिक लक्ष्य सामान्य वर्षों की अपेक्षा कम तय किया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और इस बीच स्वीकृत नलकूपों को एग्रीमेन्ट हो जाने के बाद आज तक विद्युत कनेक्शन न मिलने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

31-12-86 को 3674 आवेदकों के बी0 एल0 फार्म लम्बित थे । जनवरी 1987 से जून 1988 के मध्य 61235 आवेदकों से बी0 एल0 फार्म प्राप्त हुए तथा 48308 नलकूपों को उर्जित किया गया । 30-6-88 को लम्बित 16601 बी0 एल0 फार्म में से 28-2-89 तक 9488 नलकूपों को ऊर्जित कर दिया गया ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद लखनऊ की कैनाल कालोनी में स्थित इस्टेब्लिसमेन्ट क्वार्टर्स में सूट नं0 1 को आवासीय भवन में परिवर्तित किये जाने की शिकायत

1–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैनाल कालोनी लखनऊ स्थित इस्टेब्लिसमेन्ट क्वार्टर्स, जो कि दौरे पर आये हुए कर्मचारियों के ठहरने के लिए अथवा अस्थायी

रूप से प्रयोग करने के लिए हैं, के सूट नं0–1 को शासन के किन आदेशों के अंतर्गत आवासीय भवन के रूप में परिवर्तित किया गया ? क्या इसे पुनः अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने की कृपा करेंगे, जिससे कि आगन्तुक कर्मचारियों को अस्थायी रूप से ठहरने व राजकीय कार्य सम्पन्न करने की सुविधा प्राप्त हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव के असोहा ब्लाक के ग्राम पहाड़पुर के अधूरे विद्युतीकरण की शिकायत

2–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के असोहा ब्लाक के ग्राम पहाड़पुर का विद्युतीकरण कब हुआ था ? क्या यह सच है कि उक्त ग्राम में खम्भे ही लगे हुए हैं, तार नहीं हैं ? यदि हां, तो तार समय के भीतर न बिछाने के लिए दोषी अभियंता पर क्या कार्यवाही की गई है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ग्राम पहाड़पुर का विद्युतीकरण मार्च, 1985 में हुआ था ।

जी हां । तार चोरों द्वारा काट लिया गया है ।

ग्राम के विद्युतीकरण के समय तार लगाया गया था । ग्राम में किसी उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन न लिये जाने तथा पुनः चोरी हो जाने की सम्भावना के कारण पुनः तार नहीं लगाया गया है । इसके लिए कोई अभियन्ता दोषी नहीं है ।

श्रमिक बस्ती एशबाग में विद्युत के करेन्ट से हुई मृत्यु तथा खान अब्दुल बदूद खां स0 वि प0 के पत्र पर कृत कार्यवाही

3–श्री मूलचन्द–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 27-6-88 को तेज हवा व वर्षा के कारण सजावट के लिये बिजली के तारों में करेन्ट प्रवाहित होने से अनूप बाजपेई व उसका ममेरा भाई पुरानी श्रमिक बस्ती एशबाग में मर गये और वे अपनी बहन की डोली भी बिदा न कर सके ? क्या इस संबंध में सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुल बदूद खां का पत्र संख्या-796 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 14-7-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या पत्र में लिखे गये अनुरोध के अनुसार मृतक के माता पिता को राज्य सरकार की ओर से रु0 10,000/- 10,000 रुपया दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

श्रीमती विनोदनी बाजपेयी के पुत्र श्री अनूप कुमार बाजपेई द्वारा अपनी बहन की शादी हेतु तम्बू एवं कनात में स्वयं अनधिकृत रूप से लाइन खींच कर लाइटनिंग आदि का प्रबन्ध किया था । शादी की रात्रि दिनांक 27-6-88 को तेज आंधी और तूफान आने

के कारण तम्बू एवं कनात गिर पड़ा जिसमें लगे हुए लाइटिंग हेतु नीचे गये नंगे तारों के सम्पर्क में श्री अनूप कुमार बाजपेई एवं शैलेन्द्र कुमार बाजपेई आ गये एवं घातक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गये । चूंकि उपरोक्त कार्य श्री अनूप कुमार बाजपाई द्वारा स्वयं अनधिकृत रूप से किया गया था, अतः दुर्घटना की जिम्मेदारी उन पर स्वयं आती है ।

जी हां, मृतकों के माता-पिता को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल बदूद खां का प्रश्नगत पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था, जिस पर नियमानुसार विचार किया जा रहा है ।

जनपद फैजाबाद में सिंचाई के लिए बनी हुई नालियों की रकम को किसानों से वसूली को रोकने की मांग

4–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहरों की सिंचाई के लिये जनपद फैजाबाद में जो नालियां सरकारी बनी हुई हैं, उस पर किसानों से निर्माण की रकम वसूली जा रही है ? यदि हां, तो क्या शासन किसानों को उक्त वसूली से मुक्त करने के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर के ब्लाक खैराबाद के ग्राम कोलिया पहाड़पुर में मृतक श्री नवीशेर के आश्रितों को आर्थिक सहायता की मांग

5–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जून, 88 में अथवा उसके आस-पास किसी दिन ग्राम कोलिया पहाड़पुर थाना खैराबाद ब्लाक खैराबाद जिला सीतापुर में बिजली के तार छू जाने से जिन नवीशेर नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी उसके आश्रितों को अभी तक कोई आर्थिक सहायता उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा न दिए जाने का क्या कारण है ? सहायता कब तक दे दी जायेगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । यह दुर्घटना दिनांक 26-5-88 को घटित हुई थी । औपचारिकताएं पूर्ण होते ही क्षतिपूर्ति की धनराशि स्वीकृत कर दी जायेगी ।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मनिहारी व जखनिया में अवशेष हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण को पूरा कराने की मांग

6–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मनिहारी एवं जखनिया में वर्ष 1987 के सितम्बर, माह से लेकर 1989 के जनवरी, माह तक कितने हरिजन बस्तियों एवं गांवों को ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत विद्युतीकृत किए जाने के लिये चयनित किया गया है ? उन गांवों में से कितने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रश्नगत अवधि में विकास खण्ड मनिहारी में 10 ग्राम व 9 हरिजन बस्तियों तथा विकास खण्ड जखनिया में 13 ग्राम व 13 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया है ।

उपरोक्त में से विकास खण्ड मनिहारी में 3 ग्राम व 2 हरिजन बस्तियों तथा विकास खण्ड जखनिया में ग्राम व 5 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। शेष ग्रामों व हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का कार्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां के दुल्हापुर में विद्युत स्टेशन की स्वीकृति

7–श्री सुरेन्द्र सिंह (वाजीपुर)–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनिया के दुल्हापुर में 132 के0 वी0 का विद्युत स्टेशन की स्वीकृति किस वर्ष में दी गई थी तथा इस पर कितना धन व्यय करने का प्राविधान था ? क्या सरकार की जानकारी में है कि काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त सब स्टेशन का निर्माण नहीं हो सका है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से लोग दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनिया के दूल्हापुर में 132 के0 वी0 सब-स्टेशन के निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति जुलाई, 1987 के अन्त में दी गई थी । इसके निर्माण हेतु लागत लगभग 226 लाख रुपए अनुमानित की गई थी ।

उपरोक्त उपकेन्द्र का निर्माण कार्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनिया के क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों को मरम्मत कराने की मांग

8–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के बिकास खण्ड जखनिया में वर्ष 1987 सितम्बर से लेकर, जनवरी, 89 तक 63 के0 वी0 और 25 के0 वी0 के कितने ट्रान्सफार्मर जले या खराब हुए या खराब हालत में हैं तथा उनको बदलने अथवा मरम्मत कर पुन: न चालू करने के लिए कौन-कौन से लोग दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? उनको कब तक ठीक कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनवरी 1989 तक विकास खण्ड जखनिया में 63 के0 वी0 ए0 का एक तथा 25 के0 वी0 ए0 के चार ट्रान्सफार्मर क्षतिग्रस्त थे । ट्रान्सफार्मर उपलब्ध होते ही क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर बदल दिए जाते हैं । अत: किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

63 के वी0 ए0 का एक तथा 25 के वी0 ए0 का एक ट्रान्सफार्मर फरवरी, 1989 में बदल दिया गया है । शेष 25 के वी0 ए0 के तीन ट्रान्सफार्मर उपलब्ध हो गए हैं और शीघ्र बदले जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की नरैनी तहसील के असिंचित क्षेत्र में राजकीय नलकूप लगाए जाने का प्रस्ताव

9—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बादा जनपद की नरैनी तहसील में असिंचित क्षेत्र फतेहगंज एवं कालिंजर में राजकीय नलकूप न लगने के क्या कारण हैं ? क्या पत्थर तोड़ने वाली मशीन भी इस क्षेत्र में असफल रही है ? यदि हां, तो वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में इस क्षेत्र में कहां-कहां पत्थर तोड़ने की मशीन का प्रयोग किया गया ? यदि नहीं, तो क्या नलकूप लगाने के लिए पत्थर तोड़ने वाली मशीन का प्रयोग करके राजकीय नलकूप लगाए जाएंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

बांदा जनपद के नरैनी तहसील के फतेहगंज एवं कालिंजर क्षेत्र में पर्याप्त भूगर्भ जल धारक स्ट्रैटा उपलब्ध न होने के कारण शासन द्वारा निर्धारित मानक के राजकीय नलकूप लगाए जाने की सम्भावना नहीं है ।

विभाग द्वारा इस क्षेत्र में पत्थर तोड़ने वाली मशीन का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि इस संगठन में पत्थर तोड़ने वाली मशीन उपलब्ध नहीं है ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उठता ।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी में विन्ध्याचल पम्प कैनाल एवं मसौनी पम्प कैनाल के निर्माण हेतु धन का आवंटन

10—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की तहसील नरैनी में केन नदी से लिफ्ट सिंचाई योजना विन्ध्याचल पम्प कैनाल के नाम से सन् 1980 से सन् 1985 के मध्य स्वीकृत हुई है परन्तु निर्माण के लिए धन न मिलने के कारण निर्मित नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो उपरोक्त पम्प कैनाल के निर्माण के लिए कब तक धन आवंटित किया जायेगा और निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा ? क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बांदा जनपद के नरैनी तहसील में मसौनी पम्प कैनाल पिछले दस वर्षों से अधूरी निर्मित पड़ी है जिसमें शासन का लाखों रुपया खर्च भी हो चुका है ? यदि हां, तो इस अर्धनिर्मित पम्प कैनाल को धन देकर इसका निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ताकि असिंचित क्षेत्र की सिंचाई हो सके ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

बांदा जनपद की तहसील नरैनी में केन नदी से लिफ्ट सिचाई योजना विन्ध्याचल पम्प कैनाल के निर्माण हेतु 7.5 क्यूसेक की तकनीकी स्वीकृति तत्कालीन अधीक्षण

अभियन्ता नलकूप मण्डल, झांसी द्वारा प्रदान की गई थी, किन्तु शासन की नीति के अनुसार 25 क्यूसेक से कम की क्षमता की नहरों के निर्माण पर उस समय प्रतिबन्ध होने के कारण निर्माण कराने का प्रश्न नहीं उठता । संसाधन की उपलब्धता होने पर विचार किया जायेगा ।

यह प्रकरण विधान सभा की प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के विचाराधीन है ।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी मुहल्ला बंगालीपुरा बदौसा में हरिजन मुहल्ले के विद्युतीकरण के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

11–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 1986 श्री राम आसरे हरिजन मुहल्ला बंगालीपुरा बदौसा तहसील नरैनी जनपद बांदा के पत्र के साथ हरिजन मुहल्ले के विद्युतीकरण के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

ग्राम बदौसा में 4 हरिजन बस्तियां हैं जिनमें से 3 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण पहले ही किया जा चुका है । अवशेष एक हरिजन बस्ती मोहल्ला बंगालीपुरा में है । यह वर्तमान एल0 टी0 लाइन से बहुत अधिक दूरी पर है और इसके विद्युतीकरण पर रु0 5000/- से बहुत अधिक आयेगा । अतएव विद्युतीकरण व्यय नहीं किया जा सका ।

जनपद बांदा में विद्युत कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

12–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 86 का श्री मोहम्मद सुभान अध्यक्ष, विद्युत कर्मचारी संघ (उ0 प्र0) जनपद बांदा के पत्र के साथ विद्युत कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र का विवरण क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । माननीय विधायक डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा के पत्र के साथ श्री मुहम्मद सुभान, अध्यक्ष उ0 प्र0 बिजली कर्मचारी संघ, उपखण्डीय कमेटी, अतर्रा (बांदा) का पत्र संख्या 104 दिनांक 27-11-86 प्राप्त हुआ था ।

डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा, विधायक के पत्र में श्री मोहम्मद सुभान, अध्यक्ष, उ0 प्र0 बिजली कर्मचारी संघ जनपद (बांदा) के पत्र को संलग्न करते हुए समस्याओं के निराकरण का आग्रह किया गया था । श्री मोहम्मद सुभान ने अपने पत्र में कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण न होने पर दिनांक 16-12-86 से 28-12-86 तक क्रमिक अनशन एवं दिनांक 29-12-86 को घेराव प्रदर्शन तथा आमरण अनशन की नोटिस उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड, अतर्रा (बांदा) को दी थी ।

उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड अतर्रा (बांदा) ने उ0 प्र0 बिजली कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से दिनांक 15-12-86 को समस्याओं के निराकरण हेतु सौहार्द्रपूर्ण वार्ता की थी । वार्ता के उपरान्त बिजली कर्मचारी संघ ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया था ।

जनपद बांदा के सिंचाई प्रखण्ड तृतीय के भ्रष्टाचार, हरे पेड़ों की कटान तथा फर्जी भुगतान के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

13—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताएँगे कि प्रश्नकर्ता के बांदा जनपद के सिंचाई प्रखण्ड तृतीय के भ्रष्टाचार, हरे पेड़ों की कटान तथा फर्जी भुगतान के संबंध में सन् 85 से 30 दिसम्बर, 86 तक कितने शिकायती पत्र सिंचाई राज्य मंत्री, प्रमुख अभियन्ता, उ0 प्र0 सिंचाई तथा मुख्य अभियन्ता सिंचाई झांसी मण्डल झांसी को लिखे हैं तथा इन पत्रों की जांच किस अधिकारी से कराई गई और इसमें कौन-कौन कर्मचारी तथा अधिकारी दोषी पाए गए ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सन् 1985 से 30 दिसम्बर 86 तक प्रश्नकर्ता द्वारा सिंचाई प्रखण्ड, तृतीय, बांदा के विरुद्ध भ्रष्टाचार, हरे पेड़ों की कटान तथा फर्जी भुगतान के संबंध में 6 अदद शिकायती-पत्र प्राप्त हुए ।

इन शिकायती-पत्रों की जांच हेतु अन्य खण्डों के दो अधिशासी अभियन्ताओं की जांच समिति नियुक्त कर जांच करा ली गयी । शिकायतों पर प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा भी जांच की गई है । दोनों जांच आख्याओं के परीक्षण के उपरान्त निम्नलिखित अधिकारी तथा कर्मचारी प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए गए :—

1—श्री ए0 पी0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता

2—श्री कुलजीत सिंह
3—श्री मुकेश शर्मा
4—श्री जे0 पी0 जैन
5—श्री केदार नाथ
} सहायक अभियन्तागण

6—श्री वी0 के0 नागदेव
7—श्री ए0 एस0 कटियार
8—श्री सुरेश चन्द्र जैन
9—श्री ओ0 पी0 राव
10—श्री के0 एन0 शाह
11—श्री एस0 एच0 बिजौरिया
12—श्री केसोराम यादव
} अवर अभियन्तागण

उपरोक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या पाई गई अनियमितताओं के लिए उनके स्पष्टीकरण प्राप्त करके अपनी आख्या एवं संस्तुति शासन को भेजने का निर्देश प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को दे दिया गया है और उन्हें यह भी निर्देश दे दिया गया है कि आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए यदि आवश्यक हो तो आरोप-पत्र का आलेख शासन को भेजें ।

प्रमुख अभियन्ता (नहर पश्चिम) के द्वारा पेड़ों की कटान के बारे में श्री के0 एस0 दीक्षित, अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय मण्डल, सिंचाई कार्य, कानपुर को भी जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है । उक्त आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज में शराब की दुकानें सार्वजनिक अवकाश के दिनों में खोला जाना

14–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या आबकारी मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने पिछले एक वर्ष में कई बार इस प्रकार का आरोप युक्त पत्र शासन को दिया है कि गोरखपुर जनपद के महराजगंज तहसील में आबकारी निरीक्षक एवं पुलिस की सांठ-गांठ से सार्वजनिक अवकाश के दिनों में शराब की दुकानें खुली रहती है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 20-8-87 में माह के प्रथम एवं सातवीं तारीख तथा त्यौहार के दिन भी शराब की दुकानें खुली रहने की शिकायत की गई थी ।

जांच कराने पर महराजगंज की देशी शराब दुकान नं0–1 दिनांक 2-5-88 को खुली पाई गई । चूंकि दिनांक 1-5-88 मास का प्रथम दिवस रविवार सार्वजनिक अवकाश दिवस था इसलिए 2-5-88 दिन सोमवार को दुकान बन्द होनी चाहिए थी । उक्त जांच में कुछ अन्य अनियमितताएं भी पाई गयीं । अनियमितताओं को 2,500/- रुपए (दो हजार पांच सौ रुपए मात्र) में प्रशमित किया गया ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड बृजमनगंज में स्थित सेमरहनी में सिंचाई हेतु नाली के निर्माण की मांग

15–श्री हर्ष वर्धन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में विकास खण्ड बृजमनगंज स्थित ग्राम सेमरहनी में लगभग 10 वर्ष पूर्व सरकारी ट्यूबवेल पी0 जी0 112 का छिद्रण हुआ था परन्तु आज तक सिंचाई हेतु नाली का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो नाली का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

गोरखपुर जनपद में विकास खण्ड बृजमनगंज के ग्राम सेमरहनी में राजकीय नलकूप संख्या पी0 जी0 112 का 12/79 में छिद्रण हुआ था । 500 मीटर पक्की गूल तथा 900 मीटर कच्ची गूल का निर्माण हुआ था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के आनन्दनगर (फरेन्दा) के विद्युत उपभोक्ताओं की समस्या का निराकरण का मामला

16–श्री हर्ष वर्धन–

क्या ऊर्जा मंत्री की जानकारी में है कि गोरखपुर जनपद के आनन्दनगर (फरेन्दा) हेतु नियुक्त उप खण्ड अधिकारी तथा द्वितीय विद्युत वितरण उपखण्ड आनन्द नगर

गोरखपुर में नियुक्त अधिकारी के आनन्द नगर में आवास न करने से गोरखपुर से फरेन्दा तहसील के विद्युत उपभक्ताओं को परेशानी होती है ? यदि हां, तो विद्युत उपभोक्ताओं की कठिनाई दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विद्युत वितरण उपखण्ड द्वितीय गोरखपुर का मुख्यालय आनन्द नगर कर दिया गया है । कार्यालय भवन तथा आवास हेतु समुचित भवन/आवास की व्यवस्था हेतु प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

उपखण्ड अधिकारी निरन्तर क्षेत्र में जाकर उपभोक्ताओं की कठिनाई का वहां पर निवारण करते हैं ।

जनपद गोण्डा स्थित तुलसीपुर तहसील में भँसवहा बांध से हुए नुकसान को दृष्टिगत रखकर किसानों को उनकी कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराना

17–श्री फजलुल बारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद स्थित तुलसीपुर तहसील में भँसहवा बांध से कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही है ? क्या यह सही है कि उक्त बांध का निर्माण ग्राम समाज एवं किसानों की निजी भूमि पर किया गया है किन्तु इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या नगण्य है ? क्या यह सही है कि इस बांध से 1965 के युद्ध के शहीद लेफ्टीनेन्ट विनय तथा अन्य किसानों की कृषि योग्य भूमि तालाब बन गयी है जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा मछली पालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को उनकी कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने तथा उक्त बांध के कुप्रभाव से बचाने हेतु उक्त बांध को तोड़कर नए सिरे से योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

भँसहवा नहीं बल्कि बसहवा बांध से पिछले पांच वर्षों की औसत सींच 112 हेक्टेयर तथा गत वर्ष 140 हेक्टेयर हुई ।

उक्त बांध का निर्माण वर्ष 1933-34 में बलरामपुर राज्य द्वारा कराया गया था अत: अभिलेखों के अभावों में यह ज्ञात नहीं है कि बांध ग्राम समाज एवं कृषकों की निजी भूमि पर बना है अथवा नहीं । किन्तु इस बांध के कमाण्ड में 9 ग्राम है जिनसे कृषक सिंचाई से लाभान्वित होते हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत शारदा कैनाल पुरवा ब्रांच में रोक बनवाने की योजना

18–श्री सुन्दर लाल–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत शारदा कैनाल पुरवा ब्रांच में ग्राम तौरा व ग्राम तूरी के बीच दायीं पटरी पर स्थित जगेथा माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने के लिए पुरवा ब्रांच में रोक बनवाने की कोई योजना अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, उन्नाव के यहां प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

19–श्री प्रेम पाल सिंह–

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

पारीछा थर्मल पावर परियोजना द्वारा कोयले के डेमरेज के रूप में गत पांच वर्षों से भुगतान की गई धनराशि

20–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पारीछा थर्मल पावर परियोजना में गत पांच वर्षों में परियोजना के लिए आने वाले कोयले को माल गाड़ी से विलम्ब से उतारने के कारण कब और किन तिथियों में वर्षवार कितना विलम्ब शुल्क (डेमरेज) परियोजना पर लगा और उसमें से कितना भुगतान पड़ा क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त में कौन अधिकारी/कर्मचारी/ठेकेदार दोषी थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी लाखों रुपए विलम्ब शुल्क लगवाने वाले अधिकारी/ठेकेदार से इसकी वसूली किए जाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

पारीछा तापीय परियोजना में वर्ष 1984-85 से 1988-89 तक कोयले को माल-गाड़ी से विलम्ब से उतारने के कारण रेलवे द्वारा लगाया गया विलम्ब शुल्क, अब तक रेलवे द्वारा माफ किया गया विलम्ब शुल्क, शेष विलम्ब शुल्क की राशि और उसमें से अब तक भुगतान की गई राशि का विवरण संलग्न है । अब तक केवल वर्ष 1984-85 के लिए रु0 10000 के विलम्ब शुल्क का भुगतान किया गया है जिसको संबंधित ठेकेदार से वसूल लिया गया है । वर्ष 1985-86 में कोई विलम्ब शुल्क नहीं लगा । वर्ष 1986-87, 87-88 एवं 88-89 के शेष विलम्ब शुल्क माफ करने संबंधित मामले रेलवे को प्रेषित किए जा चुके हैं । इन वर्षों के लिए रेलवे को अभी तक कोई विलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है ।

वर्ष 1984-85 के लिए जो रु0 10000 का विलम्ब शुल्क भुगतान किया गया है वह ठेकेदार से वसूल कर लिया गया है ।

रेलवे द्वारा शेष विलम्ब शुल्क माफ कराने के मामलों पर अन्तिम निर्णय प्राप्त होने पर अधिकारी/ठेकेदार की विफलताओं के कारण लगे विलम्ब शुल्क के दायित्व का निर्धारण किया जा सकेगा ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 198 पर)

जनपद बस्ती में एस0 टी0 लाइन बिछाकर ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब

21–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में 15 जनवरी, 89 तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत एस0 टी0 लाइन बिछाकर कुल कितने ग्रामों का

विद्युतीकरण किया जा चुका है और अभी कुल कितने ग्राम विद्युतीकरण करने को बाकी है ? शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा (एल0 टी0) लाइन बिछाकर ? विगत 3 वर्षों के अन्तर्गत बस्ती जनपद में एल0 टी0 लाइन बिछाकर कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

बस्ती जनपद में (सिद्धार्थ नगर सम्मिलित करते हुए) जनवरी, 1989 तक 1445 ग्रामों का एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण किया गया है और 5484 आबाद ग्राम शेष है । इन शेष ग्रामों का विद्युतीकरण, उनके जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयन किए जाने एवं परिषद् के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है ।

विगत तीन वर्षों में बस्ती जनपद में एल0 टी0 लाइन बिछाकर ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निम्नवत रखा गया था :–

वर्ष	लक्ष्य
1986–87	125
1987–88	90
1988–89	76

उपरोक्त के विरुद्ध वर्ष 1986-87 में 116, 87-88 में 90 व 88-89 में जनवरी, 89 तक 54 ग्राम विद्युतीकृत किए गए ।

जनपद सिद्धार्थ नगर में एल0 टी0 लाइन बिछाकर शेष ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

22–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जनपद सिद्धार्थ नगर में एल0 टी0 लाइन बिछाकर कुल कितने ग्राम विद्युतीकृत हैं तथा अभी कितने और ग्रामों को विद्युतीकृत किया जाना शेष है? शेष ग्रामों का विद्युतीकरण एल0 टी0 लाइन बिछाकर कब तक कर दिया जायेगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

नव सृजित जनपद सिद्धार्थ नगर में कुल 489 ग्राम जनवरी 1989 तक विद्युतीकृत हैं और 1718 ग्राम शेष हैं।

शेष ग्रामों का एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जनपद फैजाबाद के ब्लाक टाण्डा के ग्राम खासपुर में हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की जानकारी

23–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम खासपुर, ब्लाक टाण्डा, जनपद फैजाबाद के हरिजन परिवारों द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 16-2-84 उक्त हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण हेतु प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो क्या संबंधित हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

ग्राम खासपुर की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण ग्राम के विद्युतीकरण के साथ ही वर्ष 1970 में किया गया था। हरिजन बस्ती में विद्युत लाइन का विस्तार भी मार्च, 1986 में किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मीटर रीडर श्री राम प्यारे के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के विषय में श्री जे0 पी0 ओझा स0 वि0 स0 के पत्र पर कार्यवाही

24–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जनार्दन प्रसाद ओझा विधायक का पत्र दिनांक 23-2-88 राज्य विद्युत मंत्री, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करके एक मीटर रीडर श्री राम प्यारे द्वारा विद्युत विभाग को गम्भीर क्षति पहुंचाने तथा अपने परिवार के नाम लाखों रुपये की अचल और चल सम्पत्ति बना लेने का आरोप लगाया है? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई? क्या मंत्री जी उक्त कर्मचारी जो लगभग बीस वर्षों से एक ही स्थान पर बना हुआ है, को उक्त स्थान से स्थानान्तरित करके विद्युत विभाग की विशेष पुलिस से जांच करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

दिनांक 23-2-88 का पत्र उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन तथा वितरण का विवरण

25–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन और विद्युत वितरण कितना-कितना है ? क्या सरकार बतायेगी कि जितनी विद्युत व्यय होती है उतनी विद्युत शक्ति की कीमत के देयक तैयार होते हैं ? यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोग कितना है ? इसी उपभोग की क्या कीमत मिलनी चाहिए और क्या मिलती है ? क्या यह सच है कि लाखों रुपए की विद्युत ऊर्जा लाइन लासेस के नाम पर बिना बिक्री के हो जाती है ? यदि नहीं, तो बिना बिक्री वाली ऊर्जा शक्ति का क्षय कितना है ? इसे कम करने के क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1987-88 में कुल 15271 मि0 यू0 की उत्पादन एवं 14480 मि0 यू0 का वितरण हुआ था ।

जी हां, जितनी विद्युत उपभोग होती है उतने के बीजक बनाये जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1987-88 में कुल 14480 मि0 यू0 का उपभोग हुआ था ।

इस उपभोग की कीमत 979.55 करोड़ होती है एवं इतना ही निर्धारित किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1987-88 में 5307 मि0 यू0 ।

लाइन हानियों को कम करने हेतु दो दिशा में कार्यवाही की जा रही है ।

प्रथम चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाकर उन्हें कम करने के उद्देश्य से परिषद् में 33 सर्तकता दलों को छापा मारने की कार्यवाही पर लगाया गया है । इनमें 10 दलों का गठन अभी कुछ समय पूर्व ही किया गया है । इसके अतिरिक्त छापा मारने की कार्यवाही सतत् चलाने हेतु मुख्य अभियंता (वितरण) के कार्यालयों में भी अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति की गयी है तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने स्तर से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके छापा मारने के निर्देश दिये गये हैं ।

वित्तीय तकनीकी हानियों को कम करने हेतु नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रणाली सुदृढ़ीकरण की अनेकों योजनाएं बनाकर उन्हें उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप कार्यान्वित किया जा रहा है । इन योजनाओं को पूरा करने हेतु वित्त संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने का भी प्रयास किया जा रहा है ।

तकनीकी हानियों को कम करने हेतु कैपीसीटर लगाने का विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है । वास्तव में एन0 आर0 ई0 बी0 के आकलन के अनुसार वर्ष 1988-89 के अंत तक परिषद् की प्रणाली में 11 के0 वी0 तथा 33 के0 वी0 के कुल 1650 एम0 वी0 ए0 आर0 क्षमता के कैपिसीटर लगाने की आवश्यकता है ।

वर्ष 1988-89 में 33 के0 वी0 के 250 एम0 वी0 ए0 तथा 11 के0 वी0 के 506 एम0 वी0 ए0 आर0 के क्षमता के कैपिसीटर लगाने की विस्तृत योजना बनाई गई है । नवम्बर 88 के अंत तक 214.2 एम0 वी0 ए0 आर0 क्षमता के कैपिसीटर लगाये जा चुके हैं जिससे प्रणाली में लगे हुए कैपिसीटर की क्षमता 1142.2 एम0 वी0 ए0 आर0 हो गई है ।

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के विकास खण्ड बीघापुर के ग्राम झगरपुर के श्री सुखई पुत्र श्री राम चरन को क्षतिपूर्ति के भुगतान की जानकारी

26–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुखई पुत्र श्री राम चरन ग्राम-झगरपुर, विकास खण्ड-बीघापुर, तहसील-पूरवा, जिला-उन्नाव का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की रिपोर्ट इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर से मंगा ली गयी है ? यदि हां, तो अब इनका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता लखनऊ जाने की संस्तुतियां व पोस्ट मार्टम रिपोर्ट अपेक्षित है जिसके आने पर क्षतिपूर्ति स्वीकृत कर दी जायेगी ।

जनपद गाजीपुर के देवकली रजवाहा के संबंध में प्राप्त शिकायती पत्र पर कार्यवाही

27–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29-3-88 को जनपद गाजीपुर के देवकली ब्लाक के प्रतिनिधियों द्वारा देवकली पम्प नहर द्वितीय गाजीपुर रजवाहा के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवायी गयी ? यदि हां, तो जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां उक्त रजवाहा के संबंध में ब्लाक प्रमुख देवकली का एक शिकायती पत्र दिनांक 30-3-88 समाचार पत्र 'आज' दैनिक की कटिंग दिनांक 29-3-88 सहित प्राप्त हुआ ।

जी हां ।

जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सी0 सी0 ए0 रूल्स के नियम 49 एवं 55 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

28–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद वाराणसी में तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान में ट्रांसफारमर का मामला

29–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में अगस्त, 1988 के अंतिम पखवारे में महामहिम दलाई लामा के प्रमुख प्रतिनिधि और तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान के निदेशक, प्रो0 सम दोंग रिनपाचें को संस्थान में बिजली ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए आमरण अनशन करना पड़ा ? क्या यह सत्य है कि उक्त संस्थान को भारत सरकार ने विश्वविद्यालय स्तर प्रदान करते हुए श्री रिनपोचे को कुलपति का दर्जा प्रदान किया है और उनके द्वारा संस्था के आवासीय परिसर में बिजली सुलभ कराने का आवेदन पत्र देते हुए उन्होंने बहुत पूर्व आवश्यक धन उपलब्ध करा दिया था ? यदि हां, तो बिजली ट्रांसफार्मर लगाने में विलम्ब का कारण क्या था और उसके लिए कौन उत्तरदायी है ? किन परिस्थितियों में इतने शीर्ष व्यक्ति को अनशन करना पड़ा ? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां, तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान सारनाथ, वाराणसी के आवासीय परिसर में 150 किलोवाट (176.40 के0 वी0 ए0) विद्युत भार सुलभ कराने हेतु दिनांक 4-9-87 को उक्त संस्थान द्वारा आवश्यक धनराशि जमा की गई थी एवं 16-12-87 के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर एवं बी0 एण्ड एल0 फार्म जमा किया । 12-1-88 को केबिल बिछा दिया गया परन्तु निकटस्थ ट्रांसफार्मर पर अधिक भार के कारण 250 के वी0 ए0 के ट्रांसफार्मर को लगाना वांछित पाया गया । ट्रांसफार्मर 26-8-88 को उपलब्ध हो सका एवं तुरन्त ही 27-8-88 को कनेक्शन चालू कर दिया गया ।

संस्थान के प्राचार्य एस0 रिनपोछे अनशन पर बैठे थे, परन्तु विद्युत विभाग के अधिकारी द्वारा उनसे वार्ता के उपरांत उन्होंने यह अनशन समाप्त कर दिया ।

इस विलम्ब के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद झांसी में विद्युत संयोजन की संस्था पर डिवीजन स्थापित करने का प्रस्ताव

30–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर में कुल कितने विद्युत संयोजन है ? क्या विद्युत संयोजनों की संख्या को देखते हुए झांसी नगर के लिए ही एक अलग डिवीजन की स्थापना किये जाने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो झांसी नगर के लिए अलग से अधिशासी अभियंता की नियुक्ति कर विद्युत वितरण का नया खण्ड (डिवीजन) कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माह दिसम्बर, 1988 तक जिले में कुल 46,757 विद्युत संयोजन थे ।

जी हां । एक अलग डिवीजन की स्थापना के प्रस्ताव पर परिषद् स्तर पर विचार किया जा रहा है ।

अंतिम निर्णय निकट भविष्य में लिया जायेगा ।

जनपद कानपुर में गंगा पर बन्धा बनाने की योजना

31–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में गंगा पर बन्धा बनाने का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

कानपुर में गंगा नदी पर बन्धा बनाने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है । अतः कार्य प्रारम्भ होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के थाना बेवाना में मृतक श्री दलजीत पुत्र गोपी केवट के आश्रितों को क्षतिपूर्ति का भुगतान

32–श्री नत्थूलाल विकल–

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के थाना बंवाना में 12 जून, 1986 को श्री दलजीत पुत्र गोपी केवट की मौत सरकारी बिजली का तार टूटने के कारण करेन्ट लगने से हुई थी ? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति के आश्रितों को विभाग द्वारा कितना मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

श्री दलजीत पुत्र श्री गोपी केवट थाना बेवाना जनपद फैजाबाद की मृत्यु विद्युत स्पर्शाघात से दिनांक 12 जून, 1986 को नहीं वरन् दिनांक 12 जून, 1987 को हुई थी ।

अनुग्रह क्षतिपूर्ति की स्वीकृति आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् दी जायेगी ।

जनपद गोण्डा में विकास खण्ड पचपेड़वा को बाढ़ से बचाने के उपाय

33–श्री अरुण प्रताप सिंह तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5-3-87 को तत्कालीन मुख्य मंत्री ने जनपद गोण्डा में विकास खण्ड पचपेड़वा के अंतर्गत बगहा नदी/बूढ़ी राप्ती नदी की बाढ़ से बचाने के लिए सचिव, सिंचाई विभाग को आदेश निर्गत किया था ? यदि हां, तो क्या सिंचाई विभाग में परियोजना की स्वीकृति कराकर कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? यदि नहीं, तो कब तक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां ।

जी नहीं ।

सर्वेक्षण उपरान्त प्रस्तावित बांध बनाना उपयुक्त नहीं पाया गया ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड गैसड़ी/पचपेड़वा की ग्राम सभाओं को बाढ़ से बचाने के लिए बन्धे का निर्माण

34–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अंतर्गत विकास खण्ड गैसड़ी/पचपेड़वा में कितनी ग्राम सभायें हैं जो राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती नदी तथा बगहा नदी की बाढ़ से प्रभावित होती हैं और प्रतिवर्ष अत्यधिक जन धन की हानि होती है ? क्या सरकार भविष्य में प्रभावित ग्राम सभाओं को बचाने के लिए बन्धे का निर्माण कराने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जनपद गोण्डा की तहसील तुलसीपुर जिसमें विकास खण्ड गैसड़ी एवं पचपेड़वा स्थित हैं, में राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती नदी तथा बगहा नदी की बाढ़ से तहसीलदार तुलसीपुर द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 122 ग्राम सभायें बाढ़ से प्रभावित होती हैं ।

तहसीलदार तुलसीपुर की सूचना के अनुसार प्रतिवर्ष अत्यधिक जन धन की हानि होने की पुष्टि नहीं होती है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के कमाण्ड एरिया में सिंचाई सुविधा

35–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 1962 में चित्तौड़गढ़ परियोजना के साथ नेवलगढ़ परियोजना एवं पकड़ी परियोजना की स्वीकृति प्रदान की थी और कमाण्ड एरिया निर्धारित किया था ? यदि हां, तो अभी तक नेवलगढ़ एवं पकड़ी रिजर्व वायर पर कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया ? कमाण्ड एरिया में सिंचाई की सुविधा किन सोत्रों से प्रदान की जायेगी और कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड बलरामपुर द्वारा माइनर कार्य का निर्माण

36–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अंतर्गत चित्तौड़-गढ़ बांध निर्माण खण्ड बलरामपुर में कितने माइनर ऐसे हैं जिन पर अभी तक किसानों को प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया और कितने माइनर पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रतिकर का भुगतान किसानों को कब तक कर दिया जायेगा और जिन माइनरों पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां,

चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड बलरामपुर द्वारा किसी माइनर का निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड गैसड़ी एवं पचपेड़वा के ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण

37–श्री अरुण प्रताप सिंह तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अंतर्गत विकास खण्ड गैसड़ी एवं पचपेड़वा में 31 दिसम्बर, 1988 तक कितने ग्राम सभाओं का विद्युती-करण किया गया है और अब इन विकास खण्डों में कितनी ग्राम सभायें तथा पुरवे अवशेष हैं ? अवशेष ग्राम सभा तथा पुरवों में विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

31 दिसम्बर, 1988 तक विकास खण्ड गैसड़ी में 63 तथा विकास खण्ड पचपेड़वा में 96 ग्राम सभाओं का एल0 टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण किया गया है । विकास

खण्ड गैसड़ी में 73 तथा विकास खण्ड पचपेड़वा में 26 ग्राम अवशेष हैं । पुरवों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । विकास खण्ड गैसड़ी में 2 ग्राम तथा पचपेड़वा में । ग्राम का विद्युतीकरण चालू वित्तीय वर्ष में किया जा रहा है । शेष ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों के लक्ष्यों तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद बस्ती के कस्बा हल्लौर में विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने की मांग

38–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के कस्बा हल्लौर में विद्युत लाइनें कब खींची गई थी और अब तक उसके रख रखाव हेतु कितनी बार लाइनों की मरम्मत की गई है ? यदि नहीं की गई है, तो क्या सरकार लाइनों की मरम्मत हेतु आदेश कर विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता निर्धारित करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

लाइनें मार्च, 1962 में खींची गयी थी और अब तक रख-रखाव हेतु 54 बार लाइनों की मरम्मत की गयी है तथा कस्बे में विद्युत आपूर्ति सामान्यतः ठीक चल रही है ।

सरयू नहर खण्ड (द्वितीय) के अवर अभियन्ता (श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव) से विभाग द्वारा सम्पूर्ण चार्ज लेने की कार्यवाही की जानकारी

39–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सरयू नहर खण्ड (द्वितीय) से स्थानान्तरित अवर अभियंता (श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव) ने अपना सम्पूर्ण चार्ज अभी नहीं दिया ? यदि नही, तो विभाग ने सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की तथा उनके द्वारा छोड़े गये अधूरे कार्यों को सम्पूर्ण कराने की क्या कार्यवाही की गई तथा उनके द्वारा कराये गये किन-किन कार्यों का अंतिम भुगतान बाकी है ? इन बकायों का भुगतान कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में टाण्डा व बसखारी ब्लाक में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कराये जाने की जानकारी

40–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में टाण्डा व बसखारी ब्लाक में कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण वर्ष 1980 से माह फरवरी, 1988 के बीच प्रस्तावित था ? कितनी बस्तियों का विद्युतीकरण कब-कब किया गया ? उनके नाम व पता क्या हैं ? शेष का विद्युतीकरण कब कर दिया जायेगा ? अब तक कुल कितना धन इन पर खर्च किया जा चुका हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1980 से फरवरी, 1988 के बीच विकास खण्ड टाण्डा में 37 तथा विकास खण्ड बसखारी में 31 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था ।

विकास खण्ड टाण्डा में 26 तथा विकास खण्ड बसखारी में 19 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया, जिनके नाम व विद्युतीकरण के दिनांक का विवरण संलग्न है ।

शेष का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सम्भव हो सकेगा ।

उपरोक्त हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण पर कुल रु0 1,73,277.00 व्यय हुआ ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 199 पर)

श्रीमती धनसीरा देवी पत्नी स्व0 लाल बहादुर सींचपाल कनहर नहर निर्माण खण्ड चतुर्थ पिपरी मिर्जापुर का पति के आश्रित के रूप में नियुक्ति न किये जाने की शिकायत

41–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती धनसीरा देवी पत्नी स्व0 लाल बहादुर सींचपाल कनहर नहर निर्माण खण्ड चतुर्थ पिपरी, मिर्जापुर को पति के आश्रित के रूप में नियुक्ति सम्बन्धी मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा सिंचाई सचिव अनुभाग–7 को सम्बोधित पत्र संख्या 897 दिनांक 26-5-88; 3299 दिनांक 29-8-88 तथा 1621 दिनांक 21-12-88 एवं प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-6-88, 26-8-88, 6-10-88 व 7-10-88 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत सात साल बाद उन्हें मृत मान कर मृतक सेवा नियमावली के अनुसार श्रीमती धनसीरा देवी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

श्रीमती धनसीरा देवी का मामला शासन को संदर्भित किया गया है । मामले का परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद मऊ की तहसील घोषी के ताल रतीय के बरसाती पानी के निकासी हेतु स्थायी योजना लागू किये जाने की जानकारी

42–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ की तहसील घोषी के ताल रतीय के बरसाती पानी के निकासी के लिए खुदाई का आंशिक कार्य गत वर्ष हो जाने से हजारों एकड़ की पैदावार बढ़ गई है ? यदि हां, तो ताल रतीय की खुदाई पर गत वर्ष कितना धन व्यय हुआ ? इस वर्ष कितना धन व्यय होने जा रहा है तथा जल निकासी को स्थायी बनाने के लिए शासन की क्या योजना है और वह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जनपद मऊ के तहसील घोषी में ताल रतीय के बरसाती पानी की निकासी हेतु हाहा नाला ड्रेन की 4 कि0 मी0 में खुदाई का कार्य वर्ष 1987-88 में कराया गया था जिससे ताल रतीय का पानी हाहा नाला ड्रेन से होते हुए घाघरा नदी में खारिज हुआ है । इस कार्य से लगभग 1500 एकड़ भूमि जल प्लावन से खाली हुई एवं पैदावार में बढ़ोत्तरी हुई तथा आवश्यकतानुसार पानी के निकास का प्रबंध हो गया है । हाहा नाला की खुदाई के कार्य में वर्ष 1987-88 में 0.57 लाख रुपया तथा वर्ष 1988-89 में 3.83 लाख रुपया व्यय हुआ ।

माह जुलाई अगस्त में घाघरा नदी में पानी का लेवल ऊंचा होने के कारण ताल रतीय का पानी खारिज नहीं हो पाता है अतः ताल रतीय की जल निकासी हेतु 57.03 लाख रु0 का एक प्रस्ताव वर्ष 1987-88 में तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे समिति ने तकनीकी दृष्टिकोण से उचित न पाने के कारण अस्वीकृत कर दिया ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड हरया सतघरवा के ग्राम सभा लक्ष्मनपुर खैराहीनया में दोषपूर्ण विद्युतीकरण से ग्रामवासियों की सुरक्षा व्यवस्था की मांग

43–श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड हरया सतघरवा के ग्राम सभा लक्ष्मनपुर खैराहीनया को ग्रामीण विद्युतीकरण योजनानुसार वर्ष 1987-88 में विद्युतीकृत किया गया है ? यदि हां, तो ग्राम सभा में कुल कितने खम्भे गाड़े गये हैं ? क्या यह सत्य है कि सीमेन्ट व गिट्टी के बगैर ग्राम में खड़े खम्भे टेढ़े हो गये ? यदि हां, तो ग्रामवासियों के सुरक्षा हेतु कोई व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

ग्राम सभा में एच0 टी0 लाइन के 25 तथा एल0 टी0 लाइन के 38 खम्भे गाड़े गये हैं ।

जो खम्भे बिना सीमेंट एवं गिट्टी के गाड़े गये हैं उनमें से कुछ झुक गये हैं, जिन्हें ठीक कराने की व्यवस्था की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में स्थित थर्मल पावर प्रोजेक्ट टांडा से प्रभावित पेड़ों का प्रतिकर देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

44–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 28-7-83 रजि0 प0 सं0 2660 ग्राम दरवेशपुर तह0 व परगना टांडा, जनपद फैजाबाद में स्थित थर्मल प्रोजेक्ट टांडा से प्रभा-

वित पेड़ों का बकाया प्रतिकर न दिए जाने से संबंधित आवेदन पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या संबंधित मामले पर उचित कार्यवाही पश्चात् पेड़ों का प्रतिकर भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

45–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बांदा जनपद के महुआ ब्लाक में प्रश्नकर्ता के पत्र पर राजकीय नलकूप की व्यवस्था की मांग

46–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित दिनांक 18-8-87 का पत्रांक घ, 020927 बांदा जनपद के महुआ ब्लाक ग्राम प्रधान (श्री जगन्नाथ) ग्राम खानपुर तथा ग्राम रायपुर कोलावल के ग्राम प्रधान (श्री बद्री प्रसाद) के पत्र के साथ इस असिंचित क्षेत्र में राजकीय नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्षेत्र में राजकीय नलकूप न लगाने के क्या कारण है ? क्या पत्थर तोड़कर नलकूप लगाने वाली मशीन भी असफल रही ? यदि नहीं, तो क्या पत्थर तोड़ने वाली मशीन अथवा रिमोट सेन्सिंग विधि का प्रयोग करते हुए राजकीय नलकूप लगवाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां ।

इस क्षेत्र में राजकीय नलकूपों के लिए निर्धारित निकास मिलने की सभावना कम है । जिला सिंचाई सलाहकार समिति एवं स्थल चयन समिति के अनुमोदन के उपरांत ही नलकूप लगाये जाते है ।

इस संगठन द्वारा पत्थर तोड़ने वाली मशीन का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि पत्थर तोड़ने वाली मशीन इस संगठन में उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा महुआ ब्लाक में केन नदी से लिफ्ट सिंचाई की मांग

47–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के महुवा ब्लाक के ग्राम रायपुर कोलावल के पास से बह रही केन नदी में रायपुर कोलावल के पास लिफ्ट सिंचाई के लिए पानी का पर्याप्त भण्डार है ? यदि हां, तो क्या इस असिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो लिफ्ट सिंचाई की सर्वे रिपोर्ट एवं प्राक्कलन क्या है और यह योजना कब तक स्वीकृत होकर धन आवंटित करके उस पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

केन नदी से रबी में जल उपलब्ध नहीं हो पायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण सर्किल फैजाबाद की सूचना पर बिजली के तार से मृत्यु नव-युवक के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग

48–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या ऊर्जा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 6 दिसम्बर, 1988 को अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण सर्किल फैजाबाद से मिलकर ग्राम गौहीनयां विकास क्षेत्र मसौधा में एक बाईस वर्षीय नवयुवक की बिजली के टूटे तार से हुए जानलेवा मृत्यु तथा दो अन्य को टूटे हुए तार से जलने के सम्बन्ध में तथा उसी हल्के में तीन भैंसों के बिजली के तार से मर जाने की सूचना मौखिक व पत्र द्वारा दी गयी थी ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी तथा दोषी को दण्डित किया गया या नहीं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात क्षतिपूर्ति करने तथा दोषी को दंडित करने हेतु उचित कार्यवाही की जायेगी ।

मृतक के आश्रितों को रुपया 1,000.00 का अंतरिम भुगतान चेक संख्या 02609 दिनांक 15-12-88 द्वारा कर दिया गया है ।

श्री त्रिलोकी निवासी ग्राम सिभौली, वि0 खण्ड अकबरपुर, फैजाबाद के बिजली के करेन्ट से मृत बैल की क्षतिपूर्ति की मांग

49–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-10-88 जो उनको संबोधित था और दिनांक 15-7-88 का पत्र जो अधिशासी अभियन्ता वि0 खण्ड अकबरपुर जनपद फैजाबाद को सम्बोधित था, प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या त्रिलोक नि0 ग्राम सिभौली वि0 खण्ड अकबरपुर जनपद फैजाबाद का बैल बिजली का करेन्ट लगने से मरा था, को क्षतिपूर्ति दी गयी ? यदि नहीं, तो कब तक क्षतिपूर्ति दी जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

31-10-88 का पत्र प्राप्त हुआ । 15-6-88 का पत्र अधिशासी अभियन्ता को प्राप्त नहीं हुआ ।

जी हां, विद्युत परिषद् को क्षतिपूर्ति के लिए आदेशित किया गया है ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड गैसड़ी/पचपेड़वा के अवशेष ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण की मांग

50–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड गैसड़ी/पचपेड़वा में कितने ग्राम सभाओं में 31 दिसम्बर, 1988 तक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो गया है ? कितने राजस्व ग्राम तथा कितने हैमलेट गांव अवशेष हैं और अवशेष ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण की योजना कब तक लागू की जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

दिसम्बर, 1988 तक विकास खण्ड गैसड़ी में 63 व पचपेड़वा में 96 ग्राम सभाओं में एल0 टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण कर दिया गया है । विकास खण्ड गैसड़ी में 73 तथा पचपेड़वा में 26 ग्राम अवशेष है । हैमलेट के आकड़े उपलब्ध नहीं है । विकास खण्ड गैसड़ी में 2 तथा पचपेड़वा में । ग्राम का विद्युतीकरण चालू वित्तीय वर्ष में किया जा रहा है । शेष ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों के लक्ष्यों और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद गोण्डा में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खण्ड गैसड़ी/पचपेड़वा के ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

51–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खण्ड गैसड़ी/पचपेड़वा में 31 दिसम्बर, 1988 तक कितने गांव में विद्युतीकरण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत किसी ग्राम का विद्युतीकरण करने का प्राविधान नहीं है अपितु विद्युतीकृत ग्रामों में अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को कनेक्शन देने का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा चित्ताड़गढ़ बांध परियोजना में अधिगृहीत की गई भूमि के भूस्वामियों को नौकरी में लिये जाने की मांग

52–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में चित्ताड़गढ़ बांध परियोजना में किन-किन काश्तकारों की भूमि अधिगृहीत की गयी थी और क्या उनके आश्रितों को परियोजना में नौकरियां दी गयीं ?यदि नहीं, तो क्या उनके आश्रितों को नौकरी दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर के विद्युत वितरण खण्ड के स्वर्गवासी फ्यूज मैन श्री छोटेलाल के आश्रितों को जी0 पी0 एफ0 के भुगतान की मांग

53–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर विद्युत वितरण खण्ड में सेवारत रहते दिनांक 15-3-87 को स्वर्गवासी हुए फ्यूज मैन छोटेलाल आश्रित का अभी तक जी0 पी0 एफ0 उपार्जित अवकाश का नकदीकरण भुगतान, पेंशन तथा ग्रेच्युटी का पूर्ण भुगतान न होने का क्या कारण है ? सभी देयों का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

स्वर्गीय श्री छोटे लाल, फ्यूजमैन के आश्रित को जी0 पी0 एफ0 का अंतिम भुगतान दिनांक 20-7-88 को किया जा चुका है ।

उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान स्वीकृत किया जा चुका है और इसका भुगतान इस माह के अंत तक कर दिया जायेगा ।

जहां तक पेंशन तथा ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ग्रेच्युटी का मामला उप मुख्य लेखाधिकारी (लखनऊ जोन) 4, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ को स्वीकृत करने हेतु भेज दिया गया है और इसके शीघ्र भुगतान का प्रयास किया जा रहा है ।

टाण्डा ताप परियोजना में मा0 मुलायम सिंह लोक दल द्वारा पत्र पर नियुक्ति पर विचार

54–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री हरी राम तिवारी, ग्राम खट्टे गांव हुसेनपुर सुधाना पो0 मखदूम नगर फैजाबाद का प्रार्थना-पत्र टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना में नियुक्ति से संबंधित दिनांक 23-12-1988 पत्रांक अ-17/35-2 द्वारा मा0 मुलायम सिंह यादव नेता उत्तर प्रदेश लोक दल विधान मंडल दल ने ऊर्जा मंत्री को भेजा है ? यदि हां, तो प्राप्त पत्र का बिन्दुवार विवरण क्या है क्या संबंधित मामले में कार्यवाही करते हुए नियुक्ति कर दी गई है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

इस पत्र का मुख्य बिन्दु श्री हरी राम तिवारी की भूमि टाण्डा तापीय परियोजना हेतु अधिग्रहीत किये जाने के फलस्वरूप उनके पुत्र श्री नरीसंह तिवारी की नियुक्ति परियोजना में किया जाना है ।

श्री हरी राम तिवारी, ग्राम खट्टे गांव हुसेनपुर सुधाना, पो0 मखदूम नगर, फैजाबाद का नाम विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी फैजाबाद द्वारा निर्गत प्रभावित किसानों की सूची में नहीं है । अतः नियुक्ति सम्बन्धी कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

इलाहाबाद जनपद के ग्राम भौंरा बोरा आसेपुर दुलापुर लक्षतागृह आदि गांवों में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा नलकूप लगाने का आदेश के पालन की जानकारी

55–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के अंतर्गत तहसील हण्डिया के ग्राम भौंरा बोरा, आसेपुर, दुलापुर, लक्षागृह आदि गांवों में नलकूप लगाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री ने जनवरी, 1988 के प्रथम सप्ताह में आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या आदेशों के अनुरूप नलकूप लगा दिए गए ? यदि नहीं, तो इसके जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में दो नलकूप लगाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये थे ।

जनपद प्लान वर्ष 1988-89 के अंतर्गत ग्राम कोनारा, तहसील हण्डिया में एक नलकूप का छिद्रण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पौड़ी गढ़वाल लैंसडाउन सिंचाई खण्ड के अधीन कुलावा नं0 4 के निर्माण में हो रहे विलम्ब की शिकायत

56–श्रीमती गेंदा देवी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में लैंसडाउन सिंचाई खण्ड के अधीन तृतीय उप खण्ड कोटद्वार के अधीन दायी खोह नहर की कौंड़िया माईनर की कुलावा नं0 4 का निर्माण करने के लिए वर्ष 1983-84 में वर्क आर्डर या टेण्डर दिये गये थे ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य अब तक पूरा न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं । अपितु कौंड़िया नहर के कुलावा नं0 4 की गूल के कुछ भाग को पक्का करने के लिए वर्ष 1984-85 में अल्पकालीन निविदायें आमंत्रित की गई । यह कार्य वर्ष 1987-88 में पूर्ण करा दिया गया है ।

उक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता ।

57–श्री काशी सिंह ऐरी–

[6ठें सोमवार में अता0 प्रश्न संख्या 164 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई खण्ड कार्यालय गोण्डा द्वारा प्राप्त धन से भलौना ताल ड्रेन नकहा ताल ड्रेन का निर्माण

58–श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी हैं कि भलौना ताल ड्रेन व नकहा ताल ड्रेन निर्माण हेतु सिंचाई खण्ड कार्यालय गोण्डा ने ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय गोण्डा से वर्ष 1988 में धन प्राप्त कर लिया हैं ? यदि हां, तो अब तक कार्य शुरू न होने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, सिंचाई खण्ड गोण्डा ने ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा से वर्ष 87-88 में नकहा ताल ड्रेन पर स्वीकृत रुपया 5.32 लाख के कार्यों के विरुद्ध रुपया 1.39 लाख नकद एव खाद्यान के रूप में प्राप्त किया था । मलौना ताल ड्रेन के कार्यों हेतु कोई धन प्राप्त नहीं हुआ ।

प्राप्त धनराशि से कार्य पूरे कराये जा चुके हैं ।

59–श्री अरुण प्रताप सिंह–

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 196 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा कब्ही नाले पर एक लिफ्ट स्कीम का निर्माण के संबर्भ में प्रश्नकर्ता के पत्र या कृत कार्यवाही की जानकारी

60–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 9 मार्च, 1987 को मुख्य अभियन्ता पूर्वी नहर एवं बाढ़ को पत्र लिखा था कि जनपद गोण्डा के कब्ही नाले पर एक लिफ्ट स्कीम का निर्माण कराया जाय ? यदि हां, तो क्या मुख्य अभियंता ने मुख्य अभियंता नलकूप पूर्व को अपने पत्र संख्या-एम0 128/मु0 अ-पूनबा0/पी-1 दिनांक 8 अप्रैल, 1987 को सर्वेक्षण कराकर अग्रिम कार्यवाही करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में किसानों को सिंचाई में छूट न मिलने की शिकायत

61–श्री मित्रसेन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर फैजाबाद में फरवरी, 1988 में ओलावृष्टि से हुई क्षति के कारण सिंचाई में किसानों को कितनी छूट दी गई है? रा0 नलकूप प्रथम तथा द्वितीय खण्ड फैजाबाद द्वारा उक्त क्षेत्र में दी गयी छूट की धनराशि अलग-अलग क्या है? काश्तकारों को उक्त छूट न मिलने का क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग में आडिट पार्टी द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की दी गई रिपोर्ट

62–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून, 1987 में प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय, सिंचाई विभाग का आडिट करते समय आडिट पार्टी द्वारा जिन वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में अभिलेख व सूचनायें मांगी गयी थीं क्या वे उन्हें

उपलब्ध करायी गयी थी? क्या इस सम्बन्ध में आडिट पार्टी द्वारा शासन को इस आशय का पत्र लिखा गया था कि विभाग के अधिकारियों द्वारा वित्तीय अनियमितता के प्रकरणों की जांच में सहयोग नहीं दिया गया? यदि हां, तो इस संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग का आडिट महालेखाकार, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 1-7-87 से 6-7-87 तक किया गया। इसके दौरान आडिट पार्टी द्वारा वांछित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये किन्तु चूंकि उस समय बजट अनुभाग वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक की तैयारी में व्यस्त था, इस कारण बजट से संबंधित अभिलेख आडिट पार्टी को उपलब्ध नहीं कराये जा सके। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से इस आशय का कोई पत्र शासन में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

जनपद बांदा के ग्राम लहुरेटा में माइनर बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

63–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ बांदा जनपद के ग्राम लहुरेटा के ग्राम प्रधान श्री सादिक हुसैन का पत्र संख्या-ए/180/सि0/88, दिनांक 6-4-88 माइनर निकालने के सम्बन्ध में सिंचाई राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो माइनर का सर्वेक्षण किस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कराया गया तथा सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन रिपोर्ट क्या है और कब तक माइनर बनने का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सप्तम मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ के अधीन खण्डीय कार्यालयों में लिपिकों के चयन सम्बन्धी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

64–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे बुधवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-58 के उत्तर के संबंध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लिपिक पद पर चयन से पूर्व रिक्तियों की पूर्व सूचना जिस पत्र द्वारा सेवायोजन कार्यालय लखनऊ को दी गयी उसका नम्बर एवं दिनांक क्या है तथा उक्त पत्र सेवायोजन कार्यालय में प्राप्त भी हुआ या नहीं? उक्त प्रश्न के उत्तर का वह अंश जिसमें यह कहा गया है "अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग सीधी भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली के अनुसार विज्ञापन भेजना या परिपत्र जारी करना आवश्यक नहीं है" के तारतम्य में कृपया यह बताया जाय कि उक्त तथ्य उपरोक्त वर्णित नियमावली के किस पैराग्राफ में वर्णित है ? लिपिक पदों पर चयन करते समय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जितना कोटा तृतीय श्रेणी के पदों पर निर्धारित है, उसकी पूर्ति की गयी या नहीं एवं रिक्तियों की सूचना शासनादेश सं0-696/कार्मिक-2/79, दिनांक 6-6-79 के अनुपालन में क्षेत्रीय विधायक को भी दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

लिपिक पद पर चयन से पूर्व रिक्तियों की सूचना अधीक्षण अभियंता, सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के पत्रांक-7162/(2)/सप्तम् 12-8-83 द्वारा सेवायोजन अधिकारी, लखनऊ को डाक द्वारा भेजी गई। सेवायोजन कार्यालय, से प्राप्त सूचना के अनुसार यह पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1979 के नियम-15 के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को तो रिक्तियां की सूचना भेजना आवश्यक है किन्तु विज्ञापन या परिपत्र जारी करना आवश्यक नहीं है। वर्ष 1980 से 1982 तक लिपिक वर्गीय पदों पर तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति कर दी गई थी, और एक भी पद सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरा गया था अतः लिपिक पदों पर वर्ष 1983 में चयन करते समय पूर्व में भरे गये आरक्षित कोटे का समायोजन किया गया। प्रश्नगत शासनादेश के प्राविधानों का अनुपालन अनभिज्ञता के कारण नहीं किया जा सका ।

बांदा जनपद के विकास महुआ ग्राम प्रेमपुर के माइनर निकालने के संबंध में मांग

65–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र सिंह सिंचाई अनुभाग (4) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ने अपने पत्रांक अर्धशा0 प0 सं0-3182/87-23-सि0 4-28 वी0 आई0 पी0 दिनांक 23 जून, 1987 द्वारा प्रश्नकर्ता को अवगत कराया है कि बांदा जनपद के महुआ ब्लाक के ग्राम प्रेमपुर की असिंचित भूमि की सिंचाई के लिए माइनर निकालने के संबंध में बिन्दु नं0-2 पर जिस क्षेत्र के कुलाबे से माइनर निकाल कर सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने की मांग कृषकों द्वारा की जा रही है वह प्रश्नगत क्षेत्र कुलाबे के कमाण्ड क्षेत्र के बाहर है? यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र की सींच वसूली विगत वर्षों में नहीं की गयी ? यदि की गयी है, तो क्या इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री सुशील चन्द्र श्रीवास्तव सोनहटी बस्ती के चक में लगे सरकारी नलकूप के मुआवजों की मांग

66–डा0 बंगाली सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 21 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सोनहटी खुर्द, तहसील व जनपद बस्ती के निवासी श्री सुशील चन्द्र श्रीवास्तव के चक में लगे ट्यूब-वेल के लिए ली गई भूमि के मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो अब तक मुआवजा न दिए जाने का दायित्व किस पर है और मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

नलकूप संख्या 33 बी0 जी0 जी0 के लिए चक नम्बर 147 ग्राम सोनहटी बुजुर्ग तहसील व जिला बस्ती में 0.057 एकड़ भूमि के मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ।

प्रश्नगत नलकूप के लगाने हेतु ली गयी भूमि के मुआवजे के भुगतान हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बस्ती द्वारा भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

वर्ष 1986 से 1988 तक मिट्टी का कार्य एवं नगर की पटरियों को चौड़ा करने का कार्य क्रास सेक्शन से न कराने की शिकायत

67–श्री शारदा प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सिंचाई खण्ड, लखनऊ में वर्ष 1986 से वर्ष दिसम्बर, 88 तक मिट्टी के कार्य एवं नहर की पटरियों को चौड़ा करने आदि का कार्य भी माप क्रास सेक्शन से न करके स्टैक माप की गई? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि सिंचाई खण्ड लखनऊ में वर्ष 1986 से वर्ष 88 तक लाइनिंग के कार्य के करोड़ों रुपये से अनुबन्ध सिंगिल निविदा पर विभागीय दर से अधिक दरों पर दिए गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सिंचाई खण्ड लखनऊ में वर्ष 1986 से वर्ष दिसम्बर 88 तक मिट्टी का कार्य केवल रेनेकट्स (गड्ढा बन्दी) तथा नहर के पटरियों के मरम्मत हेतु कराया गया है । उक्त कार्यों हेतु बाहर से लायी गयी मिट्टी का स्टैक मेजरमेंट किया गया है, क्योंकि गड्ढा बन्दी तथा मरम्मत के कार्य में मिट्टी की माप क्रास सैक्शन द्वारा लेना सम्भव नहीं है ।

सिंचाई खण्ड, लखनऊ में वर्ष 1986 में लाइनिंग कार्यों हेतु 28 अनुबन्ध खंडीय स्तर पर तथा 8 अनुबंध उप खंडीय स्तर पर, (सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के आधार पर, तत्कालीन परिस्थितियों एवं कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किये गये । इन अनुबंधों में दी गई दरें विभागीय दरों से 0.39 से 5.75 प्रतिशत तक अधिक है । वर्ष 1987 व 1988 में लाइनिंग कार्य का कोई अनुबंध खंडीय स्तर पर नहीं किया गया है ।

अधिशासी अभियन्ता फैजाबाद के लिए यात्रा भत्ता पेट्रोल तथा मरम्मत के कुछ क्रय के फिजूल खर्चों की शिकायत

68–श्री मित्रसेन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड द्वितीय फैजाबाद के अधिशासी अभियंता तथा सहायक अधि0 अभि0 ने मार्च, 88 से 4 जनवरी, 89 तक क्षेत्रीय दौरे पर कितना यात्रा भत्ता प्राप्त किया है और गाड़ी के डीजल, पेट्रोल तथा मरम्मत में कुल कितना खर्च दिखाया है ? क्या यह सही है कि जिन नलकूपों के निरीक्षण के नाम पर मात्र भत्ता गाड़ियों की मरम्मत और डीजल पेट्रोल का व्यय दिखाया गया है वह

फर्जी एवं फिजूल खर्ची का है ? क्या इसकी जांच कराकर कृषकों और प्रतिनिधियों से इसे सत्यापित कराने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नलकूप खण्ड प्रथम द्वितीय फैजाबाद वर्कशाप में सामानों की सप्लाई में अनियमितता की शिकायत

69–श्री मित्रसेन–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि नलकूप खण्ड प्रथम द्वितीय फैजाबाद में माह अगस्त, 88 से पूर्व वर्कशाप हेतु सामानों के सप्लाई आर्डर फैजाबाद की ही फर्मों से कम रेट पर लिये जाते रहे हैं और माह अगस्त 88 के बाद से वही सामान जैसे वारनिस टी0 एण्ड पी0 पाइप रिंच वियरिंग स्टार्टर पार्ट्स ब्लाक, स्पेयरकिट, पी0 वी0 सी0 7/20 तार की जगह 7/22 यदि लखनऊ की आर0 के0 ट्रेडर कम्पनी से अधिक रेट पर लिए जा रहे है ? यदि हां इसका क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

नलकूप खण्ड प्रथम एवं द्वितीय, फैजाबाद में 8/88 से पूर्व कुटेशन के आधार पर प्राप्त न्यूनतम दरों पर वर्कशाप के लिए सामग्री हेतु सम्पूर्ति आदेश किये जाते रहे हैं । माह अगस्त, 88 के पश्चात भी कुटेशन के आधार पर प्राप्त न्यूनतम दरों पर आपूर्ति आदेश स्थानीय फर्मों एवं बाहरी फर्मों को किये गये हैं । माह अगस्त, 88 के पश्चात मेसर्स आर0 के0 ट्रेडर्स, लखनऊ से वार्निश, वियरिंग स्टार्टर पार्ट्स, ब्लाक, स्पेयरकिट. पी0 वी0 सी0 तार 7/20 अथवा 7/22 का क्रय नहीं किया गया है । परन्तु उपरोक्त फर्म से अन्य सामग्री यथा टी0 एण्ड पी0 पाइप रिंच, पी0 वी0 सी0 सिलीब्ज, काटन टेप, थिनर, रास्वर आर0 आई0 शीट इत्यादि का क्रय कुटेशन प्राप्त करके न्यूनतम दर पर विभिन्न माह में किया गया है ।

नगरपालिका टिहरी गढ़वाल के शौचालयों के निर्माण में हुई अनियमितता एवं भुगतान

70–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सिंचाई मंत्री को विदित है कि टिहरी बांध निदेशालय ने एक व्यक्ति श्री किसान सिंह के नगर पालिका टिहरी के शौचालय के ऊपर निर्मित खोके का भुगतान रू0 80,000 संबंधित बांध विभाग के अधिकारियों से मिल कर ले लिया है जिसमें शौचालय भी सम्मिलित है ? यदि हां, तो नगरमहापालिका के शौचालय का भुगतान किसी व्यक्ति को किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या शासन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फतेहपुर में स्प्रिट पीने से हुई मृत्यु के मामले की पुलिस द्वारा जांच कराये जाने की मांग

71–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में वर्ष 1987-88 एवं 88-89 में विकृत स्प्रिट पीने से कितने लोगों की जान गयी ? उपरोक्त जनापद में कितने स्प्रिट के थोक फुटकर बिकेता हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि 23 दिसम्बर, 1988 को स्प्रिट पीने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की दुख:द मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो जांच के बाद क्या तथ्य सामने आये ? जिसके बिरुद्ध अब तक कार्य-वाही की गयी ? मृतकों को कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध न कराये जाने का कारण क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्ष 1987-88 में कस्बा जहांनाबाद में विषाक्त मदिरा पीने से 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी । वर्ष 1988-89 में जनपद फतेहपुर में किसी घटना की सूचना नहीं है ।

जनपद फतेहपुर में बिकृत स्प्रिट का एक थोक बिक्रेता तथा सात फुटकर बिक्रेता हैं।

दिनांक 22/23 दिसम्बर, 1988 को जिन चार व्यक्तियों की विकृत स्प्रिट पीने से मृत्यु की बात कही गई है वे जनपद उन्नाव के निवासी थे ।

प्राप्त सूचनानुसार मृतकों को स्प्रिट पीने की आदत थी, जिसका अधिक प्रयोग कर लिये जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई ।

मामला पुलिस जांच में है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग के वर्तमान वैक्तिक सहायक (नहर पश्चिम) की पूर्व सेवाओं के बारे में शिकायत

72–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिं0 वि0 के वर्तमान वैयक्तिक सहायक (नहर पश्चिम) जब मुख्य अभि0 (नहर पश्चिम) के संगठनान्तर्गत जब अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड पिथौरागढ़ में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे, तब उस समय कालावधि में उनके द्वारा वर्क आर्डर के माध्यम से कितने ऐसे कार्य कराये गये जिनकी प्राक्कलित लागत रु0 10 हजार से अधिक थी ? ऐसे समस्त कार्यों को बिना निविदा आमंत्रित किए हुए ही कराये जाने के कारण प्रतियोगितात्मक दरों का लाभ शासन को न मिलने के आरोप में संबंधित अधिकारी के बिरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराने की कृपा करेंगे ? जांच प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित अधिकारी को "नहर पश्चिम संगठन" से अन्यत्र पद स्थापित करने की भी कृपा करेंगे ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

प्रश्नगत मामले की छानबीन कराई जा रही है । तथा छानबीन के उपरान्त प्रकाश में आने वाले तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के शुष्क क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र बनाने की योजना के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

73—श्री बदन सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के शुष्क क्षेत्र को सिंचित करने की योजना बनाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा लिखा पत्र जनवरी, 88 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां ।

उक्त पत्र में अंकित सुझावों पर अध्ययन किया गया । प्रश्नगत ग्राम उत्तर प्रदेश व राजस्थान की सीमा के समीप स्थित है । क्षेत्र की सिंचाई सुविधा हेतु प्रस्तुत सुझावों पर स्थित निम्नवत पाई गयी :—

(1) सिंचाई विभाग के नलकूप संगठन से उपरोक्त क्षेत्र में नलकूप लगाना तकनीकी दृष्टिकोण से उचित नहीं पाया है । जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का सर्वेक्षण सर्व प्रथम केन्द्रीय भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 1977-78 में कराया गया था जिसमें ग्राम जैताना व सिरौली में नलकूपों का परीक्षण छिद्रण किया गया था । परीक्षण छिद्र में विदित हुआ कि जल धारक परतें बहुत पतली हैं, एवं उनमें उपस्थित जल खारी है । इसी आधार पर दोनों नलकूपों का परित्याग कर दिया गया ।

(2) उटंगन नदी पर सिरौली ग्राम के पास बैराज बनाकर पलेवा चैनल निकालने के बारे में अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के पश्चात इस योजना को व्यवहारिक नहीं पाया गया ।

(3) फरवरी, 1980 में सहारनपुर माइनर के संबंध में सर्वेक्षण कराकर निर्माण करने के आदेश मा0 सिंचाई मंत्री ने दिये थे । सर्वेक्षण पश्चात् योजना के व्यवहारिक न होने के कारण उसे निरस्त कर दिया गया ।

(4) माइनर मडोली के कुलावा नं0-5 से माइनर निकालने अथवा सुपहैरा माइनर के टेल को खारी नदी पर एक्यूहेक्ट बनाकर पनचक्की ग्राम की ओर बढ़ाये जाने का सुझाव व्यवहारिक नहीं पाया गया । इक्लावदा में मीठे जल की उपलब्धि पर भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के परीमण के ताद कार्यवाही की जायेगी ।

(5) फतेहपुर सीकरी ब्रांच से मगौली कलां नगला मगौली तथा मगौली खुर्द के लिए माइनर या कुलावे लगाकर सम्भावित सिंचाई व्यवस्था व्यवहारिक न होने के कारण संभव नहीं है ।

जनपद मेरठ में परतापुर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाना

74—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद में परतापुर औद्योगिक क्षेत्र कब घोषित किया गया था ? क्या यह सही है कि इस क्षेत्र की जमीन का उद्देश्य आज भी खेती है, उद्योग नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

औद्योगिक आस्थान परतापुर के लिए भूमि का अर्जन 1964 में हुआ था । उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम की 12 एकड़ भूमि का हस्तानान्तरण परतापुर औद्योगिक आस्थान को स्थापना हेतु 1975 में किया गया । औद्योगिक आस्थान की स्थापना हेतु अधिग्रहीत भूमि का उद्देश्य उद्योग ही है, कृषि नहीं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रणवीर सिंह तथा श्री कैलाश सिंह एवं साहित्यकार श्री जैनेन्द्र कुमार के निधन पर शोकोद्गार

[समय 12·20 बजे]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि श्री रणवीर सिंह भूतपूर्व सदस्य विधान सभा का निधन 13 जनवरी, 1980 को हो गया । श्री रणवीर सिंह जी का जन्म ग्राम हेवतपुरा, तहसील शिकोहाबाद, जनपद मैनपुरी में हुआ था । उन्होंने बी0 एस0 सी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी । श्री रणवीर सिंह सर्वप्रथम 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र महरौनी जिला ललितपुर से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वर्ष 1962 में श्री रणवीर सिंह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य बन गये थे । वर्ष 1966 से वर्ष 1977 तक वह राजकीय इण्टर कालेज, ललितपुर में अध्यापक भी रहे । वह भारतीय जनता पार्टी के मंत्री एवं महामंत्री भी रहे । उनके निधन से जनपद ललितपुर ने एक कुशल समाजसेवी खो दिया है ।

मान्यवर, मुझे यह भी बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि श्री कैलाश सिंह भूतपूर्व सदस्य विधान सभा का निधन दिनांक 24 फरवरी, 1989 को रात्रि 9·30 बजे हो गया । वह लगभग 60 वर्ष के थे । उनका जन्म चित बड़ा गांव जनपद बलिया में हुआ था । उन्होंने मिडिल तक शिक्षा ग्रहण की थी । सन् 1974 में सर्वप्रथम सामान्य निर्वाचन में कोपाचीट निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य हुए थे । उसी समय से मैं भी निर्वाचित होकर आया हूं । मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला । वह बहुत ही सौम्य और सरल प्रकृति के व्यक्ति थे । श्री कैलाश सिंह जी वर्ष 1961 से 1970 तक चिता बड़ा गांव टाउन एरिया के अध्यक्ष रहे थे । वह जनसेवा के कार्यों में बड़ी रुचि रखते थे उनके निधन से एक सियासतदा और अच्छा समाजसेवी कार्यकर्ता खो दिया है । कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके न रहने से हमारे सदन के सदस्य ही नहीं एक प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश प्रभावित होता है । प्रसिद्ध साहित्यकार और गांधीवादी चिंतक श्री जैनेन्द्र कुमार जी का स्वर्गवास दिनांक 24 दिसम्बर, 1988 को प्रातःकाल 4·45 बजे हो गया । वह 83 वर्ष के थे । श्री जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 फरवरी, 1905 को अलीगढ़ में हुआ था । उन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा गुरुकुल पद्धति से शुरू की थी । उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा हेतु काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था । इसके बाद उन्होंने हिन्दुस्तान की जंगे आजादी में हिस्सा लेना शुरू किया और 1920 में कालेज को छोड़कर असहयोग आन्दोलन में शामिल

हो गये । 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह में पहली बार जेल गये और उसके बाद राष्ट्रीय आन्दोलन में कई बार जेल गये । स्वतंत्रता आन्दोलन और साहित्य जीवन के दौरान वे महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, प्रेम चन्द्र, जयशंकर प्रसाद और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन के सम्पर्क में आये । श्री जैनेन्द्र कुमार ने 1929 में साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया और उनकी पहली कथा संग्रह फांसी थी । उनकी दूसरी महत्वपूर्ण कृतियां मेरे भटकाव, मुक्तिबोध, परख, राष्ट्र और राज्य, प्रेम और विवाह आदि हैं । उनको 1969 में उनके उपन्यास मुक्तिबोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और उनकी रचना परख को हिन्दुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था । उनको पद्मभूषण की उपाधि दी गयी थी । श्री जैनेन्द्र कुमार के निधन से एक बहुत बड़ा साहित्यकार खो गया है । उनके निधन से न केवल हिन्दी साहित्य की क्षति हुई है बल्कि हमने एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी खो दिया है । उन्होंने जंगे आजादी में हिस्सा लिया और हिन्दुस्तान को आजादी दिलाने में तथा हिन्दुस्तान को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने में उनका जो योगदान रहा है उसको हमेशा याद रखा जायगा । उनके निधन से भारत ने एक महत्वपूर्ण रत्न खो दिया है । मैं चाहूंगा कि मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से उनके शोक संतप्त परिवार तथा हमारे जो अन्य भूतपूर्व विधायक गण जिनके बारे में मैंने तजकिरा किया उनके भी शोक संतप्त परिवारों तक हमारी संवेदनायों, हमारी कंडोलेंस को पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

श्रीमन्, रनवीर सिंह, श्री कैलाश सिंह और श्री जैनेन्द्र कुमार के बारे में जो भावनायें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखी हैं मैं उनसे अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन्, श्री रनवीर सिंह एक कुशल और समर्पित कार्यकर्ता थे । 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर वह इस सम्मानित सदन में आये थे । मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला था । उनके निकट जो भी आता था उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था । श्री कैलाश सिंह बलिया के निवासी थे। यद्यपि उनकी शिक्षा मिडिल तक थी लेकिन उनकी कार्य करने की क्षमता असीमित थी । लोगों को आकर्षित करने की उनमें बड़ी क्षमता थी । उनमें सेवा और मन जीतने की अद्भुत क्षमता थी । इसीलिए वह टाउन एरिया के चेयरमैन बने और सम्मानित सदन के सदस्य बने । श्रीमन्, स्वर्गीय जैनेन्द्र कुमार हिन्दी साहित्य में जिसकी जरा सी भी रुचि है, उनसे सभी अवगत हैं । वह हमारे देश को आजादी दिलाने वाली पीढ़ी की अग्रिम पंक्ति के सेनानी थे । उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में हिस्सा लिया और अपनी कृतियों से समाज को एक नई दिशा दी । मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से इन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदनाओं को उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधीवादी चिंतक श्री जैनेन्द्र कुमार जी तथा भूतपूर्व विधायक श्री रणवीर सिंह, श्री कैलाश सिंह के निधन के सम्बन्ध में जो

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

शोकोद्गार माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय तिवारी जी ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, श्री रणवीर सिंह 1977 में इस आदरणीय सदन के सदस्य थे । मुझे भी उनके साथ इस आदरणीय सदन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता था । वह एक बड़े ही कर्मठ, समाज के लिए समर्पित, सेवाभाव चरित्र के समाजसेवी थे और वर्ष 1966 से वर्ष 1977 तक वह राजकीय इण्टर कालेज, ललितपुर में अध्यापक भी रहे । वह भारतीय जनता पार्टी के मंत्री एवं महामंत्री भी रहे । वह इस आदरणीय सदन में बड़े ही क्रियाशील रहते थे । शासन का ध्यान आकर्षित करने में उनकी भूमिका प्रमुख रहती थी । प्रदेश के वह पदाधिकारी भी रहे । मुझे यह सूचित करने में इस माने में प्रसन्नता होती है कि वह पार्टी के काम के माध्यम से समाज सेवा में लगे रहते थे । आज के एक वर्ष पूर्व मोटर साइकिल से जा रहे थे, उन्हें दौरा हुआ, डेढ़ वर्ष तक वह कोमा की जिन्दगी में रह कर जिन्दगी और मौत से जूझते रहे । उनके जाने से मेरी पार्टी को जो क्षति हुई है, वह तो है ही, परन्तु बुन्देलखण्ड की बहुत बड़ी क्षति हुई है । हमारे बीच से उनके उठ जाने से जो रिक्तता हुई है, उसे हमें पूर्ण करने में ईश्वर हमें शक्ति दे । मान्यवर, स्वर्गीय श्री कैलाश सिंह केवल विधान सभा के ही सदस्य नहीं थे, अपितु वह बहुत बड़े समाज सेवी थे । वह 1961 से 1970 तक चिता बड़ा गांव टाउन एरिया के अध्यक्ष भी थे । उनके न रहने से बहुत बड़ी रिक्तता हुई है ।

मान्यवर, प्रसिद्ध साहित्यकार व गांधीवादी चिंतक श्री जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म अलीगढ़ जिले के कौड़ियागंज क्षेत्र में हुआ था । वह वर्ष 1920 में कालेज छोड़ कर असहयोग आन्दोलन में भाग लेने हेतु निकल पड़े । वह वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में पहली बार जेल गये । वह राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान कई बार जेल गये थे । स्वतन्त्रता आन्दोलन और साहित्य जीवन के दौरान वे महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, प्रेम चन्द, जय शंकर प्रसाद और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन आदि के सम्पर्क में आये थे । आज जब आजादी की लड़ाई के सेनानी धीरे-धीरे चले जा रहे हैं और समय की मांग है, फिर भी भगवान की गति को कौन जानता है, लेकिन उनका जो सत्कर्म रहा है, उससे जो हमें प्रेरणा मिली है, वह अनुकरणीय है । इन शब्दों के साथ मैं तीनों ही दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना के स्वर उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री मित्रसेन–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय उप नेता जनता पार्टी तथा अन्य नेताओं ने जो प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय श्री जैनेन्द्र कुमार, स्वर्गीय श्री रणवीर सिंह और स्वर्गीय श्री कैलाश सिंह के बारे में जो भाव व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, ये महान विभूतियां, स्वर्गीय जैनेन्द्र कुमार जी, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी रहे और हमारे भूतपूर्व सदस्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्वर्गीय श्री रणवीर सिंह, स्वर्गीय श्री कैलाश सिंह अपने-अपने जनपदों में समाज सेवियों में अग्रणीय स्थान रखते थे । उनके चले जाने से उनके क्षेत्र की जनता आज बहुत दु:खी है और उनकी रिक्तता को निकट भविष्य में शायद कोई न पूरा कर सके । इन शब्दों के साथ मैं तीनों ही दिवंगत विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, सर्वश्री जैनेन्द्र कुमार जी, रणवीर सिंह तथा कैलाश सिंह के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय उप नेता, जनता पार्टी तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, जैनेन्द्र कुमार जी हमारे भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार ही नहीं, अपितु गांधीवादी चिन्तन के अग्रणीय लेखक थे और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के बहुत बड़े योद्धा थे। उनके चले जाने से हमारे हिन्दी साहित्य को अपूर्णनीय क्षति हुई है । उनको पद्मविभूषण की उपाधि से विभूषित किया था और अनेक पुरस्कार उन्होंने साहित्य रचनाओं पर अर्जित किये थे और सबसे बड़ा पुरस्कार तो उनको हमारे देश की जनता ने दिया था उनके साहित्य को सराहकर । उनके साहित्य में जो उदात्त भावना हमारे सामाजिक चिन्तन के लिए व्यक्त की गयी थी उनके प्रति हमारे पूरे देश ने आदर और सम्मान उनको प्रेषित किया था । मान्यवर, उनके चले जाने से अपूर्णनीय क्षति हुई है और हमारे 2 भूतपूर्व विधायकों को अपने कार्यक्षेत्र में, सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में लगातार लगे रहते थे, उनके चले जाने से भी बड़ी हानि हुई है । श्रीमन् मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवारों तक हमारी संवेदनायें भेजने की कृपा करें ।

श्री राज किशोर सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य माननीय रणवीर सिंह, कैलाश सिंह और हमारे देश के उद्भट साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार के प्रति जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने शोक का प्रस्ताव रखा है और उनके प्रति जो भावनाएं व्यक्त की हैं और हमारे अन्य विरोधी दल के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनके साथ अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि यह दो जो भूतपूर्व विधायक हैं उनकी अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ी लोकप्रियता थी उनके निधन से उन क्षेत्रों की जनता को महान दुख है, हमारी पार्टी को भी दुख है। माननीय जैनेन्द्र कुमार जी ने केवल एक साहित्यकार थे बल्कि वह आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सिपाहियों में से थे और चिन्तन गांधी विचारधारा के थे और उन्होंने अपने जीवन काल में जो कुछ लिखा उसके लिए उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुए । मान्यवर, इन शब्दों के साथ उन विभूतियों के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को हमारे और हमारे दल की ओर से शोक संवेदनाएं भेजने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने, माननीय तिवारी जी ने व अन्य नेताओं ने जो शोकोद्गार स्वर्गीय श्री रणवीर सिंह, स्वर्गीय श्री कैलाश सिंह भूतपूर्व विधायकों के बारे में व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने निर्दलीय विधायक समुदाय को सम्बद्ध करता हूं । इसी तरह से मान्यवर, प्रसिद्ध गांधीवादी और साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार जी के प्रति जो शोकोद्गार व्यक्त किये गये हैं उनसे भी हम अपने को सम्बद्ध करते हैं और इन विभूतियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी ओर से भी शोकोद्गार उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, माननीय तिवारी जी ने, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने, माननीय मित्रसेन जी ने और अन्य नेताओं ने जो माननीय रणवीर सिंह, माननीय कैलाश सिंह और जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में उद्गार व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, माननीय रणवीर सिंह जी जिस विधान सभा क्षेत्र से आये थे मैं उसी विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं उसी विधान सभा क्षेत्र से सन् 77 में निर्वाचित हुए थे । मान्यवर, वहां की जनता की समस्याओं को उन्होंने इस सदन के माध्यम से आप तक पहुंचाया था । मान्यवर, 13 जनवरी को डेढ़ साल निरन्तर जीवन और मृत्यु के बीच में झूलते हुए उनकी इहलीला समाप्त हो गयी । मान्यवर, मोटर साइकिल के एक एक्सीडेन्ट के बाद से लगातार वह डेढ़ वर्षों तक अचेता अवस्था में ग्वालियर और दिल्ली के अस्पताल में पड़े रहे । मान्यवर, इसी प्रकार से मा0 कैलाश सिंह जी, भूतपूर्व सदस्य जो एक महान समाज सेवी थे, वह भी हमारे बीच में नहीं रहे । श्री जैनेन्द्र कुमार भी महान साहित्यकार और गांधीवादी विचारक थे । वह भी हमारे बीच में नहीं रहे । उनसे भी हमारे साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रिक्तता हुई है । मान्यवर, इन सब के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी तथा मेरी पार्टी की ओर से ये शोक संवेदनाएं उनके परिवारों को भेजने का कष्ट करें ।

*श्री गौरी शंकर भइया–

मा0 अध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्री रणवीर सिंह जी, स्वर्गीय श्री कैलाश सिंह जी और श्री जैनेन्द्र कुमार जी के प्रति संसदीय कार्य मंत्री, नेता जनता पार्टी तिवारी जी और भारतीय जनता पार्टी के गुप्ता जी और अन्य विरोधी दलों के नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, 1977-78 में रणवीर सिंह जी के साथ हम लोग भी इस सदन के सदस्य थे। उनके साथ काम करने पर हम लोगों को अच्छी शिक्षा मिली। जहां तक जैनेन्द्र कुमार जी का सवाल है, हमारे भारत का शिक्षित जन मानस इस नाम को लेते ही हर्षित हो जाया करता था। ऐसे विद्वान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के हमारे बीच से उठ जाने से हम लोगों को बहुत ही कष्ट हुआ है। स्वर्गीय कैलाश जी, जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं सदस्य हूं, 1974 में उस विधान सभा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्र से सदस्य थे। वे टाउन एरिया चितबड़ा गांव के तीन बार चेयरमैन रहे। वे एक कुशल राजनेता, आदर्श समाज सेवी और अच्छे सहायक के रूप में बलिया जनपद में याद किये जाते हैं। श्रीमन्, जब संकट काल की घोषणा की गयी थी, तो हम लोगों को 18 महीने तक कारागार में उनके साथ रहने का मौका मिला था। बाबू कैलाश जी की दिन-चर्या की एक एक बात उनके निधन के बाद याद आती है। श्रीमन्, बाबू कैलाश सिंह जी जेल से जब बाहर निकले तो उनके स्थान पर हमको टिकट दिया गया। उसके बाद जब भी हम उनसे मिले, कभी भी उनके मन में हमारे प्रति मलाल नहीं रहा। ऐसे समाज सेवी के निधन से बलिया जनपद में राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ी रिक्तता आयी है। जो शोकोद्गार मा0 नेताओं ने इस संदर्भ में व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे ये उद्गार इन नेताओं के दु:खी परिवारों तक भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

हमारे बीच में मा0 रणवीर सिंह जी, मा0 कैलाश सिंह जी, मा0 जैनेन्द्र कुमार जी नहीं रहे। श्री रणवीर सिंह का निधन 13 जनवरी, 1989 को हुआ। उनका जन्म जिला मैनपुरी में हुआ था। सन् 1977 में जनता पार्टी से ललितपुर से चुने गये। मा0 कैलाश सिंह जी का निधन 24 फरवरी, 1989 को साठ साल की उम्र में हुआ। उनका जन्म जिला बलिया में हुआ था। वे सन् 1974 में बी0 के0 डी0 से चुने गये थे। जैनेन्द्र कुमार जी महान साहित्यकार थे। श्री जैनेन्द्र कुमार जी का निधन 24 दिसम्बर, 1988 को 83 साल की उम्र में हुआ। राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान कई बार जेल भी गये। फांसी, मुक्तिबोध रचना के लिए पुरस्कृत भी किये गये थे। उनको पद्मभूषण की उपाधि दी गयी थी। उनके निधन से हिन्दी साहित्य का एक अनमोल रत्न खो गया है। आपने जो विचार व्यक्त किये हैं, अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। आपकी संवेदनाएं उनके परिवारों तक पहुंचाई जाएंगी। आइये, दो मिनट मौन खड़े होकर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी माननीय सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए)।

श्रीमती शकुन्तला कपूर जिला प्रोग्राम अधिकारी लखनऊ द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत आज 35 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें शलाका द्वारा 7 स्वीकार हुई। पहली सूचना है श्री योगेन्द्र कुमार की, दूसरी सूचना है श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर) की, तीसरी सूचना है श्री पारस नाथ यादव की चौथी सूचना श्री फजलुल बारी की पांचवीं सूचना श्री बलराम यादव की छठी सूचना श्री राम आसरे वर्मा की सातवीं सूचना श्री शफीकुर्रहमान बर्क साहब की है।

यह सब सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायें?

(निम्नांकित सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी)

*श्री योगेन्द्र कुमार–

[मान्यवर, लखनऊ में जिला प्रोग्राम अधिकारी पद पर नियुक्त श्रीमती शकुन्तला कपूर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये गये थे। इन आरोपों की जांच श्री पी0के0 चटर्जी, संयुक्त निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 द्वारा की गयी थी और उन्होंने अपने जांच में श्रीमती शकुन्तला कपूर जिला कार्यक्रम अधिकारी को शासकीय धन का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था और गलत आदेश पारित करने का भी दोषी पाया था। इसी आधार पर इनका स्थानान्तरण जिले से किसी अन्य स्थान पर करने की संस्तुति की थी और शासन द्वारा उक्त जिला कार्यक्रम अधिकारी का स्थानान्तरण संख्या 1-85/26-सेल-89, दिनांक 2 फरवरी, 89 द्वारा लखनऊ से रायबरेली कर दिया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार में भागीदार उच्चाधिकारियों ने शासनादेश को निष्प्रभावी कर उक्त स्थानान्तरण को रोक दिया है। और पूर्णतः उक्त भ्रष्ट अधिकारी को भ्रष्टाचार करने का अवसर दिया जा रहा है। उक्त श्रीमती कपूर अपने पद पर बनी रहकर अपने विरुद्ध लगाये गये सिद्ध आरोपों के सबूत अपने पद व अधिकारों का दुरुपयोग कर नष्ट कर रही है और जिलाधिकारी लखनऊ इस कार्य में उनका सहयोग दे रहे हैं।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से विलम्बन की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर की रामगढ़ लिफ्ट नहर को विद्युत आपूर्ति हेतु अलग से फीडर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोकमहत्व के जनपद गाजीपुर के रामगढ़ लिफ्ट नहर के विद्युत आपूर्ति के लिए सेपरेट फीडर लगवाने एवं नहर के हेड से 4 किमी0 तक लाइनिंग कराने के लिए आकर्षित करता हूं। ये लिफ्ट नहर विद्युत आपूर्ति के अभाव के कारण बहुत कम पानी की आपूर्ति करती है। यदि पानी निकलता भी है तो हेड से इतना सीपेज होता है कि कृषकों की फसल तथा भूमि की बर्बादी होती है इससे इस पूरे क्षेत्र में कृषकों तथा अन्य लोगों में असन्तोष रोष एवं क्षोभ है। इसलिए यहां के कृषकों ने हजारों की संख्या में धरना एवं प्रदर्शन कई बार किये किन्तु अभी तक इससे संबंधित अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित करें कि उक्त नहर पर सेपरेट फीडर लगाने एवं हेड से चार किमी0 तक लाइनिंग करवायें, जिससे वहां की जनता एवं कृषकों को सुविधायें एवं लाभ मिल सके।]

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड रामपुर में सूखा राहत योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच कराने तथा सम्पर्क मार्गों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारस नाथ यादव–

[मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 सरकार एवं सदन का ध्यान अपने क्षेत्र बरसठी के विकास खण्ड रामपुर के तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास खण्ड रामपुर में सूखा राहत के अन्तर्गत काम के बदले अनाज योजना में कराये गये कार्यों में भारी गोल-माल एवं फर्जी भुगतान किया गया है। सम्पर्क मार्ग रसुलहा, गन्धौला व सुल्तानपुर तथा आकरा काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत बनाया गया था। सम्पर्क मार्ग अभी तक पूर्ण सही हुआ है न तो उस पर कायदे से मिट्टी पड़ी है न पानी निकास हेतु पुलियां इत्यादि का निर्माण कराया गया है। सरकार के मनसा के मुताबिक सूखा राहत में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पिछड़े ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की मनसा थी किन्तु अधिकारियों एवं कर्मचारियों में ठेकेदारों के माध्यम से सम्पर्क मार्गों पर अधूरा काम करा कर फर्जी मस्टर रोल बनाकर सम्पूर्ण धनराशि को खर्च दिखा दिया तथा सम्पर्क मार्गों को पूर्ण दिखा कर धन को निकाल लिया है। एक तरफ गावों तक पहुंचने के लिए सम्पर्क मार्गों को बनाया जाना अधूरा रह गया है दूसरी तरफ जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग हुआ है सम्पर्क मार्ग रसूलहा आकरा, सुल्तानपुर तथा गन्धौली (दादर) अब भी अधूरे पड़े हुये हैं। ग्रामीणों में इस बात को लेकर बड़ा ही असन्तोष है कि धन का दुरुपयोग कर्मचारी और अधिकारी द्वारा किया गया।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि विकास खण्ड रामपुर जनपद जौनपुर में सन् 1987-88 में सूखा राहत योजना के अन्तर्गत कराये गये सम्पूर्ण कार्यों की जांच पी0ए0सी0 के द्वारा कराया जाय तथा अधूरे सम्पर्क मार्गों को पूर्ण कराया जाय]

जनपद लखनऊ की राजाजीपुरम् आवास विकास कालोनी के दुर्बल आय वर्ग के आवंटियों के अनुबन्ध के अनुसार जलकर वसूलने एवं भवनकर से मुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फजलुल बारी–

[माननीय, मैं आपके माध्यम से लखनऊ स्थित आवास विकास कालोनी राजाजीपुरम् के दुर्बल वर्ग के आवंटियों से लिये जा रहे जल परिव्यय एवं भवन कर के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ग के आवंटियों से मात्र दस रुपये प्रति माह जलकर का अनुबन्ध था आवास विकास द्वारा माह जनवरी 88 तक दस रुपया प्रतिमाह लिया गया, परन्तु फरवरी, 88 से जल संस्थान जल परिव्यय आदि मिलाकर पैंतालीस रुपये प्रति माह ले रही है। इसे तत्काल अनुबन्ध के अनुसार दस रुपये प्रतिमाह किया जाय। इनके साथ ही दुर्बल वर्ग के लीज पर आवंटित मकानों का क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट से कम है जो नगरपालिका की भवन कर क्षेत्रफल सीमा 480 वर्गफीट से भी कम है अतः इन पर भवन कर देय नहीं है तथा सफाई मजदूर की व्यवस्था नहीं है। लगभग 25 प्रतिशत विद्युत पोलों पर ट्यूब लाइट लगी है, सीवर की सफाई नहीं है। इस प्रकार यह मलिन बस्ती है। जनता एवं क्षेत्रीय आवासीय सुधार समितियों ने सरकार से इस समस्या के निराकरण की मांग की है। परन्तु अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है, विभाग द्वारा मनमाने ढंग से भवनकर लगाये जा रहे हैं, जिससे जनता में काफी अशांति फैली हुई है।

अतः इस क्षेत्र को भवन कर से मुक्त किया जाय।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला फैजाबाद के विकास खण्ड जहांगीरगंज रामनगर तथा भियावां को जनपद आजमगढ़ में मिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलराम यादव–

[मान्यवर, उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित प्रश्न की आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

विकास खण्ड जहांगीरगंज, रामनगर तथा भियावां जनपद फैजाबाद के पूर्वी छोर पर स्थित है तथा फैजाबाद जनपद मुख्यालय की दूरी लगभग 135 किमी0 है। उपरोक्त विकास खण्डों के किसी भी ग्राम की दूरी फैजाबाद मुख्यालय से 100 किमी0 से कम है ही नहीं जबकि जनपद आजमगढ़ का मुख्यालय 50 किमी0 तथा अधिक से अधिक 60 किमी0 ही है। जनता तथा जनप्रतिनिधियों की बार-बार मांग करने पर भी सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जबकि इस समय कुछ नये जिले सृजित हो रहे हैं। और इस समय भी विकास खण्ड जहांगीरगंज रामनगर तथा भियावां को जनपद आजमगढ़ में न मिलाये जाने से जनता में रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को मा0 सदन के संज्ञान में लाते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

कृषि निदेशालय के दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन तथा शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कृषि निदेशालय में गत कई वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्यरत टंकक/लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने हेतु तत्कालीन राज्य कृषि मंत्री ने उप सचिव कृषि को अपने पत्र संख्या 1645/एस0एम0ए,/वी0आई0पी0/84 दिनांक 26-6-84 द्वारा आदेश दिये थे परन्तु कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण पत्र संख्या 1677/एस0एम0ए0/वी0आई0पी0/84 दिनांक 3-7-84 द्वारा कृषि सचिव को भी आदेश दिये कि नियमित रूप से नियुक्ति करके अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाय। उक्त आदेशों के परिपेक्ष्य में उप सचिव कृषि ने पत्र संख्या एम/12-9-84-1303/83, दिनांक 6-7-84 द्वारा कृषि निदेशक को यह निदेश दिया था कि माननीय मंत्री जी के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करके दिनांक 10-7-84 तक शासन को सूचित किया जाए। परन्तु उक्त के प्रतिपेक्ष्य में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई इससे सैकड़ों दैनिक भोगी कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवा अवधि को देखते हुए नियमितीकरण की कार्यवाही अविलम्ब की जाए।]

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में चयनित सहायक अभियन्ताओं की सूची में ऊपर स्थान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शफीकुर रहमान वर्क–

[मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्ष 1980 में ऐसे 200 से अधिक तदर्थ सहायक अभियन्ताओं को विनियमितीकरण नियमावली 1977 द्वारा विनियमित करना पडा था जो लोक सेवा आयोग से बार-बार अनुत्तीर्ण हो गये। इसी के साथ शासन ने वर्ष 1977-80 एवं 1980-81 तक की सीधी भर्ती की रिक्तियों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा योग्य सहायक अभियन्ताओं का एक साथ चयन कराकर विभाग में इस शर्त के साथ नियुक्त किया कि उन्हें 1979-80 एवं 1980-82 की रिक्तियों को भरने के लिए नियुक्त किया जाता है। शासन के इस शर्त को मद्दे नजर रखते हुये ऐसे 280 सहायक अभियन्ता जो अनेक विभागों में अच्छी स्थिति में कार्यरत थे, सा0 नि0वि0 में चले आये। अब ऐसी स्थिति में यदि शासन वर्ष 1980 में विनियमित सहायक अभियन्ताओं को 1979-80 तक की रिक्तियों को भरने के लिए नियमानुसार चयनित योग्य सहायक अभियन्ताओं से वरिष्ठता में ऊपर स्थान देती है तो यह निश्चय ही योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा और नियुक्ति पत्र में दी गयी शर्तों का भी उल्लंघन होगा। साथ ही योग्य सहायक अभियन्ताओं का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा।

अतः शासन से यह मांग है कि 1979-80 तक की रिक्तियों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक अभियन्ताओं को वर्ष 1980 में विनियमित सहायक अभियन्ताओं से वरिष्ठता सूची में ऊपर स्थान दिया जाये।]

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार अपनी सूचना देता चला आ रहा हूं। वह स्वीकार नहीं हो रही है। आप अपने स्तर से ही उसे देखकर कोई निर्णय दे दें।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं शलाका में क्या कर सकता हूं?

श्री गोपीनाथ वर्मा–

अपने स्तर से आप उसे देख लें 49 लाख 50 हजार का घोटाला है। एक हफ्ते से लगातार इस सूचना को दे रहा हूं नहीं आ पा रही है। मान्यवर, एक हफ्ते में मेरी लाटरी नहीं निकल रही है।

श्री अध्यक्ष–

आपके लिये अलग से शलाका निकाली जायेगी!

(इस समय 12 बजकर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, एक हफ्ते से अपनी सूचना को दे रहा हूं।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता । शलाका में कोई कुछ नहीं कर सकता । आपके हाथ से शलाका निकलवा लेंगे ।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, आप प्रयास करेंगे तो निकल जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष–

हम कोई प्रयास नहीं करते हैं । आप बैठें ।

श्री गौरी शंकर भैया–

मान्यवर, अगर लाटरी निकलती होती तो 2-4 लाख की बाहर निकल जाती इनकी । इनकी किस्मत खराब है। आप कृपा करके इनकी लाटरी निकाल दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

किस्मत इनकी ठीक है खराब नहीं है।

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग से संबंधित अधिनियम को रिपील किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 300 में 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री अशोक बाजपेयी की है दूसरी श्री गौरी शंकर भैया और अन्य लोगों की है इसमें 20-25 दस्तखत हैं तीसरी श्री राम आसरे वर्मा व अन्य साथियों की है चौथी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है पांचवीं श्री राम शरण दास जी की है। यह नियम 300 में तो कोई आती नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप सुन लें।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आज मैंने नियम 300 के अंतर्गत महत्वपूर्ण सूचना सदन के संज्ञान में लाने का प्रयास किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना वर्ष 1974 में इसी माननीय सदन द्वारा की गयी थी। जिसका अनुमोदन अपर हाउस विधान परिषद् द्वारा किया गया । यह कल्पना की गयी थी कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के गिरते हुए स्तर को उच्च शिक्षा दृष्टिगत रखते हुए इतना बड़ा प्रदेश है 15 करोड़ की आबादी है 25 विश्वविद्यालय हैं 400 महाविद्यालय हैं इनके बीच सामंजस्य कायम करने के लिये शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिये उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना 1974 में की गयी थी मान्यवर, उसके बाद इसके क्रियान्वयन में यह सरकार उपेक्षा करती रही इतना महत्वपूर्ण एक्ट बना रहा सरकार लागू नहीं कर रही है । मान्यवर, इस पर सदन में कई बार ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन वर्ष 1986 में बिना सदन की सहमति लिये, उस पर चर्चा कराये उसको रिपील करने का निर्णय ले लिया गया। मान्यवर, इस अधिनियम से इस प्रदेश के तमाम विद्यार्थियों का, शिक्षाविदों का, विश्वविद्यालयों का और महाविद्यालयों का भविष्य जुड़ा है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी थी कि प्रदेश में नये विद्यालय कहां खोले जायेंगे, महाविद्यालयों की स्थापना कहां होगी। किन-किन विषयों की मान्यता मिलेगी, कहा-

कहां शासन द्वारा अनुदान मिलेगा, जो सुविधायें दी जा रही हैं, वह लागू हो रही हैं अथवा नहीं हो रही है। इन सारी चीजों को करने की व्यवस्था इस अधिनियम में दी गयी। लेकिन बाद में इस सरकार ने इसको रिपील करने का काम किया है। मान्यवर, हमारे संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हो सकता। इस अधिनियम को दोनों सदनों ने एकमत से पारित किया था और शासन ने इस उच्च शिक्षा अधिनियम को निरस्त करने का काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि फिर से इस अधिनियम को बहाल करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम 300 में तो आता नहीं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न तो बनता नहीं है, लेकिन माननीय अशोक जी ने एक बात कही कि बगैर किसी डिस्कशन के, बगैर किसी को कान्फीडेन्स में लिये हुये इसको रिपील कर दिया गया। मान्यवर, आप जानते हैं कि इस विधेयक को दोनों सदनों में चर्चा के बाद पारित किया गया था, जो अधिनियम संख्या-20 सन् 1986 में बना। मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इसके अन्दर इसका सारा डिटेल लिखा हुआ है और दोनों सदनों द्वारा यह पारित हुआ था। मैं समझता हूं कि अब इसमें कोई औचित्य नहीं है। जहां तक उपयोगिता का विषय है, वह एक अलग बात है। लेकिन यह रिपील करने के सम्बन्ध में दोनों सदनों में चर्चा हुई, उसके बाद ही इसे रिपील किया, गया, ऐसा नहीं है कि खामोशी से औरों से अलग करके इसको रिपील किया गया हो।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जब आप शिक्षा मंत्री थे, तभी इस अधिनियम को आप यहां लाये थे, बाद में उसे रिपील करने का औचित्य क्या था?

श्री उपाध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश अधिनियम 20, सन् 1986 द्वारा पुराना बिल रिपील कर दिया गया, उस पर चर्चा हो चुकी है।

(श्री गौरी शंकर भइया के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आपका जो औचित्य का प्रश्न है, वह 300 में नहीं आता अगर आप इसको किसी और नियम में ले आते, जो अच्छा होता।

लखनऊ के ला मार्टीनियर ब्वायज एण्ड गर्ल्स कालेजों में राष्ट्रीय पर्वों एवं राष्ट्रीय गानों का निरादर करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, आप इसे सुन लें, हम केवल ग्राह्यता पर बोलेंगे मान्यवर, हमारे संविधान की भावना है कि जो प्रदेश के अन्दर काम करने वाली सरकारी और गैरसरकारी संस्थायें हैं, वह अपनी सीमा के अन्दर रहते हुए 26 जनवरी, 15 अगस्त,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राष्ट्रगान आदि चीजों का सम्मान करें। लेकिन लखनऊ के ला-मीटीनियर ब्वायज कालेज तथा ला-मार्टीनियर गर्ल्स कालेज दोनों में ही इन राष्ट्रीय पर्वों को नहीं मनाया जाता और वहां चन्द्रशेखर आजाद भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस आदि शहीदों को आतंकवादी कहकर शिक्षा दी जाती है तथा उन्हें देश द्रोही बताकर पढ़ाया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि इसी सरकार के नाक के नीचे हमारे राष्ट्रीयता के इतिहास को गलत ढंग से पढ़ाने का काम इन विद्यालयों द्वारा किया जा रहा है, तो वह 300 में नहीं आता, तो किस दफा के अन्दर हम इसे लायें। श्रीमन् यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह चिन्ता का विषय तो हो सकता है, लेकिन यह 300 में आता नहीं है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-30 के अन्तर्गत अपनी रुचि से विद्यालयों को चलाने का अधिकार है लेकिन उन विद्यालयों को यह अधिकार नहीं है कि जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, राष्ट्र गीत है, उसका असम्मान करें, आज इसी बात पर हम लोगों ने आपका और सदन का ध्यान आकर्षित किया है। हमारे सीतापुर में भी सेकरेट हार्ट इण्टरमीडिएट कालेज है, वहां पर भी इन पर्वों को नहीं मनाया जाता है और शिक्षा के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर विदेशों से धन यह विद्यालय लेते हैं, लेकिन वह समाज विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं, उसका एक उदाहरण यहां दिया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। विषय महत्वपूर्ण हो सकता है। आप इसे किसी दूसरे नियम में ले आवें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

आज जिस तरह से राष्ट्रीय गीत का अनादर किया जा रहा है और जो हमारे शहीद हुए हैं, उनका सम्मान इन स्कूलों में नहीं किया जा रहा है और राष्ट्रीय झण्डे का अनादर किया जा रहा है। आप इस पीठ से सरकार को स्पष्ट निर्देश दें कि इस पर कार्यवाही की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायं। आपके नेता श्री तिवारी जी बोल रहे हैं, और वे खड़े हो गये हैं, आप उनकी तो इज्जत कीजिए।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

मान्यवर, कितना गम्भीर मामला है। आप नियमों की तकनीकी में जायें, वह ठीक है, किन्तु हमारे प्रदेश में इन विद्यालयों में राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय झण्डे को लगाने से इस प्रकार रोक लगायी जा रही है। जो लोग हमारे शहीद हुए थे, उनका अनादर किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक वातावरण बनाया जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनका इस पर क्या दृष्टिकोण है। नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, आपका निर्णय शिरोधार्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। लेकिन यह बहुत ही गम्भीर मामला है, जो हमारी स्वतंत्रता और अखण्डता से सीधा जुड़ा हुआ है। आप इसे तकनीकी प्रक्रिया के आधार पर न लें। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई सख्त कार्यवाही करने जा रही है, यह हम जानना चाहते हैं।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, हो सकता है कि यह नियम 300 के अन्तर्गत न आता हो और आपने जो निर्णय दिया है, वह हमें शिरोधार्य होगा। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं कि हम यदि उन्हें नियमों की तकनीकी में बांधकर ऐसी मर्यादा व परम्परा खींच लें तो हम अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पायेंगे। हमारे राष्ट्रीय पर्वों का अनादर हो रहा है, झण्डे का अपमान हो रहा है, राष्ट्र गीत का अपमान हो रहा है और हमारी सरकार चुपचाप बैठी रहे, यह गलत है। आप इस पर चर्चा करवायें।

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा इस समय कहां हो रही है। नियम तो खुले हुए हैं।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं कहता हूं कि यह नियम 300 के अन्तर्गत आता है। राष्ट्र गीत का अपमान करना राष्ट्र का अपमान करना है और जो आदमी राष्ट्र का अपमान करता है वह देशद्रोही का मुल्जिम है। उस कालेज में पढ़ने वाले लड़के व लड़कियां ज्यादातर आफिसर बनती हैं, क्योंकि उसे एक अच्छा स्कूल माना जाता है। जब कल वहां से पढ़ी हुई लड़कियां व लड़के कल कहीं किसी संस्थान या संस्था में आफिसर बनेंगे तो वहां पर भी वह राष्ट्रीय गीत व राष्ट्र ध्वज का अपमान करेंगे। इसलिए वहां के अधिकारियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। सरकार इस बात का आज स्पष्ट आश्वासन भी दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं।

*श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय गौरी शंकर भइया ने इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। माननीय तिवारी जी ने जिस भावना से आपके सामने प्रश्न उपस्थित किया है, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। राष्ट्रीय गान पर रोक लगाना और राष्ट्रीय पर्वों को मानने पर रोक लगाना गम्भीर अपराध बन जाता है। इससे पूरे राष्ट्र का सम्मान गिरता है। यह प्रश्न औचित्य में आये या नहीं सदन की जानकारी में आने पर कार्यवाही करने का आपको अधिकार है। मैं प्रार्थना करूंगा कि शासन को निर्देशित करें कि इस संस्था के खिलाफ गम्भीर से गम्भीर कार्यवाही करके राष्ट्र के सम्मान को सुरक्षित रखने का काम किया जाय।

*श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह सदन प्रदेश की जनभावना को परिलक्षित करने का ऊंचा स्थान है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि नियम 300 के अन्तर्गत आता है या नहीं, प्रश्न राष्ट्रीयता का है। एक ऐसा विद्यालय राजधानी में चल रहा है जहां राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय भावना का असम्मान हो, यह पूरे प्रदेश के लिये चिन्ता का विषय है। जैसा कि हमारे पूर्व साथी ने कहा कि ऐसा विद्यालय है जहां से पढ़कर बच्चे उच्च अधिकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनते हैं । उनको यदि प्रारम्भ से ही ऐसी शिक्षा दी जाय, सुभाष चन्द्र बोस जैसे व्यक्ति को राष्ट्रद्रोही कहा जाय । आप ऐसी व्यवस्था करें कि इसकी पुनरावृत्ति न होने पाये और ऐसी शिक्षण संस्थाओं को निर्देश दिये जायं कि राष्ट्रीय सम्मान के विरुद्ध यदि कोई भी कार्य होता है तो गम्भीर कार्यवाही की जायगी ।

*श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

माननीय गौरी शंकर भइया ने जो प्रश्न उठाया है वह केवल प्रार्थना करने और गीत गाने का नहीं है, आज राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्र की एकता की है । कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो साजिश करके राष्ट्र की एकता को कमजोर करने का प्रयास करती हैं । विद्यालय में नवयुवक तैयार किये जाते हैं । जैसी शिक्षा होगी वैसा ही उनका आचरण होगा । राष्ट्रीय गीत का न गाना, राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित न होना एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने जैसा है । ऐसी परिस्थिति में निवेदन करूंगा कि धर्म निरपेक्षता में छूट है हम किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं लेकिन कोई भी काम जो राष्ट्रीय एकता को कमजोर करे, ऐसी छूट नहीं दे सकते।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम तो और भी हैं किसी और में ले आते ।

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आपने भी कहा, मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि नियम 300 में नहीं आता है । मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय संविधान और उसकी जो मूल भावना है उस पर यह कुठाराघात करता है या नहीं ? अगर करता है तो विधान सभा में उठाया जा सकता है । इसलिये यह नियम 300 का विषय है, मैं इसको मानता हूं । इसमें कई चीजें हैं । एक तो राष्ट्रीय गीत नहीं गाया जाता राष्ट्रीय पर्व नहीं मनाया जाता । दूसरे सुभाष चन्द्र बोस को अपराधी कहा गया और चन्द्र शेखर आजाद तथा शहीदे आजम भगत सिंह को जो देशद्रोही कहें उन्हें हिन्दुस्तान में रहने का हक ही नहीं है । जिन स्कूलों में राष्ट्रद्रोही की बात पढ़ाई जाती हो, मैं पूछ सकता हूं कि नियम 300 में क्यों नहीं आयगा ? यह निश्चित रूप से नियम 300 में आता है। आपकी पीठ को इस पर खास तौर से गंभीरता से विचार करना चाहिये । आप शासन को निर्देशित करें कि इस पर गम्भीरता से विचार करें ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है । हमें यह देखना चाहिये कि यह जिसने विद्यालय हैं वहां राष्ट्र के लिये सम्मान प्रदर्शित करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, ऐसे विद्यालयों में कौन-कौन बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिये जाते हैं । यह किनके हैं ? जिनके हृदय में राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं है । जब आप इस पर कोई कार्य-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वाही करने का निर्देश दें तो संवैधानिक दृष्टि से यह सही है कि आप इन विद्यालयों पर प्रतिबन्ध तो नहीं लगा सकते हैं लेकिन जहां तक राष्ट्रद्रोही की बात है कि वहां पर राष्ट्रद्रोही का कार्य किया जा रहा है, वहां जो पढ़ते हैं उनके अभिभावकों पर भी हमें सतर्क दृष्टि रखनी चाहिये ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह प्रकरण बहुत ही गम्भीर है, आपको सरकार को इस विषय पर निर्देशित करना चाहिये । अगर संविधान की मूल भावना पर प्रहार होता है, राष्ट्र की अवमानना का कार्य होता है, हमारी जो राष्ट्रीय विभूतियां हैं जैसे कि मा0 चन्द्र शेखर आजाद और मा0 भगत सिंह, इन जैसे लोगों को वहां आतंकवादियों के रूप में बच्चों के सामने प्रकट किया जाता है । इस संबंध में आप सरकार को सावधान करें और निर्देशित करें कि हमारे देश का कोई भी नागरिक जो ऐसा कार्य करता है या कोई विद्यालय अपने यहां के बच्चों को ऐसी शिक्षा देता है तो यह राष्ट्रद्रोही है और वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता है ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे देश का कोई भी नागरिक "गीता", "रामायण" जैसी पुस्तक की तो अवमानना कर सकता है लेकिन उसको यह अधिकार नहीं है कि वह हमारे 'संविधान' की अवमानना करे । यहां हिन्दुस्तान में रहने वाला हर नागरिक यदि भारत के संविधान को नहीं मानता है तो उसे हिन्दुस्तान की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है । यह सही है कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की बात को दर्शाया गया है, स्वतंत्रता परिवार की हो सकती है, स्वतंत्रता अधिकार और कर्तव्य को हो सकती है किन्तु यदि कोई नागरिक संविधान और राष्ट्र का अपमान करता है तो वह यहां का नागरिक नहीं कहा जा सकता है । और हमारे उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में लामार्टीनियर ब्याज स्कूल और लामार्टीनियर गर्ल्स कालेज जहां राष्ट्रीय ध्वज को न माना जाय, यह केवल दुख का विषय नहीं है बल्कि यह चिन्ता की बात है कि इसके पीछे उनकी मूल भावना क्या है ? यह क्यों नहीं राष्ट्रीय भावनाओं को मानते हैं ? जबकि यह विद्यालय हिन्दुस्तान की धरती पर उत्तर प्रदेश में चलते हैं और हमारे राष्ट्रध्वज को नहीं फहराते हैं और न हमारे राष्ट्रीय पर्व को ही मनाते हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इस विषय में इस कालेज में यह दोनों राष्ट्रीय पर्व सदैव से न मनाना, भारत की राष्ट्रीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है । इस संबंध में सरकार के क्या विचार हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मा0 नेता विरोधी दल, मा0 उप नेता विरोधी दल तथा अन्य बहुत सारे सम्मानित सदस्यों ने एक प्रश्न उठाया और मा0 तिवारी जी ने कहा कि इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ? मान्यवर, इस संबंध में सरकार की स्पष्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नीति है, जहां तक संविधान का संबंध है, राष्ट्रीय-ध्वज का संबंध है, राष्ट्रीय पर्वों का सम्बन्ध है, स्वतंत्रता संग्राम का पूरा इतिहास जो है, उसका पालन हो कि जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया है, अगर कोई उनका अनादर करता है, सरकार किसी से जबरदस्ती तो नहीं कर सकती है, लेकिन वह भारत का नागरिक कहलाने का मुस्तहक नहीं है। इस संबंध में सरकार की यह स्पष्ट नीति है। चाहे कोई विद्यालय हो, चाहे कोई विश्वविद्यालय हो, इसके टेरीटोरियल डिमार्केशन में जितनी चीजें आती हैं जिनसे राष्ट्र बदनाम होता है उत्तर प्रदेश में, तो उसे बरदाश्त नहीं करेंगे, यह स्पष्ट नीति है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इसमें इतने सदस्यों ने हस्ताक्षर किये परन्तु लखनऊ के अन्दर ही ये विद्यालय हैं, किसी ने भी वहां जाकर रेकार्ड देखने या उसके बारे में मालूम करने की कोशिश नहीं की। लामीटीनियर गर्ल्स और ब्वायज दोनों ही विद्यालयों में 15 अगस्त और 26 जनवरी का पर्व मनाया जाता है। पिछले साल 15 अगस्त की अध्यक्षता श्री ए0 पी0 सिंह साहब ने की थी और 26 जनवरी की अध्यक्षता ब्रिगेडियर मेहरोत्रा ने की। यही नहीं मान्यवर वहां पर हर ट्यूजडे को प्लेज दी जाती है और उनकी हर प्लेज में यह कहा जाता है कि "इण्डिया इज आवर मदरलैण्ड एण्ड एवरी इण्डियन इज आवर ब्रादर एण्ड सिस्टर" कि भारतवर्ष हमारी मात्र-भूमि है और यहां के हर रहने वाले लोग हमारे भाई व बहन हैं और हमारे हर नेशनल इनटिग्रेशन डे में परेड होती है, स्काउटिंग रैलीज होती हैं। 15 अगस्त, व 26 जनवरी को और जिन किताबों के बारे में कहा गया है मान्यवर, वह किताबें अगर हम पहले उन्हें देखते पढ़ते फिर कोई निर्णय लेते। यही नहीं मान्यवर मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो किताबें इन स्कूलों में प्रेस्क्राइब्ड हैं, वह सब की सब भारत सरकार द्वारा प्रेस्क्राइब्ड की गयी हैं, वही किताबें वहां चलती हैं।

इन दो विद्यालयों का जिक्र किया गया, इस वजह से मैंने यह बात कही इनके अलावा जिन स्कूलों में इस प्रकार की बात होती है कि राष्ट्रीय ध्वज न फहराए जाएं या इन पर्वों को न मनाया जाए तो उन्हें बर्दास्त नहीं किया जायेगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी चूंकि यहां पर सिर्फ दो स्कूलों के बारे में कहा गया, इसलिए मैंने यह जरूरी समझा कि यहां की वस्तुस्थिति को सूचित कर दूं। इसलिए मान्यवर यहां कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है और यदि माननीय सदस्य इस संबंध में इन दोनों विद्यालयों के बारे में जानकारी कराना चाहें तो कोई दूर नहीं है यह लामार्टीनियर ब्वायज और गर्ल्स स्कूल, वहां से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर माननीय मंत्री जी जो सदन में कह रहे हैं, वह बिल्कुल सत्य से परे है, इन दोनों दिनों 26 जनवरी और 15 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी जाती है, इन छुट्टियों में फिर झंडे के फहराए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और झंडा फहराया किन लोगों के बीच जायेगा, सारे बच्चे अपने-अपने घरों पर होते हैं, इसलिये यह पर्व यहां पर मनाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है....

(घोर व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर गौरी भइया स्वयं जाकर पहले इन विद्यालयों में देख लें, फिर कोई निर्णय लें ।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

मान्यवर वहां इन पर्वों पर झंडा फहराया जाता है या नहीं अब प्रश्न इस बात का है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि फहराया जाता है और जब कि हम लोगों की निश्चित जानकारी है कि नहीं फहराया जाता है और माननीय मंत्री जी जो बात कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य से परे, इन दोनों बातों का निश्चित फैसला तभी हो सकता है, जब कोई जानकारी प्राप्त की जाय और अगर हम लोगों की जानकारी सही निकले तो इन विद्यालयों पर देशद्रोही होने का मुकदमा चलाया जाय । . . (घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट किया है, उससे तो हम सभी लोग असहमत नहीं हो सकते हैं, यह तो इन्होंने ठीक ही कहा लेकिन यह राष्ट्रीय पर्व वहां पर मनाये जाते हैं या नहीं यह बात विवादित रह जाती है , मा0 सदस्यों का कहना है कि यह पर्व वहां नहीं मनाये जाते हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का कहना है यह मनाये जाते हैं , तो जब तक इस पर कोई जांच नहीं हो जाती है तब तक कोई तथ्य स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सकते हैं और अगर वहां पर जांच द्वारा यह बात सामने आ जाये कि यह पर्व नहीं मनाये जाते हैं तो फिर ऐसे लोगों पर ऐसी संस्था पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए . . . (व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसेन अंसारी–

मान्यवर, क्या इन पर्वों के मनाये जाने पर किसी की अध्यक्षता की आवश्यकता पड़ती है, ... (घोर व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर श्री बुनियाद हुसैन अंसारी जो सीतापुर से ताल्लुक रखते हैं, इनको मैं सूचना देना चाहूंगा कि जो 26 जनवरी और 15 अगस्त के फंक्शन्स होते हैं । 15 अगस्त और 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व होते हैं । 29 साल का प्राचार्य की हैसियत से और 22 साल प्रिंसिपल की हैसियत से अनुभव है । उसके अंदर नेशनल एन्थम होता है, उसकी अध्यक्षता करायी जाती है । अनफर्लिंग प्रिंसिपल करता है । जैसा नेता विरोधी दल ने कहा, आप सुनें . . . . . .

[समय 1.20 बजे]

(व्यवधान)

यह प्रोग्राम है । यह लामार्टीनियर कालेज का प्रोग्राम है 2 अगस्त, 1988 का लेटर है । आप सुनें । . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सुन तो लें ।

श्री गौरी शंकर भैया–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री अम्मार रिजवी–

यह पत्र मैं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल को भेज रहा हूं । उसमें है कि 7 बजे ओपन होगा और उसके बाद सारा प्रोग्राम है । उसमें आर्डर आफ परेड है, किस तरह से प्रोसेशन जायेगा, इसका उल्लेख है । साढ़े आठ बजे अनफर्लिंग आफ नेशनल फ्लैग बाई दी प्रिंसिपल , मैसेंज इफ एनी, एड्रेस आफ चीफ गेस्ट । यह 2 अगस्त 1988 का है । तो मान्यवर, हर चीज को फर्जी नहीं समझना चाहिए । वहां के प्रिंसिपल का लेटर है, जो डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन के नाम है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

गौरी भैया , आप बतायें कि इस प्रकार कैसे काम चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भैया–

अगर यह नहीं होता है, तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए । क्या दिक्कत है ।

श्री अम्मार रिजवी–

नेशनल फेस्टिवल के रूप में इनको वहां पर मनाया जाता है, रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को कहते हैं, इन्डिपेन्डेन्ट डे, 15 अगस्त को कहते हैं । यह दोनों कालेज में मनाये जाते हैं । मैं चाहूंगा कि गौरी शंकर भैया और चौधरी साहेब स्वयं चले जायें और इसकी इन्क्वायरी कर लें । यह मैं नेता विरोधी दल को दे रहा हूं और इसकी जांच वह स्वयं कर लें अगर वह नहीं होता है, तो वह सदन को बता दें । मैं इस पत्र को आपके माध्यम से भेज रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

नेता विरोधी दल इसे देख लेंगें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं चलने को तैयार हूं, इनको भी साथ करें । आप भी चले । अकेला क्यों भेज रहे हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, इस पर आपने क्या निर्णय दिया है ?

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्मार रिजवी–

चौधरी साहेब और गौरी शंकर भैया जाकर इन्क्वायरी कर लें और सदन को सूचित कर दें, तो इसमें कौन सा भ्रम है ?

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भैया–

आप हाउस की एक कमेटी बना दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसे काम नहीं चलेगा ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कहा कि गौरी भइया और श्री राम गोविन्द चौधरी प्रकरण की जांच कर लें, प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी की ओर से आया है, यह प्रस्ताव हम सभी को स्वीकार है, तो यह एक हाउस की कमेटी हो गयी, दोनों लोग जांच कर लेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी–

स्वयं जांच करें और सदन को सूचित करें । यह हाउस की कमेटी नहीं है ।

श्री राम लक्षन सदस्य विधान सभा के प्रकरण पर दिनांक 22 फरवरी 1989 को गृह मंत्री की घोषणा का कार्यान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, 22 फरवरी को राम लक्षन, विधायक के बारे में यहां पर चर्चा हुई थी, जो सी0 ओ0 उनके लिये घातक बना हुआ है, उसके बारे में सदन में उत्तेजना पैदा हुई थी । और सदन अव्यवस्थित रहा, स्थगित रहा । उसके बाद आपके कक्ष में बैठक करने के बाद एक निर्णय हुआ और उसकी घोषणा सदन में माननीय गृह मंत्री द्वारा की गई कि उसे तत्काल वहां से हटा दिया जायेगा लेकिन मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि आज तक वह सी0 ओ0 वहां से हटाया नहीं गया है । उनकी सुरक्षा का खतरा आज भी बना हुआ है । उसके बाद मान्यवर, उसमें एक कड़ी और जुड़ जाती है कि उसने कुछ स्थानीय लोगों को लेकर एक गिरोह जैसा बना लिया है श्री राम लक्षन के समर्थनों को वे वहां पर लूट रहे हैं, आग लगा रहे हैं, झोपड़ियों को उजाड़ रहे हैं । मान्यवर, इस तरह से अगर शासन की ओर से मामलों को लटकाकर रखा जायेगा तो बार-बार यहां पर इस तरह के मुद्दे उठाये जाते रहेंगे और ऐसी स्थिति पैदा होती रहेगी. . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

उनसे बात कर लेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर बात है । एक तरफ सदन में घोषणा होती है । बात तो पहले दिन भी हुई थी. .

(व्यवधान)

आपके कक्ष में बात नहीं होगी । अब सदन के फ्लोर पर ही इसका निर्णय होना चाहिए । आपके कक्ष में यह निर्णय 22 फरवरी को हुआ था और उसके बाद गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि तत्काल उस सी0 ओ0 को हटा दिया जायेगा । आज 15 मार्च हो गया है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कब तक बोलते रहेंगे, यह बता दें । इस तरह से बोलते रहेंगे तो क्या बजट पर चर्चा नहीं करनी है ? कोई समय तो होना चाहिए ।

*श्री राम लक्षन–

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र महाराजगंज में 9 मार्च को वहां के परगनाधिकारी, तहसीलदार महाराजगंज, क्षेत्राधिकारी महाराजगंज, कोतवाल महाराजगंज ये सब लोग जितने हैं, इन्होंने वहां के गरीब लोगों की छोटे-छोटे लोगों की जितनी दुकानें थीं वह सब फुंकवा दी, उनकी दुकानें लुटवा दीं, जला दीं और वहां जब मैं देखने के लिए गया तो 10 हजार लोगों की वहां पर भीड़ हुई और मुझे घेरने के लिए परगनाधिकारी महाराजगंज ने वहां के सभी थानों पर, वहां पर 6/7 जितने थाने हैं, सभी पर वायरलेस करके पुलिस को बुलवा लिया और मुझे घेर लिया और मुझे उस क्षेत्र में नहीं जाने दिया । मान्यवर, मैं सरकार में रहता हूं, कांग्रेस का सदस्य हूं तो क्या जनता की सेवा नहीं करता हूं । हरिजनों की दुहाई यह सरकार बार-बार देती है लेकिन हरिजनों के साथ अत्याचार होता जा रहा है । मैं कहता हूं कि क्या हरिजन होना अपराध है । यदि अपराध है तो आपको इस सदन में घोषणा करनी चाहिए कि हरिजनों को हम लोग धोखा दे रहे हैं और उनके ऊपर अत्याचार करेंगे । मान्यवर, जो मेरे क्षेत्र में हो रहा है वह किसी भी सरकार के शासन में नहीं हुआ था । वहां पर गरीबों की झोपड़ियां फूंक दी गईं ।....(व्यवधान) । उनको दुकानें नहीं दी जा रही हैं । वहां पर एक कांस्टबुल है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप संसदीय कार्य मंत्री को सुन लीजिए ।

श्री राम लक्षन–

13 साल से वह वहां पर पड़ा हुआ है उसको हटाने का कष्ट करें ।.....(व्यवधान)

(संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी....(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

आप उनको पहले सुन लीजिए । उसके बाद मैं आपको बुलवा लूंगा ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है । आपकी अनुमति से माननीय राम लक्षन जी बोल रहे थे, वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाये कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हो गए, आपने उन्हें अनुमति दे दी । इसलिए पहले आप माननीय राम लक्षन जी को कह लेने दें . . . . (व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर जोर-जोर से बोलने से घोर व्यवधान)

(श्री देवेन्द्र पाण्डे के श्री राम लक्षन के पास जाने पर) यह क्या हो रहा है ? (घोर व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

उनको जबरदस्ती बैठा रहे हैं (घोर व्यवधान)

(श्री शारदा प्रताप, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री विजय सिंह राणा आदि कई माननीय सदस्यों के सदन के फ्लोर पर आ जाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

सदन को 20 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी ।)

(1 बजकट 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने एक सूचना आपको दी है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

सूचना प्राप्त हो गयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मानता हूं । इसमें मैंने इस आदरणीय सदन के दो माननीय सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है . . .

(व्यवधान)

(श्री राम लक्षन जी अपने स्थान से उठकर, उत्तेजित अवस्था में सदन के फ्लोर से होते हुए अध्यक्ष आसन तक पहुंच गये और वहां से . . . .)

श्री राम लक्षन–

[x x x]

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अपने स्थान पर आप जाएं तो जो आप चाहते हैं, वह हो रहा है ।

(विपक्ष के 7-8 सदस्य श्री रामलक्षन के समर्थन में सदन के फ्लोर में आकर बैठ जाने और नारे लगाने पर व्यवधान उत्पन्न हो गया । तत्पश्चात श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के प्रयास से सदन के फ्लोर पर बैठे सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गये)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी है, आप उसे सुन लें, शायद समाधान हो जाए । हमारे रामलक्षन जी ने सरकार और मंत्रियों के खिलाफ खुला आरोप लगाया है कि एक वरिष्ठ नेता के दबाव में उसका ट्रांसफर वहां से नहीं किया जा रहा है । जिस समय यहां पर हरिजन उत्पीड़न की बात हो रही थी, पाण्डेय जी और मिश्रा जी वहां पहुंच गये, श्री रामलक्षन के पास पहुंच गये और उन्होंने बलपूर्वक उनके हाथ से संबंधित कागज छीन लिया और बलात् उन्हें बोलने से मना किया । मान्यवर, आप हमारे नियम 63 का परन्तुक देखिये, उसमें साफ व्यवस्था है कि यदि कोई विशेषाधिकार की अवहेलना, हनन यहां पर आपके सामने होता है तो उसके लिए अलग से सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। हमें यहां पर वाक स्वातंत्र्य प्राप्त है। यह हमारा प्रीविलेज है । भारत के संविधान में यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमारे विधान सभाओं के लिए यह है कि जो हाउज आफ कामन्स के सदस्यों के थे, वही यहां के प्रिविलज होंगे ।

इस आदरणीय सदन के प्रत्येक सदस्य को वही वाक स्वतंत्र्य प्राप्त है कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर के वह अपनी बात कहे । राम लक्षन प्रसाद जी अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन उनकी बात को बलात् दबाने की कोशिश की गयी । इसलिए उनके खिलाफ हमारा विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न साफ बनता है । इसलिए आप उनके खिलाफ विशेषाधिकार अवहेलना की कार्यवाही करने की कृपा करें ।

(व्यवधान के मध्य)

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

माननीय गुप्त जी ने जो कहा है कि दो सदस्यों ने उन पर कोई जोर दबाव डाला, है, सही नहीं है । किसी माननीय सदस्य ने कोई जोर दबाव नहीं डाला है । गुप्त जी जैसे सदस्य का यह कहना शोभा नहीं देता है ।

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

जो दो सदस्यों द्वारा यहां पर इनको आतंकित किया गया अब सदन के अन्दर भी विधायक की जबान यह बन्द कर सकते हैं मुंह नोच सकते हैं..... (घोर व्यवधान) यह विशेषाधिकार का मामला बनता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आसन ग्रहण करें । (घोर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब बैठें कुछ नहीं लिखा जाएगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री रामलक्षन–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

वह वहां हैं नहीं ट्रांसफर हो गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

नेता विरोधी दल खड़े हैं आप सब बैठें ।

(घोर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

सदन व्यवस्थित रूप से चले, इसलिए मान्यवर, आपकी व्यवस्थाओं से अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए । रामलक्षन जी बोलना चाहते हैं उसको सुन लें, फिर आप निर्धारित करें विशेषाधिकार बना या नहीं ?

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब आसन ग्रहण करें ।

श्री रामलक्षन–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे साथ ज्यादती हुई है । हरिजनों के साथ ज्यादती हो रही है । यह नयी नीति बनाई गई है । हरिजनों और मोहम्डन के साथ अत्याचार हो रहा है । (घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब लोग बैठिये । मेरी बात सुनें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां जो बात हुई थी उस संबंध में अपनी बात कहना चाहते थे । उनको आप नहीं सुन रहे हैं।

(शोर)

उनकी बात सुन लें तो आपको संतोष हो जायगा । अगर कोई बात रह गयी तो मैं फिर सुन लूंगा ।

(शोर)

श्री रामलक्षन–

यह सरकार हरिजनों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात एक मिनट के लिए सुन लीजिये । समस्या का निदान होना चाहिये । समस्या को बढ़ाना नहीं चाहिये । अगर समस्या बढ़ती रही तो तमाम दिन बेकार जायगा । मा0 राम लक्षन की जरूरत पड़ेगी तो मैं सुन लूंगा मैं मना नहीं कर रहा हूं । आप संसदीय कार्य मंत्री को सुन लें आपकी उत्तेजना कम हो जायगी ।

(शोर के मध्य)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, उस सी0 ओ0 का स्थानान्तरण वहां से कर दिया गया है ।

(शोर)

उसने छुट्टी ली थी । 6 तारीख को उसको इनएबसेंशिया रिलीव कर दिया गया है और गोण्डा भेज दिया गया है । वह सी0 ओ0 वहां नहीं है ।

(श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री अशोक बाजपेयी, श्री अकबर अहमद (डम्पी), श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री हृदय नरायन दीक्षित आदि मा0 सदस्यों के सदन के फ्लोर पर आने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो जाने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को आधे घंटे के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 58 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 28 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया ।)

(2 बजकर 28 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

[समय 2.30 बजे]

श्री राम लक्षन–

माननीय उपाध्यक्ष जी, वहां महराजगंज की जांच होनी चाहिए जो लोगों का नुक्सान हुआ है उसको वापिस मिलना चाहिए और एस0 डी0 एम0, कोतवाल, तहसीलदार इन सबको वहां से हटवाना चाहिए मान्यवर, जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारे क्षेत्र की स्थिति खराब रहेगी और मैं सरकार से इस बात की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शान्ति बनायें।

श्री राम लक्षन–

हमारे साथी कुछ विधायकों ने मुझको समझाया और मेरा कोई कागज पत्र नहीं छीना था, न मुझको कुछ कहा था।

(श्री विक्रमादित्य पाण्डेय द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस समय राम लक्षन जी ने जो अपना भाषण . .

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

नेता विरोधी दल को मैंने बुलवा दिया है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब नियमों के अनुसार नेता विरोधी दल को बुलवा दिया है, अब नहीं सुनेगें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

इसके बाद अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाइयेगा जब नेता विरोधी दल बोलना बन्द कर दें। इस प्रकरण को आगे न बढ़ाइये।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, हमें मौका दीजिए, हमारी बात तो सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह हमारा अधिकार है। आप अधिकारों को इस तरह से न छीनिये। आप मान्यवर, सिर्फ सुन लें। मान्यवर, अभी माननीय राम लक्षन जी ने जो अन्त में वाक्य कहें हैं, आपने भी सुना होगा। पूरे सदन ने अपनी आंखों से देखा जिस तरह की छीनाझपटी हुई थी। जब छीना झपटी पूरे सदन के सामने हुई तो उनके ही बयानों के आधार पर पर्दा डालने का औचित्य नहीं पैदा होता है अगर एक अधिकारी जिसने एक विधायक का हाथ पकड़ लिया तो कटघरे में खड़ा किया जा सकता है तो मैं निवेदन करता हूं कि जिन विधायकों ने छीनाझपटी की है पूरे सदन के सामने की है उनको भी कटघरे में लाकर खड़ा करना चाहिए। आप एक तरफ तो हमको नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने जो एक व्यवस्था उठायी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जब कोई छीनाझपटी नही हुई, कोई बात नही हुई तो आप काहे को कह रहे हैं। जब उन्होंने खुद कह दिया है कि कोई छीनाझपटी नहीं हुई है, कोई बात नही हुई है तो क्या बात रह गयी है?

(घोर व्यवधान)

आप नेता विरोधी दल को बोलने दें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने, जयदीप सिंह बरार जी ने और तिवारी जी ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है । जो सूचना दी गई है,

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

वह सूचना समाप्त हो गयी। जब उन्होंने मना कर दिया तो अब कोई सूचना नही है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, उनसे मना करवा लिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

किसी ने कुछ नहीं कहलवाया। आसन ग्रहण करें। नेता विरोधी दल को बोलने दें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, आप हमारी सूचना सुन लें और उसके बाद अस्वीकार करना चाहें तो अस्वीकार कर दें।

श्री उपाध्यक्ष–

अस्वीकार का तो सवाल ही नहीं है। इन्होंने खुद ही मना कर दिया।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, यदि सदन के समक्ष कोई बात हुई हो तो यह हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है . .

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक सूचना मेरी भी है। मेरी सूचना पर कोई निर्णय देने से पहले मेरी प्रार्थना है कि एक मिनट मुझे दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

अब तो उन्होंने मना कर दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, राम लक्षन प्रसाद जी ने दो मामले दिये। पहला यह कि दबाव डाला और दूसरा जिस ढंग से दिया बार-बार रुक-रुक कर, यह इस सरकार के घिनौने चरित्र को उजागर करता है। इनके नेताओं ने दबाव डाल कर. . .

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बात को बढ़ावें नहीं।

*श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, सदन के विशेषाधिकार का मामला दूसरा है और अवमानना का मामला दूसरा है। सदन की जो अवमानना हुई है, उस हमारी विशेषाधिकार भंग को अस्वी-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार कर दें, हम मान लेंगे, लेकिन सदन के अधिकारों को हमे भी तथा आपको भी सुरक्षित रखना चाहिए। इस मामले में सदन का अवमानना सदन के समक्ष हुआ है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

बात को खतम करें, यही उचित होगा।

(घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

(घोर व्यवधान) मान्यवर, मैं समझूंगा कि मा0 सदस्य को तो आतंकित किया ही गया है, [xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

जिस प्रकरण की आपने सूचना दी थी, वह समाप्त हो गया है।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, वाणी की स्वतंत्रता हम सबको प्राप्त है। मा0 सदस्य ने अपनी व्यथा को आपसे कहना चाहता, आपने स्वयं देखा कि सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने उनको पकड़ने का प्रयास किया। तो प्रश्न यह है कि यह जो सदन में हुआ, सदन की मर्यादा के विपरीत हुआ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 नेता विरोधी दल को बोलने दें। राम लक्षन जी ने अपनी बात कह दी।

(घोर व्यवधान)

श्री राम लक्षन–

मा0 उपाध्यक्ष, जी, आप यह बात सदन में बताने का कष्ट करें कि सी0 ओ0 का ट्रान्सफर गोण्डा में हो गया है और वह अब गोरखपुर में नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

राम लक्षन जी अभी बात हो रही है। अभी आपकी बात कर रहे हैं। आप बैठ तो जायं।

श्री राम लक्षन–

मान्यवर, आप सदन को आश्वस्त करें कि सी0 ओ0 महराजगंज का स्थानान्तरण गोण्डा हो गया है और वहां पर दूसरा सी0 ओ0 पोस्ट हो गया है।

(व्यवधान के मध्य)

(श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री सुखपाल पाण्डेय द्वारा खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

वर्मा जी आप बैठें, पाण्डेय जी आप बैठें, मैंने नेता विरोधी दल को बुला लिया है।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय राम लक्षन प्रसाद जी ने सदन के अन्दर व्यवधान से पहले अपनी पूरी बात कही और उसके बाद जब सदन पुनः प्रारम्भ होता है, तो उसे चाहे सत्ता पक्ष का आतंक कह लीजिये, चाहे उनकी समझदारी कह लीजिए, उन्होंने दूसरी बात कह दी। लेकिन यह बात सही है कि माननीय राम लक्षन जी के साथ काफी अन्याय हुआ। यह बात साफ तौर से पहले के बयान से स्पष्ट होती है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि राम लक्षन प्रसाद जी के क्षेत्र में जिस क्षेत्राधिकारी ने आतंक मचा रखा है, उसे सरकार द्वारा केवल कागज पर हटा दिया गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह क्षेत्राधिकारी वहीं मौजूद है और उसकी जगह किसी दूसरे क्षेत्राधिकारी को तैनात नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं कि उस क्षेत्राधिकारी को केवल कागज पर ही न हटायें, बल्कि पूरे गोरखपुर की धरती से उसे हटायें और उसके स्थान पर दूसरी नियुक्ति की जाय।

दूसरी बात जो उन्होंने बताया कि काफी लोगों की दुकानें उजाड़ दी गयीं तथा उनका सामान बर्बाद कर दिया गया, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। उन लोगों ने मान्यवर, मांग की थी कि उन सारी जली हुई दुकानों के लिए कम्पेन्सेशन दिया जाय और इस घटना की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर, तथ्य सही पाये जाने पर उनको समुचित मुआवजा देने की व्यवस्था की जाय। श्री राम लक्षन जी जो इस समय चुपचाप बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्राधिकारी के अलावा, वहां के एस0 डी0 एम0, कोतवाल, तहसीलदार आदि जो पिछले 8-8, 10-10 वर्षों से [xxx] के कार्य-काल से लगे हुये हैं, जिनको उन्होंने अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये तैनात किया था, उन ऐसे लोगों को जो काफी समय से लगे हैं, वहां से हटाया जाय। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय राम लक्षन प्रसाद जी के साथ सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जो कुछ किया, जिसे माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने भी यहां कहा। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो

(इस बीच सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर जबरदस्त शोर करने का प्रयास करने पर)

(घोर व्यवधान)

जो भी उनके साथ इन सदस्यों ने किया, उसे सारे सदन ने देखा और आपने भी देखा, तो इसके लिये कम से कम इन सदस्यों को सदन में खेद प्रकट करना चाहिए।

श्री अम्मार रिजवी–

उपाध्यक्ष जी, मुझे जब आपने कुछ निवेदन करने की आज्ञा दी थी, उस समय भी मैंने सदन को सूचित किया था कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो घोषणा इस सम्बन्धित सदन में की थी, उसका अनुपालन कर दिया गया था, दूसरे ही दिन और एक तिथि भी निर्धारित कर दी गयी थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

6-3-89 को अगर वह वहां से हटते नहीं , चार्ज नहीं देते, तो उनकी अनुपस्थिति में, उनको वहां से रिलीज कर दिया जाय । क्योंकि उन्होंने 10 दिन की छुट्टी ले रखी है । 6-3 को ड्यूटी पर नहीं आये वहां के सी0 ओ0, उनको रिलीव कर दिया गया, गोंडा भेज दिया गया । माननीय नेता विरोधी दल और राम लक्षन जी ने कहा कि किसी सी0 ओ0 की वहां पोस्टिंग नहीं हुई । दूसरा सी0 ओ0 पोस्ट किया जा रहा है । उसके तुरन्त आदेश भेजे जा रहे हैं । तीसरी बात माननीय नेता विरोधी दल और राम लक्षन जी ने कही कि कुछ दुकानें वहां जलायी गयी । मान्यवर, किसी को दुकानें जलाने का या हटाने का कोई प्रश्न नहीं है । अगर कोई ऐसा अनधिकृत कार्य करता है किसी सही जगह पर लगी दुकान को हटाता है तो यह गलत काम है । इसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से, जांच बिल्कुल निष्पक्ष हो, वहां से दूर के किसी अधिकारी से हो जिसका वहां से सम्बन्ध न हो, डिवीजनल कमिश्नर फैजाबाद के द्वारा इसकी जांच करायेंगे । मान्यवर, कुछ अधिकारियों की बात कही गई, यह एक बड़ा डिटेल प्रश्न है । वार्षिक जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो नियमानुसार है रुकने का, जहां तक रुकेंगे, उसके बाद वहां से दूसरी जगह जायेंगे, कोई व्यक्ति एक जगह पर ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता है । माननीय नेता विरोधी दल से बड़ी नम्रतापूर्वक यह बात कहूंगा कि किसी व्यक्ति का नाम न लें, जो इस सदन के सदस्य नहीं है । मान्यवर, उसे कार्यवाही का हिस्सा न बनाया जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

देख लेंगे, श्री वीर बहादुर सिंह का नाम लिया था ।

श्री सत्यपाल सिंह–

वह यहां मुख्य मंत्री रह चुके हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब सदन के सदस्य नहीं हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इधर के और उधर के सम्मानित सदस्यों से आपके माध्यम से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा पौने तीन बजे हैं इस समय । कार्य स्थगन के प्रस्ताव आने हैं गृह विभाग का बजट है । साढ़े पांच हजार रु0 प्रति मिनट विधान सभा पर खर्च कर रहे हैं, उसका सदुपयोग हो यह निवेदन है । इसमें उत्तेजित होने की बात नहीं है, उसका सही उपयोग हो । मेरा तो हाथ जोड़कर यह निवेदन है ।

(व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

वर्मा जी बैठिये ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जब माननीय वर्मा जी बोलते हैं, मैं उन्हें धैर्यपूर्वक सुनता है, कभी कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया । मुझे भी अधिकार है कि अपनी बात सदन में कह

सकूं । मैं उनका आदेश सुनता हूं वे कृपया मेरा निवेदन सुन लें । आपसे निवेदन है, माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन है कि इस प्रकरण को अब समाप्त करें । सरकार इस पर उचित कार्यवाही करेगी। जो कार्य स्थगन और औचित्य के बाकी हैं इन आइटम का एजेन्डा आप लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी आपको क्या कहना है अपनी सूचना के संबंध में ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसको मैं कल प्रस्तुत करूंगा।

(मद संख्या-4 पुकारे जाने पर)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरा भी औचित्य का प्रश्न था ।

श्री उपाध्यक्ष–

कल दे दीजियेगा।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 फरवरी, 1989 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 फरवरी, 1989 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 मार्च, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

जनपद लखनऊ की इन्दिरा नगर कालोनी के सी0 ब्लाक में एच0 ए0 एल0 से चर्च की ओर जाने वाली सड़क के दोनों पटरियों पर खड़ंजा लगवाने, नालियों पर सीमेन्ट कांक्रीट के ढक्कन लगवाने एवं समुचित प्रकाश की व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री प्रेम चन्द्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

*श्री किशन लाल–

मान्यवर, आपकी अनुमति से, जनपद लखनऊ की इंदिरा नगर कालोनी के सी0 ब्लाक में एच0 ए0 एल0 से चर्च की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर पटरियों पर खड़ंजा लगवाने, नालियों पर सीमेन्ट कांक्रीट के ढक्कन लगवाने एवं समुचित प्रकाश की व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री प्रेम चन्द्र, निवासी इस्माइलगंज, पो0 चिनहट, जिला लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

---

†छापी नहीं गई है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम-56 के अंतर्गत 26 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 10 सूचनायें चयनित की गई हैं । पहली सूचना सर्वश्री शारदा प्रताप, लक्ष्मी नारायण चौधरी, सुन्दर लाल व श्री विजय सिंह राणा की बेगार न करने पर सामंतवादियों द्वारा एक हरिजन की हत्या, कई को घायल करने तथा हरिजनों के गांवों को उजाड़ देने के संबंध में है, दूसरी सूचना मयंकर सिंह जी की बहराइच जनपद में न्यायालय परिसर में अधिवक्ता एम0 एस0 एस0 अब्बासी पर थाना इन्चार्ज मिलोना द्वारा हमला किये जाने के विरोध में अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, तीसरी सूचना सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, अवनीश कुमार, धनराज यादव, औसान सिंह, हरिश्चन्द्र, हरीश जी, कल्यान सिंह व डा0 दिनेश जौहरी का प्रदेश में ईसाई मिशनिरियों द्वारा लालच के सहारे बड़े पैमाने पर धर्मान्तरण रहस्योद्घाटन करने वाले पादरी के प्राण संकट में होने, से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, चौथी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की नवसृजित जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील के अधिकारियों द्वारा बस्ती तहसील के दो विकास खण्डों का कार्य देखे जाने के संबंध में है, पांचवी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की, उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम में किये जा रहे भष्टाचार के संबंध में है, छठी सूचना श्री गोपीनाथ वर्मा जी की जनपद सुल्तानपुर पाईलेट प्रोजेक्ट सहकारी संघ, दूबेपुर द्वारा आवंटित भूमि पर पुलिस द्वारा जबरन कब्जा किये जाने के उपरान्त स्थिति के संबंध में है, सातवीं सूचना श्री राज किशोर सिंह जी की वाराणसी जनपद के थाना बड़ांगांव के ग्राम अवसानपुर में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार करने एवं उसके बाद उसकी हत्या किये जाने के संबंध में है । आठवीं सूचना श्री अशोक बाजपेयी जी की लखनऊ मे टेम्पो से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । नवीं सूचना श्री सरदार सिंह जी की मथुरा जनपद में निजी बसों की चल रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दसवीं सूचना श्री अफजल अन्सारी जी की तहसील मुहम्मदाबाद गाजीपुर में वसूली के नाम पर किसानों को उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में है ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है, इस पर कुछ नए तथ्य और प्रकाश में आये हैं, इसलिए इसे दूसरे दिन ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है ।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायें । मैंने श्री शारदा प्रताप जी को बुलवा लिया है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, 5 पर आप ध्यान आकर्षित करते हैं । इसलिए हमारी सूचना को भी ले लिया जाय ।

*श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, 26 फरवरी को बालागंज सराय थाना शेरामऊ, उत्तरी शाहजहांपुर जनपद में एक लाल कार से करीब 8 लोग बैठ कर आये थे और श्री गंगाराम हरिजन को उसके घर से कार में उठाकर ले गए और प्रसादपुर फार्म पर ले जाकर पीट-पीटकर के उसको मार दिया। इसके पूर्व विगत वर्ष में एक नरायन नाम के हरिजन को इसी फार्म पर ले जाया गया, ट्रैक्टर से बांधकर घसीटते हुए ले गये और हत्या कर दी। गंगाराम हरिजन को मारने के बाद वे लोग उसकी लाश को ट्रैक्टर में डाल कर थाने में ले गये। 27 तारीख को उसकी रपट दर्ज हुई। नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई। सत्ता पक्ष के सांसद जो शाहजहांपुर के हैं, उनके भतीजे के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई है और कई लोग उनके साथ में हैं जे0 बी0 बाबा हैं और लोग भी हैं। पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। पूरे बालागंज क्षेत्र के हरिजन क्षेत्र छोड़कर भाग रहे हैं। पुलिस ने उन अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उनके चाचा सांसद हैं और उनके पिता जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं, इसलिए पुलिस उनको संरक्षण दे रही है। यह अहम् सवाल है। इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें।

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, बंधुआ मजदूरी के शोषण और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए सरकार कहती है कि कर रही है और उसके लिए कृत संकल्प है, लेकिन यह एक ऐसी बंधुआ मजदूर की कहानी है, जिसको सुनकर दिल दहल जाता है। मैं पूरे विवरण में नहीं जाऊंगा क्योंकि माननीय शुक्ल जी बोल चुके हैं, मैं केवल 4–5 बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

यह घटना 26 तारीख को हुई है, 27 तारीख को रिपोर्ट करने के लिए गंगाराम के पिता नत्थू सिंह थाने गये लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जब वहां गये और जनता उनके सामने उपस्थित हुई तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कहने से रिपोर्ट दर्ज हुई। दूसरी बात, 500 बीघा ग्राम समाज की जमीन, जिसका पट्टा हरिजनों के नाम हो चुका है, वह जमीन प्रसाद फार्म स्वयं जोतता बोता है। इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हरिजनों को संरक्षण देने के लिए गांव में आज तक पुलिस का कोई आदमी नहीं गया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री विजय सिंह राणा–

सुन लें मान्यवर ।

मैं यह कह रहा हूं कि उस गांव में वहां पर गंगादीन के पास बन्दूक थी, पुलिस ने 1985 में लाइसेंस जब्त कर लिया था आज तक लाइसेंस नहीं मिलने दिया । वो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बंधुआ मजदूरी करने नहीं जाते हैं, उनको सताया जाता है, मारा-पीटा जाता है। यह सब क्या है ? ऐसा मालूम पड़ता है कि शाहजहांपुर में उन लोगों का अखण्ड राज्य चल रहा है और पुलिस प्रशासन नपुंसक हो गया है, डरपोक हो गया है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। इस घटना की जांच करायें। इस पर तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं।

*श्री मूलचन्द–

मान्यवर, खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 40 वर्ष मुल्क आजाद होने के बावजूद सरकार ने बेगारी एक्ट बना दिया लेकिन दुःख इस बात का है कि सरकार के ही लोग उनके ही परिवार एवं स्वयं वे बेगारी करवा रहे हैं। अगर बेगारी करने के लिए नहीं जा रहा है तो उसकी निर्मम हत्या हो रही है। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि माननीय सांसद के भतीजे और जिला परिषद् के चेयरमैन का लड़का किस प्रकार बेगारी लेते हैं। गंगाराम हरिजन अपनी भतीजी को खाना खिला रहा था, उसको बन्दूक के कुन्दों से और लाठियों से मारते हुए ले गए। ले जाकर वहां पर मार डाला। पुलिस के यहां एफ0 आई0 आर0 हुई लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है और वह सांसद पुलिस पर अपना वर्चस्व जमाये हुए है और गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। पूरे प्रदेश में यह जो भावना है, इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है इसलिए जुर्म बढ़ रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। यहां तक कि सरकार के कानूनों का भी पालन नहीं होता है। अभी-अभी आपके सामने की बात है कि एक विधायक, श्री रामलक्षन जी रो रहे थे, उन्हें यहां बोलने नहीं दिया जा रहा था। जब आप अपने समक्ष सदन में यह देख रहे हैं तो सदन के बाहर प्रदेश में और गांवों में क्या हालत होगी ? मेरा निवेदन है कि आप इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए इस पर दो घण्टे की चर्चा करा दें।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, यह घटना 26/27 फरवरी की है और आज 14 मार्च हो गई है। आज तक सदन में इसको इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि यह भरोसा था कि शायद स्थानीय प्रशासन इसमें इन्साफ दे सके। मान्यवर, इसके दो पहलू हैं, मैं स्वयं गांव में गया था, हरिजन जहां पकड़ा गया, वहां मैंने स्वयं देखा। यह कहते हैं कि कुंवर जितेन्द्र प्रसाद जो सांसद हैं, उनके भाई जैमेन्द्र प्रसाद का लड़का है जेंदी बाबा, वह सुबह-सुबह सरकारी गाड़ी पर, वह गाड़ी जो कि मेम्बर आफ पार्लियामेन्ट को दी जाती है, उस गाड़ी में बैठकर वहां जाता है और वहां से गंगाराम को, जैसा कि आप पिक्चरों में देखते हैं कि एक सामन्तवादी प्रवृत्ति का आदमी कैसे जबरदस्ती गरीब को पकड़ता है, उसी तरह से एक आदमी ने गंगाराम को पकड़ा और दूसरे ने उसकी झोपड़ी तोड़ डाली। टूटी हुई झोपड़ी अब भी वहां पर मौजूद है, वहां अब पी0 ए0 सी0 लगा दी गई है। उसे पकड़ ले गए बंधुआ मजदूरी के लिए। आपके बीस सूत्रीय कार्यक्रम का जो प्रमुख मुद्दा है कि हम बंधुआ मजदूरी नहीं करायेंगे, उसका उल्लंघन करते हुए उससे बेगार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कराई गई और चूंकि उसने इसे करने से आनाकानी की थी इसलिए उसे पीट-पीट कर मार डाला । उसका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि उसके शरीर में 12 चोटें आई थीं । पीटने के बाद जब वह मर गया तो उसे ट्राली पर लाद कर थाने पहुंचा दिया गया ।

जब उसके चाचा नत्थू ने रिपोर्ट लिखाई तब भी अगर छोटा-मोटा आदमी होता तो पुलिस उसे नहीं छोड़ती, किन्तु इस केस में पुलिस ने दबिश तक नहीं ली । गंगा राम मार डाला गया, दो आदमियों की और पिटाई की गई जो कि लखीमपुर खीरी के अस्पताल में इलाज करा रहे हैं । जहां की यह घटना है उसके चारों तरफ बालागंज सरैया, प्रसादपुर, धर्मसिंहपुरा, बरगदिया आदि गांव हैं । वहां के बुजुर्ग लोग बतलाते हैं कि हमेशा-हमेशा ये लोग उनसे बंधुआ मजदूरी करवाते हैं और मजदूर जो अपने खाने के लिए खाना ले जाते हैं उसको पेड़ पर बंधवा देते हैं जिसे कि चिड़िया और कौआ खा जाते हैं ।

सत्ता पक्ष के लोग बराबर कहते हैं कि बंधुआ मजदूरी नहीं लेंगे लेकिन ये सारे के सारे लोग उनसे बेगार लेते हैं । इस संबंध में मेरी दो स्पष्ट रूप से मांग है—पहली बात तो यह है कि जो वहां के सांसद हैं, उनके यहां बरेली मण्डल के आई0 जी0 त्रिपुरेश त्रिपाठी, जिन्हें सरकारी बंगला मिला हुआ है लेकिन बरेली मण्डल के आई0 जी0 वहां नहीं रहते हैं सरकारी बंगले में । वह आई0 जी0 साहब वहां के जो सांसद हैं, उनके बंगले में रह रहे हैं और जिस दिन यह घटना वहां पर हुई है उस दिन वह वहां पर मौजूद थे, लेकिन घटना स्थल पर गए नहीं हालांकि उसी दिन वह दो बार उन्हीं सांसद साहब के घर पर गए थे और जिला प्रशासन से यह सांठ-गांठ कर रखी है कि उन बड़े लोगों के प्रति कोई कदम न उठाया जाए, यह वह पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस घटना पर मैं किसी भी कर्मचारी व अधिकारी का निलम्बन नहीं मांग रहा हूं और न ट्रांसफर मैं सिर्फ यह मांग रहा हूं ताकि सही ढंग से इंसाफ हो सके, इसके लिए केवल सी0 आई0 डी0 जांच करा दें ।

और दूसरी बात यह कि जिन लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, बेगार लिया जा रहा है और जैसा कि राणा साहब ने कहा कि वहां पर जिन हरिजनों को जमीन के पट्टे दिए गए थे, वह सारे के सारे अपने कब्जे में कर रखे हैं और उन गरीब हरिजनों को उस जमीन पर बोने और जोतने नहीं दे रहे हैं, इसकी जांच आई0 जी0 बरेली से नहीं, बल्कि हरिजन आई0 जी0 या डी0 आई0 जी0 सेल से करा दें ताकि...

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, ठीक है.....(व्यवधान)

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)—

मान्यवर जिस घटना की तरफ माननीय नेता विरोधी दल व अन्य माननीय सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट कराया है.....(एक साथ कई मा0 सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, कल माननीय मंत्री जी कह रही थीं कि इस मामले में सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी कराना मेरे बस की बात नहीं है फिर यह कैसे क्या कहने जा रहे हैं.....(घोर व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार जैसे ही यह लोग एफ0 आई0 आर0 के लिए पहुंचे हैं, तुरन्त ही इनकी एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गई है और संबंधित नियमों के तहत मुकदमा कायम किया गया है । और मैं आगे भी इस बात का आश्वासन देता हूं कि इसी प्रकार से सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी और अगर आप कहते हैं तो सी0 आई0 डी0 जांच भी करा दी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

(बहुत जोर से चिल्लाते हुए) अब तक आपने कौन सी सख्त से सख्त कार्यवाही की है ?....(घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर सी0 आई0 डी0 जांच के सिलसिले में माननीय संसदीय कार्य मंत्री एक कैबनेट मंत्री की हैसियत से आश्वासन दें दें और दूसरी बात यह कि जो हरिजनों पर जुल्म हो रहे हैं, उनसे बेगार लिया जा रहा है, बंधुआ मजदूरी पर बाध्य किया जा रहा है और उनको उनके पट्टों पर कब्जा नहीं करने दिया जा रहा है क्या इसकी जांच हरिजन-आई0 जी0 या डी0 आई0 जी0 सेल से करायेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने मुझे आदेश दिए कि मैं इस संबंध में कुछ आश्वासन दूं, जिसकी आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि इनके ही आदेशों के अनुपालन में माननीय राज्य मंत्री जी ने भी कुछ कह दिया, कृपया उसे सुनें और माननीय राज्य मंत्री जी जो कहेंगे वह सरकार की तरफ से ही समझिए और समझिए कि उसे पूरी सरकार ने कहा और जो वह कह रहे हैं सिर्फ उसे ही सुनिए कृपया....

(व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा–

वह तो मैंने कह दिया कि इस मामले में सी0 आई0 डी0 जांच करा दी जायेगी और रहा दूसरा वाक्या जो आपने कहा, उसकी भी जांच हरिजन सेल से करा दी जायेगी..

(शोर)

श्री मूलचन्द्र–

तो माननीय मंत्री जी अब यह भी बता दीजिए कि क्या मृतक के परिवार वालों को मुआवजा भी देंगे ।

(शोर)

श्री सत्यपाल सिंह–

इसको स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी कहें कि बेगार, बंधुआ मजदूरी और हरिजनों को जो पट्टे दिए जाते हैं, इन मसलों की जांच वह डी0 आई0 जी0 हरिजन सेल से करा देंगे ।

श्री सईदुज्जमा–

जो उत्पीड़न है, उसकी जांच करा देंगे । पट्टों वाला तो दूसरा मामला है, उसको डी0 आई0 जी0 कैसे कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

जो मृतक है, उसके परिवार के लिए मुआवजा देने की बात रह गई । जब किसी हरिजन की हत्या होती है और नामजद रिपोर्ट होती है, तो उसके परिवार वालों को 20 हजार रुपया मुआवजा दिया जाता है, माननीय मंत्री जी इसकी भी घोषणा कर दें ।

श्री सईदुज्जमा–

पहले इसकी जो विवेचना है वह पूरी हो जाए, तो हम पूरे प्रकरण पर विचार कर लेंगे । हमने दोनों बातों को मान लिया है । हरिजन सेल से जांच करा देंगे।

श्री सत्यपाल सिंह–

मुआवजा देने में आपको क्या कठिनाई है, उसके घर में अंधी मां है, उसका देखने वाला कोई नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

करा दीजिए ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि उसको देखकर जो हो सकता है, वह कर दिया जायेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी को हिन्दी का ज्ञान नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जांच करने के उपरान्त मृतक जिन्दा हो जायेगा, तब वह मुआवजा की घोषणा करेंगे । मुआवजा देने का संबंध जांच से क्या है । क्या वह जिन्दा हो जायेगा, जब एफ0 आई0 आर0 हो गई और नामजद हो गई, तो मुआवजा की घोषणा करने में आपको क्या दिक्कत है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मृतक को मुआवजा देने की बात कही है, उसको दिलवा दें ।

श्री सईदुज्जमा–

हमारी हमदर्दी उसके साथ है, और जरूर मदद की जायेगी ।

***श्री मयंकर सिंह–**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 मार्च को बहराइच दीवानी कचेहरी में गिलौला थाने के एस0 ओ0 कनौजिया आये, सादी वर्दी में 5-6 असमाजिक लोगों के साथ आये और वहां पर बच्छ राज और बच्छ राम को पकड़ लिया । यह लोग मुंह बन्द करके सादे कपड़े पहन कर गये थे और उनको पकड़ कर उठा ले आये । उन लोगों ने आवाज लगायी कि मेरी जान का खतरा है, मेरी हत्या कर दी जायेगी । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उसी न्यायालय परिसर में 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति को 6-7 असमाजिक तत्व पकड़ ले गये थे और उसकी हत्या कर दी थी । उसकी गर्दन को भाले की नोक पर रखकर घुमाया था, 2 घन्टे तक घुमाते रहे और फिर उसी प्रकार का कान्ड दो मार्च को घटित हुआ । उन लोगों की आवाज सुनकर वहां पर अधिवक्ता, उनके मुन्शी और वादकारी पहुंच गये और उन्होंने उनको छुड़ाने का प्रत्यत्न किया । वहां पर वहां के सीनियर एडवोकेट श्री एम0 एम0 एस0 अब्बासी जो जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, पहुंच गये तो एस0 ओ0 कनौजिया ने अपना सर्विस रिवाल्वर उनके ऊपर तान दिया । वह कांग्रेस के जिला महामंत्री हैं । उन्होंने कहा कि इस शाले को गोली मार दो । फिर उसने कमरा बन्द कर लिया । और वह डिस्ट्रक्ट जज के कमरे में बन्द रहा।

उस समय वहां पर सी0 ओ0 और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे । डिस्ट्रक्ट जज तथा अन्य लोगों ने कहा कि कनौजिया नशे में धुत है उनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 होनी चाहिए और इसका डाक्टरी मुआयना होना चाहिए । महामंत्री के कहने पर और एम0 एस0 एस0 अब्बासी जो कि भुक्तभोगी थे, उनके कहने पर एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं करायी गई और न ही उनका डाक्टरी मुआयना कराया गया . . . (व्यवधान) मान्यवर, पूरे बहराइच में 2 मार्च से लेकर आज यानी 15 मार्च तक हड़ताल चल रही है और इसका असर बाराबंकी में, गोण्डा में, फैजाबाद में भी हुआ है। इस प्रकार पूरे प्रदेश में यह अधिवक्ताओं की हड़ताल होने वाली है। इस सम्बन्ध में पहले भी वहां पर एक समझौता हुआ था कि न्यायालय के परिसर से कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जायेगा लेकिन फिर भी वहां पर इस पर दो घन्टे की चर्चा आप करायें। यह सम्मानित अधिवक्ताओं का प्रश्न है . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

केवल ग्राह्यता पर सुन रहा हूं। अब आप बैठें।

श्री मयंकर सिंह–

आप संबंधित सी0 ओ0 को धारा 307 के अन्तर्गत गिरफ्तार करें ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, यह गम्भीर मसला है। इस पूरे प्रकरण की जानकारी करायी जा रही है और उसके बाद अवश्य जो जरूरी कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप जरा जल्दी न कीजियेगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप ही हिसाब लगा लीजिये कि कितना समय हो गया है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं एक कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचना आपको दिये हूं जिसमें माननीय कल्याण सिंह, माननीय हरीश जी, माननीय अवनीश कुमार, माननीय धनराज यादव, माननीय आंसान सिंह तथा माननीय डाक्टर दिनेश जौहरी ने संयुक्त रूप से एक गम्भीर मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मान्यवर, मेरे पास इस गम्भीर मामले के पुष्टिकारक प्रमाण भी मौजूद हैं। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से सीतापुर, हरदोई, मैनपुरी, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर को केन्द्र बनाकर ईसाई मिशनरियों द्वारा बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में धर्मान्तरण कराने की गति-विधियां चल रही है। यह कार्य मुख्य रूप से "दि फ्रीबिल वैस्टस्ट चर्च आफ इंडिया" द्वारा किया जा रहा है।

इसी चर्चा के एक पादरी जिन्होंने अब हिन्दू धर्म में अपना प्रत्यावर्तन कर लिया है इनका नाम है–श्री फ्रांसिस जैवियर। ये पहले नागालैण्ड में चर्च में थे और अब इनका ट्रांसफर मेरठ में कर दिया गया है। इनसे कहा गया कि यहां पर एक विद्यालय की स्थापना करनी है क्योंकि इससे विदेशों से धन, शिक्षा तथा सेवा के नाम पर मिल जाता है। उनसे यह भी कहा गया कि तुमको प्रति माह 40 लोगों का धर्मान्तरण करना है। मान्यवर, यह सुनिश्चित मेरी जानकारी है कि चर्च के द्वारा प्रदेश में सक्रिय ईसाई मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य सेवा भावना और गरीबों की प्रगति न होकर धर्मान्तरण करना है। जब मिशनरी धर्मान्तरण करने में सफल हो जाते हैं तब वह राष्ट्रान्तरण के लिए प्रयास करते हैं। छल और कपट से होने वाले यह धर्मान्तरण हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय एकता-अखण्डता के लिए गम्भीर खतरा है। मान्यवर, अभी तक यह चर्च हरिजनों का धर्मान्तरण करती थी परन्तु अब चर्च ने "आपरेशन सवर्ण" नाम से सवर्ण हिन्दुओं के धर्मान्तरण की मुहिम चलाई है।

मान्यवर, मेरे पास एक पत्र है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यह चर्च विद्यालयों को आर्थिक सहायता ही इस शर्त पर देते हैं वह लोगों को ईसाई बनावें। भोगाव, मैनपुरी स्थित इमेन्युल स्कूल इन गतिविधियों का केन्द्र है। पत्र श्री धर्मेन्द्र को लिखा गया है। धर्मेन्द्र ने काम से मना किया तो उस पर प्राणघातक हमला किया गया। श्री जैवियर ने जब से यह रहस्योद्घाटन किया है मिशनरियों की ओर से उन्हें प्रताड़ना दी जा रही है, उनको मारने की धमकी मिल रही है उनकी जानमाल संकट में है उनको धमकी दी गयी है कि जान से मार डाले जाओगे तथा लाश भी नहीं मिलेगी। श्री

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जीवियर छिप कर घूम रहे हैं। उन्होंने डी0 एम0 मेरठ और एस0 एस0 पी0 मेरठ को लिखकर दिया है। उन्होंने गृह मंत्री को भी लिख कर दिया है लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया गया और उनको कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। उन्होंने फिर कहा है कि अगर उनको संरक्षण नहीं दिया गया तो मजबूर होकर आत्मदाह कर लेंगे।

मैं अब मैनपुरी की बात कहना चाहता हूं। मेरे पास एक पत्र है जिसकी फोटो स्टेट कापी मैंने आपको भी दी है मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। मैनपुरी में एम्यूनिल स्कूल खोल रखा है वहां इसाई धर्म का प्रचार हो रहा है। इस सम्बन्ध में एक पत्र धर्मेन्द्र भारती को लिखा है। यह पत्र है एम0 ए0 थोम्सन एसिस्टेंट मैनेजर का।

श्री उपाध्यक्ष–

गुप्ता जी इस पत्र को मंत्री जी को भेज दीजिये। अब इसे समाप्त करिये। सिर्फ ग्राह्यता पर बोलना है . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने इसकी कापी आपको दे दी है। इसमें उन्होंने लिखा है "प्रिय धर्मेन्द्र भारती प्रभू ईशु के पवित्र नाम में हमारा आपको नमस्कार। दीगर हाल यह है कि तुम अपने कार्य में सफलता पा रहे होगे। भाई यदि आप 500 लोगों के धर्मान्तरण हेतु तैयार हैं तो हम आपको 50 हजार रुपया एवं एक अच्छा वाहन देंगे। हमें आशा है कि आप ये कार्य अवश्य करोगे। परमेश्वर आपको आशीश दे। प्रभु की महान सेवा में डा0 एम0 ए0 थोमस।

यह पत्र धर्मेन्द्र भारती को मिला है। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी प्रकाशित हुआ था । हमारे संविधान में धर्म प्रचार की सुविधा हर एक को दी गयी है लेकिन उसके आवरण में धर्मान्तरण का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस धर्मान्तरण के विरुद्ध अधिनियम भी बना दिया है। हम अपेक्षा करते थे कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी इस तरह का काम करेगी लेकिन सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। मैं सीतापुर की भी बात बताना चाहता था लेकिन समय कम है। इसीलिए मैं ज्यादा न कह कर इतना कहना चाहता हूं कि जो आदमी इन बातों को डिस्क्लोज करता है उसको प्राणघातक हमले की धमकी दी जाती है। यह मामला शून्य प्रहर में भी उठा था उस समय भी यह बात कही गयी थी . . .

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जीवियर ने जिस बात को डिस्क्लोज किया है उस पर कार्यवाही होनी चाहिए उसे मारने की धमकी दी जा रही है। इस प्रकार लोगों का धर्मान्तरण करें फिर राष्ट्रान्तरण की बात होती है इस प्रकार लोगों में राष्ट्र के प्रति निष्ठा समाप्त की जा रही है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

गुप्त जी आप समाप्त करें। हरीश जी आप भी अब न कहें काफी हो गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस प्रकार के तथ्य सामने आये हैं इन पर चर्चा होनी चाहिए।

यह तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं।

श्री हीरश्चन्द्र, हरीश जी–

सदन में जो शान्ति से बात करना चाहे उसको आप नहीं सुनेंगे। मैं दो मिनट कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष–

महत्वपूर्ण बजट है आपके लाभ के लिए ही मैं कह रहा हूं मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। गुप्ता जी ने दो मिनट कह कर 8 मिनट ले लिये।

श्री हीरश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, इस देश की संस्कृति है कि हर एक को सम्प्रदाय की, पन्त की, पूजा के प्रकार की स्वतंत्रता है। संविधान में भी इसकी पुष्टि की गयी है और मैं भी इसको स्वीकार करता हूं कि हर एक को मजहब सम्प्रदाय और पूजा के प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन जहां संविधान में स्वतंत्रता दी है वहीं इसकी रक्षा की भी गारन्टी दी गयी है। आज इसकी अवहेलना हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है वहीं हमारी सरकार इसमें लापरवाही बरत रही है। मैं आपका ध्यान कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया पर डा0 एम0 सी0 जैन कागजी ने जो लिखा है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं उनकी किताब के पेज 793 से 795 तक के बीच के कुछ अंश पर दिलाना चाहता हूं– दि लेजिस्लेशन में बि पास्ड टू रेस्ट्रक्ट एनी ड्यूजिटी एसोसियेटेड विथ यूज आफ फोर्स, फ्राइड आर इनड्यूसमेंट हिन्च माइट डिस्टर्ब इन्टर कामिनियुटी एमिटी एण्ड काज ब्रीच आफ पब्लिक पीस एण्ड आर्डर फार इंसटेंस दि ओरीसा फ्रीडम आफ रिलीजन एक्ट 1968 एण्ड दि मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968. दि ओरीसा ला फारबिड फोरीसिबल कनवर्जन एण्ड लेड डाउन नो परसन शैल कनवर्ट आर अटेम्प्ट टू कनवर्ट आइदर डाइरेक्टली आर इनडाइरेक्टली आर अदरवाइज एण्ड परसन फ्राम वन रिलीजस फेथ टू एनेदर बाई दि यूज आफ फोर्स आर बाई इड्यूसमेंट आर बाई एनी फ्राउडलेंट मीन्स, नार शैल एनी परसन अबेट एनी सच कनवर्जन

इस संविधान के शब्दों को 2 मिनट आप हमें दे दीजिए, मैं इसका हिन्दी अनुवाद कर दूं . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप इसका फायदा न उठाइये, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री हीरश्चन्द्र हरीश जी–

भारत का संविधान–डा0 एम0 सी0 जैन कागजी ने अपनी पुस्तक के 793 से 795 पृष्ठ के मध्य फ्रीडम एण्ड राइट्स (स्वतंत्रता और अधिकार) में कहा है कि बल, धोखा और प्रलोभन द्वारा किसी प्रकार का अत्याचार जो कि साम्प्रदायिक सौहार्द और सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था को भंग कर सकते हैं उनके विरुद्ध कानून बनाया जा सकता है।

उदाहरण के लिए दि उड़ीसा फ्रीडम आफ रिलीजन एक्ट, 1968 तथा मध्य प्रदेश धर्म स्वातन्त्रय अधिनियम, 1968, उड़ीसा का कानून बलपूर्वक धर्म परिवर्तन रोकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को एक धर्म और विश्वास से दूसरे धर्म और विश्वास में बल, प्रलोभन अथवा धोखाधड़ी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है और न उसके लिए प्रयत्न कर सकता है।

अतः मैं चाहता हूं, मेरे कहने का मंतव्य यह है कि आप इस गम्भीर विषय पर काम रोक कर चर्चा करायें। यदि सरकार ने इस सम्बन्ध में एक्ट या कानून न बनाया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गरीबी बढ़ती जा रही है और उससे धर्म परिवर्तन होता जाएगा और गरीबी आप रोक नहीं पायेंगे तो देश बिक जायगा।

श्री अम्मार रिजवी–

उपाध्यक्ष जी, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी और हरिचन्द्र जी ने तथा जो हस्ताक्षरकर्ता माननीय सदस्य हैं, उन्होंने धर्म परिवर्तन के बारे में यह प्रश्न उठाया कार्य स्थगन का। साथ ही साथ श्री जौवयर की सुरक्षा की बात कही। वैसे यह कार्यस्थगन का विषय नहीं बनता है। लेकिन जो दो बातें सामने आयी हैं। श्री जौवयर की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। जो बातें इसमें राजेन्द्र गुप्त जी ने लिखी हैं, जो एलीगेशंस हैं, उनकी जांच की जाएगी और जहां तक सरकार का मत है, वह बिलकुल स्पष्ट है। किसी को भी, किसी प्रकार से भी–फोर्स, लालच और लोभ देकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है न कराया जाना चाहिए। फिर भी यदि कोई करता है तो वह गलत कार्य है। इसमें पूरी कार्यवाही की जाएगी और तत्परता से हम देखेंगे। कार्य-स्थगन का यह विषय कतई नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, वह जांच करा लेंगे।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या इसी तरह एक दो लोग ही बोलते रहेंगे, आप बजट पर चर्चा नहीं कराने देना चाहते हैं। पांच आदमी चुनकर आप बैठ गये हैं, उन्हीं को अवसर देते हैं . . (व्यवधान) यह क्या परम्परा है।

श्री उपाध्यक्ष–

हम तो आप ही की बात कर रहे थे, इसमें कोई गलत परम्परा नहीं है।

[समय 3.30 बजे]

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने जो विषय कार्य-स्थगन के रूप में सदन में पेश किया है, वह बहुत गम्भीर है, मैं उसकी ग्राह्यता पर बोलने के पहले मूल विषय सदन के सामने पेश करना चाहता हूं, जिससे इसकी गम्भीरता का आपको अंदाज हो जाए। वरना उसकी गम्भीरता का ज्ञान नहीं हो सकेगा। 28 दिसम्बर, 88 को एक गजट नोटिफिकेशन सं0 4(4/76)(135–85) का हुआ है, उसमें आप देखें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिसके चलते बस्ती जिले से तीन तहसीलों का हिस्सा मिलाकर सिद्धार्थनगर का सृजन हुआ । माननीय मंत्री जी ने 29 दिसम्बर को उद्घाटन किया, जो नक्शा बनाया गया तीन ब्लाकों का, इटवा भनवापुर खनियांव, तीनों ब्लाकों को पीले रंग से नक्शे में दिखाया गया है । उस समय मान्यवर, मंत्री जी उपस्थित थे जब 28-29 तारीख को उद्घाटन हुआ तो माननीय मंत्री जी ने घोषणा किया कि इटवा को तहसील बनाया जाएगा । मुझे मंत्री जी की नियत पर कोई सन्देह नहीं है यह इटावा को तहसील बनाने का प्रस्ताव कर चुके है और बना रहे हैं । डुमरियागंज में तीन ब्लाक और दो ब्लाक बस्ती जिले से सम्बद्ध कर चुके है । डुमरिया गंज का जो स्टाफ है और एस0डी0एम0 तथा तहसीलदार यह तीन ब्लाक का काम देख रहे हैं । दो ब्लाक, 249 गांव हैं जो बस्ती की सदर तहसील से सम्बद्ध कर दिये गये जिससे क्षेत्राधिकार का प्रश्न उपस्थित हो गया है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम आदि के जो मामले है उनका क्षेत्राधिकार डुमरिया गंज एस0डी0एम0 को प्राप्त है ।

इटावा तहसील एस0 डी0 एम0 बस्ती सदर के पास है। इन्होंने कोई राजाज्ञा नहीं निकाली है, कि डुमरियागंज के एस0 डी0 एम0 मुकदमों का निस्तारण कर रहे हैं । अन्त में जब मामले अपीले-कोर्ट जायेंगे तो क्षेत्राधिकार का प्रश्न उपस्थित होगा, तो दोनों विकास खण्डों के मुकदमों का क्षेत्राधिकार वर्तमान एस0 डी0 एम0 के पास न जाकर सब फैसले निरस्त समझे जायेंगे तो इस तरह का वैधानिक संकट उत्पन्न हो जायेगा । इस संबंध में मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया । आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं मेरा कहना है कि इटवा तहसील का नोटीफिकेशन हो सकता है इटवा को नोटीफाई कर दिया जाए । रामनगर डुमरियागंज में अपने आप शामिल हो जायेगा और क्षेत्राधिकार का तो विवाद न्यायालय में में उपस्थित होगा तो वह स्थिति स्वत: ही समाप्त हो जायेगी । अभी मंत्री जी खड़े हो जायेंगे और कहेंगे कि राजाज्ञा निकाल दिया । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि राजाज्ञा निकाल दी है । मान्यवर, कम्पीटेन्ट अथारिटी राजाज्ञा से नहीं हुआ करती है यह गजट नोटीफिकेशन से हुआ करती है । 28 दिसम्बर के बाद के गजट में नोटीफिकेशन नहीं हुआ । मेरा पूर्ण विश्वास है माननीय मंत्री जी अभी घोषणा करेंगे कि इटवा को तहसील बनाने जा रहे हैं, तो क्षेत्राधिकार का सारा झगड़ा ही खतम हो जायेगा।

श्री माता प्रसाद (राजस्व मंत्री)–

डुमरियागंज में दो ब्लाक रहे हैं, डुमरियागंज बस्ती में शामिल है । तीन ब्लाक सिद्धार्थनगर में मिलाए गये हैं । डुमरियागंज ब्लाक और दूसरे ब्लाक बस्ती जिले में हैं । तीन ब्लाक जो सिद्धार्थनगर में हैं उनकी तहसील डुमरियागंज है । डुमरियागंज तहसील के लोग तीनों ब्लाकों का काम सिद्धार्थनगर में देखते श्रीमन्, रुदौली डुमरियागंज बस्ती में शामिल है । इटवा को तहसील बनाने की जो घोषणा की है वह सही है, लेकिन डुमरियागंज में बड़ा भारी आन्दोलन चल रहा है वहां के सांसद श्री काजी जलील अब्बासी ने 103 ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर कराकर एक प्रार्थना-पत्र दिया । वह चाहते हैं कि डुमरियागंज सिद्धार्थनगर में शामिल कर लिया जाय । हमारे कुछ माननीय विधायक हैं उनकी इच्छा है कि डुमरियागंज बस्ती में रहने दिया जाय । इस संबंध में 103 ग्राम

प्रधानों के हस्ताक्षर करवाकर जो पत्र दिया गया था उसको मैंने कमिश्नर, गोरखपुर के पास भेज दिया है कि वह सत्यापित करें कि वास्तव में डुमरियागंज के लोग बस्ती में रहना चाहते हैं या सिद्धार्थनगर में । हमें पता चला है कि 12 तारीख को कमिश्नर वहां गये थे उन्होंने कुछ जानकारी प्राप्त की है । अभी वह जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हुई है । यद्यपि इटवा को तहसील बनाने का निश्चय कर लिया गया है लेकिन अगर डुमरियागंज सिद्धार्थनगर में शामिल होता है, व इटवा पहले डुमरियागंज में शामिल था तो वह शामिल रहेगा और उसमें पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ेगी कि इसको तहसील बनाया जाय कि नहीं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, क्षेत्राधिकार के बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है । आप गजट नोटीफिकेशन करिये।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह दोनों माता प्रसाद के आपसी झगड़े का मामला है । आप इसमें समय क्यों खराब कर रहे हैं ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम आजकल करोड़ों रुपयों के गबन, करोड़ों रुपये के घपले और राजस्व चोरी में लिप्त है ।

*श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जिस प्रकरण का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं उस तरह का मामला हाईकोर्ट में रिट की शक्ल में मौजूद है । मान्यवर, क्या जो मामला रिट की शक्ल में हाईकोर्ट में मौजूद हो उसमें यहां कांगनीजेंस लिया जा सकता है। इसको धारा-56 में यहां नहीं लाया जा सकता है? यह मामला सबजुडिस है। क्या इसको सदन में लाया जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष–

अगर यह मामला कोर्ट में है तो यहां नहीं लाया जा सकता है।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मधुकर सिंह वर्सेज राज्य खनिज विकास निगम की एक रिट संख्या 6677/88 पेंडिंग है। इस पर बहस नहीं हो सकती।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह प्रकरण जो है यह 25-4-88 को सदन में आया था और उस समय इस पीठ से फैसला हुआ है। मधुकर सिंह बनाम खनिज निगम, यह रिट चल रही है, इसका नंबर 6677/88 है। तो जब तक यह निस्तारित न हो जाय तब तक कोई बात नहीं की जा सकती । मेरा अनुरोध है कि यह मामला सबजुडिस है। इस पर चर्चा नहीं हो सकती है और न इसको यहां पर लाया जा सकता है जब तक कि इस रिट का फैसला न हो जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मैं उस सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं। मैं तो नयी बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर यह मामला कोर्ट में है तो चर्चा यहां नहीं हो सकती है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, अल्मोड़ा में टंगस्टन मिला है। इसके बारे में खनिज विकास निगम ने इसके कांट ेन्टस जरमनी की फर्म को जांच के लिए भेजे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं पहले इसे देख लूं तब बात करूंगा।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय सदस्य को कक्ष में बुला लें।

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे पता नहीं था कि यह कोर्ट में है। यदि पता चलता तो मैं नहीं लेता। एसा है, आप आ जाइये कक्ष में, मैं उसे देख लूंगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

खनिज विकास निगम के कुछ मुकदमें अदालत में विचाराधीन हो सकते हैं, लेकिन इसी कारण से यहां पर खनिज विकास निगम को कोई मामला उठेगा ही नहीं, यह व्यवस्था आपको नहीं देनी चाहिए। श्री रघुबर दयाल वर्मा ने जो नोटिस दिया है, यदि उस नोटिस से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन हो, तभी उसे सब-जूडिस माना जाना चाहिए और तभी हाउस में चर्चा नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे यह कहां मालूम है कि कोर्ट में कौन सा हिस्सा है और कोर्ट में कौन सा हिस्सा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मैं माननीय तिवारी जी की बात से पूर्णतया सहमत हूं। अगर वह कोर्ट में मामला है, तो उसे यहां पर उठाया नहीं जा सकता।

(घोर व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, 8 फरवरी, 1989 को. . .

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष–

दोनों चीजें मंगवाकर देख लूंगा, तब उसके बाद निर्णय लूंगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

हमारी बात तो मान्यवर सुन लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

हमें पता नहीं है, आपको कक्ष में बुलवाकर फाइल को देख लूंगा, तभी इस पर निर्णय लूंगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायगा। नहीं लिखा जायगा।

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या फैसला दिया?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं पत्रावली देख लूंगा, तब उसके बाद बात करूंगा।

(व्यवधान)

(श्री गोपीनाथ वर्मा और श्री अनुग्रह नारायण सिंह एक साथ खड़े होकर बोलते रहे, जो व्यवधान के मध्य साफ सुनाई नहीं पड़ा।)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, अन्सारी साहब की सूचना 10 वें नम्बर पर है, इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

10वीं सूचना वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय गोपी नाथ वर्मा की सूचना को भी वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, माननीय गोपी नाथ वर्मा की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया ।

(व्यवधान)

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह की सूचना पर भी वक्तव्य स्वीकार कर लिया।

वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (पुलिस)

*गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,61,57,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं इसको अपना सौभाग्य समझती हूं कि आज उत्तर प्रदेश के गृह विभाग पुलिस का यह आज अनुदान प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इतना विशाल हमारा यह उत्तर प्रदेश जिसने केवल यहीं नहीं संसार में अपना नाम स्थापित किया है हमारे संस्कार से, हमारी मर्यादा से, हमारी संस्कृति से और आज उसका बजट प्रस्तुत करने का बहुत बड़ा अवसर मिला है। हमें पूर्ण विश्वास और आशा ही नहीं है कि जो हमारे माननीय सदस्य सामने बैठे हैं जो हमारे सहयोगी हैं हमारे देश के विकास के लिए किसी प्रकार की बाधा नहीं करेंगे पूरा सहयोग देकर बल्कि उसको बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है शान्ति और व्यवस्था की। अगर शान्ति व्यवस्था नहीं है तो चाहे कितना धन लगाया जाय, चाहे कितनी योजनाएं बनायी जाय, चाहे कितने हमारे अच्छे मंसूबे क्यों न हो परन्तु अगर वह वातावरण नहीं है, अगर वह स्थिति नहीं है, अगर वह माहौल नहीं है तो कितना भी हम करें, उस रुपये का सदुपयोग (इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए) नहीं होगा, मितव्ययता से उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जनता के खून पसीने की कमाई से रुपया हमारे पास आता है यह हम सबको विदित है। वह जो बजट का रुपया होता है हम देखे कि कहां वह फिजूलखर्च होता है, कहां उसका दुरुपयोग होता है और कहां हम बचा सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा विकास अपने प्रदेश का हो सके, योजनाएं हमारी सफल हो सकें।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की समस्याएं और प्रदेशों से अधिक जटिल हैं। इतना विशाल प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी 13 करोड़ से ऊपर जिसके एक तरफ नेपाल की सीमा जहां पर कई तरह की गतिविधियां होती है उस पर ध्यान रखने की जरूरत है, बीहड़ प्रदेश, दुर्गम प्रदेश जहां से तरह तरह तस्करी होती रहती है इसके अलावा बहुत सी चीजें जिनका सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ इतनी घनी आबादी है उसमें तरह तरह के सम्प्रदाय तरह तरह के लोग उनकी अलग अलग समस्याएं हैं जो सर्वविदित है और हमारा कर्तव्य है कि हमारा कानून जिन संविधान के निर्माताओं ने बनाया था उनके स्वप्न को साकार करें हमने और आपने जिन्होंने शपथ ली है उसको साकार करें और हमें उस रास्ते पर चलना है। मान्यवर, इसके साथ-साथ हम देखते हैं शिक्षार्थियों को, हमारे शिक्षार्थी हैं उनके मन में बहुत उत्साह है वह चाहते हैं कि दुनिया में कुछ करके दिखा सके पर बहुत कारण है जिसमें पूरी चीजें नहीं हो पाती हैं तो उनके मन में काफी रोष होना भी स्वाभाविक है कभी-कभी यह भी होता है कि किसी तरह से शान्ति व्यवस्था स्थापित कर ली जाय लेकिन कभी-कभी अनुशासन का वातावरण बन जाता है।

पुलिस ने शान्ति व्यवस्था का अपना माहौल तैयार करेगी इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। साथ ही साथ हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहां आतंकवाद और उग्रवाद का गठन हो रहा है तो इसमें पुलिस का मुस्तैद होना आवश्यक है जिससे बराबर प्रयास किया जाय।

आज इस माहौल में, इस विशाल आबादी में, इस विशाल आकार में, भौगोलिक स्थिति में हमने उत्तर प्रदेश की जनता से जो वायदे किये थे, उनको किस तीव्र गति से लागू किया जा सका, यह चुनौती है । चुनौती यह नहीं है, विरोधी दल के मा0 सदस्य हमारे सहयोगी हैं । चुनौती यह है कि जो योजनाएं बनाई गयीं, उनसे ईमानदारी से, तराजू से देख कर उस दिशा में तीव्र गति से आगे जा रहे हैं । मान्यवर, कुछ चीजें मैं अवश्य रखना चाहूंगी । कमियां हमारी पुलिस में जरूर हैं। बहुत सी कमियां हैं । सदन में तरह-तरह की गूंज होती है, हमारे मा0 सदस्यों को चोट लगती है, मानसिक और शारीरिक चोट लगी है, चोट हम लोगों को भी लगती है । हमारे किसी साथी को लगती है तो उनसे कम कष्ट हमको नहीं होता है । साथ ही जो लोकतांत्रिक पद्धति है उसकी मर्यादाओं की सीमा में हमें काम करना होता है । जो जगह-जगह क्षेत्रों से गूंज उठती है, जाहिर है कि पुलिस में कमी है। मैं स्वीकार करती हूं । हम सबको हर स्तर पर पुलिस की दक्षता में कभी-कभी जो कमी है, उसको जरूर दूर करना है और सदन के सभी सदस्यों से कहना चाहती हूं, यह हमारा दृढ़ संकल्प है कि इसमें सुधार लाने में कोई मा0 सदस्य कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में अपने सुझाव लाएं, हम कन्धे से कन्धा मिलाकर दिखायेंगे कि इसमें सुधार होता है । इसके साथ ही हमारे कुछ कार्य हुए हैं जिनकी ओर मैं मा0 सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी ।

अभी हमारा महाकुम्भ हुआ । मान्यवर, आप सभी जानते हैं कि आज प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, सारे संसार में इस शताब्दी का बड़ा कुम्भ का आयोजन हुआ । इसमें डेढ़ करोड़ श्रद्धालु गये, सन्यासी गये और हर वर्ग के लोग गये । इतना बड़ा जो आयोजन किया गया, वह सफल हुआ, लेकिन खुशी की बात यह है कि लोगों ने कहा कि इसमें पुलिस ने अपने व्यवहार से शिष्टाचार और नम्रता, जिन शब्दों को पुलिस के साथ नहीं जोड़ा जाता है, वहां पुलिस ने अच्छी तरह से साबित कर दिया है कि पुलिस के पास भी हृदय है । उसने मंथन करके निकाला है। पुलिस ने प्रमाण रख दिया है कि पुलिस ने व्यवहार और दक्षता से लोगों का हृदय जीत लिया है । शायद गंगा के पवित्र घाट पर उन्होंने विचार किया होगा । मैं चाहती हूं कि उस चीज को आगे बढ़ाया जाय और पुलिस को उस अच्छे कार्य के लिए विधायकों से निवेदन करूंगी कि इस महायुद्ध में पुलिस के जिन लोगों ने, 75 अधिकारी और 14 हजार कर्मचारियों ने मिल कर काम किया है, हमारा सदन उनके कार्य की प्रशंसा करे ताकि वह आगे कार्य करके जनता के हृदय को अपने व्यवहार से जीत सके और जो उनका फर्ज है रिपोर्ट लिखने का या और साधारण जनता का काम करने का, वह कर सके।

दूसरी बात जो आयी, 17 साल के बाद प्रदेश में चुनाव हुए । लाखों की सख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया । छोटी पंचायत स्तर से, ब्लाक से, परिषद् से नगरपालिका और नगर महापालिकाओं के चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिये, उसको मजबूत करने के लिए हुए । कहीं-कहीं छुट-पुट घटनाएं हो गयीं, लेकिन यह जो इतना बड़ा काम हुआ है, इस ऐतिहासिक घटना को नहीं भूलना चाहिए । पुलिस ने सामान्य प्रशासन बनाए रखा और शान्ति व्यवस्था बनी रही । हमारे

नेता विरोधी दल कलम चला रहे हैं, इससे सहमत होंगे और पुलिस की सराहना करेंगे । मैं तैयार हूं । इसमें कार्य अच्छा हुआ है । इसके अतिरिक्त मान्यवर, एक बात और जोड़ना चाहूंगी, खुशी की बात है कि आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और नयी तकनीक में चाहे क्लोज सर्किट हो, दूर संचार की व्यवस्था हो, सबमें आधुनिक तरीकों को अपनाकर हमने दिखा दिया है कि भारत में इन चीजों का उपयोग हम अच्छी तरह से कर सकते हैं । तरह-तरह के आन्दोलन बीच-बीच में होते रहते हैं स्वाभाविक है लोकतंत्र में रहते हैं चाहे किसान का हो, मजदूर का हो, चाहे हमारे राज्य कर्मचारियों का हो, धार्मिक हो । यह तरह-तरह की चीजें समय-समय पर होती रहती हैं । वह होती रही लेकिन अपराध नियंत्रण में रहे हैं । विशेषकर आपने देखा अतिविशिष्ट लोग प्रदेश में आये उनको हर चीज में गौरव मिला, हमारे प्रदेश को गौरव मिला, वह शांतिपूर्वक निपट गया। डकैती लूट, हत्या नकबजनी में आज कमी हुई है पिछले वर्ष की तुलना में डकैती में 17.20 प्रतिशत, लूट में 3.10 प्रतिशत और हत्या में 3.33 प्रतिशत । इन सब चीजों में कमी आयी है । हालांकि और भी सुधार हो सकता है मगर यह तथ्य है । जहां कमी है, उसे देखने की बात है, स्वीकार करने की बात है । अपराधों में और कमी आनी चाहिए । मैं आपके माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि वे इस सम्बन्ध में अपने बहुमूल्य सुझाव दें उनको ग्रहण करके देखें कि पुलिस की सर्विस को कैसे और बेटर बना सकते हैं ।

मान्यवर, प्राथमिकता है साम्प्रदायिक समस्या की । वह स्वाभाविक है । यह था कि अबकी इस साल यह चीज काफी नाजुक होगी । एक तरफ से यह लग रहा था कि अयोध्या मार्च होगा तरह-तरह के जत्थे जायेंगे उसकी तिथि नजदीक हो गयी यह हुआ कि भई यह किस प्रकार यह चीज टाली जाय खुशी की बात है, पुलिस हर तरह से तैयार थी तत्परता के साथ सतर्कता के साथ, यह चीज उस तरह नहीं पहुंची। लेकिन कुछ और घटनायें 3-4 जगहें अलीगढ़ में मुजफ्फरनगर में हुई । खतौली में हुई फैजाबाद में थोड़ी हुई । इसमें पूरी कोशिश की जायेगी कि इस पर शीघ्र से शीघ्र और काबू किया जाय ताकि ज्यादा हानि न हो । मान्यवर, साम्प्रदायिक समस्या के पीछे जो चीजें घटी हैं, उसे निपटाने के लिए सरकार की अपनी पार्टी की एक रणनीति है उस रणनीति के माध्यम से यह स्थिति आयी है कि नियंत्रण हुआ है । रणनीति को इसको प्राथमिकता दी गयी है । कई एक जगहें ऐसी हैं जहां हर तरह से प्रयास किया गया है । कई जिलों को अति संवेदनशील और कुछ को संवेदनशील घोषित किया गया है । जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि विशेष सर्तकता बरतने की जरूरत है । पुलिस नियंत्रण कक्ष को सुदृढ़ किया गया है। असामाजिक तत्वों की सूची बनायी गयी उन पर समय-समय पर निगरानी रखी जाती है । साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में जितने अभियोग हैं उनके शीघ्र निस्तारण हेतु न्यायालय स्थापित किये गये हैं ।

मान्यवर, तमाम एकीकरण समितियां हैं, नागरिकों की समितियां हैं ताकि जनमानस के बीच में यह चीज आये कि ज्यादा शान्ति रखनी है सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना है ताकि हर वर्ग में हर स्तर पर शान्ति रह सके । हरेक को कानून के

अन्तर्गत अधिकार है । आंकड़े भी हमारे पास हैं । उक्त रणनीति की सफलता इस तथ्य से प्रतिबिम्बित होती है कि 1986-87 में क्रमशः 76 तथा 60 साम्प्रदायिक घटनायें हुई वर्ष 1988 में 37 साम्प्रदायिक घटनायें घटी हैं । इसमें कमी है । लेकिन प्रयास निरंतर रहेगा कि और कमी आये । माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि अपने सुझाव दें । यह चीज ऐसी है कि दुश्मन है । इस भावना को हटाना है, मिटाना है । हम सब लोग मिलकर कैसे इसे ज्यादा से ज्यादा घटा सकें, इसका प्रयास करना होगा । आतंकवादी गतिविधियां स्वाभाविक है इस पर सबको चिन्ता होना चाहिए। अभी हाल ही में जो घटना हुई है उसकी सबको चिन्ता है हाउस में मामला उठा हुआ है । हर तरह से सतर्क रहना अति आवश्यक है । मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि इस पर ज्यादा डिटेल में कहना खुलकर कहना ठीक नहीं है । पर्याप्त पुलिस बल आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित है तैनात किया गया है स्थानीय अधिकारियों के मध्य उच्चस्तरीय समन्वय की व्यवस्था की गयी है । अभिसूचना विभाग को सुदृढ़ किया गया है । टेलीफोन रेडियो उपकरणों की पूरी व्यवस्था की जा रही है । मुरादाबाद जैसे संवेदनशील जिले में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है । गाजियाबाद बहुत नजदीक पड़ता है, गतिविधियां होती हैं, उसके लिए विशेष व्यवस्था करायी गयी है। इसके साथ ही साथ यह भी तैयारी की गयी है कि पी0 ए0 सी0 की 4 कम्पनियों को वहां लगाया गया है तथा रेडियो, टेलीफोन आदि उपकरणों की भी व्यवस्था की गयी है तथा एक कमाण्डो फोर्स भी तैयार की गयी है, जो तीव्रता से अपना कार्य कर सके । शीघ्रता बरतने के लिए कुछ गाड़ियों की भी व्यवस्था की गयी है । लेकिन मान्यवर, इन आतंकवादियों से निपटने में अत्यन्त सतर्कता की आवश्यकता है और मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के सदस्यों को तथा जनता को आश्वस्त करना चाहूंगी कि इसके लिए कठोर से कठोर और जरूरी से जरूरी कदम उठाये जायेंगे, यह हमारा उत्तरदायित्व है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि यह आतंकवादी गतिविधियां हमारे प्रदेश में बढ़ने न पायें और जनजीवन सुरक्षित रह सके ।

इसी प्रकार मान्यवर, दस्यु उन्मूलन की बात आती है । मैं सूक्ष्म में बताना चाहूंगी कि कुल 14 गिरोह थे, जो सक्रिय थे, उनमें से 6 का करीब करीब सफाया कर दिया गया है तथा 8 अभी बाकी हैं, जिनका सफाया करना है, लेकिन उनको भी इतना कमजोर कर दिया गया है कि वह इस समय इस स्थिति में नहीं हैं कि वह जल्दी सक्रिय हो सकें, यह हमारी दक्षता और सतर्कता होगी, जिससे इस तरह की घटनायें न होने पायें ।

मान्यवर, महिलाओं के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगी । मैं इस पर नहीं कहूंगी कि हमारी महिलायें अबला हैं, बेचारी हैं । मान्यवर, महिलायें संसार की 50 प्रतिशत हैं और अगर 50 प्रतिशत भाग अपंग हो जायगा, तो बाकी 50 प्रतिशत का क्या होगा ? जिस घर में महिला नहीं होती, वहां एक प्रकार की बड़ी कमी होती है, इसमें कोई शोभा की बात नहीं है ।

(कई सदस्यों द्वारा शोर करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अभी आप लोग न बोलें, जब आपका वक्त आयगा, तब बोल लीजियेगा ।

श्रीमती सुशीला सहतगी–

मान्यवर, महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में हमें बहुत चिन्ता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में दहेज हत्याओं की संख्या सबसे ज्यादा है । आत्महत्यायें भी बहुत अधिक है । मैं इस संबंध में माननीय सदस्यों से सुझाव चाहूंगी और उनसे आग्रह करूंगी कि वह आयें और हम सब लोग मिल बैठकर सोचें, विचारें कि कैसे इस समस्या को समाप्त किया जाय । हमारा जो अधिनियम है, कानून है, तो केवल कानून से इस समाज को सुधारा नहीं जा सकता है । इसके लिये कानून का कार्यान्वियन तो जरूरी है ही, लेकिन जनजीवन के बीच में जाकर, उन लोगों से बात करके इस समस्या को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है ।

मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि महिलाओं की हत्या/आत्महत्या की जो स्थिति है, उसके लिये कानून में व्यवस्था की गयी है कि यदि 10 साल के अन्दर किसी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाय, तो उसमें अवश्य कार्यवाही की जायगी। साथ ही यह भी है कि पोस्टमार्टम अवश्य कराया जाय और 2 डाक्टर्स जरूर होने चाहिये तथा नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट न लिया जाय । मैं अपने सम्मानित साथियों से निवेदन करूंगी कि जब आप लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जाते हैं, अपने भाषण देते हैं, जनता का आह्वान करते हैं, कृपा करके इस पर भी विचार करें कि कैसे दहेज की समस्या को समाप्त करें । मेरे छोटे से दिमाग में एक छोटा सा सुझाव है कि आज महिलाओं की शिक्षा बढ़ानी बहुत आवश्यक है । हम लोगों की शिक्षा बहुत कम है, पर हमसे ज्यादा पढ़े-लिखे जो भाई हैं, वह भी इस पर ध्यान दें । आज अगर किसी मां-बाप का लाडला बेटा यह मन बना ले कि हमको दहेज नहीं लेना है, तो क्या मां-बाप उसके मन के खिलाफ जा सकते हैं। आज इस दहेज समस्या को समाप्त करने के लिये हमारे नवयुवकों को आगे आने की जरूरत है, पढ़े लिखे मर्दों की जरूरत है । महिला तो दबा दी जाती है, जिससे वह आत्महत्या कर लेती है, लेकिन अगर आज नवयुवक समाज में आगे बढ़कर आते हैं और शपथ करते हैं कि हमें दहेज नहीं लेना है, तो कोई उसको मना नहीं कर सकता है। आज मैं अपने नेता विरोधी दल के माध्यम से दोनों पक्षों के सदस्यों से निवेदन करूंगी कि वह एक ऐसा अभियान बनायें कि उत्तर प्रदेश में जो यह कलंक है, उसे दूर किया जा सके । आज 993 हत्या/आत्महत्या हमारे प्रदेश में हुई हैं, यह बहुत बड़ा कलंक है । मैं आपसे निवेदन करूंगी कि जो यह व्यथा है, रोष है, हम सबको मिलकर समाज के इस कलंक को धो देना होगा ।

अनुसूचित जाति व जन जाति के विकास की बात है । यह सही है कि अभी हमें इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, लेकिन हम बराबर प्रयास पर लगे हुए हैं कि उनका विकास हो । जिस तरह से काम हो रहा है, उससे निश्चित रूप से हम कुछ आगे बढ़े हैं और हमें सफलता भी मिली है । एक विशेष जांच प्रकोष्ठ बनाया गया है, 20 संवेदनशील जनपद बनाये गये हैं। पुलिस महानिरीक्षक को हमने कहा है कि वह एक महीने में एक बार आकस्मिक निरीक्षण करें । अगर कहीं कोई घटना हुई है तो उसका तुरन्त निराकरण करें । बापू जी की जिस तस्वीर के नीचे हम बैठे हैं, उन्हीं के नीचे हमने यह शपथ ली है कि हम अस्पृश्यता को दूर करेंगे । यह हमारी मनशा है जो अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है ।

मान्यवर, प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है और इसकी बहुत बड़ी भूमिका है गुणात्मक सुधार लाने में । प्रशिक्षण में जहां एक प्रशिक्षणार्थी को केवल 145 रुपए मिलना था अब उसे बढ़ाकर हमने एक हजार रुपए कर दिया है ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और आत्मसम्मान बढ़े ताकि कह कन्धा से कन्धा मिलाकर काम कर सकें । आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण देने की जरूरत है, जनता पर पुलिस का जो व्यवहार होना चाहिए, थाने पर या चौकी पर जो व्यक्ति जाये, उसे सम्मान मिलना चाहिए । यदि गरीब व अमीर आदमी किसी थाने पर जाते हैं तो जो डर के साथ जाता है, पहले उसके हृदय के डर व दुख को निकालकर हमें उसकी सहायता करनी चाहिए व सम्मान देना चाहिए ताकि उसमें विश्वास आ सके और उसके मन में जो भय है, वह दूर हो सके और वह अपनी सही रिपोर्ट लिख सके । हमें पुलिस को दिखाना है कि जनता के प्रति उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए । हमने एक नया सिलेबस बनाया है । जिस समय हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले पुलिस कमिश्नरों की बैठक ले रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि पुलिस का रवैया सहयोगी के रूप में होना चाहिए । यह एक सेवा संस्था है। जो सिलेबस बना है वह एटीट्यूड-लांग्वेज के नाम से बना है। इसके अन्तर्गत पुलिस को जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ा चाहिए ।

हमारा जो हाथ का चिह्न है, यह गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए है यह हाथ उन्हें समता और समान करने के लिए है। यह हाथ वह भी है कि जो अपराधी है, चाहे वह बड़ा से बड़ा क्यों न हो, अगर गलत काम करता है, मेरा निजी विश्वास है, चाहे जितना बड़ा से बड़ा अभियुक्त हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी। हमारे पुलिस कर्मी जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें उनको निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर कोई पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी कर रहा है तो हमें उसे सशक्त करना चाहिए, उसे बल देना चाहिए। अगर कोई जुवा या गड़बड़ काम करता है, अगर वह वहां धावा बोलता है, तो उसे हम उसे किस मुंह से बचा सकते हैं। आज हमें-भी कुछ नैतिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कई लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। कितने लोगों को निलम्बित किया गया है, कितने लोगों की अवनति की गयी है इसके आंकड़े भी हमारे पास हैं।

पुलिस रेडियो शाखा ने ऊंचा स्थान बना रखा है, संचार का कार्य हो रहा है। सभी सम्मानित सदस्य उसके द्वारा किये जा रहे कार्यों को पसन्द करेंगे। पुलिस रेडियो शाखा विश्वसनीय और तत्पर संचार सेवा प्रदान कर रही है। अगर इसको सुदृढ़ करने के लिये और कोई सुझाव आया तो उसे स्वीकार करूंगी।

अग्नि शमन सेवा के सम्बन्ध में बताना चाहूंगी, इतना बड़ा जो विशाल कार्य हुआ कुम्भ मेले में, यह उसकी दक्षता की बात है कि 14 जनवरी, से 6 मार्च तक कुम्भ मेला चला, उस समय कोई बड़ी कठिनाई नहीं आयी। इस वर्ष जो कार्य किया गया है, हमारी शाखा बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। माननीय सदस्यों की समय-समय पर यह मांग आती रही है कि इसको बढ़ायें, विद्युतीकरण करें और इन्तजाम करें, भोजनालय का प्रबन्ध करें। साथ ही साथ इस वर्ष जो आंकड़े एकत्रित किये गये हैं, उसके आधार पर 1 करोड़ 98 लाख रु0 का माल बचाया गया है, जो कि सार्वजनिक माल है, 1400 आदमियों की जान बचायी गयी है, 1100 जानवर बचाये गये हैं । आशा है कि जनता के जान-माल की सुरक्षा की यह गति इस सेवा द्वारा बढ़ती जायगी।

पी0ए0सी0, जो एक स्ट्राइकिंग फोर्स बनी थी, एक विशेष कार्य के लिये बनायी गयी थी किन्तु आज की चौकिंग दर ढाई प्रतिशत है तो क्राइम रेट पांच प्रतिशत है। उस अपराध का नियंत्रण करने में पुलिस फोर्स कम है, दस हजार पर 12-13 आदमी बैठते हैं, जो कि अन्य राज्यों से कम हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि हम प्रयास करें कि इसके लिये अधिक काम किया जाय, अधिक बजट रखा जाय, जिससे पुलिस की संख्या बढ़ा सके और संख्या बढ़ाकर ज्यादा काम उनसे लें और पी0ए0सी0 को उसी काम में रख सकें जिसके लिये उनकी ट्रेनिंग होती है। चाहे बाढ़ हो, दैवी आपदा हो, चाहे कोई काम हो रहा हो या कुम्भ मेला हो, उन्होंने निडरता से दिखा दिया है कि हर चीज का सामना कर सकते हैं।

रेलवे पुलिस के बारे में कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की रेलवे बड़ी है। जो कार्य कुम्भ में किया है केन्द्रीय मन्त्रालय से भी उसकी सराहना हुई है। रेलवे पुलिस ने अच्छा काम किया है। टास्क फोर्स भी है, प्लेटफार्म पर अपराधों को पकड़ने के लिये भी फोर्स है। पंजाब से जितनी गाड़ियां आती हैं, उसके लिये प्रबन्ध किया गया है चौकिंग का। रात्रि की गाड़ियों में स्क्वाड का प्रबन्ध किया गया है। जो आंकड़े आये हैं, आपके समक्ष रख रही हूं। 1987 में डकैती के अपराध 20 थे, एक घटा, लूट की घटनायें 56 के स्थान पर 48 हुई, हत्या के मामले 34 के स्थान पर 32, चोरी की घटनायें 351 के स्थान पर 347 हुई। इस स्थिति में और भी सुधार हो सकता है। चाहे शराब हो, अफीम हो, भांग हो, चरस हो, गांजा हो सबको पकड़ा है। बहुत से बगैर टिकट चलते हैं उनको भी बन्दी बनाया है। रेलवे ने काफी अच्छा काम किया है। मैं भी यही चाहती हूं कि जो सुधार हुआ है उसको स्वीकार करिये। इसके आधुनिकीकरण के लिये विशेष प्रयास हो रहा है।

नवम वित्त आयोग है उसमें 2 हजार करोड़ रु0 की मांग उसके लिये प्रस्तुत की थी। दो हजार करोड़ कोई छोटी धनराशि नहीं है यह आधुनिकीकरण के लिये है और वर्तमान योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये है। आवास और आवासीय कार्यालय के भवन के लिये। आवास के लिये इस वर्ष हमें 6 करोड़ रुपए दिये गये हैं जबकि हमने इसके लिये 6 अरब रुपये का प्रस्ताव भेजा है।

हमारे प्रदेश में पुलिस के व्यवहार में कैसे परिवर्तन हो, इस सम्बन्ध में मैंने पिछले सत्र में कहा था कि हर परिक्षेत्र के स्तर पर हम पुलिस और अपने सम्मानित सदस्यों की बैठक आयोजित करेंगे तो इस प्रकार की तीन बैठकें हो चुकी है-कानपुर, लखनऊ और गढ़वाल में यह हुई है। आगे आप लोगों की सुविधा को देखकर और स्थानों पर भी यह को जायेंगी मैं चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में भी आपके सुझाव आये और आप अपनी समस्याओं को इन बैठकों में डिसकस करें।

जहां तक जनता के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायत का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं तो इस सम्बन्ध में पुलिस के कर्मचारियों को दण्डित करने की कार्यवाही की गयी है। सन् 1988 में पुलिस के 255 अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा निवृत्त किया गया, 152 लोगों की पदावनति की गयी है। 1223 लोगों को निलम्बित किया गया है, 86 के सत्यनिष्ठा के प्रमाण-पत्र रोके गये हैं, 3028 को दुश्चरित्र लेखे दिये गये तथा 2655 को अन्य प्रकार से दण्डित किया गया है।

यातायात का बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, लेकिन बड़े पैमाने पर यातायात के कार्यक्रम में सुधार करना पड़ेगा। इसके लिये एक प्राधिकरण बना है जिसकी अभी हाल ही में मा0 मुख्य मंत्री जी ने बैठक की थी। इसमें 5 लाख से ऊपर की आबादी के जो नगर हैं उसमें हम यातायात की कुछ योजनायें लायें, इसके लिये मैं आप लोगों के सुझाव आमंत्रित करती हूं जिससे कि बड़े नगरों को यातायात के लिये कुछ सुविधा मिल सके।

इसके साथ ही साथ में बड़े स्पष्ट रूप से और बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहती हूं कि पार्टी का रूप इसमें न दें, यह अच्छे इरादे से कार्य करने के लिये, पुलिस को मजबूत करने के लिये जो आवश्यक है, इसमें कैसे सुधार लाया जाय, कैसे इसका आधुनिकीकरण किया जाय, कैसे इसका सुदृढ़ीकरण किया जाय, इन सब बातों पर मैं आप सबके सुझावों को आमंत्रित करती हूं कि लोकतंत्र के ढांचे को मजबूत करने के लिये जैसे कि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही चुस्त प्रशासन में पुलिस बल होता है, इसको हमें मजबूत करना है। इसलिये इस बजट पर कटौती का प्रस्ताव न लाकर पुलिस के बजट को भी मजबूत बनायें जिससे कि मनोभावनायें और मजबूत हो सके ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27-गृह विभाग (पुलिस) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, अभी मैंने माननीया गृह मंत्री जी के भाषण को बहुत गौर से सुना और उन्होंने अपने सुन्दर व्यक्तित्व और मधुर वाणी से बहुत ही मधुरता के साथ भाषण दिया। और सारी पुलिस विभाग की कठोरता को अपने में समा लिया है, लेकिन मान्यवर, पुलिस विभाग की कठोरता पर माननीय गृह मंत्री जी की मधुर वाणी और मधुर शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यह प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है, इस पर माननीय चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि इस नौकर शाही और पुलिस विभाग जो है, वह अपने घुड़ सवार की रानों को पहचानता है... (मेजों की जोरदार थपथपाहट) अगर हमारो माननीय गृह मंत्री जी का इन पर कुशल अंकुश नहीं है तो यह लाख कोशिश करें और लाख सुधार करने के मंसूबे बनाएं, लेकिन मान्यवर वह सिर्फ कागजों में सब सीमित रह जायेगा।

जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने पुलिस विभाग पर अब इतने -इतने पुलिस सुधार में रुपये के खर्च करने का निर्णय लिया है और मैं चाहती हूं कि इस पैसा का सदुपयोग हो तो मैं पहले ही इस सम्बन्ध में आपसे कह देना चाहूंगा कि 22 मई, 1988 को लेखा नियंत्रक महा लेखा परीक्षक रिपोर्ट में यह साबित कर दिया गया है कि हिन्दुस्तान की सरकार ने सारे प्रदेशों के लिए, पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए जो धन दिए हैं उनमें से 15 प्रदेशों के लिए जो धन दिया जा रहा है, वह धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी इन 15 प्रदेशों में एक नाम है। स्पष्ट रूप से उसमें मान्यवर कहा गया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को मोटर साइकिलें दी गयीं हैं ताकि वह सकरी व पतली गलियों व कूचों में घुस सकें

और इन गलियों में घूम-घूम कर कानून व व्यवस्था को बनाए रखें, लेकिन मान्यवर, यह कमी ऐसा न कर अपने व्यक्तिगत प्रयोग में उन मोटर साइकिलों का इस्तेमाल ज्यादा किया है, यह मान्यवर, महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर दिया गया है लेकिन आप इन दुरुपयोग पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, इसीलिए मान्यवर मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है कि एक रुपया कर दिया जाए क्योंकि आज पूरे प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिगड़ी हुई है और इस विभाग में आपकी कोई योजना भी सफल नहीं हो पा रही है और रातो दिन बैठकर भी मा0 मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी योजनाएं बनाते हैं, वह सफल हो ही नहीं सकती हैं, वैसे तो मैं यह मानता हूं कि इस विभाग पर जितना भी खर्च किया जाए वह कम है, लेकिन वह बाहैसियत सही ढंग से हो। वर्तमान समय में जो राशि इस विभाग को दी गयी है, वह वर्ष 1987-88 से भी कम दी गयी है हालांकि हर वर्ष इसमें वृद्धि होती रही है, परन्तु अब गृह विभाग के बजट में कमी आती जा रही है। वर्ष 87-88 में 4.71 प्रतिशत बजट था, जो वर्ष 88-89 में बढ़ने के बजाए 4.58 प्रतिशत ही रह गयी, घटा दी गयी और इसी प्रकार से यह राशि वर्ष 1989-90 के अन्तर्गत मात्र 3.76 प्रतिशत ही रह गयी। जो 4.71 से घटकर मात्र 3.76 प्रतिशत ही रह गयी।

अभी आपने कहा कि पुलिस विभाग के आवास व्यवस्था के लिए हम 6 अरब रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं और 9वें वित्त आयोग में इस बात की मांग की है आपने। और इसके आगे आपने यह कहा कि हम अगली पंच वर्षीय योजना में पुलिस विभाग वालों के लिए 75 फीसदी मकान दे सकेंगे और हम पुलिस विभाग की हर कठिनाई को दूर करने के लिए पूरी तरह से जागरूक हैं, यह भी आपने कहा, लेकिन मैं समझता हूं कि जो कटौती माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपके विभाग की है, इन सब बातों को देखते हुए तो हमें भरोसा नहीं है कि आप यह राशि भी जुटा पायेंगी ताकि इनकी समुचित रूप से आवासीय समस्याएं सुलझ सकें। इसमें कोई दो राय नहीं है पुलिस विभाग ने कहीं-कहीं पर कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, जैसा कि आपने बताया कि जिस प्रकार से सीमाओं की रक्षा के लिए सेना की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरह से हमारे प्रदेश की सीमाओं पर व हर जगह अमन व चैन बना रहे, इसके लिए उतनी ही पुलिस बल की भी आवश्यकता है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनकी आवश्यकताओं को देखते हुए सारे कार्य विपरीत ढंग से हो रहे हैं। मान्यवर, 1861 में ही जो पुलिस अधिनियम बना था, उसके बाद फिर यह अधिनियम 1902 में बना और इस 1902 में भी इस पुलिस बल के आचरण पर जो कुछ कहा गया वह इस प्रकार था कि पुलिस विभाग का व्यवहार अच्छा नहीं है, परन्तु यह बात इससे पहले भी कही गयी और जिस समय आजादी आयी, 1982 के पुलिस एक्ट के अन्दर संशोधन किये गये। पुलिस अधिनियम रखा गया, लेकिन दो संशोधन ही किये गये, एक तो यह संशोधन किया गया कि 1961 के अधिनियम के तहत आई0जी0 पुलिस को जो अधिकार दिये गये थे, उन को घटाकर एस0पी0 को दे दिये गये और यूनियनें थीं, उनको समाप्त कर दिया गया।

मैं कहना चाहता हूं कि इन दो बातों के अलावा और कुछ भी सुधार उस अधिनियम में नहीं किया गया। यह केवल मेरा ही कहना नहीं है और लोगों के भी यही विचार हैं। शायद लोग कहेंगे कि मैं विरोध करने के लिये ऐसा कह रहा हूं, तो मैं

कहना चाहता हूं कि मैं विरोध करने के लिये ही आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं कहने के लिये मजबूर हूं, आपकी पुलिस जितनी करप्ट है, उसके अन्दर जितना करप्शन है वह किसी से छिपा नहीं है। पुलिस विभाग के बारे में ही बताना चाहता हूं कि समय अधिक हो गया है, श्री धर्मवीर की अध्यक्षता में 1979 में पुलिस आयोग का गठन हुआ, उनकी रिपोर्ट आयी और उन्होंने उस रिपोर्ट के प्रस्तावना में ही लिखा है लेकिन जो कुछ हमने देखा है उससे पुलिस की ज्यादतियां और उसके कठोर व्यवहार की सार्वजनिक बढ़ती हुई शिकायतों तीव्रता के बारे में हमें क्षोभ है और हम बहुत चिंतित हैं...पुलिस की क्षमता में भी जनता का विश्वास तेजी से उठ रहा है। साथ ही हमें पुलिस के मनोबल, खासकर पुलिस के जवानों के स्तर पर बहुत नीचा देखकर बहुत चिन्ता हुई है, इसलिये हमने निम्न पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया है पुलिस कदाचार की शिकायतों की जांच में जनता को निष्पक्षता और औचित्य पर सन्तोष व विश्वास रहे और पुलिस जवानों में रहन-सहन पदोन्नतियों तथा काम करने की स्थितियों में गम्भीर त्रुटियों के सुधार की आवश्यकता है। 1860 के पुलिस आयोग ने यह कहा था कि उसके प्रस्ताव के अनुसार गठित पुलिस "राजनैतिक दृष्टि से अधिक उपयोगी" होगी। वर्तमान पुलिस पद्धति उसी 1860 की पद्धति के अनुसार है, जिसमें पुलिस सत्तारूढ़ सरकार को बनाये रखने के लिये उनके एजेन्ट के रूप में निर्दयता से काम करती है।

मैं कहना चाहता हूं कि आपने जितने एम0एल0ए0, एम0पी0 हैं, वह सभी लोग पुलिस का सहारा लेते हैं, सत्ता पक्ष के लोग पुलिस का पूरा सहयोग लेते हैं। आज हम देखते हैं कि चुनावों में बूथ कैपचरिंग हो रही है, हिन्दुस्तान के अन्दर जिस प्रकार से बूथ कैपचरिंग हो रही है, वैसी बूथ कैपचरिंग पहले कभी नहीं हुई है।... (व्यवधान)...आप पुलिस के अधिकारियों को उनकी क्षमता और उपयोग के आधार पर स्थानान्तरित करते हैं। यह सिलसिला चल रहा है कि किस अधिकारी को किस जगह पर ले जायें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि शाहजहांपुर में मैनेजर पाण्डे पुलिस अधीक्षक थे, बड़े रईस पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी उपयोगिता समझी गयी और उनको मेरठ भेजा गया, एस0एस0पी0 बनाकर भेजा गया। तो वहां पर क्या हो रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पंजाब में 37 हत्यायें हुईं उसी प्रकार से जब से वे मेरठ पहुंचे हैं 43 हत्यायें हो गयी हैं। कोई तारीख खाली नहीं जाती है, जिस दिन कोई हत्या न होती हो। उनका कोई अंकुश नहीं है। जो रवैया उन्होंने शाहजहांपुर में अपनाया था, वही रवैया मेरठ में भी अपनाया है।

[समय 4.28 बजे]

इसका कारण यह है कि ईमानदार अफसर जिसको फील्ड में होना चाहिए उनको वहां पर न रखकर ऐसी जगह में रखते हैं जहां चुनाव के समय में आप उनका लाभ ले सकें, बूथ-कैप्चरिंग कर सकें। आज यह आपकी सरकार कर रही है। यह शिकायत खासतौर से है। साथ ही साथ जिस समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस समय आपने देखा कि सारे प्रदेश के अन्दर, देश के अंदर एक बहुत बड़ा दंगा सिक्ख बनाम हिन्दू के बीच हुआ था। दुकानें फूंक दी गईं थी, लोग हताहत हुये थे। इस पर आपकी सरकार द्वारा एक रंगनाथ मिश्र आयोग बिठाया गया था। उसके कुछ अंश मैं आपको बताना चाहता हूं। उससे हो सकता है आपको कुछ आसानी हो जायं। उस समय अनेकानेक दंगे हुये थे। रिपोर्ट में उन्होंने कहा यदि पुलिस बिना लापरवाही के काम करती तो

लोग जो इतनी संख्या में हताहत हुये, वह न होते । कांग्रेस पार्टी के लोग दंगे के दौरान काफी सक्रिय थे लेकिन इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । कानपुर में पुलिस सक्रिय नहीं थी । मान्यवर, इस प्रकार रंगनाथ मिश्रा ने भी इसकी पुष्टि की है कि पुलिस की लापरवाही के कारण ये दंगे हुये थे जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुये हैं ।

इसके साथ ही साथ पूर्व के डी0 जी0 पी0 भटनागर साहब थे उन्होंने कहा कि पुलिस का चेहरा मित्रवत नहीं लगता है । लोग उससे भय खाते है उन्होंने जन संपर्क की व्यवस्था पर बल दिया। जो चतुर्वेदी डी0 जी0 पी0 थे उन्होंने जुलाई, 1987 में फतेहगढ़ में एक जन समारोह में कहा था कि उत्तर प्रदेश में 50 फीसदी पुलिस के लोग अच्छे है । 25 फीसदी लोगों को सुधारा जा सकता है और 25 फीसदी लोग हैं जो सुधार से बिलकुल बाहर हैं । उन्हें एक दिन भी पुलिस में रहने का हक नहीं है । यह तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक ने कहा था । जो आजकल के पुलिस महानिरीक्षक है वे कहते हैं कि 25 फीसदी पुलिस के लोगों को सुधारा जा सकता है और 50 फीसदी गड़बड़ हैं । कानपुर में एक समारोह सामाजिक अपराध सुधार समिति द्वारा आयोजित हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान पुलिस में केवल 1 फीसदी ऐसे लोग है जो पुलिस को बदनाम कर रहे है । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के अंदर अपराधियों में सुधार की भावना पैदा करनी चाहिए । मान्यवर, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो वे यह कहते हैं कि वह नितान्त गलत है तथ्यों से परे हैं । 25 फीसदी नहीं बल्कि 30 फीसदी ऐसे लोग हैं एक दिन भी वहां पर रहने का हक नहीं है । इसके लिए पुलिस को और इस सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है । ये सुधार की बात कहते हैं । अगर कोई अपराधी सुधरना चाहता है तो पुलिस के लोग उन्हें सुधरने नहीं दे रहे हैं ।

मान्यवर, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री ने संसद में कहा था कि अपराधों का एक बड़ा कारण पुलिस की गतिशीलता में कमी तथा कर्तव्य परायणता का अभाव है, रिपोर्ट दर्ज न करना, गम्भीर आरोपों को गलत धाराओं में दर्ज कर जांच पड़ताल से मुक्ति पाने की कोशिश करना, नागरिकों से अशिष्ट व्यवहार करना पुलिस की मुख्य शिकायतें है । उत्तर प्रदेश की पुलिस निरन्तर बदनाम हो रही है । 40 वर्ष बाद भी पुलिस की मानसिकता नहीं बदली है । लोकतांत्रिक मान्यता से पुलिस को कुछ भी लेना देना नहीं है । यह केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा है ।

मान्यवर, आज यहां पर मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी बैठे हैं । 22 मई, 1979 को यहां पर नेता विरोधी दल की हैसियत से बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज क्राइम ज्यादा बढ़ रहे हैं लेकिन लिखे नहीं जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लिखे जा रहे हैं । उनको भी पुलिस से शिकायत है कि रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही है । रिपोर्ट न लिखने से सारा वातावरण विषाक्त हो गया है । तो उन्होंने भी असंतोष व्यक्त किया है कि एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी जाती है । मैं गृह मंत्री जी की इमानदारी के साथ बताना चाहता हूं खाली आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं आपकी पुलिस विभाग के अंदर यह सबसे बड़ा दोष हो रहा है कि रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है । इस सम्बन्ध में आपके आई0 जी0 बेदी कानपुर ने थोड़े दिन पहले कहा

है कि अगर निम्न बातें पुलिस ठीक कर लें तो उसकी छवि ठीक हो सकती है । पुलिस हिरासत में मौतें नहीं होनी चाहिए, थर्ड डिग्री मैथ्ड्स इस्तेमाल नहीं किये जाने चाहिए। तो आज कल आपके पास हैप्नोटिजम है, साइकोलाजिकली आप डील कर सकते हैं, बहुत से रासायनिक चीजें हैं जिनके माध्यम से मुलजिम से सूचना ले सकते हैं, लाई डिटैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप की पुलिस थर्ड डिग्री मैथड इस्तेमाल कर रही है जिससे हिरासत में मौतें हो रही हैं । इसे रोकना चाहिए । तफतीश में देरी होती है और एफ0 आर0 आर0 नहीं लिखी जाती है । तफतीश में अगर समय कम लगाया जाय तो काफी परेशानी दूर हो जायेगी ।

मैं आपको दो तीन उदाहरण दूंगा जिनको कितने वर्ष गुजर गये हैं आज तक पुलिस ने उसे पूरा नहीं किया अगर कोई एफ0 आई0 आर0 लिखाने जाता है तो क्या व्यवहार उसके साथ होता है आपको मालूम नहीं होगा । आपको ऐसा मौका नहीं आया होगा हो सकता है आप को महिला होने के नाते किसी ने कुछ न कहा हो लेकिन आज कल कोई रिपोर्ट लिखाने थाने जाता है तो उसे पहले डंडा खाना पड़ता है और बगैर रुपये लिये रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है । इसी तरह मुकदमा चलाने में देरी होती है, जजमेंट से आपका संबंध नहीं है इसलिये उसकी बात मैं नहीं कहूंगा । लेकिन चार्ज-शीट सब्मिट करने में आपकी पुलिस देरी करती है । बेगुनाहों की पिटाई करना आपकी पुलिस का आज काम है । माननीय मंत्री जी कहती हैं कि पुलिस का व्यवहार अच्छा हो रहा है । अगर पुलिस का व्यवहार आपकी तरह भद्र हो जाय, इससे 50 परसेंट भी भद्र हो जाय तो कठिनाई दूर हो जायेगी । सबसे बड़ी शिकायत पुलिस से जनता की यह होती है कि उनके साथ कहीं भी पुलिस का मित्रवत व्यवहार नहीं होता है। गुण्डे अपराधी सब ठीक हो जायं अगर जनता को महसूस हो जाय कि पुलिस वेष में उनके भाई खड़े हैं । लेकिन आजादी के 43 साल बाद भी आप ऐसा वातावरण पैदा करने में सफल नहीं हो पाये हैं। मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं उनको बताऊंगा तो समय बहुत लगेगा इसलिए नहीं कह रहा हूं । आपकी पुलिस कितनी देर करती है अपराधियों को कानून के हवाले करने में सीतापुर में 81 में तीन निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गयी हरिहरपुर मिश्रिख में आज 89 हो गया कोई पता नहीं है 8 वर्ष बीत गये हैं उसमें 40 मुलजिमों का मामला है जिस पर सी0 आई0 डी0 की जांच चल रही है। हत्यारों ने उन तीन लोगों को पेड़ में लटका कर मार दिया और बताया कि इनकाउंटर हो गया है । देरी का कारण यह है कि उसमें 20 मुलजिम पुलिस विभाग के हैं तो यह सबसे बड़ी देरी का कारण है । जहां पुलिस मुलजिम होती है उनमें चार्जशीट नहीं लगती है ।

दूसरा उदाहरण आप नोट कर लें 13 मार्च, 1982 की घटना है जिसमें के0 बी0 सिंह डी0 एस0 पी0 मारा गया और उसके साथ 13 और आदमी मारे गये । उसमें भी फर्जी इनकाउंटर दिखाया गया । सी0 बी0 आई0 ने जांच की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह आपके आदेश पर नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब सी0 बी0 आई0 की जांच हुई सी0 बी0 आई0 ने अपनी रिपोर्ट सब्मिट कर दी और उस समय से 2 अप्रैल सन् 88 से आपकी सरकार से वह केवल परमीशन चाह रहे हैं, लेकिन नहीं मिली । आप परमीशन नहीं दे रहे हैं । यदि आप समझते हैं कि सी0 बी0 आई0 की जांच गलत है, तो आप किसी अन्य एजेंसी से, उससे भी किसी बड़ी से जांच करा

लीजिए, लेकिन यह हुआ कि सन् 82 से अब तक चार्ज शीट नहीं लग पायी है । इसमें भी यही कारण है कि पुलिस कर्मी मुल्जिम बने हैं । इन 13 लोगों को मौत के घाट उतारने में पुलिस के लोग मुल्जिम हैं । इसीलिए इसमें अबतक चार्जशीट नहीं लगाई गयी है । इसी प्रकरा जनपद बलिया, थाना सहतवार में वहां की जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की हत्या कर दी गयी और उसकी जांच जब सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द की गई तो उसने जांच करने से पहले ही कहा कि यहां से आप एक इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर को हटा दीजिए, तब मैं जांच करूंगा । लेकिन सी0 आई0 डी0 के कहने के बावजूद इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर को वहां से नहीं हटाया गया । उसका परिणाम यह हुआ कि जांच ज्यों की त्यों रुकी हुई है। मंत्री जी यह आपका और आपके विभाग के बड़े अधिकारियों का काम है । लेकिन आप कह रही हैं कि पुलिस विभाग बहुत तत्परता से काम कर रहा है । इसके पीछे भी वही कारण है कि इसमें भी पुलिस के लोगों का हत्या के पीछे हाथ है, वही हत्या के मुलजिम हैं। तो जिन केसेज में पुलिस के आदमी मुलजिम होते हैं. . .

श्री अधिष्ठाता–

आप कितना अभी और समय लेंगें, सिर्फ यह बता दें ?

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं गृह मंत्री जी की तरफ देख लेता हूं, उनको बता देता हूं, बहिन जी को तो आपको परेशानी हो गई ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इनकी किसी चीज पर नजर डाली तो इन्हें बहुत बुरा लगता है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, नेता विरोधी दल का यहां विशेष परीस्थीतियों में और विशेष स्थान पर मामूली स्थान नहीं है, लेकिन वह आपके माध्यम से उस जगह तक पहुंचें, डायरेक्ट पहुंचने का प्रयास न करें, वरना वहां पर भी फोर्स लगी हुई है, उन्हें नाउम्मीदी होगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं वह अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन आज मंत्री जी ने हरी साड़ी पहनकर-हरी झण्डी दिखाकर कह दिया है कि कुछ चिन्ता नहीं, कोई चिन्ता नहीं है, आप . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं किसी के पक्ष में किसी को कुछ कहने नहीं दूंगा । सब अपने-अपने पक्ष में कहें ।

मैं नेता विरोधी दल से कहूंगा कि समय तो हो गया है, और बहुत से सदस्य बोलना चाहेंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वह समाप्त कर दें।

श्री सत्यपाल सिंह–

अब मान्यवर, कहना यह है कि इस समय प्रदेश के अन्दर अधिकारियों की बहुत बड़ी फौज बढ़ाई जा रही है । इसके पहले मुझे याद है, जब यहां आया था, सन् 74

में सारे प्रदेश में एक आई0 जी0 हुआ करता था, किन्तु आज प्रदेश में 13 करोड़ की आबादी की शान्ति और सुरक्षा के लिए 15 लाख पुलिस कर्मी हैं तथा 1 आई0 जी0 के स्थान पर, अभी हुए पी0 ए0 सी0 वाले को मिलाकर 7 आई0 जी0 हो गये हैं । पुलिस महानिरीक्षक 14, जोनल पुलिस महानिरीक्षक 5, रेन्ज पुलिस महानिरीक्षक-13 और उप पुलिस महानिरीक्षक 42 इस समय हो गये हैं । इस तरीके से इनके ज्यों-ज्यों पुलिस अधिकारी बढ़ रहे हैं, त्यों-त्यों आपके यहां अपराध बढ़ रहे हैं। जरूरत इस बात की थी कि आप पुलिस के अंदर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाते। इसको मान्यवर, नहीं बढ़ाया गया । इसकी संख्या को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुत कम है महाराष्ट्र में 17.30 है। मान्यवर, 1986 में जो स्थिति लक्ष्यद्वीप की रही है वह 36.70 प्रति दस हजार जनसंख्या पर पुलिस कर्मियों की संख्या रही है । जम्मू एवं काश्मीर में 12.00 रही है। उड़ीसा में 10.40 रही है। केरल में 14.40 रही है । राजस्थान में 14.32 रही है । कर्नाटक की 11.24 रही है । हरियाणा की 16.00 रही है । मणिपुर, इम्फाल में 02.00 रही है । मध्य प्रदेश में 14.70 रही है पाण्डिचेरी में 28.00 रही है मेघालय में 58.90 रही है आसाम में 28.80 रही है और जो उत्तर प्रदेश में प्रति दस हजार जनसंख्या पर पुलिस कर्मियों की संख्या रही है वह 14.50 रही है ।

मान्यवर, जो दस हजार जनसंख्या पर पुलिस कर्मियों की संख्या है यह 1987 में और कम हो गई है यह 14.50 से 12.80 हो गई है । मान्यवर, इसी तरह से जो पुलिस कर्मियों पर (प्रति एक हजार पर) जो वाहनों की संख्या है उसके बारे में कहना चाहूंगा केरल में 44 है । पंजाब में 25 है । तमिलनाडू में 31 है । पश्चिमी बंगाल में 27 है और उत्तर प्रदेश में 12 की संख्या है उत्तर प्रदेश में 12 की संख्या है उत्तर प्रदेश की वाहनों की संख्या सबसे कम है । मान्यवर यह अनुसूचित जाति का बड़ा ढिढोरा पीटते हैं अनुसूचित जाति के लोगों का नौकरियों में क्या स्थान है इस बारे में बताना चाहूंगा गृह विभाग में 350 पद स्वीकृत है प्रथम श्रेणी के जिसमें 58 प्रतिशत अनुसूचित जाति का है । पी0 ए0 सी0 में कहीं कोई शामिल नहीं किया गया है । अग्निशमन में कोई नहीं है । विधि विज्ञान के तीन पद हैं इसमें अनुसूचित जाति का कोई नहीं है। अभियोजन निदेशालय में 26 पद स्वीकृत हैं जिसमें 20 कार्यरत हैं और दो लोग अनुसूचित जाति हैं जबकि इसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत 10 प्रतिशत है । गृह विभाग में द्वितीय श्रेणी के जो स्वीकृत पद हैं वह 672 हैं जिसमें अनुसूचित जाति के चार पद हैं विधि विज्ञान में 15 पद हैं अनुसूचित जाति का कोई नहीं है । अभियोजन निदेशालय में 82 पद स्वीकृत हैं जिसमें 76 कार्यरत हैं 21 अनुसूचित जाति के कार्यरत हैं । इसी प्रकार तृतीय श्रेणी में जो अनुसूचित जाति के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वह पांच फीसदी कार्य कर रहे हैं । चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 0.50 है, यह भी पूरा नहीं है ।

अपराधों के विषय में माननीय मंत्री जी ने कहा कि अपराध कम हुए हैं इन्होंने आंकड़ों की खेती देखने की कोशिश की है और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर अपराध कम हुए हैं। पुलिस कन्सीलमेन्ट आफ क्राइम मिनिमाइजेशन आफ क्राइम अपराध के आंकड़े कम दिखाती है । डकैती को चोरी लिख रहे हैं और जहां चोरी हुई वहां कुछ लिख

ही नहीं रहे हैं आप अपने किस निष्पक्ष आदमी को भेज दें तो दस-बीस शिकायतें तो ऐसी मिलेंगी कि रपट ही नहीं लिखी जा रही है। यहां तक कि जो कत्ल होते हैं उनकी भी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है । लखनऊ की घटना के बारे में मैं बताना चाहता हूं ।

यहां पहले डी0 आई0 जी0 श्री सुरेश पाल सिंह थे। उस समय यहां पर दो हत्यायें हो गयीं एक कोई एकाउंटेंट था और एक महिला थी। एकाउंटेंट के बदन पर काफी घाव थे और जो महिला थी वह जलकर मरी थी। दोनों की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी जब डी0 आई0 जी0 ने हुक्म दिया तो कत्ल की रिपोर्ट लिखी गयी। मान्यवर, कत्ल को छिपाया नहीं जा सकता है लेकिन पुलिस कत्ल को छिपाने का काम करती है। पुलिस आंकड़ों की खेती करके यह साबित करना चाहती है कि अपराध कम हुये हैं। आप देखें कि 1987 में आई0 पी0 सी0 के तहत कुल 156653 अपराध के मामले हुए और 1988 में 157767 मामले हुए। इस तरह से आई0 पी0 सी0, भारतीय दण्ड विधान के तहत यह मामले अपराध के हुए हैं। इनसे साबित होता है कि अपराधों में कमी नहीं हुयी बल्कि अपराध बढ़ रहे हैं। मैं बलात्कार और दहेज हत्या के मामलों की तफसील में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि इस विषय में पूरी तरह जानकारी है। आपने दहेज हत्याओं को रोकने के लिए वर्ष 1986 में एक कानून बनाया है। धारा 304 (बी) बनी है। उसमें आपने प्राविधान किया है कि जिस महिला की मृत्यु विवाह के 7 साल के अंदर हो गयी है उस मामले की जांच गजटेड अफसर करेगा। आपने इस पर रोक लगाने के लिए एक महिला सेल बनायी है। सेल तो आपने बना दी है लेकिन उसके अन्दर कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। जैसे आपने आतंकवाद को रोकने के लिए टास्कफोर्स की व्यवस्था कर दी है मगर टास्कफोर्स को न कोई ट्रेनिंग दी है, न हथियार दिये हैं उसी तरह से महिला सेल के अंदर कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और उसी का अंजाम है कि यह सेल कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रही है।

आप आंकड़े देखें 1986 में दहेज हत्याओं के मामले 601 हुये थे। 1987 में 703 मामले हुए थे। 1988 में 993 मामले हुए थे। इसी तरह से बलात्कार के मामले 1987 में 1291 हुये थे। इसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि पुलिस के द्वारा लापरवाही अपराधियों को पकड़ने में की जाती है। मैं आगरे की एक घटना का जिक्र करूंगा। 24 सितम्बर, 88 को ग्राम छक्कू की गढ़ी, थाना–डौकी, आगरा में एक परिवार के 4 व्यक्तियों की हत्या की गयी। पति, पत्नी, विवाहित पुत्री, बेटा इन चार लोगों की हत्या कर दी गयी जिसकी नामजद रिपोर्ट हुयी। लेकिन 24 सितम्बर, 88 से आज तक नामजद मुलजिमों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पायी है। जो बेगुनाह लोग हैं जो समझते थे कि उनका कोई दोष नहीं है उनको पकड़ कर बन्द कर दिया गया है और नामजद मुल्जिमों को अभी तक बंद नहीं कर पाये हैं।

आपके कानून के मंत्री सुरेन्द्र सिंह ने कहा था कि जिस परिवार में लोगों की हत्या हो जायगी और यदि उनकी सुरक्षा की आवश्यकता होगी तो उस समय उनको वीपेन, हथियार देंगे। उस परिवार के लोगों ने राइफल, बंदूक अपनी सुरक्षा के लिए चाही है लेकिन उनके प्रार्थना-पत्र पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, 8 महीने हो गये

हैं। न आप अपराध रोक पा रहे हैं न दहेज हत्यायें रोक पा रहे हैं। दहेज हत्या का लखनऊ का मामला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आर0 के0 अग्रवाल जो लखनऊ में अलीगंज के निवासी हैं उनकी पुत्री आशा अग्रवाल की हत्या 10-12-86 को दहेज के कारण कर दी गयी। उन्होंने काफी रुपया शादी में दिया था लेकिन उनकी पुत्री की हत्या कर दी गयी। उसकी ससुराल के लोग प्रभावी हैं इसलिये उन लोगों को आज तक नहीं पकड़ा गया और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में आपकी सरकार विफल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि 2 बातों की बड़ी चर्चा की जाती है एक तो विधायक विलायती राम कात्याल जिनकी हत्या कानपुर के अन्दर कर दी गयी थी, आप कहते हैं कि उसके मुलजिम पकड़ लिये गये और एक दूसरा मामला है जिसमें अपराधी को मार दिया गया था।

मेरा यह कहना है कि आपकी पुलिस ने जो विलायती राम कात्याल के हत्यारों को बरेली के एक होटल से पकड़ लिया वह केवल एक चांस था यह पुलिस की सक्रियता का प्रमाण नहीं है। आपने पकड़ लिया, लेकिन जो आपका तराई का इलाका है, जिसमें लगभग डेढ़ साल के अन्दर एक दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं। अभी तीन दिन पहले एक पी0 ए0 सी0 की ट्रक को आतंकवादियों के ट्रक ने कुचल दिया और हमारे शाहजहांपुर, लखीमपुर, पीलीभीत में कम से कम 25 लोग मारे गये। आपने कौन सा काम कर लिया? सिवाय इसके कि संसदीय कार्य मंत्री यह कह दें कि आप इन्तजार करिये, हम प्रयास कर रहे हैं। आपने टास्कफोर्स बना दिया। उसके नाम से कुछ थानदार वहां पर भेज दिया। कल ही शायद आपने कहा है कि उनके पास हम बढ़िया से बढ़िया हथियार दे रहे हैं। इनके पास ए0 के0–47 की चायनीज रायफल हैं, जो आटोमेटिक हैं, जिनमें 35 कारतूसें आती हैं जबकि तुम्हारी पी0 ए0 सी0 की टुकड़ियों के पास कोई ऐसा हथियार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बरेली में आई0 जी0 तसरीफ ले गये थे टास्कफोर्स का निरीक्षण और प्रशिक्षण देने के लिए, लेकिन उनके परिवार को घुमाने में सिपाही और दरोगा लोग पूरा दिन बिता दिये। आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। जहां पर पुलिस के सिपाही दरोगा अपने कर्तव्यनिष्ठा के तहत मारे जायं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने आतंकवाद को रोक रखा है?

पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को टास्कफोर्स बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं हैं और न ही आधुनिक प्रशिक्षण है। जब तक आप मजबूती के साथ इनका मुकाबिला करने के लिए इन्तजाम नहीं करेंगे, तब तक यह आतंकवाद नहीं रुकेगा। जालौन के अन्दर एक विद्यार्थी जो बी0 ए0 में पढ़ रहा था, उसको पुलिस पकड़ लायी और उसकी टांगों पर तेजाब छिड़क कर उसे घायल कर दिया। वह अपने घर का अकेला लड़का था, उसका चिराग गुल हो गया। जब लोगों ने थाने का घेराव किया, तो आपकी पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं, जिसमें 3 और मार दिए गये और सैकड़ों को घायल कर दिया गया। 20 हजार रु0 आपने मृतकों के परिवार को दे दिया। इससे क्या होता है? जहां-जहां ये पुलिस के लोग फर्जी तौर तरीके से मार रहे हैं, उनके घर पर जो मौत हो जाती है, उसकी क्षतिपूर्ति आप नहीं कर सकते हैं। उसके घर में आप रोशनी नहीं पैदा कर सकते हैं, जिस घर की रोशनी आपके हाथों गुल हो चुकी है। यह आपकी पुलिस का निकम्मापन है, क्रूरपन है। इस पर आप

नियंत्रण नहीं कर पाये। आपके मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि इसीलिए हम कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं कि जिससे पुलिस का मनोबल न गिरे। अपराध करने वाले पुलिस कर्मियों को अगर आप सजा देंगे, तो उसका मनोबल नहीं गिरेगा। कहीं पर आपने किसी पुलिस वाले को उसकी गलती पर सजा दिये हों, तो उनका मनोबल गिरा हो या आन्दोलन हुआ हो, तो आप बताइये। ए0 के0 राव आपके एस0 पी0 सी0 आई0 डी0 थे, जिन्होंने आफीसर्स हास्टल में आत्म हत्या कर ली, उसका कारण यही था कि उसके साथ के लोग एस0 एस0 पी0 और डी0 आई0 जी0 बन चुके थे। आज आपके आई0 पी0 एस0 और पी0 पी0 एस0 अधिकारियों के बीच झगड़ा चल रहा है आपका कानून तो है कि 50 प्रतिशत पी0 पी0 एस0 लोग आगे जायेंगे लेकिन इसके खिलाफ क्या हो रहा है कि पी0 पी0 एस0 के लोगों को वह जगह नहीं मिल रही है, असंतोष उभर रहा है इसी तरह से जो पी0 पी0 एस0 और रैंकर के थानेदार से बढ़कर पुलिस में प्रमोशन पाते हैं उनको 50 फीसदी का स्थान मिलना चाहिए लेकिन हो यह रहा है कि पी0 पी0 एस0 वालों को 70 फीसदी मिल रहा है और लोग अदालतों में जा रहे हैं और आप इस विषमता को दूर करने का प्रयास नहीं कर रही हैं। आई0 पी0 एस0 और पी0 पी0 एस0 के लोगों में जो विषमता पैदा हो रही है उसको रोकने का प्रयास करिये। मान्यवर, इन पुलिस के लोगों को रहने के लिए व्यवस्था नहीं हो रही है और काम उनसे इतना लिया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन सिपाहियों के लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाई हैं अभी पिछले वर्ष 80 करोड़ दिया गया और इस साल 6 करोड़ दिया गया। मैं समझता हूं कि पुलिस के असंतोष का कारण यह है, न कि वह है जिसके विषय में आपने मेरा ध्यान दिलाया और सदन का ध्यान दिलाया।

श्री अधिष्ठाता–

नेता विरोधी दल आपको इस पर दुबारा मौका मिलेगा आपका समय हो गया।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, मैं कुछ तो कह दूं, मान्यवर, व्यवधान पैदा कर रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनायें।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने थोड़े दिन पहले कहा था कि होमगार्ड अच्छा काम कर रहे हैं और उनका रेट 15 से बढ़ाकर 22 रुपया कर दिया गया भोजन का दिया जाता है वह भी 9 से 22 रुपया कर दिया गया।

(सदन की बिजली चली गयी परन्तु क्षण भर बाद आने पर)

आप यह बात स्पष्ट रूप से नोट कर लें कि केवल उन्हीं होमगार्ड को बुलाया जाता है जो कमीशन देते हैं जो इस 22 रुपये में से 5 रुपये वहां के अधिकारियों को देते हैं उन्हीं को प्रशिक्षण पर बुलाया जाता है। लेकिन आप इस कमीशन को रोक नहीं पा रहे हैं इसमें कोई आपका दोष नहीं है। ये बेचारे गरीब लोग हैं इनका ख्याल करें।

श्री अधिष्ठाता–

नेता विरोधी दल अब आप समाप्त करें।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, मैं दूसरी बात कहता हूं कि माया त्यागी काण्ड हुआ था उसमें हमारे नेता चरण सिंह ने भी कहा था। मान्यवर, मेरठ के अन्दर लोग मारे गये थे उस समय आप लोग कह रहे थे कि हम विपक्ष के लोग हैं और बिलावजह पुलिस को फंसाने का काम कर रहे हैं लेकिन जब यह मामला अदालत में गया तो उन दोषी लोगों को न्यायालय ने फांसी की सजा दी लेकिन आप कुछ नहीं कर पाये। मान्यवर, जिस पुलिस का काम सुरक्षा करना था महिलाओं की, जिस पुलिस का काम था कानून व्यवस्था बनाने का वह हत्यारी साबित हुई और इससे बड़ी अफसोसजनक बात और क्या हो सकती है कि आपकी सरकार उनकी अपील कर रही है। मैं चाहता हूं कि जवाब दें तो आप बतायें कि आपकी सरकार ने इस माया त्यागी काण्ड के अभियुक्तों को जो सजा हुई है उसके लिए क्या कोई अपील की है आपकी सरकार ने या कोई प्रार्थना-पत्र दिया है अगर नहीं दिया है तो मैं समझता हूं कि आप स्पष्ट करेंगी अपने उत्तर में।

मान्यवर, मैं यह कह देना चाहता हूं कि आपके प्रदेश के अन्दर कल हमसे कुछ स्वर्णकार मिले थे एक समय से आपने उनकी रोजी रोटी ठप्प कर रखी है अब उन्होंने यह प्रयास किया है कि छोटे मोटे गहने बनायें। तो ऐसे लोगों को पुलिस पकड़कर जो भी चांदी सोने के गहने हैं पुलिस उसको ले लेती है। वह आपसे मिल चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। वह स्वर्णकार अपना जीवन यापन चला सकें इसके लिए चाहता हूं कि उनके लिए परिचय पत्र की व्यवस्था की जाय और पुलिस के लोगों को हिदायत दें कि बिलावजह उन लोगों को परेशान न करें ताकि समाज में उन लोगों को भी जीने का मौका मिले।

मान्यवर, मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूं। मथुरा के अन्दर जो एस0 पी0 साहब हैं, उनके विषय में कहा गया है कि जब वहां पर आध्यात्मिक वातावरण की शुद्धि के लिए प्रयास किया गया था जिसमें भारत के राष्ट्रपति, लोक सभा के स्पीकर जाखड़ साहब, लोकपति त्रिपाठी जी, स्वरूप कुमारी बख्शी जी और अन्य तमाम नेतागण गये थे, मंत्री-गण गये थे, उन्होंने मांग की थी कि एक छोटी सी पुलिस चौकी वहां पर बना दी जाय। लेकिन उस धार्मिक स्थल पर एस0 पी0 साहब ने आज तक पुलिस चौकी नहीं खोली। वकीलों का जो आन्दोलन चला, उस व्यक्ति की कमी के कारण चला, उसकी लापरवाही के कारण चला। इस प्रशासन को संवेदनशील नहीं बना सकते तो किसी भी हालत में प्रदेश पर नियंत्रण नहीं कर सकते। आपके डी0 जी0 पी0 आर0 एन0 गुप्ता ने कहा कि कई काम किये हैं।

राजू भटनागर गैंग को समाप्त किया, अच्छा किया, लेकिन यह भी कहना चाहिए कि राजू भटनागर को समाप्त किया लेकिन ददुआ गिरोह पर कितने रुपये खर्च कर चुके हैं और क्या परिणाम सामने आये हैं ? ददुआ को पकड़ पाए हैं, मार पाए हैं, समर्पण करा पाए हैं, जिस पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा काम किया, हम नहीं कहते कि नहीं किया लेकिन प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए। गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, डी0 जी0 पी0 ने कहा साम्प्रदायिक दंगों

पर बहुत बड़ा नियंत्रण कर रहे हैं। तो खतौली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद के गोपालगंज आदि जगहों पर दंगे हुए । मैं कुछ जगहों पर नहीं पहुंच पाया । मार्च में जो दंगे हुए, आपके पहले के मंत्री के प्रशासन की गलती से जो दंगे हुए, हाशिमपुरा और मीलियाना काण्ड के बारे में ज्ञान प्रकाश आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उस पर क्या कार्यवाही की गयी? उत्तर में जरूर बतावें । जिस ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट में साबित किया गया है कि वहां के अधिकारियों और पी0 ए0 सी0 वालों द्वारा बड़ा जुल्म हुआ अल्पसंख्यकों और गरीबों के ऊपर। वहां पर सरकार ने क्या किया?

एमनेस्टी इन्टरनेशनल की रिपोर्ट आयी। अधिकारियों को दोषी ठहराया गया। खतौली और मुजफ्फरनगर में साम्प्रदायिक दंगे हुए। मैं भी वहां गया। कभी आपने बताया, प्रधान मंत्री कहते हैं कि ऐसा प्रशासन चला रहे हैं, ऐसा चाहते हैं कि प्रशासन को रिस्पांसिबिल ठहराया जा सके, प्रशासन संवेदलशील हो। मैं पूछता हूं कि जिस माह में दंगे हुए, उसी में आठ तारीख को उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बन्द का आवाहन था, लेकिन खतौली और मुजफ्फरनगर में पुलिस का कोई प्रबन्ध नहीं था। गोद में सर छुपाए राज्य मंत्री गृह वहां पर मौजूद थे। हुकुम सिंह भी वहां पर मौजूद थे। दोनों लगातार तीन दिन रहे और पुलिस का कोई प्रबन्ध नहीं था और इसी कारण खतौली में हिंसा हुई, लोग मारे गये, घर जलाए गये और दुकानें फूंक दी गयीं ।

मुजफ्फरनगर में भी यही हुआ। पुलिस ने सही काम किया होता, बन्द के आवाहन को देखते हुए, राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को देखते हुए, प्रदेश में भड़की हुई कलुषित भावनाओं को देखते हुए भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि इतना बड़ा दंगा हुआ । मंत्री जी, सईदुज्जमा जी ने शांति मार्च करा दिया। कचेहरी पहुंचे तो हुकुम सिंह जी के आदमियों ने खदेड़ दिया। इसमें जनता की तो मौत हो गयी। आपका प्रशासन संवेदनशील होता, रिस्पांसिबिल, उत्तरदायी होता तो मंत्री जी वहां के डी0 एम और एस0 पी0 को हटाकर ऐसी जगह लगा दिया जाता जहां उनका पब्लिक से कोई वास्ता न होता।

केवल 10-20 मौतें करायीं, कत्ले आम कराये, बाकी पर नियंत्रण कर लिया यह कहकर आप शाबाशी लेना चाहती हैं. मान्यवर विरोधी दल के लोग इस कार्य की निन्दा करेंगे, शाबाशी देने का कार्य नहीं करेंगे । दंगे भड़के हैं दंगे हुए हैं, पहली आवश्यकता थी सरकार की कि सरकार के माध्यम से राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद विवाद निपटवायें । तत्कालीन मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह के समय में इस समस्या का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश की धरती में यह समस्या आयी थी । उस समस्या का निराकरण आज तक नहीं कर पाये । उत्तर प्रदेश में आग बढ़ती ही चली जा रही है उस पर काबू नहीं कर पा रहे हैं । आपके मंत्री ने जो मुजफ्फरनगर के पुलिस उपाधीक्षक हैं जिनके स्थानान्तरण को इसलिये रिकमेंड किया कि क्योंकि वह आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से संबंध और वास्ता रखते थे आपने कई बार आदेश किये लेकिन आज तक उन आदेशों का पालन नहीं हुआ ।

क्या फायदा आपके गृह मंत्री रहने का आपके आदेशों का पालन नहीं हुआ उस कुर्सी पर क्यों विराजमान हैं जब आपके 10-20 फीसदी आदेशों का भी पालन नहीं होता है । आदेश करना छोड़ दीजिये । होमगार्ड की कमजोरियां देखें, कमीशन लिया जा

रहा है । भ्रष्ट पुलिस अधीक्षक के लिये जो अपराधों में संलग्न है उसको आज तक हटा पाने में सक्षम नहीं हो पाये हैं मुझे खासतौर से यह बात कहनी थी। पुलिस जुल्म के विषय में कहना चाहता हूं । आपके जमाने के अन्दर कत्याल की हत्या हो गयी रणजीत सिंह की गौरी बाजार में हत्या हुई थाने के 4 कदम पर मौके पर हुई थी पुलिस कितनी जागरूक है एक घंटे तक स्थल पर नहीं पहुंची दिनदहाड़े हत्या हुई थी कोई रात में नहीं हुई जंगल में नहीं हुई थी । पुलिस ने तत्परता से काम किया हुआ होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं हुई होती । अपराध कराने में पुलिस के लोग सहायक हैं आपके दल के लोग सहायक हैं ।

शाहजहांपुर का वाकिया यहां उठाया गया । एक हरिजन की हत्या कर दी गयी । हरिजन की हत्या की गयी आपके सांसद के द्वारा, सांसद के भतीजे के द्वारा । सांसद रोजाना गरीबों से बेगार लेते हैं, पट्टे की भूमि पर कब्जा करते हैं उन पर आप कार्यवाही नहीं करेंगी क्योंकि आपके दल में हैं । कहीं दूर की रिश्तेदारी का वास्ता हो । वहां पर आई0 जी0 त्रिपाठी बंगले में रखा है, बरेली मण्डल में उसने विषाक्त वातावरण कर रखा है । अगर जितेन्द्र प्रसाद, सांसद कहीं गुल्जिम होते हैं तो कार्यवाही नहीं । पिछले साल भी कहा था इस पुलिस अधिकारी के लिये कि नियुक्त मत कराइये, रिश्तेदारी आपके सत्ता पक्ष के लोगों से है आपके बगल में माननीय विधायक विनोद तिवारी जी बैठे हुए हैं इनसे पूछ लीजिये मेरी बात सच है या नहीं उस पुलिस अधिकारी के बारे में ।

शाहजहांपुर के अन्दर ज्यादा से ज्यादा घटना हो रही हैं वहां का सारा जन मानस दुखी हो रहा है । थाना कलान के अन्तर्गत एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार हुआ आपके पुलिस के सिपाहियों ने बलात्कार किया । अगर कोई बात होगी तो आई0जी0 त्रिपाठी का फोन एस0 पी0 और दरोगा के पास जायेगा, विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी मेरी बात नहीं चलेगी, क्योंकि उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है । यहां पर आपका काम नहीं कर सकते । आपके थाने कलान के अन्तर्गत एक चोर पकड़ा गया वह करीब 4 हजार घड़ियां चुराकर लाया राजस्थान से । मैंने एस0 पी0 को परसों बताया कोई कार्यवाही नहीं हुई । उसने वह घड़ियों पूरे क्षेत्र में सस्ते दामों में बेचकर बाट दी । चोर पकड़ा गया वह इतना चालाक चोर था जिस जिस को घड़ी बेचा सबके नाम गिना दिये । वहां पर गय घड़ी एक एक करके लोगों को बुलाया गया । किसी ने 10 घड़ियां लीं किसी ने 20 ली थी । पुलिस ने घड़ियां वसूल लीं और 3-4 हजार रिश्वत अलग ले ली । पुलिस के आदमी घड़ी रख लें तो कोई अपराध नहीं है अगर जनता ने उसे खरीद लिया तो उसे जेल भी जाना पड़ेगा थाना भी जाना पड़ेगा इस पुलिस अपराध पर निगाह नहीं रखेगी इन वाइट कालर अपराधियों पर निगाह नहीं रखेगी संसद में विधान सभा में जो मफेदपोश बैठे हैं उन पर निगाह नहीं रखेगी सत्तापक्ष के लोगों पर निगाह नही रखेगी तो मैं समझता हूं कि पुलिस के लोग नियंत्रण में नहीं रहेंगे । पुलिस जब नियंत्रण में नहीं रहेगी तो स्वच्छ प्रशासन की जो आप बात कर रही हैं उत्तर प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन नहीं दे पायेंगी स्वच्छ प्रशासन देने में सक्षम नहीं होंगी ।

इस समय पूरे प्रदेश में तमाम भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायतें आती हैं । आपने महिला सेल खोला, लेकिन बेहतर होता कि अगर आप इन शिकायतों की जांचों के लिये एक अलग से सेल खोल देतीं और जनता को यह भुतमईन कर देतीं कि उनकी शिकायतों की जांच तत्परता से कराई जायगी, उसके बाद जांच पर वह अधिकारी दंडित होता, तो एसे अपराधों की पुनरावृत्ति की संभावना न होती । लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, शायद समय नहीं दे पा रही हैं लेकिन कुल मिलाकर इस समय उत्तर प्रदेश की जनता में आपकी पुलिस के विरुद्ध बहुत बड़ा आक्रोश व्याप्त है । अपराधों पर आपका नियंत्रण नहीं है आपके एस0 एस0 पी0 चमनलाल बनारस से लखनऊ के लिये स्थानान्तरण किये गये थे, अगले दिन उनको फिर आपने वापस कर दिया ।

एक हरमोल सिंह आर्य, वह भी सरदार थे, जबकि चमन लाल अनुसूचित जाति के थे । यह जिम्मा प्रशासन का था, आपके शासन का था कि स्थानान्तरण करने से पहले वह देख लें कि कौन सा अधिकारी कहां भेजें, आपकी इस नीति से आपके क्रिया-कलापों से भी पुलिस में असंतोष होता है, मनोबल गिरता है । साथ ही आपकी अज्ञानता की वजह से उनका मनोबल गिरता है और वह यह समझते हैं कि हमारे साथ मजाक किया जा रहा है, हमारा मजाक बनाया जा रहा है और तब चमनलाल अपनी बात पर अड़ गये और उन्होंने कहा कि हम लखनऊ से नहीं जायेंगे, तब शासन को, सरकार को उनकी मांग पर झुकना पड़ा और उन्हें यहीं रोकना पड़ा । आज लखनऊ के इर्द-गिर्द जितने रीजन हैं, वहां अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे डकैतियों की बात हो, कत्ल हों या अन्य अपराध हों । जो लखनऊ रेन्ज है, कानपुर रेन्ज है, फैजाबाद रेन्ज है, वहां सबसे ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं । आपके बृजलाल बाराबंकी के एस0पी0 थे, बी0 के0 सिंह थे, यह लोग बहुत ईमानदार थे और श्री बृजलाल ने बाराबंकी के अन्दर स्मगलिंग करने वालों को, अफीम, हेरोइन का धन्धा करने वालों पर रोक लगाया ।

श्री अधिष्ठाता–

यादव जी, आप समाप्त करें, आपको एक घन्टे से अधिक समय हो चुका है, महत्वपूर्ण बजट है और सदस्य भी बोलेंगे ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैं तो मंत्री जी को सुना रहा हूं । आपको इसमें कोई एतराज है ?

श्री अधिष्ठाता–

नहीं मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप समय सीमा का ध्यान रखें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

हां तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि बृजलाल को 4 महीने में वहां से हटा दिया । इसी तरह बी0 के0 सिंह थे, बी0 सी0 गोयल थे, शाहजहांपुर में वह एस0 पी0 रहे, बाद में सहारनपुर में भी एस0 पी0 रहे । उनको मैं ईमानदारी का प्रतीक इसलिये मानता हूं क्योंकि शाहजहांपुर में एस0 पी0 बंगले का जो फार्म है, वह लगभग डेढ़ सौ एकड़ का है, और उसकी आमदनी बहुत अधिक होती है, जिससे हर एस0 पी0 चाहता है कि हमें शाहजहांपुर भेज दिया जाय । सिर्फ बी0 सी0 गोयल एसे एस0 पी0 वहां रहे जिन्होंने बंगले का 200 रुपया माहवार किराया दिया और फार्म की आमदनी को सरकारी खजाने में जमा कराया, लेकिन उसके

पहले और आज तक जो भी वहां एस0 पी0 आये, उन्होंने उस फार्म की आमदनी को अपने घर की आमदनी समझा, ऐसे ईमानदार अधिकारी को आपने वहां न रखकर मुरादाबाद भेज दिया ।

आज आपके तमाम भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारी जिलों के अन्दर एस0 एस0 पी0 और डी0 आई0 जी0 बने हुये हैं, उनका मैं नाम लेकर क्या बुराई करूं, छोटापन दिखाऊं, लेकिन अगर मंत्री जी चाहें तो वह मुझसे पूछें । मैं उन्हें बताऊंगा कि आप एक से एक भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारियों को जिलों के अंदर भेज रही हैं, जो डी0 आई0 जी0 और एस0 पी0 को चार्ज संभाले हैं । जो ईमानदार अधिकारी हैं, उन्हें आपने सी0 आई0 डी0 में भेज रखा है । आज आपको सी0 आई0 डी0 पर भरोसा है जनता को भरोसा है और जब भी जरूरत होती है, सी0 आई0 डी0 जांच की बात आती है, लेकिन सी0 आई0 डी0 में रहने वाले लोगों की हालत यह है कि वह गरीबी की जिन्दगी काटते हैं । हमारे विधायक निवासों में, दारूलशफा में ही ऐसे अधिकारी पड़े हुये हैं, जिनके लिये आपने आवासों की व्यवस्था नहीं की । जो 75 रुपया ज्यादा दे रहे थे, कुछ और एलाउन्स दे रहे थे, पेंशन के आधार पर उनको यह लाभ नहीं दिया गया, उनका उस आधार पर डी0 ए0 नहीं बढ़ाया गया ।

उनको अतिरिक्त सुविधायें नहीं दी गयी हैं । उसका अन्जाम यह है कि आज लोग सी0 आई0 डी0 में नहीं जाना चाहते हैं । उसे वह पनिशमेंट पोस्ट मानते हैं । आप उत्तर प्रदेश में पुलिस के गिरते हुए स्तर के बावजूद भी लोगों का कुछ हद तक आपकी सी0 आई0 डी0 पर भरोसा है । परन्तु आपने उससे मुंह मोड़ लिया है । जो लोग गलत हैं और जिनकी प्रशासन में पहुंच है, जिनकी मुख्य मंत्री जी तक व आप तक पहुंच है, मेरे पास पूरी लिस्ट है, ऐसे एक दर्जन आई0 पी0 एस0 अधिकारियों को आपने महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस अधीक्षक बनाकर तैनात किया है । जिनके खिलाफ विजीलेन्स की जांच चल रही है, जिनके खिलाफ सी0 आई0 डी0 की जांच चल रही है, एन्टी करप्सन की जांच चल रही है, कम से कम, मेरा अनुरोध है कि ऐसे आई0 पी0 एस0 अधिकारियों को आप महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात न करें । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । जिला बरेली में 1984 में एक फर्जी इन्काउन्टर हुआ था । उसमें एम0 सी0 उपाध्याय, इन्सपेक्टर, भूप सिंह, इन्सपेक्टर के0 के0 बाजपेयी व गोस्वामी दरोगा नामजद मुलजिम थे । सी0 आई0 डी0 ने जांच की और चार्जशीट सब्मिट की । सी0 आई0 डी0 ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन्हें निलम्बित कर दिया जाय और डी0 आई0 जी0 बरेली ने उन्हें निलम्बित कर दिया, परन्तु आपकी पार्टी के सांसद का हुकुम पहुंचा तो आई0 जी0 ने उन्हें बहाल कर दिया और आज वे थानों में कोतवाल बने हुए हैं । ऐसे लोगों को क्या आपकी सरकार संरक्षण नहीं दे रही है ?

मैं पुनः कहना चाहता हूं कि ऐसे जो भ्रष्ट आई0 पी0 एस0 व पी0 पी0 एस0 अधिकारी हैं, उन्हें महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात न किया जाय । माननीय मंत्री जी ने अपने कार्यकाल 1988 की उपलब्धियों का यहां जिक्र किया। आपने कहा कि हमने शान्ति पूर्वक चुनाव कराये । चुनाव तो होने ही थे। आपने कहा कि कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई । आपने कम्भ मेले का भी जिक्र किया और कहा कि कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई । कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई जिससे आपको दोषी ठहराया जा

सकता है, परन्तु उस कुम्भ मेले में जो विदेशी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं और साधुओं के अखाड़ों में औरतें मरी हुई पाई गई हैं । आपके दल के श्री अशोक बाजपेयी पुलिस के कानूनों को ताक पर रखकर नाव को बीच गंगा में ले जाते हैं । वहां पर अशोक बाजपेयी व उनके परिवार के लोगों को तो बचा लिया जाता है किन्तु उनके नौकर को नहीं बचाया जाता है । तो यह क्या है ? ऊपर से आप एस0 एस0 पी0 के ऊपर गरम हो रहे हैं । आपके पार्टी के लोग कानून तोड़ते हैं और हम लोगों को वहां पर जाने के लिए प्रतिबन्धित किया जाता है । पुलिस ने सक्रियता से काम किया, फिर भी वहां पर ऐसी घटनायें हुई, जो एक धार्मिक स्थल पर नहीं होनी चाहिए थीं और जिन्हें आपकी लाड़ली पुलिस नहीं रोक पायी । आज आपकी पुलिस क्रूर हो गयी है, बिल्कुल दिशाहीन हो गयी है और उसमें किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं रह गयी है। दिन प्रतिदिन वह वहशीपन जैसा व्यवहार जनता के साथ कर रही है । लोग उसके बहशीपन के शिकार हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं । अगर मुख्यमंत्री जी ने पुलिस के कामों को देखकर उसके बजट में कटौती की है, तो मैंने भी जो कटौती की है उसको भी जायज कहना चाहिए ।

(श्री लाल प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री महेन्द्र भाटी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

इनकी जो किताब है "उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यकलापों तथा उपलब्धियों का विवरण-वर्ष 1988" उसके पृष्ठ 4 पर कितनी फर्जी इनफार्मेशन सप्लाई की गयी है, यह बताना चाहता हूं । इन्होंने लिखा है कि– "1–आई0 एस0 136 ओमवीर गैंग-दिनांक 19-2-88 को थाना किठौर जनपद गाजियाबाद पुलिस ने इस गैंग के सदस्य बालेश्वर पुत्र लालचांद निवासी अतरांव थाना खरखोरा को एक सशस्त्र मुठभेड़ में मार गिराने में सफलता प्राप्त की ।" बताना चाहता हूं कि न किठौर गाजियाबाद में है और न खरखोरा गाजियाबाद में है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । माननीय मंत्री जी देख लें और जो गलत हो, ठीक करा दें ।

(व्यवधान होने पर)

यह महत्वपूर्ण बजट है शान्ति बनाये रखें । मैंने श्री लाल प्रताप सिंह को बुलाया है ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी तरफ से कहावत है "जान है तो जहान है" । कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार और पुलिस का परम कर्तव्य और पहला कर्तव्य है कि हर व्यक्ति की रक्षा करे । जीवन की रक्षा होनी चाहिए, उसकी सम्पत्ति की रक्षा होनी चाहिए और स्टेट अपरेटस की रक्षा होनी चाहिए । इस तरह से मूल्यांकन करना चाहिए कि पुलिस विभाग के मुकाबले अन्य विभागों ने कैसा काम किया है । मैंने बहुत ही गौर से माननीय नेता विरोधी दल को सुना और मैं अपना अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूं । सार्वजनिक जीवन में रहने के नाते इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि

यह हमारा सिस्टम जो है अंग्रेजी में कहूंगा, "आवर सिस्टम इज अन्डर हैवी स्ट्रेन" जबर्दस्त तनाव से होकर गुजर रहा है । वह कैसा तनाव है, इसे देखने की आवश्यकता है । कानून और व्यवस्था पुलिस के ही माध्यम से नहीं चलती है । जो समाज कानून बनाता है, उसका उल्लंघन न करे तब समझ सकते हैं कि कानून का क्या महत्व है ? तब हम दो चार कदम दस कदम आगे बढ़ सकते हैं । आज क्या हालत है । इन कठिन परिस्थितियों में पुलिस ने अपना कर्तव्य बहुत ही निष्ठा के साथ पूरा किया है । इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोई सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं है और "जनरल सेन्स आफ इनसिक्यूरिटी" नहीं है ।

(श्री राम शरण दास के खड़े होने से व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

लूट रहे हो, खा रहे हों ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

आप जिस "परसपेक्टिव" में देखें । आप जरा देखें कि क्या हालत है समाज की कि छोटी से छोटी बात में प्रोटेस्ट, रैली और प्रोसेशन होता है । अगर एक वकील का किसी आदमी से या रेशकार से झगड़ा हो गया तो फौरन प्रोटेस्ट और रैली हो जाती है । एक लेबर क्लास का आदमी किसी अदालत में नहीं जायेगा बल्कि अपनी बात के प्रोटेस्ट में रैली निकाल देगा । टीचर्स अपने विद्यार्थियों से कुलपति के विरुद्ध प्रोटेस्ट करवाते हैं । पोलिटिकल पार्टी की तो हालत यह है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, इसमें जरा-जरा सी बात पर प्रोटेस्ट और प्रदर्शन होते हैं ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी विकासशील देश की डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है जैसा कि यहां पर है । यह सारी की सारी बातें जो आज पैदा हो गयी हैं, यह कठिन परिस्थितियां हैं पुलिस के लिये । पुलिस पेशेवर बदमाशों से निपटना चाहती है, पहले इस पर स्टेगिमा लगा दिया था इसलिये बदमाश स्टेगिमा के कारण ऐसा नहीं है कि न रहे हों लेकिन आज हालत दूसरी हो गयी है । आज वह हमारे और आपके साथ बैठता है, चुनाव में सहायता करता है, वह ब्लाक प्रमुख भी होता है और ब्लाक अध्यक्ष भी होता है और बराबरी से हमारे और आपके बीच में बैठता है ।

छोटी-छोटी बातों को लेकर हम कानून को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि ऐसा करने से पेनाल्टी बहुत कम होगी । हम सबका यह प्रयास होना चाहिये कि बनाये गये कानून का पालन हो, उसका ब्रीच नहीं होना चाहिये । तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और व्यवस्था कायम रह सकती है । बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि किस तरह से चीजों को बढ़ावा मिलता है । सुरक्षा की व्यवस्था को बनाने के लिए जिम्मेदार पुलिस है । हर प्रदेश का अपना-अपना हिसाब है, अपने-अपने तौर-तरीके हैं और अपनी जीनियस के मुताबिक वह अपने डेवलपमेन्ट करता है । यह सही है कि पोलिटिकल इण्टर-फियरेन्स से यह होता है । पुलिस फोर्स को पोलिटिकल लाईन में, धर्म के झगड़े में, साम्प्रदायिक तनाव में नहीं आना चाहिये बल्कि उसके द्वारा कानून और व्यवस्था का पालन होना चाहिये ।

श्री फजलुल बारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आप कह रहे थे कि यह बड़ा महत्वपूर्ण बजट है, तो क्या यह इन्तजाम नहीं होना चाहिये था यहां पर न गृह मंत्री मौजूद हैं, न ही गृह सचिव और डी0 जी0 पी0 ही बैठे हुए हैं, तो यह कैसा महत्वपूर्ण बजट है ?

श्री अधिष्ठाता–

मा0 गृह मंत्री जी मौजूद हैं और कई कैबिनेट स्तर के मंत्री भी मौजूद हैं । अच्छा ता यह है कि संबंधित अधिकारी भी यहां पर हों । कृपया आप लोग शान्ति बनायें । माननीय लाल प्रताप सिंह जी मैंने आपसे समय के लिये निवेदन किया था पहले भी और अब फिर कहता हूं कि जरा सीमित करें ।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का वर्चस्व होना चाहिए उसके माध्यम से हमारे जो एजेन्ट हैं पुलिस या कोई भी हो, हमारा सहयोग उन्हें शान्ति व्यवस्था को स्थापित करने में चाहिये ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी माननीय लाल प्रताप सिंह ने जो "एजेन्ट" शब्द कहा है इसका तात्पर्य क्या है ? क्या पुलिस के एजेन्ट से कोई तात्पर्य इनका है ?

श्री लाल प्रताप सिंह–

स्टेट की पुलिस एजेन्ट है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह विद्वान सदस्य हैं जो बोल रहे हैं और ये उपाध्यक्ष जी उनकी बुद्धि को क्या समझेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय लाल प्रताप सिंह, आप अपनी बात को जल्दी ही समाप्त करें ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

(व्यवधान)

राना हैड लर्नट मोर ला एण्ड जागरफी.....

(व्यवधान)

मान्यवर अब मैं केवल 2-3 सुझाव ही देना चाहता हूं जिसमें से सर्वप्रथम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पुलिस को चाहिए कि जिन लोगों के पास नाजायज हथियार हैं, चाहे वह कहीं पर हों और किसी के पास हों, उन्हें रिकवर करें और दूसरा मान्यवर यह कि मोटर साईकिलों व अन्य विहिकिल्स पर पूरी चैकिंग्स होनी चाहिए और पूरा-पूरा नियंत्रण होना चाहिए, इस मामले में किसी के साथ और किसी भी किस्म का भेद-भाव न होना चाहिए । तीसरी बात यह कि पोस्टिंग व ट्रांसफर्स लेजिस्लेटर्स के माध्यम से न होने चाहिए और साथ ही पुलिस सी0 ओज0 का दायरा भी बढ़ा देना चाहिए ताकि वह स्वयं अपने स्टाफ का पेबिल बनाएं और उनको हर तरह से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कंट्रोल करें । इसी प्रकार से कांस्टेबिल व हेड कांस्टेबिल्स की पोस्टिंग व ट्रांसफर स्वयं करें तथा सब डिवीजन के मजिस्ट्रेट का सी0 ओ0 से सम्पर्क रहना चाहिए और मान्यवर इस ओर जो 1973 से पहले पोजीशन थी, उसको लागू करना चाहिए....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य काफी बोलना चाहते हैं इसलिए समय निर्धारित यदि कर दिया जाए तो ज्यादा उचित होगा, 5 मिनट हर माननीय सदस्य के लिए और 10 मिनट मा0 नेता के लिए ज्यादा मुनासिब रहेगा....

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर मा0 नेता विरोधी दल तो बोल चुके हैं और अब नेता व उप नेता का भी कुछ अंतराल तय कर दिया जाए, मा0 नेता का तो आपने तय कर दिया है, लेकिन उप नेता.....

(व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर अंत में यही कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि 1973 वाली पोजीशन फिर लागू कर दीजिए और मजिस्ट्रेट का पुलिस पर ज्यादा कंट्रोल रहना चाहिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

श्रीमन् आचार्य द्रोणाचार्य जी ने केवल एक चक्रव्यूह की संरचना की थी और जिसमें एक निहत्थे अभिमन्यु को मारा गया था, जिस घटना की चर्चा आज घर-घर में हो रही है । परन्तु हमारी सरकार ने आज साढ़े 13 करोड़ नागरिकों को आतंकवादियों, उग्रवादियों व अपराधियों के चक्र-व्यूह में बिल्कुल निहत्थे खड़ा कर रखा है और इस सरकार ने जो फायर आर्म्स के लाइसेन्स देने की जो पालिसी बना रखी है, इस पालिसी ने सारे उत्तर प्रदेश की जनता को बिल्कुल निरीह बना रखा है, बिल्कुल असहाय कर रखा है और यह जनता आतंकवादियों और अपराधियों के सामने आज त्राहि-त्राहि कर रही है, इस पर भी यह सरकार तो जो फायर आर्म्स के लाइसेन्सी पर रिलैक्शेसन देने चाहिए थे, वह नहीं दे रही है, अगर इस पर मान्यवर यह कहा जाए कि अपराधियों के साथ इनकी सांठ-गांठ नहीं है तो क्या गलत होगा दूसरे यही वजह है कि आज आप यहां पर अपराधों को रोक नहीं पा रहे हैं, बल्कि आज प्रदेश में इन कट्टों व गोलियों का निर्माण इस तरह पनप रहा है जैसे कि प्रदेश में इसके कुटीर उद्योग हो और इस सबकी जानकारी पुलिस प्रशासन को है, लेकिन यह पुलिस प्रशासन आज उसे रोक पाने में असफल हो रहा है, क्योंकि इन्हीं की सांठ-गांठ से सब हो रहा है । हां एक काम आपने किया है कि आम नागरिकों पर फायर आर्म्स के लाईसेन्स दिए जाने पर कई सालों से रोक लगा दी है, हमारा श्रीमान जी आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर आप सही मायनों में देश व प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो कम से कम फायर आर्म्स पर जो लाईसेन्स देने की पालिसी बना रखी है, उसमें सुधार करें । दूसरा मेरा सुझाव यह है कि ....

श्री राम शरण दास–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप अधिष्ठाता हैं । आपको अपने विवेक से काम लेना चाहिये । मैं तिवारी जी के बोलने पर एतराज नहीं करता, मैं इनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन आपकी दृष्टि ठीक रहनी चाहिये । जो पीछे बैठने वाले हैं, इन लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए । कुछ लोगों का एक सेट बना हुआ है, वह जरूर बोलेंगे, चाहे वह इधर के हों या उधर के हों । यह हमारा और आपका फर्ज कि किसको बोलने के लिए बुलावें । ऐसा नहीं है कि कोई 2-4 लोग ही बोलेंगे । जब नेता विरोधी दल बोल चुके हैं, तो दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

मेरा दूसरा सुझाव है कि आज पुलिस विभाग में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो स्वयं अपराधी बन गये हैं, यह अपराधों में उनकी सांठ-गांठ है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अगर सरकार सम्वेदनशील है, तो उसे पुलिस के चरित्र को देखना होगा, गोरखपुर जनपद में गोरखनाथ थाना है । वहां पर केस प्रापर्टी में बेल्जे स्काट रिवाल्वर माल खाने में जमा था जिसे पुलिस की सह पर वहां से गायब कर दिया गया और जब दो मार्च को हाउस में जब नियम 56 के अन्तर्गत हमने सूचना दिया तो वहां के अधिकारी बौखला गये और 2 मार्च 1989 को पुलिस ने एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी जिसका मुकदमा नम्बर 37/89 है, जो धारा 609 आई0 पी0 सी0 और धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज करायी गयी है । जब इत्तिला करायी गयी तो पाया गया कि मालखाने से चीजें गायब हैं । पुलिस कर्मियों पर मुकदमा कायम कर दिया गया, लेकिन धारा 409 और धारा 25 के अंतर्गत किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है । जेल और थाने की चहारदीवारी सबसे सुरक्षित होती हैं, लेकिन आज मालखाने से बेल्जे स्काट रिवाल्वर गायब हो गया और तमाम फायर आर्म्स गायब हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यह भले आदमी के पास नहीं गये निश्चित रूप से किसी अपराधी के पास गये हैं । यह बात इस बात को साबित करती है कि पुलिस अपराधियों को संरक्षण प्रदान करती है, उन्हें असलहा मुहैया कराती है और पुलिस अपराधों को बढ़ा रही है ।

अभी नेता विरोधी दल ने कहा कि पुलिस के तमाम अधिकारियों के बयान को पढ़कर सुनाया, उनसे स्पष्ट है कि पुलिस का चरित्र संदिग्ध है, उसमें संदिग्ध चरित्र के लोग आ गये हैं । पुलिस आतंकवाद को रोकने में असफल हो गयी है और वह साम्प्रदायिक दंगों को भी रोकने में असफल हो गयी है । हमारे यहां पर साम्प्रदायिक दंगे हुये, उनमें कितने लोग मारे गये । फैजाबाद में दंगा हुआ । मैं कहना चाहता हूं कि शमशेर नाम के व्यक्ति को मारकर और बेहोश करके ले जाया गया, लेकिन उसकी लाश का आज तक पता नहीं चला । आम चर्चा है कि उसको मार दिया गया है । पुलिस ने 302 में मुकदमा कायम किया है, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तफतीश नहीं बढ़ रही है । यह सरकार आदमी की जिन्दगी की कोई कीमत

नहीं समझती है । अगर पुलिस सक्षम नहीं है, तो सी0 आई0 डी0 से जांच करायें । हमारे जनपद में 6 लाशें पायी गयी, लेकिन हमारे जनपद फैजाबाद के बेवाना थाने में विवेचना नहीं हुई है । पुलिस की मौजूदगी में अपराध होते हैं । मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, 6 मार्च को महरुवा बाजार एक जगह है, वहां पर पुलिस चौकी के सामने दो गिरोहों में आधे घन्टे तक लाठी और गोलियों से मारपीट हुई और उसमें एक आदमी मारा गया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । एक अपराधी है, जो एक बड़े गजटेड आफीसर का भाई है और इस तरह से उसे प्रशासन का और राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है । श्रीमन, आज यह स्थिति है इस पुलिस विभाग की । अगर आज हम सही माने में जनता को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस स्थिति पर नियंत्रण करें ।

श्री बद्री सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, वर्ष 1988 इस प्रदेश की पुलिस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण और उपलब्धियों का वर्ष रहा है । इस वर्ष में साम्प्रदायिक तनाव, छात्र आन्दोलन, किसान आन्दोलन इत्यादि घटनायें हुई हैं । इनसे निपटने के लिये पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से काम किया है । इसके लिये सरकार और प्रदेश की पुलिस बधाई की पात्र है । मान्यवर, हाल ही में पंचायतों के चुनाव इस सरकार ने कराये, जिला परिषद् के, ब्लाकों के चुनाव हुये और पुलिस ने उनमें जो शांति व्यवस्था रखी उसके लिये भी हमारी सरकार, माननीय मुख्य मंत्री और माननीय गृह मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिये विशेषरूप से अक्टूबर, 88 में एक महिला सहायता प्रकोष्ट की स्थापना की गई है यह भी इस सरकार का एक प्रशंसनीय काम है । जहां तक अपराधों में विशेषरूप से आतंकवादियों की बात है कि वे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित होते हैं, उनसे निपटने के लिये सरकार ने पुलिस बल में आधुनिक हथियार रखने का जो निर्णय लिया है उसके लिये भी हमारी सरकार निःसंदेह बधाई की पात्र है ।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में दो-एक बातें कहना चाहता हूं । 1988-89 में प्रदेश में 28 नये थाने बनाये गये और 8 पुलिस चौकियां भी स्थापित की गई है अब उन्हें और बनाने का प्रस्ताव है । पुलिस के लिये प्रशिक्षण की भी बहुत आवश्यकता होती है उन्हें समुचित प्रशिक्षण मिल रहा है । कुम्भ मेले के समय में यह निर्विवाद सत्य है कि इस पर्व पर जो शताब्दी का सबसे बड़ा मेला था, जहां इतनी बड़ी भीड़ होती है वहां पर भी शांति व्यवस्था हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा की गई है । इसलिये वह बधाई के पात्र हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती । मान्यवर, जनपद जालौन जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर पुलिस फोर्स की कमी है वहां पर पुलिस फोर्स और बढ़ाने की मैं मांग करता हूं मेरे जनपद में 1500 की आबादी पर एक पुलिस कर्मचारी का औसत आता है जिसमें कलकिल स्टाफ भी शामिल है । मेरे क्षेत्र से पुलिस चौकियों का भी प्रोपोजल आया है । इसके लिये हम एक साल से मांग कर रहे हैं किन्तु अभी उस प्रोपोजल को अनुमोदित नहीं किया गया है । शासन द्वारा उनका अनुमोदन कराया जाय इसके

अलावा मेरा आपसे निवेदन है कि जहां पर पुलिस चौकियां नहीं हैं । इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में लोहई गढ़बांवर, परासन, इटौरा, मेडीखुर्दपाली, बुजुर्ग हथना, बुजुर्ग में चौकिया खोली जाय नये थाने परासन व न्यामतपुर में भी खोले जांय । दूर दराज के इलाके होने के कारण वहां पर दस्युओं का आतंक बना रहता है । पूरे जनपद के लोग भयभीत रहते हैं । इसलिये इस स्थिति से निपटने के लिये आप वहां पर रिवर पुलिस की व्यवस्था करें ताकि दस्यु उन्मूलन में वह सहायक हो सके ।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जितने सिरसा कलाहव आटा दो हैं । उनमें भवन नहीं है । अतः मेरा निवेदन है कि जिन थानों के भवन नहीं हैं उनके लिये भवन बनवा दिये जाय । दस्यु उन्मूलन के लिए जरूरी है कि जमुना नदी में खड़गुई (पाल) के पास पैंटून ब्रिज बनाया जाय इन शब्दों के साथ मैं पुनः हृदय से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का सर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री पारसनाथ यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया है । मान्यवर, गृह विभाग एक ऐसा विभाग है जो मनुष्य के जीवन के लिये बहुत ही आवश्यक है लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी गुलाम जनता की हुकुमत पर अंग्रेजों ने जो कानून व्यवस्था बनायी थी वह हमारी व्यवस्था चल रही है । वही सी0 आर0 पी0 सी0 और आई0 पी0 सी0 की कानून व्यवस्था हमारे यहां चल रही है जिसके चलते हम आज भी पुलिस व्यवस्था जो आजादी के पहले थी उससे भी निरंकुश हो चली है आज भी शरीफ आदमी थाने जाने से घबराता है जबकि आजादी के बाद यह होना चाहिये था कि यह पुलिस हमारी शांति व्यवस्था और हमारी सुरक्षा के लिए है ऐसा लगता और वह भाई चारे का व्यवहार के लिये होती । लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ही बीच के लोग हमारे ही परिवार के लोग पुलिस की वर्दी जब धारण करते हैं तो वही हमारे रक्षक हमारे भक्षक बन जाते हैं । इस पर मुझे एक शेर याद आ गया है उन पर जिसे मैं कहना चाहता हूं–

"कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे जो चन्द सासों में फूल जाते हैं,
थोड़ी सी बुलंदी पाने पर अपनी औकात भी भूल जाते हैं ।"

स्वतंत्र देश में हमारे और आपके बीच से जाकर यह वर्दी पहन कर हमारी रक्षा करने के बजाय हमारे भक्षक के रूप में कार्य करते हैं तो बड़ा असंतोष होता है । इसका पूरा दोष इस हुकुमत में बैठे लोगों का है जो इनकी मानसिकता को बिगाड़ दिये हैं । यह उनका प्रयोग अपने स्वार्थों के लिये करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिये उनका प्रयोग करते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिये और बूथ कैपचरिंग के लिये करते हैं जिसकी वजह से आज 13 करोड़ जनता असहाय हो चुकी है । थानों में गरीब आज पिट रहे हैं यदि पुलिस की शिकायत जनता करती है तो सरकार उन्हीं से इसकी जांच कराती है, मंत्री उनको पुरोसाहित करते हैं उनके स्थानान्तरण को रोकते हैं (लाल बत्ती होने पर) मैं दो मिनट और लूंगा हमारे जनपद में जिस प्रकार से अपराध बढ़े हैं उसका कारण यह है कि वहां की पुलिस निरंकुश हो गयी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे क्षेत्र में थाना रामपुर के गोपालपुर बाजार में एक डकैती दिन दहाड़े 6 बजे पड़ी । वहां के नागरिकों की मांग है कि वहां पर एक पुलिस चौकी खोली जाय । इसलिये मैं मांग करता हूं कि रामपुर, गोपालपुर में एक पुलिस चौकी खोली जाय । इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्रीमती सरस्वती देवी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे गृह विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । हमारा गृह विभाग एक सुयोग्य और कुशल मंत्री के हाथ में है जिनका जनसेवा में लम्बा इतिहास है । मैं उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करती हूं । श्रीमन् हमारा ग्रह विभाग इस समय ऐसी कठिन परिस्थितियों में बड़े दायित्व से काम कर रहा है जब हमारे देश में आतंरिक और बाह्य विघटनकारी शक्तियां आये दिन इस तरह की कार्य-वाही में लगी हैं कि जो हमारे विकास के कार्य हो रहे हैं उनमें बाधा पड़े तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से हमारा गृह विभाग कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है । इसके लिये मैं शासन को बधाई देना चाहती हूं कि ऐसे अवसर पर कोई भी शक्ति उनको विचलित नहीं कर पाई है । स्थानीय निकायों के चुनाव 17 साल बाद हुये इसमें हमारे पुलिस विभाग ने जिस दक्षता का परिचय दिया उसके लिये मैं पुलिस कर्मियों को बधाई देना चाहती हूं ।

इस वर्ष 72 साल के बाद इलाहाबाद में महाकुम्भ का पर्व हुआ और करोड़ों की संख्या में वहां श्रृद्धालु आये उसमें शान्ति व्यवस्था पुलिस ने दक्षतापूर्वक की उसके लिये भी मैं उनको बधाई देती हूं जिसकी सराहना हमारे देश के लोगों ने ही नहीं की बल्कि विदेश से आये लोगों ने भी की है ।

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने पुलिस कर्मियों के व्यवहार में सुधार की और उनको सुविधा तथा आवास आदि की व्यवस्था की भी योजना बनाई है । इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहती हूं कि पुलिस कर्मियों को यह शिक्षा मिलनी चाहिये कि उन्हें सहनशील होना चाहिये उनको उनको जनता के साथ सद्भावना का व्यवहार करना चाहिये । आज यह समय नहीं है कि जनता उनके कठोर शब्दों को सहन कर ले । जब पुलिस कर्मियों का चयन हो तो उनकी शिक्षा के साथ-साथ उनका व्यवहार भी देखना चाहिये । हमारी गृह मंत्री जी एक कुशल प्रशासक है और कोमल हृदय नारी भी हैं । उन्होंने अपने विभाग में नारियों के उत्पीड़न को रोकने के लिये अपराध अनुसंधान विभाग में एक विशेष महिला सेल खुल-वाया है । जिसमें वह सर्वोच्छक संस्थाओं का सहयोग भी ले रहे हैं, ताकि महिला की जो शिकायतें हैं, उनका निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र हो सके । हमारे पर्वतीय क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहुत अच्छी है । वहां पर अधिकारी तभी काम कर सकता है, जब उसको सुख सुविधा दी जाए । वहां पर पुलिस कर्मियों के लिए तम्बुओं की भी व्यवस्था नहीं है, उनको जमीन पर सोना पड़ता है । वहां पर पुलिस कर्मियों के लिए तम्बुओं की व्यवस्था की जाए । हमारे यहां कितने ही थाने टेन्टों में चल रहे हैं । इसलिए मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर इन टेन्टों की जगह पर पक्के मकान बनवा दिये जाएं । इसके साथ मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री फजलुल बारी–

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । जहां तक सवाल इसका है कि पुलिस का काम उत्तर प्रदेश में क्या है, कैसा है तो ज्यादातर बातें यह आयेंगी कि पुलिस से बहुत शिकायतें हैं । मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार सिर्फ एक काम करती, राजनीति दबाव, राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस को बचा लेती तो शायद पुलिस कुछ काम कर पाती । मैं इस संबंध में एक मिसाल दूंगा । यहां इस समय गृह मंत्री नहीं हैं (व्यवधान) खैर आ गई, इसको वह नोट कर लें कि पुलिस काम क्यों नहीं कर पाती है । हमारे यहां आजमगढ़ के थाना फूलपुर, ग्राम मुंडियार में एक आदमी एजाज है, जिसका केवल काम यह है कि वह विदेशी एजेन्सियों से कनेक्टेड है और वह रुपये के हवाले का काम करता है । मै0 त्रिलोचन सिंह निर्मल सिंह सिंगापुर की एक फर्म है, जो भारत में आतंकवादियों को रुपया पहुंचाने का काम करती है । यह काम भारत में इन एजाज के जरिये ही होता है । परन्तु उनके यहां कांग्रेस के आदमी बाकायदा दावत खाने जाते हैं । 10 दिसम्बर को उसके गांव मुंडियार में एक आलीशान दावत हुई, जिसमें 5 हजार से ज्यादा लोगों ने खाना खाया है । उस दावत में एक मंत्री श्री जगदम्बिकापाल शरीक हुए थे कोई एक इनकी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता हैं [x x x] वह भी गये थे । उसने लखनऊ हजरतमहल पार्क में यहां पर एक मुशायरा करवाया, उसमें लाख रुपये से ऊपर खर्च किया और उसने कांग्रेस इनके नेता [xxx] को भी बुलवाया और वह भी गये । . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जो सदस्य नहीं हैं, उसका जिक्र आप वहां न करें । मैंने कह दिया, अब आप बैठिये ।

श्री फजलुल बारी–

मेरा कहना यह है कि इनको इसकी जानकारी नहीं रहती है, यह ठीक है, लेकिन . . . (व्यवधान) . . इस आदमी एजाज और इसके बहनोई गनी ने एक बार बहुत बड़ा गोल-माल किया था । जिसमें इन दोनों पर बनारस में डायरेक्टर आफ इन्फीसमेन्ट कार्यालय से 10 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना हुआ था सन् 82 में, किन्तु यह जुर्माना इनसे आज तक वसूल नहीं हुआ है । क्योंकि जब यह फाइलें प्रोसेस में थी, उसने अपनी अप्लीकेशन दिल्ली में दी, तो वहां पर [xxx] उसकी फाईल को दबवाने का काम किया और आजतक वह फाईल वहां दबी हुई है . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह परम्परा है कि जो सदस्य नहीं है, उसका नाम न लिया जाए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह बेचारे इनके बारे में यह बात क्यों बता रहे हैं ? अब तो इन्दिरा गांधी की हत्या में इनका नाम आ गया, यह छोटी बात बताने जा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

बैठिये । आपने तो और । यहां बेचारा कोई नहीं है ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री फजलुल बारी–

यह मैं सब इसलिए कह रहा हूं कि पुलिस के लोग अपना काम क्यों नहीं कर पाते । एक दूसरे मंत्री जी वहां आजमगढ़ में गये थे, तो वहां के अधिकारियों ने उनसे अनुरोध किया जब ऐसे बड़े अपराधियों के यहां हमारी सरकार, मंत्री लोग दावत खायेंगे तो हम उनके खिलाफ कैसे कोई कार्यवाही कर सकते हैं । लेकिन इन मंत्री जी से पूछा जायेगा तो यह उस बात से इन्कार कर देंगे । आप इतना काम करें कि पुलिस के ऊपर से अपने सत्ता दल के मंत्रियों और विधायकों का नाजायज दबाव हटवा लें, तो पूरी शान्ति व्यवस्था हल हो जायेगी ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जनरल रूप से यह कह देना कि राजनीतिक दबाव से, लेकिन यह कहना कि सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव से, तो यह चार्ज लगाना ठीक नहीं है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि विपक्ष में ऐसे लोग---

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य यह कोई व्यवस्था नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी–

मैं जो बात कह रहा हूं मेरे पास कोई सरकार आदमी तो है नहीं । इस तरह के तथ्य मिले हैं मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी इन्क्वायरी करायें एक ऐसा अपराधी जो आतंकवाद को आर्थिक मदद करते हैं जो यहां की अर्थ व्यवस्था को बरबाद करते हैं और मंत्री जी उनकी दावतों में शरीक हों यह बात मैंने कही, अगर मैं सत्ता दल के बारे में बात कह दूं तो उपाध्याय जी को खफा नहीं होना चाहिए । हम न तो ट्रांसफर करा सकें, न पोस्टिंग करा सकें, न कोई कार्यवाही खत्म करा सकें यह सब तो आप करवाते हैं उन पुलिस वालों का इस्तेमाल आप करते हैं । मलियाना और मेरठ में मुसलमानों के कत्लेआम में आप इस्तेमाल करते हैं । और ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट को आपने आज तक पेश नहीं किया यह इल्जामात हैं मेरे । हम न्याय चाहते हैं आप यह सब न करें कमीशनखोरी न करें तो यह इण्डिया की पुलिस मातृभूमि में मरने वाले लोगों की मदद करेगी । यह जो कांग्रेस की शासन की तरह पुलिस को आप चलाते हैं यह बन्द करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, हमारे प्रदेश की लोकप्रिय मंत्री जी ने जो गृह विभाग का बजट रखा है, उसके लिए मैं अपने सुझाव रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय गृहमंत्री जी ने जिस बहादुरी के साथ इस प्रदेश में अपने विभागों पर नियंत्रण बढ़ाया है, कानून व्यवस्था पर नियंत्रण किया है उसके लिए हम सब लोग सराहना करते हैं । उनके अन्दर एक मां का

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हृदय है उनके कोमल हांथ हैं वह ऐसे प्रतीत होते हैं कि रबर के दस्ताने के अन्दर उनके फौलादी हाथ काम कर रहे हैं ।

(मेज थपथपाई गई)

यह फौलादी हाथ उठ रहे हैं उत्तर प्रदेश के तमाम अपराधियों के ऊपर इसका परिणाम है कि--

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनाये रखें ।

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

जहां एक ओर लूट, चोरी हत्याएं, राहजनी और डकैती जैसे संगीन अपराधों पर नियंत्रण हो रहा है वहीं दूसरी ओर आतंकवादी गतिविधियां जिनकी शुरुआत हुई है इस पर भी नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया है । मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव रखते हुए माननीय नेता विरोधी दल ने तमाम बातों को रखा उसमें कोई नई चीज नजर नहीं आई–हां मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने गृह विभाग के संबंध में एक अधिकारी के हटाये जाने पर चिन्ता व्यक्त की । जब हमारे प्रदेश की सरकार किसी अक्षम, अकुशल अधिकारी को हटाने का प्रयास करती है तो माननीय नेता विरोधी दल की नजर में वह सबसे ईमानदार अधिकारी बन जाता है । इसी प्रकार से हमारी पार्टी में जब एक बेईमान नेता को हटाने का प्रयास किया गया तो वह इन विपक्ष वालों के लिए सबसे ईमानदार नेता साबित हो गए । इसलिए मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव का प्रबल विरोध करता हूं । मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में बूथ कैपचरिंग की बहुत बात कही है मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बूथ कैपचरिंग का सृजन किसने करवाया । यह इन्हीं लोगों का कारनामा है । आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुले आम जब हरिजन वोट दे रहा है इसलिए यह इनके लिए चिन्ता का विषय बन गया है । इनका हरिजनों के वोटों पर नियंत्रण कम होता जा रहा है इसलिए यह चिंतित प्रतीत होते हैं । मैं बधाई देना चाहूंगा चाहे ग्राम प्रधानों के चुनाव हों, चाहे ब्लाक प्रमुखों के चुनाव रहे हों, चाहे जिला परिषदों के चुनाव रहे हों, चाहे टाउन एरिया या नगर पालिकाओं के चुनाव रहे हों या मेयर के रहे हों सारे चुनाव कुशलता-पूर्वक सम्पादित कराये गये हैं जिसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं ।

हमारा प्रदेश बहुत विशाल है जिसको देखते हुए प्रदेश में पुलिस बल की कमी है । गुजरात में 10 हजार की आबादी पर 17.7 का औसत आता है और हमारे यहां यह औसत 12.80 प्रतिशत है । इसलिए मेरा निवेदन है कि पुलिस बल को और बढ़ाया जाय । मैं चूंकि कानपुर से आता हूं, वहां पर यातायात के संबंध में जो व्यवस्था कानपुर में की गई है जिसके लिए मैं मंत्री जी की सराहना करता हूं । इसी के साथ-साथ पुलिस ट्रांजिट अस्पताल कानपुर की ओर सरकार ने ध्यान दिया है मैं इसके लिए प्रदेश सरकार की सराहना करता हूं । मान्यवर, एक बहुत चिन्ता का विषय यह है कि हमारे जो पी0 पी0 एस0 के अधिकारी हैं उनकी प्रोन्नति के अवसर कम हैं । मेरा निवेदन है कि पी0 पी0 एस0 अधिकारियों को प्रोन्नति के अवसर सुलभ कराये जायं। इन शब्दों के साथ मैं प्रदेश सरकार द्वारा रखे गए इस बजट का समर्थन करता हूं धन्यवाद।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी मैं माननीय सदस्य पाण्डेय जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी ने प्रभावी ढंग से अपराधों पर नियंत्रण किया है लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि यह जो उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यकलापों तथा उपलब्धियों का विवरण नाम की पुस्तिका है उसमें जो बातें लिखी हैं उसमें परस्पर कंट्राडिक्टरी बातें कही गई हैं। मैं उससे साबित कर दूंगा कि सरकार अपराधों पर नियंत्रण रखने में असफल रही है। इस पुस्तिका के पृष्ठ–1 की मैं 2 पंक्तियों को पढ़ रहा हूं। उग्रवादियों, आतंकवादियों एवं अन्य समाज विरोधी तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा उनके द्वारा किए गए अपराधों को द्रुतिगामी गति से अन्वेषण करके उनकी पकड़-धकड़ में सफलता प्राप्त कर सराहनीय कार्य किया है।

सरकार कहती है कि हमने अपराधों पर नियंत्रण कर सराहनीय कार्य किया है लेकिन दूसरी तरफ इनके डी0 जी0 पी0 ने तीन दिन पहले समाचार पत्रों में एक इण्टरव्यू दिया और उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि तराई के इलाके में लोगों को भड़काने वाले कैसेट बनाए जा रहे हैं जिसके अन्दर एक विशिष्ट जाति के विरुद्ध विद्वेश फैलाने वाली बातें कही गई हैं। उसमें एक व्यक्ति विशेष को महान संत बताया गया है और खालिस्तान बनाने का उद्घोष किया जा रहा है। इस तरह के कैसेट की बात को डी0 जी0 पी0 ने स्वीकार किया है। दूसरी बात उन्होंने कही है। मेरे पास समाचार पत्रों की कतरनें हैं जिनको मैं पढ़कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। उनका कहना है कि वहां पर 2 आतंकवादियों के गैंग आ गए हैं जो आधुनिक हथियारों से लैस हैं तथा आतंकवादियों ने एक सामाजिक सुधार का आन्दोलन शुरू किया है। जिसमें कि पब्लिक सपोर्ट पकड़ लिया है और इसमें आतंकवादियों की प्रशंसा करने से इनका हौंसला बढ़ा है यह घृणित कार्य किया गया है। मैं बात चुनौती देकर कहता हूं कि आज सी0 ओ0, पलिया की तलाशी ले लें, तो उनके साथ दर्शन सिंह घोड़ा पकड़े जायेंगे। मान्यवर, आधुनिक हथियार इनके पास नहीं हैं। इसी सदन के गृह मंत्री माननीय गोपी नाथ दीक्षित ने कहा था कि सबकी तलाशी ली जायगी, लेकिन नहीं ली गयी, किसी के दबाव से रोक दी गई। किसी एक डी0 आई0 जी0 को इन्होंने उसका प्रभारी बना दिया, जबकि एक निदेशक की जरूरत थी। इसके अलावा और कौन सा काम किया। एक साजिश की बात इसमें लिखी हुई है। पुलिस बल अनियंत्रित साजिश के तहत है, इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ के दूसरी कण्डिका की पांचवीं पंक्ति में लिखा है कि राजनैतिक आन्दोलनों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया। तो क्या इस डिमाक्रेटिक सेटअप में राजनैतिक विचारधारा का विरोध हमें रखने का अधिकार नहीं है? हमें अधिकार है कि हम शान्तिपूर्ण ढंग से आन्दोलन करें। मान्यवर, लाल प्रताप सिंह जब बोलते हैं, तो वह सिद्धान्त और दर्शन की बात बोलने लगते हैं। मान्यवर, हमें शान्तिपूर्ण ढंग से आन्दोलन करने का अधिकार है, लेकिन सरकार को क्या अधिकार होगा कि वह राजनीतिक आन्दोलन को नियंत्रित करे। (व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह–

बस फूंकने का अधिकार क्या है?...(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, लाल प्रताप सिंह जी को आपने क्या अनुमति दी है बोलने की । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश सरकार का यह सी0 आई0 डी0 डिपार्टमेंट है । यदि कोई पासपोर्ट लेने जाता है, तो इनका वह सी0 आई0 डी0 डिपार्टमेंट जो है, उसको ओ0 के0 करना पड़ता है । आदेश दिया गया है कि मीसा वालों को पास पोर्ट न दिया जाय । मान्यवर, मीसा अपराधियों पर भी लगता है, लेकिन आपको याद होगा कि जय प्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हमने यहां आन्दोलन किया था और उसके बाद आपात स्थिति में जेल गए । यहां प्रथम पंक्ति में बैठे अनेक नेता मीसा में पकड़े गए थे, तो क्या उन्हें पास पोर्ट नहीं दिए जायेंगे ? श्याम मोहन ने पास पोर्ट मांगा, उन्हें इसलिए मना कर दिया गया कि आप मीसा में कारावासित हो चुके हैं । पहली पंक्ति में वे सब बैठे हुए हैं । मैं कह रहा था कि इस तरह से यह आदेश देकर राजनीतिक आन्दोलन कैसे दबाए जाते हैं । गोरखपुर के वकीलों की चर्चा हुई । आज 45 दिन हो गए हैं, गोरखपुर की अदालत बन्द है । उन वकीलों ने यह समझौता किया था कि वहां के सब-इन्सपेक्टर का आप ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन एक सब-इन्सपेक्टर का ट्रांसफर यह सरकार नहीं कर सकी । जुडीशियल इन्क्वायरी हुई, आदेश हुआ, लेकिन अभी तक उसका टर्म आफ रिफरेंस नहीं घोषित किया गया । मेरे जिले के थाना संदना के थानेदार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, वहां के दरोगा ने लोगों को गांव में जा जाकर आने से रोका, फिर भी 5 हजार से अधिक लोग वहां इकट्ठा हुए । अगर वहां के विधायक राम किशन जी होते, तो वह खुद इस बात की साक्षी देते । वरना खड़े होकर इस बात की गवाही देते । सैकड़ों डकैतियां उस क्षेत्र में पड़ी हैं लेकिन लिखी नहीं गई हैं । हम माननीय राज्य मंत्री जी से मिले उन्होंने कहा कि मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं वह कहते हैं कि क्षेत्रीय विधायक से लिखा दीजिए । राम किशन जी साफ-साफ खड़े होते हैं लेकिन क्षेत्रीय विधायक की भी बात नहीं मानी जाती है । एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । मान्यवर, यह जो पुस्तक मिली है इसका पृष्ठ 3 देखने की कृपा करें इसमें कहा गया है गत वर्ष की तुलना में अपराध कम हो गए हैं, हत्याएं कम हुई हैं । यह चीज जो कही गई है इसको आप पता लगाकर देख लें कि हरिजनों पर अपराध बढ़े हैं हरिजनों पर हत्याएं, लूट और दंगा सब बढ़ा है और महिलाओं पर जो दहेज हत्या से मर जाती हैं उनकी संख्या जोड़ी नहीं गई है । माननीय पाण्डे जी अभी तारीफ कर रहे थे । मान्यवर, आप पिछले साल की पुस्तक देख लें दहेज हत्याओं को संख्या भी इस सरकार ने हत्याओं के मामले को छिपाया है । (व्यवधान)

मान्यवर, आपने जान बूझकर इसके अन्दर अपराधी को छिपाया है अन्यथा यह पुस्तका चिल्ला-चिल्ला कर कह रही है । मान्यवर, एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि हरिजनों की रक्षा की बात होती है पिछले 21 तारीख को बदायूं में अनिल कुमार की दारोगा ने गोली मारकर हत्या कर दी वह 302 का मुलजिम है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज तक उस दारोगा की गिरफ्तारी न करने का क्या कारण है । घर में घुसकर हमला किया था । इन शब्दों के साथ माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । माननीय गृहमंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और साथ ही साथ नेता विरोधी दल द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करता हूं । मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने बड़े सूझ-बूझ के साथ अपने इस गृह विभाग को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए जो बजट रखा है, वास्तव में वह सराहनीय है और माननीय गुप्ता जी ने जो बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, सम्मानित सदस्य हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं । जो यह पुस्तिका उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यकलापों तथा उपलब्धियों का विवरण, उसके प्रथम पृष्ठ पर मान्यवर, आपके माध्यम मैं ध्यानाकर्षण चाहता हूं उन बिन्दुओं की तरफ, यह तो मैं नहीं कह सकता कि उनकी समझ में नहीं आया क्योंकि वह बहुत बुद्धिजीवी हैं लेकिन मैं भी एक वकील के पेशे में हूं और जहां तक मैं इसको समझ पा रहा हूं उसमें बिल्कुल साफ लिखा है शायद ऊपर की लाइन में उन्होंने ध्यान नहीं दिया "वर्ग संघर्ष, राजनैतिक आन्दोलन, धार्मिक विवादों, हड़तालों एवं प्रदर्शनों आदि को पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों ने कर्तव्यनिष्ठा, साहस दृढ़ता एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए, प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित किया तथा प्रदेश की शान्ति व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाये रखने में सफलता प्राप्त किया ।"

मान्यवर, मैं गुप्ता जी की बात को बड़े शान्तिपूर्वक सुनता रहा प्रदर्शनों पर कहा रोक के लिए, प्रदर्शनों पर रोक लग जाती तो आपत्तिजनक बात हो सकती है, मुझे सुनकर बड़ा अचम्भा हुआ कि राजनीतिक आन्दोलन न हो तो बड़ी अजीब बात होगी प्रजातंत्र में हमारी मांग न हो तो भी अजीब बात होगी । लेकिन यह कानून व्यवस्था बनाए रखने और शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां सूझबूझ के साथ प्रभावी तरीका अपनाया गया तो यह भी मैं इसके लिए उम्मीद करता था कि माननीय गुप्ता जी इसके लिए हमारी सरकार को हमारे पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई देंगे लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस पर उन्होंने इस बात की आलोचना की । मान्यवर, प्रदर्शन करना और प्रजातंत्र के हक के लिए आन्दोलन करने का अधिकार है लेकिन उस आन्दोलन और प्रदर्शन से किसी के ऊपर कुठाराघात न हो शान्ति व्यवस्था न भंग हो जाय उस समय तो प्रभावी कदम हमारी सरकार को उठाना पड़ेगा ।

इन बिन्दुओं पर न जाकर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, समय का ख्याल रखते हुए। एक सबसे छोटा कर्मचारी पुलिस विभाग में कलेक्टर के अधीन होता है, जो चौकीदार कहा जाता है। आपने आई0जी0 बढ़ा दिया, डी0जी0पी0 कर दिये। लेकिन कलेक्टर के अधीन जो सबसे छोटा कर्मचारी चौकीदार होता है, वह एस0पी0 के अधीन नहीं होता, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं, वह एक ही जगह रहता है, चल फिर नहीं पाता है, उसकी तनख्वाह बड़ी हास्यास्पद लगती है। मेरी मांग है कि चौकीदार को वेल इक्विड करना चाहिये और उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाय। उसका पुलिस विभाग के अन्दर विनियमितीकरण किया जाय और जिस दिन वह अपने क्षेत्र की कोई ऐसी सूचना लेकर आए तो उसको एवार्ड मिलना चाहिये। वह केवल एक लाठी लिये होता है और पगड़ी और लाल गमछा डाले रहता है। उसको

बन्दूक का लाइसेंस मिलना चाहिए और उस पर 50 परसेंट सबसिडी मिलनी चाहिये । उसको वेल इक्विड किया जाय । सबसे जरूरी यह है कि पुलिस की संख्या और आबादी के अनुपात को देखा जाय। नैतिकता केवल पुलिस को कन्ट्रोल करनी पड़ती है। यह सही है कि पुलिस और जनता का सम्बन्ध अच्छा होना चाहिये। अभी सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण नहीं है। इसके अलावा पहले तहसील हेडक्वार्टर पर इसके सम्बन्ध में मीटिंगें होती थीं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि पुलिस पब्लिक रिलेशन सम्बन्धी मीटिंगें की जायं और उनसे सुझाव लेकर कार्यवाही की जाय। पब्लिक और पुलिस के बीच में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण होना चाहिये । कोई घटना हो जाय तो पुलिस को केवल प्रोफेशनल गवाहियां मिलती हैं, इंडिपेंडेंट गवाही नहीं मिलतीं, इससे सही मुकदमें भी छूट जाते हैं।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारा जनपद गोण्डा बार्डर पर है और नैपाल से जुड़ा है। वहां पर चौकियों को (नेपाल में) भिडसर कहते हैं और हमारे यहां थाना कहते हैं । हमारे यहां के थानों पर कम पुलिस रहती है, जबकि वहां के थाने को देखें, उनके भवनों को देखें, या पुलिस की संख्या को देखें, उनके मुकाबले हमारे यहां की स्थिति कमजोर पड़ती है। उस स्थान के हमारे यहां के थानों को वेल इक्विप्ड किया जाय ताकि बार्डर पर तस्करी रोकी जा सके। उन थानों को हर तरह से सक्षम बनाया जाना चाहिये ताकि सीमा पर कोई गड़बड़ी न हो सके। जहां तक राजनीतिक हस्तक्षेप की बात कही गयी, तो यह हस्तक्षेप विपक्ष की ओर से रोज ही होता है। यही लोग हस्तक्षेप करके मांग करते हैं। कभी इधर से मांग नहीं होती है। इसके साथ ही मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मंत्री जी जो इस समस्या के समाधान में लगी हैं, उनको आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पुलिस विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने 3 अरब, 61 करोड़, 57 लाख रुपये का बजट पुलिस विभाग के लिये प्रस्तुत किया है। गरीबों का इतना पैसा पुलिस पर खर्च हो और उपलब्धि ठीक इसके विपरीत हो, ऐसी परिस्थिति में मेरे लिये विवशता है कि कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करूं। श्रीमन्, पुलिस की जो उपलब्धियां हैं, उसको आप देखें तो श्रीमन् पुलिस से जो अपेक्षाएं की गयी थीं, पुलिस उनको नहीं कर रही है। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में बलात्कार सबसे अधिक हैं। 1987 में 208 बलात्कार की घटनाएं हुई और आज 238 हुई। हरिजनों की हत्या 1987 में 235 हुई और आज 267 हुई। साम्प्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होते हैं। तो श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पुलिस से अपेक्षा की गयी थी कि उसे पुलिस करने में असमर्थ है। श्रीमन्, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी पुलिस अंग्रेजों ने बनाई थी। आजादी के पूर्व वे चाहते थे कि पुलिस यहां शासक के रूप में रहे, लोगों पर शासन करे। आजादी के बाद लाजमी था कि पुलिस के स्वरूप को बदलते और पब्लिक सर्वेन्ट जनसेवक के रूप में बदल देते। लेकिन दुःख है कि पुलिस तो बढ़ा ली गई। आज की पुलिस पहले जैसी ही है जनसेवक नही बन पाती है श्रीमन् पुलिस से अपेक्षा है कि कानून व्यवस्था को बनाये रहने की भांति बनाये रखे। श्रीमन् आज पुलिस सभ्य, शिष्ट एवं शान्तिप्रिय लोगों

के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रही है नित्य सदन से पुलिस दुर्व्यवहार की घटनाएं आती है। पुलिस मा0 सदस्यों को मारती है। चोर बदमाशों को साथ लेकर चलती है पुलिस शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में असमर्थ सिद्ध हुई है।

श्रीमन् पुलिस का प्रयोग राजनीतिक कार्य के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। दु:ख है कि सत्तापक्ष के लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं पुलिस से शान्ति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए सुझाव है कि शान्ति व्यवस्था का ही कार्य लें। अन्य कार्य जैसे मोटर, वाहन, चेक करना। पुलिस को अच्छी ट्रेनिंग दी जाय। सारी बुराई के बावजूद आज भी पुलिस अपरिहार्य है। ऐसी परिस्थिति में अनुरोध है कि पुलिस को सक्षम बनाये पुलिस को जो भी सुविधा दी जा सकती है वाहन के रूप में आवास के रूप में वेतन के रूप में अन्य रूप में उसे आप दें गाड़ियां दें, वायरलेस की सुविधा दें। आज हम देखते हैं कि पुलिस से जैसी अपेक्षा की गयी थी कि वह लायल होगी इफीशियेंट होगी वह पुलिस इन कार्यों को न करके ठीक विपरीत काम करती है। जस्टिस मुल्ला ने कहा था कि यह रजिस्टर्ड गुण्डे हैं यह सभ्य लोगों को प्रताड़ित करते हैं और गुण्डे बदमाशों को प्रताड़ित नहीं करते हैं। पुलिस बनाने का जो उद्देश्य था उसको बनाये रखने के लिये ट्रेनिंग में ऐसा परिवर्तन करें। कि पुलिस ट्रेण्ड होकर पुलिस के आशय को पूरा कर सके। मैं बलिया के विषय में दो तीन बातें कहना चाहता हूं। बलिया गंगा और घाघरा के बीच में बसा हुआ है सैकड़ों मील तक यू0 पी0 बिहार से मिलता है वहां पर पुलिस होना बहुत जरूरी है हमारे यहां गरीब लोग बसते हैं झोपड़ी के घर हैं प्राय: आग लग जाती है फायर ब्रिगेड की जरूरत है फायर ब्रिगेड को वहां मजबूत किया जाय। तीसरी बात वहां महिला पुलिस की संख्या बहुत कम है अपराधियों को पकड़ने के लिये प्राय: पुलिस फंस जाती है महिला पुलिस की संख्या बढ़ायी जाय, उसमें पुलिस का ध्यान रखा जाय। कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये दियारे क्षेत्र में जवहीं सीपुरदियर और अन्य क्षेत्र में बहुत सी चौकियां और थाने प्रस्तावित हैं उन पर जल्दी कार्यवाही करायी जाय। पुलिस में सारे दोष (इन्सपाइट आफ आल दि फेक्ट्स) के बावजूद पुलिस अपरिहार्य है आप कार्य प्रणाली में परिवर्तन करें ट्रेनिंग में परिवर्तन करें ताकि पुलिस के लोग जनता की सेवा करें।

*श्री हनुमान प्रसाद कुरील–

माननीय अधिष्ठाता महोय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गृह विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। हमारे सामने प्रदेश में बहुत बड़ी समस्यायें हैं, पुलिस का कार्य इतना सराहनीय है कि चाहे किहीं बलवा होता है झगड़ा होता है शांति व्यवस्था की बात हो पुलिस अपना कार्य करती है। लेकिन इसके साथ-साथ निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस फोर्स जो है वह हमारे प्रदेश में बहुत कम है। हम अक्सर देखते हैं कि जहां थाने बने हैं चौकियां बनी हैं वहां पुलिस फोर्स की बहुत कमी नजर आती है। मैं अपने क्षेत्र बिल्हौर की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। हमारे यहां बिल्हौर में बिरधन चौकी है और बहुत सी चौकियां हैं एक एस0 आई0 और तीन कांस्टेबिल हैं एरिया इतना बढ़ा दिया गया है कि कन्ट्रोल नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर पाते हैं । मैं अनुरोध करूंगा माननीया गृह मंत्री जी से कानपुर देहात में खास-तौर से बिल्हौर में पुलिस फोर्स बढ़ायी जाय ताकि शान्ति व्यवस्था बनी रहे । अपने क्षेत्र की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र बार्डर में है इधर फर्रुखाबाद है दाहिनी तरफ गंगा नदी है उस तरफ हरदोई और उन्नाव का जिला आता है । हमारे यहां आलू की पैदावार करने वाले व्यापारी और जो किसान हैं धनाढ्य किसान हैं दूसरे जिलों के लोग आकर इन किसानों का किडनेप करके ले जाते हैं और उनसे पैसा वसूलने का काम करते हैं पिछले दिनों मैंने इसकी शिकायत एस0 पी0 और डी0 आई0 जी0 महोदय से भी की थी वहां पर पी0 ए0 सी0 लगा दी गयी थी । लेकिन आज वहां पर पी0 ए0 सी0 हटा दी गयी ।

[समय 6.30 बजे]

इस समय आलू की पैदावार खोदी जा रही है किसान भाइयों को अपने स्तर से कुछ आर्थिक दशा अच्छी है खतरा बना हुआ है किडनीपिंग हो सकती है वहां जो पी0 ए0 सी0 का मूवमेंट था खतम कर दिया गया है मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर पी0 ए0 सी0 की व्यवस्था कर दी जाय। पिछले दिनों हमारे मवखनपुर चौकी के सम्बन्ध में कहा गया था कि उसे थाना बना दिया जाय पुलिस मीटिंग जो हुई थी उसमें भी इस पर चर्चा हुई थी वहां से रिकमेंड होकर भी प्रदेश शासन में आया है उस चौकी को थाने में बदल दिया जाय यह मेरा अनुरोध है । ताकि वहां पर शान्ति व्यवस्था बनाने में सक्षम हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आमतौर पर देखा गया है कि पुलिस आवासों की बड़ी कमी है और जो लोग दूर थानों पर रहते हैं, उनके लिए जाने की व्यवस्था कोई नहीं है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि उनके लिए रहने की वहीं व्यवस्था की जाय, इसके साथ ही मैं एक बार पुनः कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । धन्यवाद ।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, गृह सुरक्षा का भार पुलिस व्यवस्था के ऊपर है लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में पुलिस के दोषों को दूर करने, सुदृढ़ करने, उसकी कमियों को दूर करने के तरीकों की ओर कोई प्रकाश नहीं डाला । मान्यवर, बार-बार हम लोगों के सामने इस तरह की बातें आती हैं कि पुलिस हिरासत में लोगों की मौत हो जाती है ।

(सदन में बिजली चली जाने पर और उसके बाद पुनः बिजली आने पर)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, यह वर्मा जी इतना गलत बोल रहे थे इसलिए अंधेरा हो गया ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, किसी की सीटी की आवाज भी आयी है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठता–

सदन की मर्यादा को देखते हुए सदन में सीटी बजाना उचित नहीं है ।

***श्री रघुवर दयाल वर्मा–**

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने अंधेरे का लाभ उठाकर कुछ कहना चाहा था, लेकिन बेचारे कह नहीं पाये । मैं निवेदन कर रहा था कि आये दिन और रोजाना इस सदन में बातें आती रहती हैं और यह देखने को मिलता है कि पुलिस की हिरासत में जो आदमी जाता है, कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है, इस तरह की घटना हमारे लिए बहुत शोचनीय है और शर्मनाक भी है। पुलिस की कस्टडी में जो आदमी जाता है, उसकी सुरक्षा का दायित्व पुलिस पर होता है, लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया है । मान्यवर, फतेहाबाद में गहर सिंह नाम का लड़का था, उसको कुछ दिन पिनहाड के थाने में रखने के बाद मार दिया गया । सदन में भी मामला उठा और बाद में सी0 आई0 डी0 को जांच सुपुर्द कर दी गयी । सी0 आई0 डी0 द्वारा पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए इजाजत मांगी जा रही है, लेकिन कागज पड़े हुए हैं और जिन्होंने उस लड़के की हत्या की थी, उन्हें आज तक सजा नहीं मिल पायी है । इसी तरह फिरोजाबाद के दो थानों में हत्यायें हुईं, पिनहाड में 3-4 हत्यायें हुईं । सी0 आई0 डी0 चार्जशीट दाखिल करने को होती है, लेकिन गृह विभाग से आज्ञा मिलना दूभर हो गया है और मामले लम्बित पड़े हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप तो दिल्ली में भी मंत्रि परिषद् में रही हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कानून के सामने जनतंत्र का भी अपना प्रमुख हिस्सा है, इसलिए अगर पुलिस वाला गलत काम करे, डकैती डाले, हत्यायें करे, तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाने में आपको क्या कठिनाई है ? इसी का नतीजा है कि हम लोग जो मंत्रियों को दरख्वास्तें देते हैं, प्रधान मंत्री को देते हैं, उनमें एक शब्द लिखकर आ जाता है कि हमने गृह विभाग के फलां को भेज दिया है, उनसे सम्पर्क करें । उनसे सम्पर्क करने पर पता चलता है कि उसे उसी सिपाही, उसी दरोगा, उसी एस0 पी0 के पास भेज दिया जाता है, जांच के लिए, जिसके खिलाफ शिकायत की गयी है, इसी कारण शिकायतों की जांच आज तक नहीं हो सकी । मंत्री जी क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगी, जिससे पुलिस के खिलाफ होने वाली शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो सके और उनके दुष्कृत्यों के ऊपर परदा न डाल-कर उनके विष को नांचा जा सके ? हमारे माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि रिपोर्ट लिखी नहीं जाती । माननीय बदन सिंह गवाह हैं कि उनके साथ थाने में क्या हुआ, उनके बदन के घाव पुलिस के कृत्यों को बताते हैं । इसी तरह राम गोविन्द चौधरी की अनुपस्थिति में दारुलशफा और रायल होटल में क्या-क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट भी आज तक लिखी नहीं गयी । विधायकों की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी जा रही है तो गरीब आदमी की रिपोर्ट थाने में कैसे लिखी जायेगी । आप इसकी व्यवस्था करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय, जो भी पुलिस कप्तान तैनात किया जाता है, वह सिर्फ एक ही आदेश करता है कि ज्यादा से ज्यादा अपराधों को छिपाया जाय और बड़े अपराधों को छोटे अपराध में तब्दील किया जाय। इसमें तो हमें कोई परिवर्तन की आशा नहीं दीखती है। पहले आपका आई0 जी0 का एक पद था आज आपके डी0 जी0 के 5–7 पद हो गये हैं और कई प्रोन्नति पर हैं, आई0 जी0 आपके ढेरों हो गये हैं, डी0 आई0 जी0 आपके ढेरों हो गये हैं, इसके बावजूद भी कानून व्यवस्था की स्थिति निरन्तर खराब होती जा रही है। इन्सपेक्टर व पुलिस के जिन सिपाहियों को बढ़ना चाहिए था, वे नहीं बढ़ाये जा रहे हैं। उनकी भर्ती में रिश्वत ली जा रही है।

आज स्थिति यह है कि अच्छे घर का लड़का इस विभाग में सेवा करना नहीं चाहता हूं, फलस्वरूप जो भर्तियां हो रही हैं, उससे अपराधीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है । जो आज यह अपराधीकरण हो रहा है, रिश्वत ली जा रही है और जिनके चरित्र खराब हैं, उन पर रोक लगाने के लिए आपने क्या कदम उठाये हैं, इसे माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी। आपने हर शहर में एक उड़नदस्ता बनाया है। एक-एक उड़नदस्ते के पीछे 4–4 गाड़ियां लगी हुई हैं, परन्तु आज आगरा व फिरोजाबाद में दिन दहाड़े कतल हो जा रहे हैं, चोरियां हो जा रही हैं, बैंक लूट लिये जाते हैं, आपका उड़नदस्ता न मालूम कहां चला जाता है। आखिर इसका काम क्या है। इसलिए आप जब उत्तर दें तो इस उड़नदस्ते के लेखे-जोखे को भी बताने की कृपा करें। इसके साथ ही साथ आज जो पुलिस में अपराधीकरण हो रहा है, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। जहां आज हम सी0 आई0 डी0 को अच्छा बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार दिल्ली में इन्टेलिजेन्स की अलग ट्रेनिंग होती है, उसी प्रकार यहां पर भी उसकी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। इन्टेलिजेन्स विभाग में अलग से भर्ती होनी चाहिए, जिससे योग्य कर्मचारी व अधिकारी मिल सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राम प्रकाश सिंह सेंगर–

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गृह विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। माननीय, मैं जालौन जनपद के माधवगढ़ विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। पिछले सत्र में भी मैंने पुलिस के बजट पर 2–4 बातें रखी थी। मेरा कहना यही रहा है कि माधवगढ़ क्षेत्र जो जालौन जनपद में है, एक विकराल जंगलों, नदियों व ऊबड़-खाबड़ जमीन से घिरा हुआ है और जो हिन्दुस्तान के दस्यु मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आज इस भू-भाग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह भू-भाग घने जंगलों, नदियों व ऊबड़-खाबड़ जमीन से घिरा हुआ है। प्रदेश सरकार ने वहां पर एक थाना व एक रिपोर्टिंग पुलिस चौकी दी, परन्तु बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक वहां पर इस थाने का निर्माण नहीं हुआ और न इस रिपोर्टिंग पुलिस चौकी के भवन का निर्माण हुआ। इसे अविलम्ब बनाया जाय। मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को अवश्य बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने 332 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार को दस्यु प्रभावित क्षेत्र के लिए दिये हैं, जिसमें पहले 12 जनपद थे, अब वे 11 जनपद रह गये हैं, जिसमें बुन्देलखण्ड के ये 5 जनपद भी आते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भू-भाग जो विकराल जंगलों से घिरा है, एक ओर बेहुरा नदी, जमुना नदी, क्वांरी व चम्बल से घिरी है, वहां पर इस पैसे का सदुपयोग नहीं किया गया है, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो यह निधि दी गई है, उसका सदुपयोग इस भू-भाग के लिए माननीय गृह मंत्री जी व माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से होना चाहिए । एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पुलिस वाहनों की संख्या बहुत कम है वायरलैस व्यवस्था भी वह बहुत जीर्ण-शीर्ण है, जिन थानों में पुलिस जीप दी जाती है यह कहते हैं कि डकैत प्रभावित इलाके हैं। मान्यवर, उस जीप पर सी0आई0 टहलते हैं। कहना चाहिये क्योंकि वह भी शासन का अंग है, अगर शासन में कमी है तो निर्भीकता से कहना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस कप्तान महोदय की संस्तुति के आधार पर सड़कों और पुल की एक सूचना आयी थी, वह काम अभी रुका है। माननीया गृह मंत्री जी से चाहूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी की अनुमति लेकर उसे पूरा करायें।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर,

तारीख की आंखों ने वह दौर भी देखा है,
लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पायी ।

(सत्ता पक्ष की ओर से "बहुत अच्छा" "बहुत अच्छा" की आवाजें)

यह लगा तो बहुत अच्छा मगर यही सजा आपको मिलने वाली है । होता यह है कि जब कोई बहुत छोटा आदमी बड़ी खता करता है तो सजा छोटी मिलती है लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा आदमी छोटी खता करता है तो बड़ी सजा मिलती है । आपकी सरकार, आपका निजाम छोटी खता करेगा बड़ी सजा पायेगा । यह बात इस सदन में बार-बार कही गई है, शासन जिम्मेदारी लेता रहा है । पहली बार, बदनसीबी है प्रदेश का एक मुसलमान स्टेट होम मिनिस्टर बना है । हम सोचते हैं कि वह कौन से हालात थे कि एक मुसलमान को स्टेट होम मिनिस्टर बनाया गया । हमने ऐसा कौन सा कसूर किया था अल्पसंख्यकों ने कि हमारे ऊपर एक ऐसा मुसलमान थोपा गया जो खुद अपने शहर के दंगे को नहीं रोक सका ।

(घोर व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम लाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । विधायक, विधायक है, न हिन्दू है न मुसलमान है । यह व्यक्तिगत रूप से भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं । इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा । सत्ता पक्ष के विधायक सही बात कहने से रोकते हैं । समय बर्बाद कर रहे हैं वह समय आप पूरा करेंगे ।

दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में जिम्मेदारी दी गई दो वजारों पर । घाटा उठाया वहां की गरीब जनता ने । हमें जवाब दें मंत्री लोग ।

(व्यवधान)

आज से पहले भी फैजाबाद की बात कही गई ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री न हिन्दू होता है, न मुसलमान होता है, वह एक इंसान होता है, विधायक होता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको ''मुसलमान'' मंत्री नहीं कहना चाहिए ।

(सत्ता पक्ष के अनेक मा0 सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कह दिया है, कि आप लोग बैठें । मैं मा0 सदस्य से कहूंगा कि वह विधायक और मंत्री सम्बोधन लगाकर बोलें ।

(घोर व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां–

रात को रात कह दिया मैंने, बस इसी पर बिगड़ गयी दुनिया । मान्यवर, एक और मंत्री जी हैं मेरठ के दंगे में हाशिमपुरा पी0 ए0 सी0 ने जवानों को छांट-छांट कर हिण्डन नदी में गोली मार कर बहा दिया ।

सत्ता पक्ष के एक सदस्य–

यह बहुत पुरानी बात हो गई ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

हां, यह बात पुरानी हो गई लेकिन जब तक जख्म पर मलहम नहीं लगाया जायेगा, वह जख्म भरेगा नहीं । मैं सियासी जिम्मेदारी महसूस करता हूं और कहता हूं कि जो आवाजें सत्ता पक्ष से निकल रही हैं यह देश के लिए फायदेमन्द नहीं है, सरकार के लिए फायदेमन्द नहीं है । एक ऐसा हादसा जो न सिर्फ हिन्दुस्तान में रहने वाली इन्सानियत का सिर झुका दे, शर्म का बायस बने बल्कि दुनिया में हिन्दुस्तानी [xxx] खड़ा कर दिया है । बताया जाता है कि हिटलर ने भी ऐसा जुल्म यहूदियों पर नहीं किया था जैसा जुल्म इस हादसे के जरिये से किया गया । एक ऐसे वजीर हैं जिन्हें मंत्री कहते हुए शर्म आती है और एक वजीर ऐसे हैं जो कि बुलन्दशहर के वजीर हैं उन्होंने कहा–

(घोर व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

माननीय अधिष्ठाता जी, इन्होंने कहा कि जम्हूरियत को नंगा किया, यह शब्द ठीक नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसको कार्यवाही में देख लिया जायेगा ।

[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

लगता है कि माननीय सदस्य प्रदेश की विधान सभा में नहीं बोल रहे हैं बल्कि किसी और देश की विधान सभा में बोल रहे हैं । इनको आप बतला दें कि यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिए ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरठ में दंगे पर आपके इन्हीं जुमलों ने पंजाब में आग लगायी । आपके इन्हीं जुमलों ने हिन्दुस्तान की उस कौम के लोग जो तहरीके आजादी में सबसे ज्यस्दा फांसी पर चढ़े थे, उन्हीं को गद्दार बनाया । भिण्डरवाले को आपने ही लगसतार बढ़ावा दिया और फिर उसी को गद्दार करार दिया । जिसने आपको बनाया, उसी को आपने मार दिया ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

माननीय अधिष्ठाता जी, ये ''आप'' शब्द का प्रयोग बार-बार कर रहे हैं तो यह आप शब्द क्या पीठ के लिए कह रहे हैं ?

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात को एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

वहां हमारे बुलन्दशहर के जो एक मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि पी0 ए0 सी0 का मनोबल नहीं गिराना चाहिए और पी0 ए0 सी ने जो कुछ हाशिमपुरा और हिन्डन नदी पर किया है, वह उसकी जिम्मेदारी थी । हमारे यहां जो वजीर हजरत मुसलमान कोटे से रखे जाते हैं यह किसी ऐसे इलाके में नहीं जाते हैं जहां इन्सान का खून बहा है । ये बाबरी मस्जिद या राम जन्म भूमि में नहीं जाते ।

(घोर व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय तथा तमाम सत्ता पक्ष के सदस्य–

मान्यवर, ये क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान के मध्य)

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

माननीय मंत्री जी ने एक इन्सान के रूप में कार्य किया है, एक मुसलमान के रूप में कार्य नहीं किया है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां-जहां मुसलमान शब्द आया है, उसे हटा कर गृह राज्य मंत्री शब्द लिखा जाय ।

(घोर व्यवधान)

जहां-जहां मुस्लिम शब्द आया है, उसके स्थान पर केवल राज्यमंत्री ही कहा जाए...

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

इन मुस्लिम मंत्रियों में अगर कोई खरा हो तो वह अपने-अपने पदों से इस्तीफा देकर बाहर आएं तो पता चलेगा कि वह कोटे के मंत्री हैं या नहीं और फिर अपने क्षेत्र से खड़े हों और मैं भी उनके साथ खड़ा हूं तो इस पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि . . .
(व्यवधान एक साथ कई मा0 सदस्यों के बोलने पर)

श्रम मंत्री (श्री सईदुल हसन)–

मोहम्मद आजम खां ने इस किस्म की कम्युनल बातें करनी शुरू की हैं जो जनतंत्र की और खासतौर से मुसलमानों के मसाइल को तय करने वाली नहीं हैं और मैं यह कह सकता हूं कि जो बातें यह कर रहे हैं, जिसे कोई भी इंसान चाहे वह हाशिमपुरा हो या किसी भी जगह पुलिस की ज्यादती हुयी हैं, ना इंसाफी हो रही हो, कोई इंसान ऐसा नहीं है चाहे वह किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसको हक बाजानिब ही कहेगा, वही मैंने भी किया, मेरठ मेरे घर से करीब है जो मेरे घर ही जैसा है और मुझे बड़ा अफसोस कि यह अजीबों-गरीब हादसा हुआ और जब यह हादसा हुआ है तो मैं रातों दिन मेरठ की गली-गली जाकर घूमा हूं और लोगों की हौसला अफजाई ही की है । इस तरह की आहो-जारी की बातों से तो मैं समझता हूं कि इन मुसलमानों के मसायल हल होने वाले नहीं हैं और मैं समझता हूं कि जो लोग इस प्रकार की भड़काने वाली बातें करते हैं, वही मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, यह बातें उनकी उनको समाज में इज्जत दिलाने वाली नहीं है . . .

शोर . . . .

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

बैठिए, बैठिए इस पर कोई वाद विवाद नहीं हो रहा है, और न ही इसका समय है, यह चर्चा तो बजट पर हो रही है, इसे यहीं तक ही सीमित रखें । मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं . . .

(घोर व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

नहीं मेरी अनुमति के बगैर कोई नहीं बोलेगा, मैंने माननीय ईश्वर शरण विद्यार्थी को बुला लिया है, कृपया बोलें . . .

(व्यवधान)

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आज के इस महत्वपूर्ण बजट पर . .
(घोर व्यवधान एक साथ कई माननीय सदस्य व्यवस्था के प्रश्न को लेकर बोलते हुए)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय मुहम्मद आजम खां जब बोल रहे थे, उनके बोलने में ही सत्ता पक्ष के तमाम लोग टीका-टिप्पणी करते रहे बीच-बीच में इस बात पर कि उन्होंने मुस्लिम शब्द का प्रयोग क्यों किया ? श्रीमन् आप कुर्सी पर विराजमान हैं । कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी . . .

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आजम खां साहब आप बैठें । जो कुछ आपने कहा है, उसका उत्तर आ गया है ।

(व्यवधान)

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, मैं माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में जो महा कुम्भ का मेला 1989 में हुआ, जो इस शताब्दी का सबसे बड़ा पर्व है अत्यंत शान्ति एवं धार्मिक वातावरण में संपन्न हुआ, उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं । देश और विदेश के करोड़ों श्रद्धालु यात्रियों ने इस मेले में भाग लिया और यह आयोजन बड़ा ही सफल रहा, जिसके लिए पुलिस सराहनीय है और उसनें शांति व्यवस्था में एक कीर्तिमान स्थापित किया है । मेले में सुचारु रूप से आने जाने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मेला क्षेत्र में विशेष प्रकार के उपकरण लगाये गये, जिसके लिए सरकार ने 2 करोड़ 8 लाख 75 हजार 800 रुपये की स्वीकृति प्रदान की, जो एक सराहनीय कार्य है और मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, हमारी (व्यवधान) गृह मंत्री जी ने 10 बड़े गैंगों का सफाया करवाया है और यह सफाया पुलिस के प्रयास से ही किया गया है और एक कीर्तिमान स्थापित किया है । मान्यवर, अनुसूचित जातियों का उत्पीड़न रोकने के लिए विशेष जांच प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में उसको प्रभावी बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं । मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व में हेड कानिस्टेबिल (सी0 पी0) में बहुत कम कोटा है । यह 7.56 है । इनके कोटे को पूरा किया जाये । हर थाने में और हर चौकी में अनुसूचित जाति के हेड कानिस्टेबिल होने चाहिए और जहां पर न मिलें वहां पर जो लोग हरिजनों से सहानुभूति रखते हों, उनको रखा जाये, वह चाहे जिस जाति के हों, क्योंकि आये दिन शिकायतें आती हैं कि हरिजनों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है ।

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 जांच के बारे में नेता विरोधी दल ने कहा और उसकी चर्चा की और सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूं कि तमाम अपराधिक तत्वों की सी0 आई0 डी0 जांच विरोधी पक्ष के लोगों द्वारा की गयी है, और अगर इनकी सूची मंगायी जाये, तो उससे स्पष्ट हो जायेगा कि अपराधिक तत्वों को बढ़ावा विरोध पक्ष के लोग देते हैं । नेता विरोधी दल की बात पर याद आ गया कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह का नाम लेते हुये पुलिस अनुशासन की चर्चा की, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह के जमाने में मेरठ में उनके शासन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

काल में कुमारी माया जो 13 वर्ष की युवती थी, उसके साथ दो जाटों ने बलात्कार किया और उसके स्तन तक काट लिये और वहां के दरोगा को रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया गया, क्योंकि वह लोग चौधरी चरण के परिवार के लोग थे और रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । मैं यह एक बात यह कहना चाहता हूं कि आजम खां को इस बात की परवाह नहीं है, देश कहीं पर जाये, इनको परवाह नहीं है बल्कि उनको इस बात की परवाह है कि यह कैसे देश के नेता बनें और इनकी दुकान कैसे ऊंची हो । सिर्फ अपनी दुकान को ऊंची रखने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है, इसलिये . . .

श्री अधिष्ठाता–

आपका नाम नहीं लिया है, उत्तर दिया है । इस पर कोई वाद विवाद नहीं ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

[x x x]

(व्यवधान)

(श्री आजम खां बिना इजाजत के बोलते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

आजम साहब, आप कृपया बैठें ।

श्री सुरेन्द्र कपिल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . (व्यवधान) व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी को बुलाया है । माननीय आजम खां साहब कौन से नियम के तहत बोल रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है । बगैर अनुमति के जो बोलेगा उसकी कोई भी बात नहीं लिखी जायेगी ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गृह विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है । मान्यवर, इतने बड़े प्रदेश के लिए हमारा टोटल बजट इस विभाग के लिए 4 और 5 प्रतिशत के बीच है । मेरा कहना है कि जितनी धनराशि इस विभाग को पुलिस बल को मजबूत करने के लिए दी जानी चाहिए, उतनी धनराशि का प्राविधान नहीं किया गया है । जिसका परिणाम यह होता है कि आज पुलिस कर्मियों की संख्या में कमी हो रही है । आपने परिशिष्ट 2 में जो आंकड़े दिये हैं प्रति एक हजार पर केरल में 44 है, पश्चिमी बंगाल में 27 हैं जब कि उत्तर प्रदेश में केवल 12 हैं । इसका मुख्य कारण है कि बजट में कम धनराशि का प्राविधान

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसमें बजट बढ़ाया जाता तो ऐसी स्थिति न होती।

आपने अपराधों के आंकड़े भी दिये है । ये आंकड़े सही नहीं है । इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो पुलिस का दीवान होता है हेड कांस्टीबुल होता है वह मुकदमा लिखता है वह एस0 आ0 के अधीन रहता है । वह कभी लिखता है कभी नहीं लिखता है। ऐसे आदमी को, ऐसी एजेन्सी को यह कार्य आप दें जो आई0 जी0 के प्रति जिम्मेदार हो और वह आई0 जी0 के अधीन हो । तब वह सही रूप से मुकदमा लिख सकेगा, अन्यथा सही व्यवस्था नहीं हो सकती है । इसके अलावा जो चोरी होती है उसके सम्बन्ध में कितने माल की चोरी हुई, कितना माल बरामद हुआ इस पर विवेचना नहीं होती है आप केवल गम्भीर अपराधों की ही विवेचना करते हैं । इसी तरह से नकबजनी के मामलों में भी होता है । मेरा सुझाव है कि ऐसे गम्भीर अपराधों में भी विवेचना की व्यवस्था होनी चाहिए ।

आप आंकड़ों के जाल में न जांय । जितने पुलिस कर्मी हैं उनमें अनुशासन की कमी है । गोरखपुर की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई0 जी0 और डी0 आई0 जी0 ये दोनों पूरे रीजन में दरोगाओं से सीधे मिलते हैं । गृह मंत्री जी, आपका और माननीय नारायण दत्त तिवारी का वहां पर राज नहीं है । करहना कांड के मामले में डी0 आई0 जी0 को जिम्मेदार ठहराया गया है । उनका वहां से ट्रांसफर हुआ । इस सिलसिले में वे सीधे आई0 जी0 से मिलते हैं । इस प्रकार पूरी अनुशासनहीनता का वातावरण वहां पर छाया हुआ है । इसके अतिरिक्त मान्यवर, आज तस्करी बेहद बढ़ती चली जा रही है । जिसकी जब मर्जी होती है, उसको पकड़ लिया जाता है लेकिन जब वास्तविक तस्कर होता है वह नहीं पकड़ा जाता है । जितने भी ऐसे अपराधी हैं उनको आप नेपाल में संरक्षण दिये हुए है तो फिर कैसे पकड़ में आयेंगे । इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे मुकदमों के लिए आपको कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा । सी0 आर0 पी0 सी0 और इविडेन्स एक्ट में वह व्यवस्था अब नहीं रह गई है । आज पुलिस पर जिम्मेदारी डाली जाती है कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करे । इसलिए आपको गम्भीर अपराधों के लिए ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी अन्यथा आपको कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होगा । इसलिए आप इन दोनों कांडों में परिवर्तन करने की बात सोचें ।

श्री बद्री प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे पुलिस विभाग के बजट समर्थन करने का अवसर दिया । मेरा जिला उन्नाव है वहां पुलिस फोर्स की बहुत कमी है, मेरा क्षेत्र हसनगंज है मैं मांग करता हूं कि वहां दो पुलिस चौकियां खोली जाय एक रामपरखगरी औरास थाने में और दूसरी तौंदा हसनगंज थाने में । इस संबंध में रामपुर खगरी में भूतपूर्व गृह मंत्री जी ने आदेश भी दिये थे और इनको खोलने का निश्चय हो गया लेकिन पुलिस फोर्स की कमी के कारण वह चौकियां नहीं खुल सकीं ।

एक दूसरी समस्या हमारे उन्नाव जिले में यह है कि वहां एक ही अस्पताल में पोस्टमार्टम होता है जहां सारे जिले की लाशों का पोस्टमार्टम होता है । जिसमें चार-चार दिन लग जाते हैं जिस कारण उनकी दुर्गति हो जाती है और वहां न कोई वाहन है

और न डाक्टर हैं । इसीलिए मेरा सुझाव है कि तहसील हेड क्वार्टर पर पोस्टमार्टम कराने की व्यवस्था की जाय और उसके लिए वाहन भी दिये जायं ।

हरिजन गांवों में उनकी सुरक्षा के लिए असलहे दिये जायं भले आदमी को असलहा दिया जाय ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके ।

पुलिस कीर्मयों का और चौकीदारों का वेतन बढ़ाया जाय इसी के साथ मेरा सुझाव यह है कि जब कभी नम्बर 8 में एक बार किसी भले आदमी का नाम लिख गया तो पुलिस वाले उसी का बार-बार चालान करते हैं । इसीलिए भले आदमी का नाम उसमें अगर लिखा गया है तो इसे काट दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, आपने मुझे पुलिस विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बांदा की ओर दिलाना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

दो मिनट का समय दे रहा हूं (व्यवधान) माननीय बंगाली सिंह जी आप बैठें मैंने यादव जी को बुलाया है ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय मोहम्मद आजम खां जैसे व्यक्ति को आपने दो मिनट का भी समय नहीं दिया तो क्या वह दो मिनट का समय हमें दे देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, बांदा की स्थिति ऐसी बन गयी है कि आम जनता आज असुरक्षित महसूस करती है । प्रजातंत्र में जिंदा रहने का अधिकार सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है लेकिन जहां से मैं आता हूं बांदा जनपद से वहां आज कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ गयी है हमारे इस उत्तर प्रदेश में आज पंजाब जैसी स्थिति हो गयी है । मैं गृह मंत्री जी को और सरकार को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि बांदा जनपद सदैव से अपराधों के लिए बदनाम रहा है लेकिन पिछले 10 सालों में जनपद 10 गिरोहों का अड्डा हो गया है । वहां की जनता डकैतों और पुलिस के उत्पीड़न से कराह रही है । स्थिति इतनी खराब है कि इस वक्त जब मैं सदन में बोल रहा हूं मेरे क्षेत्र बबेरू में कई लोगों का अपहरण हो गया होगा । ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब पुलिस और डकैत किसी का अपहरण नहीं करते हों । रोज 4, 6 कत्ल और हत्यायें होती हैं आये दिन वहां सनसनी खेज राहजनी होती है । वहां ऐसे लोगों को नियुक्त कर रखा है जिनका अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है वहां निकम्मे लोगों को भेज दिया है जिनका अपराधियों पर और अपनी फोर्स पर कोई नियंत्रण नहीं है । रोजाना अनेक ऐसी घटनाएं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घटती हैं , जिनकी वजह से वहां का सारा जनजीवन त्रस्त है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारे यहां से पुलिस अधीक्षक को हटाया जाए और किसी अनुभवी व्यक्ति को इस पद पर भेजा जाए वरना वहां की जनता ने जो अभी जोरों से अपनी आवाज उठाई थी, आन्दोलन किया था कि बांदा को अशान्त क्षेत्र घोषित करके सेना के हवाले दिया जाए, वही बात मानी जाए । वह शासन के लिए बड़े शर्म की बात है कि वहां की जनता ऐसी मांग करें। वहां थाना तिलवारा में एक बड़ी शर्मनाक घटना हुई, एक हरिजन महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गयी . . .

श्री अधिष्ठाता–

माननीय माथुर जी । मैं माथुर जी को बुला लिया है । माननीय यादव जी कृपया बैठिये । मैं आपसे यह कह रहा हूं, बार-बार निवेदन कर रहा हूं । आपको दो मिनट के बजाए तीन मिनट यों ही दे दिये गये हैं ।

श्री देव कुमार यादव–

इसीलिए चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं में रोका जाना चाहिए और उस हरिजन महिला की हत्या करने वालों को कानून के हवाले किया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

*श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, हमारे विपक्ष के साथी लोग मनोबल तो किसी को बढ़ाते नहीं, बस यह किया वह किया, पुलिस ने यह किया वह किया, यह ज्यादती की ही कहा करते हैं । इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं रह गया है । किसी ने यह नहीं कहा कि पुलिस जन का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए और इनको क्या-क्या नई सुविधाएं दी जायं । इसे कोई सुझाव नहीं आए । हम यह कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार बड़े-बड़े नगरों में कमिश्नर सिस्टम लागू करे । इसके साथ आपके पुलिस अफसरों के पास कुछ मैजिस्ट्रीयल पावर आएंगी, जिससे पुलिस में सुधार होगा और उनके कार्य में आसानी होगी । पुलिस प्रशासन में, उसकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है । हमारे प्रदेश में जो भी काम हो रहे हैं, उसमें किस तरह मनोबल बढ़ाया जाए पुलिस वालों का इस पर हमें ध्यान देना होगा । अब मैं अपने क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । मथुरा में जमुना नदी के किनारे-किनारे रीवर पुलिस की आवश्यकता बहुत समय से महसूस की जा रही है । इसीलिए मंत्री जी यहां पर रीवर पुलिस प्रोवाइड करने का कष्ट करें । वहां दो नये थानों का गठन होना है । कृष्णानगर पुलिस रिपोर्टिंग चौकी और जयपुर पुलिस रिपोर्टिंग चौकी को थाने में परिवर्तन करने की मैं दो वर्षों से बार-बार कह रहा हूं, अतः अब यह दो नये थाने शीघ्र वहां स्थापित कर दिए जायं । इसके अतिरिक्त एक एडिशनल एस0 पी0 की नियुक्ति की भी आवश्यकता है, यह कार्य भी किया जाय । इसके साथ मैं बधाई देता हूं कि इतना अच्छा बजट पेश किया ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रधान प्रभु दयाल–

मान्यवर , मैं इस पर ज्यादा टाईम ने लेकर बहुत थोड़े में अपनी बात कहना चाहता हूं । यह मैं महसूस करता हूं कि आज यह परेशानी यों हो रही है, तो मुझे एक बात याद आ गयी । मुझे जवाहर लाल नेहरू, पूज्य बापू गांधी जी और स्व0 लाल बहादुर शास्त्री जी के समय का किस्सा जिक्र है । याद आ गया सरकार में क्या हो रहा है । एक औरत जिसका बच्चा बीमार था, वह अपने बच्चे की दवा हेतु रुपये मांगने किसी साहूकार के यहां पहुंची है और उससे रुपया मांगा साहूकार ने उसको 20 रुपया दे दिया, लेकिन शर्म की वजह से उसका नाम तथा पता नहीं पूछा । लेकिन उसने यह देख लिया कि वह कपड़े क्या पहने हुए है । वह चली आई और अपनी घरेलु परेशानी की वजह से कर्ज का रुपया अदा नहीं कर पायी । बहुत दिन बाद उस साहूकार से मनादी करा दी कि कोई महिला हमारे यहां से रुपया लाई थी । इस पर वह महिला वहां पहुंची और उसने कहा मैं ही वह औरत थी मजबूरी के कारण मैं वहां नहीं लौट सकी । साहूकार ने उसने कहा नहीं तुम वह महिला तो नहीं थीं वह तो लाल ओढ़नी नीला लहंगा पहने थी और तुम तो नीली ओढ़नी लाल लहंगा पहने हो, तो उसने कहा मेरे कपड़े बदले है ईमान नहीं बदला है उसके कपड़े बदले थे, लेकिन कांग्रेस के कपड़े नहीं बदले है ईमान बदला है इनका कोई ईमान नहीं रह गया है , जिस बारात के दूल्हे को गाजर खाने को मिले उस बारात के बारातियों को क्या मिलेगी ।

(व्यवधान)

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने एलान किया कि नेता लोग जो है वह दस मिनट और बाकी लोग पांच मिनट बोलेंगे, तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि कौन नेता है कौन नहीं है जो मान्यता प्राप्त दल है उनके जो नेता है वह नेता है या दूसरे नेता है हम कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है और जाने-माने नेताओं में आते है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको भी नेता ही मानता हूं लेकिन आप निर्दलीय में शामिल है ।

(व्यवधान)

(श्री विनोद कुमार का नाम पुकारा गया)

श्री राज किशोर सिंह–

मैं इस पर आपकी व्यवस्था मांग रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने विनोद जी को बुला लिया है । आप निर्दलीय नेता की हैसियत से नहीं है ।

(व्यवधान)

मैं देख लूंगा आपको बुलवा लूंगा ।

*श्री विनोद कुमार–

मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनप्रिय सरकार ने जिस तरीके से सांप्रदायिक ताकतों को दबाने का प्रयास किया है जिस तरह से पिछले 17 वर्षों से पड़े हुये स्थानीय निकायों के चुनाव कराये हैं, जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये हैं उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, मैं उन तत्वों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिनके कारण भारत का विभाजन हुआ । मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ताकतें आज प्रदेश में और सदन में इस प्रकार की भावनायें पैदा करते हैं और कुछ लोग इस प्रकार की तकरीरें करते हैं जिनसे मालुम होता है कि उत्तर प्रदेश या भारत देश को अपना देश न मानकर किसी पास के देश की भाषण बोल रहे हैं । मैं ऐसी ताकतों का विरोध और निंदा करता हूं । मान्यवर, मेरे मित्र ने जो कहा उस सम्बन्ध में हमारे सईदुल हसन, माननीय मंत्री जी ने यहां पर कांग्रेस की भावनाओं को प्रदर्शित किया और यह दिखाया कि समाजवाद के रास्ते पर इस देश को ले जाने के लिए केवल कांग्रेस ही कृत संकल्प है । मैं अपने उन मित्र के प्रति जो भड़काने वाली तकरीर करते रहे हैं उनके लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूं । कहीं जो जिक्र आया आस्तीन के सांपों का, मुझे अपने कई दोस्तों की याद आयी ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी गृह मंत्री जी ने बताया था कि किस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि तराई के क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं । नेपाल के बार्डर को शास्त्रधारी पुलिस और पी0 ए0 सी0 के जवानों से आच्छादित कराया जाय नहीं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तराई क्षेत्र में एक भय का वातावरण पैदा हो रहा है । उत्तर प्रदेश शासन ने आग्नेयस्त्रों पर पाबंदी लगा रखी है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने आग्नेयस्त्रों के लाइसेंस पर जो पाबंदी लगा रखी है इससे जनता को कठिनाई हो रही है । जनता को अपनी हिफाजत के लिए आग्नेयस्त्रों के लाइसेंसों को खोलने के बारे में माननीय मंत्री जी अपनी तकरीर में घोषणा करें । मान्यवर, जिस तरह से सरकार अल्पसंख्यकों, हरिजनों, अनुसूचित जातियों की रक्षा के लिये बचनबद्ध है उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं । अन्त में मैं फिर माननीय गृह मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने गृह विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं आदरणीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं आपके माध्यम से चंद बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, मेरा जनपद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और माननीय गृह राज्य मंत्री का जनपद एक ही है । मेरे जिले में पुलिस का नंगा नाच हो रहा है । पुलिस द्वारा किये जा रहे काले कारनामों से वहां की जनता त्रस्त है । मान्यवर, सहारनपुर में एक गरीब दास नाम के आदमी का अपहरण किया गया और उससे 30 लाख रुपये फिरौती लेकर छोड़ा गया । उसमें अपराधियों के साथ पुलिस के अधिकारी भी इस अपहरण में शामिल थे । गृह राज्य मंत्री मेरे जनपद के हैं उनका ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उनके सामने कुछ घटनाओं को रखते हुए इन घटनाओं की जांच कराने की मांग करता हूं । मान्यवर, मेरे यहां शाहपुर थाने के ग्राम काकड़े में एक जगपाल नाम के लड़के को 8-3-88 से 14-3-88 तक थाने में रखा गया और 5 हजार रुपये लेकर छोड़ा गया ।

इसी गांव के यशवीर पुत्र नाहर सिंह को पकड़ा गया है 3 हजार रुपया सुविधा शुल्क लेकर छोड़ा गया । इसकी जांच आप एंटीकरप्शन से करवा लें । इसी तरह से सलाहउद्दीन नाम का एक युवक जो मखियाली ग्राम का निवासी है उसको पकड़ा गया और उसको विभिन्न थानों में रखा गया । उसको 14 फरवरी से विभिन्न थानों में रखा गया और तरह-तरह की यातनायें दी गयीं । उसके आलपिनें चुभोयी गयीं, उसके नाखून उखाड़े गये और उसकी गुदा में मिर्चें भरी गयीं । अंग्रेजी राज में भी पुलिस इस तरह का व्यवहार नहीं करती थी जो आज आपके जमाने में हो रहा है । इसी तरह करौंदा हाती गांव के एक पिछड़ी जाति के युवक को एक प्रभावशाली व्यक्ति के कहने से पकड़ा गया क्योंकि यह युवक उस प्रभावशाली व्यक्ति के यहां बेगार नहीं कर रहा था । इस व्यक्ति को पकड़ कर फुगाना थाने में 15 दिन रखा गया और उत्पीड़ित किया गया । बाद में मेरे हस्तक्षेप पर उसे छोड़ा गया । आर0 के0 शर्मा को 8 दिन तक थाने में रखा । इनके आदेश थाने में नहीं पारित हुए । जो गृह विभाग से आदेश गये थे, वह सी0 आई0 डी0 की जांच के लिए गये थे, फायर ब्रिगेड के आदेश गये थे । अमर उजाला में यह छपा है, उसकी कापी मैं आपके पास भेज रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें। मैंने श्री पुरुषोत्तम लाल को पुकार लिया है।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, 4/5 की रात्रि में पुलिस ने इतना मारा कि उनकी बेचारों की टट्टी-निकल गयी और आज की निकम्मा सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पायी ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पुरुषोत्तम लाल बोल रहे हैं, अब आप बैठें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अगर मुजफ्फरनगर को बचाना है, तो मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि इनको कैबिनेट स्तर का किसी दूसरे विभाग का मंत्री बना दें, लेकिन गृह विभाग इनसे वापस ले लें. . .

(व्यवधान)

श्री गुरुषोत्तम लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गृह विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मैं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा रखे हुए बजट का समर्थन करता हूं और नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, गृह विभाग मैं समझता हूं कि प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है । जब कभी समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए किसी भी कानून को हम प्रतिपादित करते हैं और उस समय यदि कानून में कानून में अगर न हो, तो वह कानून अपने में अक्षम अपूर्ण होता है । ऐसे कानून जिसमें भय न हो, तो वह समाज निरंकुश, असामाजिक एवं अमानवीय हो जाता है, जो समाज के लिए अत्यन्त दुष्कार होता है । इसलिए किसी भी समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कानून में भय का होना नितांत आवश्यक है । गृह विभाग समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कानून के अंदर मय के माध्यम से समाज को निरंकुश एवं उच्छृंखल होने से बचाया है। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी ने निश्चत रूप से 13 करोड़ की प्रदेश की अवाम को शांति और सुरक्षा की बेहतर जिम्मेदारी का निर्वहन किया, जो सराहनीय है और बधाई की पात्र हैं । इलाहाबाद में अभी कुछ दिन पहले विश्व का महानतम् कुम्भ का मेला लगा, जिसमें करीब प्रदेश और देश-विदेश से डेढ़ करोड़ जनता स्नान करने के लिए एकत्रित हुई थी । तीन महत्वपूर्ण स्नान पर किसी भी तरह की मेला में अप्रिय घटना नहीं घटी, जो इस बात को साबित करती है कि हमारा पुलिस विभाग कितना जागरूक और चुस्त रहा, जो सारे लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से सुरक्षा के साथ स्नान करवाया तथा मेले को सम्पादित करवाया । इसके लिए माननीय मंत्री जी तथा पुलिस विभाग के समस्त अधिकारीगण बधाई के पात्र हैं । इन शब्दों के साथ मैं आपका ध्यान अपने इलाहाबाद जनपद के सिराथू विधान सभाई क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र दोआब गंगा और जमुना के बीच बसा हुआ है और जो शहर से करीब 70-80 किलो मीटर दूर है । एक तरफ बांदा, दूसरी तरफ फतेहपुर और तीसरी तरफ प्रतापगढ़ है और तीनों तरफ से अपराधिक प्रवृत्ति के लोग वहां पर आत है, जिससे आये दिन क्षेत्र में अपराध काफी होता रहता है जिसके कारण शांति व्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ता है । मेरे क्षेत्र के अंतर्गत थाना-मोहब्बतपुर के पुलिस कर्मियों के आवास की व्यवस्था नहीं है, जिसके अभाव में वहां के पुलिस कर्मी इधर-उधर रहते हैं । ग्रामीण अंचल में रहने की व्यवस्था ठीक न होने के कारण मौके पर यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो कोई त्वरित कार्य करने में अपने को असहाय पाते हैं । तत्काल पुलिस आवास की व्यवस्था की जाय, जिससे वे त्वरित ढंग से अपराध पर नियंत्रण कर सकें । 87-88 में एक अग्निशमन केन्द्र थाना सौनी के अंतर्गत कायम हुआ, यह उतर प्रदेश में ग्रामीण अंचल में पहला अग्निशमन केन्द्र था जो मेरे सिराथू विधान सभाई क्षेत्र में थाना सौनी के करीब है । वहां भवन के अभाव में फायर ब्रिगेड की गाड़ी खुले में खड़ी रहती है, जब कि अग्निशमन केन्द्र भवन का पैसा बजट में दिया जा चुका है । अभी तक अग्निशमन के भवन में अग्निशमन गाड़ियां एवं केन्द्र के कर्मचारियों की एवं अग्निशमन गाड़ियों का रख-रखाव नहीं हो पा रहा है मैं आपके माध्यम से माननीया गृह मंत्री से मांग करता हूं कि वे तत्काल सिराथू विधान सभाई क्षेत्र में कायम हुए अग्निशमन केन्द्र के भवन का निर्माण करायें जिससे कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था हो सके तथा गाड़ियों को सुरक्षित ढंग से रखा जा सके ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं मान्यवर,

माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, सच पूछा जाय तो गृह विभाग को चाहिए कि वह पुलिस को अपने काबू में रखे । लेकिन यह इनके लिए बिलकुल सम्भव नहीं है, इसीलिए वे अंग्रेजों के बनाये हुए ढांचे पर चल रहे हैं । जो पुलिस ढांचा अंग्रेजों ने बनाया, वह ढांचा अंग्रेजों ने आज भी बरकरार है न उस ढांचे के बल पर इस देश में आजादी की लड़ाई के समय उसका हर प्रकार से इस्तेमाल किया था गोलियों से भूना फांसी पर चढ़ाया गया क्या-क्या नहीं उन्होंने अत्याचार किया आज ठीक इस उसी प्रकार से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विपक्षी दल जो आन्दोलन कर रहे हैं, किसान आन्दोलन कर रहा है, मजदूर आन्दोलन कर रहा है, विद्यार्थी आन्दोलन कर रहा है, कर्मचारी आन्दोलन कर रहा है हर वर्ग के लोग इसके खिलाफ आन्दोलन कर रहे हैं जिसको कुचलने के लिए पुलिस को इन्होंने हथियार बना लिया है । मान्यवर, जो विपक्षी दल के नेता हैं उनके खिलाफ मीसा का, गुण्डा एक्ट का इस्तेमाल करते हैं और पिछली मरतबा जो इन्होंने गिरोह बन्द कानून बनाया था उसका विरोध पक्ष में राजनैतिक कार्य कर्ताओं के खिलाफ होता है और उसको बन्द करके सजा दी जाती है ।

[समय 7.30 बजे]

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । इस पुलिस व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि इस विभाग में इस पुलिस के ऊपर सरकार की कोई बात चलती नहीं है इसीलिए आज इसकी बहुत जरूरत है । थानों की मान्यवर, क्या हालत है आपने कुछ पुलिस बढ़ाया, कुछ दारोगाओं को बढ़ाया, कुछ आई0 पी0 एस0 अधिकारियों को बढ़ाया, आई0 जी0 को बढ़ाया, डी0 आई0 जी0 को बढ़ाया लेकिन जितना बढ़ाया उतने अपराध बढ़े और हुआ क्या कि जितने थाने बने हुए हैं उन थानों के अंदर दरोगाओं और पुलिस कर्मचारियों के पास केवल इतना काम रह गया है कि अधिक से अधिक पैसा वसूलों, अपराध बढ़े, तस्करी बढ़, गांजा भाग बिके, शराब की अवैध भट्ठिया लगें, हरे पेड़ काटे जायं इससे पुलिस का कोई मतलब नहीं है, पैसा दे और काम करें । यहां लखनऊ में बीलिया का जो एस0 पी0 चक है उसने 20 लाख की कोठी बनवा रखी है । वह मथुरा से हटाकर रखा गया उसकी चरित्र पंजिका खराब है, प्रतिकूल प्रविष्टि मिली है और लाखों लाख कमायें हैं । बीलिया के अंदर रसड़ा थाने में 1983 में एक परिवार के चार आदमियों की हत्या की गयी वीर बहादुर यादव, राम लखन यादव और श्री लक्ष्मी यादव । वीर बहादुर यादव का 3 वर्ष का बच्चा भी गया । 3 मारा और उस बच्चे के अफसोस में उसकी मां भी गांव में मर गयी । उस पर कुंए में गिरकर 83 में सी0 आई0 डी0 की जांच बैठाई गयी और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सी0 आई0 डी0 ने 302 का मुकदमा कराया है लेकिन आज तक इन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और आजकल रसड़ा थाने का थानेदार राम जतन है उसके रहते 5 हत्याएं हो गयी लेकिन वह थानाध्यक्ष आज भी बरकरार है । थानेदार निरंकुश हो गये हैं, बेलगाम हो गये हैं उनको किसी का डर नहीं है, न मंत्री का डर है, न राज्यपाल का डर है, न राष्ट्रपति का डर है वह आज अपने को सबसे बड़ा अफसर समझता है । शिकायतें जाती है तो सारी शिकायतें थाने के अन्दर पड़ी रहती है कोई उस पर कार्यवाही नहीं करता है जब तक उसको पैसा नहीं मिलता है तो यह आचरण हो गया है । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहे

है हमारे यहां बहुओं की इज्जत लूटी जा रही है, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, हमारी मां, बहनें बेइज्जत हो रही हैं, हमारी सीता बेआबरू हो रही है । इस राज्य के अंदर यह हो रहा है और यह बैठे हुए मंत्री हैं यह इतने निकम्मे हो गये हैं कि इस पुलिस जुल्म को रोकने में अक्षम साबित हो गये हैं । यही कारण है कि आज अत्याचार बढ़ रहे हैं । मान्यवर, तराई के इलाके में आतंकवादी घुस रहे हैं और पुलिस डर के मारे खौफ खा रही है कि कैसे इन आतंकवादियों का मुकाबला करा जाय अगर जनता हिकमत से काम न लेती और इनकी तरह होती तो क्या होता क्योंकि माल लाकर इनकी देते पुलिस आतंकवादी कीर्मियों को देते ।

(व्यवधान)

मान्यवर, थाना आज मालूम होता है कि यहां पर यमराज बैठा हुआ है हमारी गरीब जनता वहां पर नहीं जाती है अगर उनके यहां डकैती हुई तो दरोगा गाली देकर कहता है कि तुम्हारे यहां डकैती नहीं हुई है तुम्हारे यहां कोई घुस गया होगा और गलत रिपोर्ट लिखाते हो पुलिस इसके बाद यह कहे कि डाका पड़ा कहां तो डाकुओं को न पकड़ करके निर्दोष लोगों को पकड़ कर थाने में ले आ कर पुलिस द्वारा रुपया ऐंठा जाता है । कोई भी कड़े कदम सरकार की ओर से नहीं उठाए जाते । तब विपक्ष के लोग इनके खिलाफ आन्दोलन करते हैं, इनके खिलाफ बात आती है तो दबा दी जाती है और सरकार हमेशा उनकी रक्षा करती है । मान्यवर, बनारस काण्ड हुआ हरीश जी के साथ, एस0 एस0 पी0 ने कहा कि माफी मांगी, कतई नहीं मांगी । बल्कि यह कहा कि हमारे आंगन में कोई घुस आए तो हमारे अंगने में तुम्हारा क्या होगा ? कोई सिनेमा में आता है कि हमारे अंगने में कैसे कोई चला आया, हमारा क्या काम है, वह एस0 एस0 पी0 कहता है कि हमारे अंगने में हरीश जी का क्या काम है । पूरा बनारस शहर पुलिस का आंगन बन गया है । लक्सर थाना पुलिस का आंगन बन गया है । मंत्री जी कहते हैं कि पुलिस कर्मियों से ऊर्जा प्राप्त कर रही हैं । ऊर्जा वहां है एस0 एस0 पी0 वहां के पुलिस के लोगों से ऊर्जा प्राप्त करता है । सेटेलाइट जो सूरज के सामने घूमता है और सूरज से उर्जा लेता है, वह कहते हैं कि पुलिस कर्मियों से ऊर्जा लेते हैं । वह कहते हैं कि ऊर्जा तो हम आपसे लेते हैं । यह हालत हमारे प्रदेश के अंदर है और इनकी हिम्मत नहीं है कि कोई इन अधिकारियों के खिलाफ, जो मनमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें । मान्यवर, इसीलिए मैं चाहता हूं, मेरा सुझाव है कि इन थानों का सुधार किया जाय और पुलिस को नये सिरे से प्रशिक्षण दिया जाय ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री प्रेम पाल सिंह को बुलाए जाने पर भी श्री राज किशोर सिंह के बोलते रहने से व्यवधान)

श्री प्रेम पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया . . .

श्री अधिष्ठाता–

राज किशोर सिंह जी आप बैठें ।

श्री प्रेम पाल सिंह–

मान्यवर, विरोध पक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं । मान्यवर, . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

राज किशोर सिंह जी आप बैठें, कृपया बिराजिये ।

श्री प्रेम पाल सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका समय कम लूंगा और संक्षेप में अपनी बात कहूंगा । उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे रहे हों, छात्र संघों के आन्दोलन रहे हों या हरिजनों के प्रति किसी तरह का विवाद रहा हो, हर प्रकार से पुलिस ने हरिजनों की पूरी मदद की है जिससे हमारी सरकार में हरिजनों का विश्वास बढ़ा है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, यदि हरिजनों पर अत्याचार हुआ है तो विपक्ष के लोगों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार हुआ है । इसमें पुलिस ने हरिजनों की मदद की है, न कि अत्याचार किया है । यह उनकी गलतबयानी है कि हरिजनों पर पुलिस ने अत्याचार किया है । अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये कहते हैं कि हमारी पुलिस ने अत्याचार किया है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, हरियाणा में इनकी पुलिस हमारे होमगार्ड के बराबर भी नहीं है । मैं वहां पर इलेक्शन में गया था । वहां की पुलिस . . .

श्री अधिष्ठाता–

आप माइक में दूर से बोलें । आपकी आवाज तेज है ।

श्री प्रेम पाल सिंह–

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं । दो मिनट का समय दे दें । माननीय गृह मंत्री जी को अपनी पुलिस के लिए कुछ सुझाव दे दूं । मान्यवर, थानों में पुलिस को बढ़ाया जाय और कमिश्नरी लेविल पर जो बार्डर के क्षेत्र हैं, वहां के एस0 एस0 पी0 डी0 आई0 जी0 को निर्देशित करें कि वहां पर जो अपराध बढ़ रहे हैं, उनको कन्ट्रोल करें । एक माह में एक बार कमिश्नरी के एस0 एस0 पी0 बीहड़ों पर मीटिंग करें ।

अतः मैं अपने युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने जिन्होंने प्रदेश में ही नहीं देश की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है वह देश की सुरक्षा सीमा पर सुरक्षा के कड़े आदेश दिये हैं । अतः मैं गृह विभाग पर रखे बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

जय हिन्द जय भारत ।

एटा जनपद के विधान सभा क्षेत्र जलेसर की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जलेसर, आवागढ़ में थाने बने हुए हैं, शासन से एक चौकी खुली हुई है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें । मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

श्री प्रेम पाल सिंह–

वहां के थानों पुलिस चौकियों को सभी चीजों से सुज्जित किया जाय । जो चौकियां स्वीकृत हैं उन्हें शीघ्र स्थापित किया जाय । मान्यवर, इस सरकार ने सुरक्षा दी है

हर प्रकार की सुरक्षा दी है । इसी के साथ प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । जय हिन्द जय भारत ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आप लिस्ट देख लें, मेरा भी नाम है ।

श्री अधिष्ठाता–

लिस्ट का जिक्र यहां नहीं होता । आप सीनियर मेम्बर हैं ।

(व्यवधान)

श्री काजी कलीमुर्रहमान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान जनपद आजमगढ़ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । जनपद आजमगढ़ के दो थाने सहदेवगंज, बिलरियागंज उनके सम्बन्ध में तथा बनकट में एक चौकी होनी है उसके सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट करता हूं : इनकी स्थापना के साथ-साथ इन्हें पूर्ण रूप से टेलीफोन और वायरलेस सेट्स के साथ सुज्जित किया जाय । फायर स्टेशन बिलरियागंज में बनाना चाहिए जिले में दमकल की दो गाड़ियां थीं, जनपद में बटवारा हो गया है आजमगढ़ और मऊ । इनके बीच में एक फायर स्टेशन की गाड़ी है । फायर स्टेशन की गाड़ियां वहाँ पर भेजी जायं । इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग में चौकीदार, अर्दली, प्यून-अर्दली की तनख्वाहें बहुत कम हैं, उनमें काफी असंतोष है, उनके वेतन बढ़ाने पर विचार किया जाय । माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग में जो विभागीय पदोन्नतियां की गयी है, जो अधिकारी हैं, उनके अंदर काफी असंतोष हो रहा है कि उन्हें रिवर्ट किया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

काजी साहब बाकी सुझाव आप लिखकर माननीय मंत्री जी के पास भेज दें ।

श्री काजी कलीमुर्रहमान–

इनके पदों की व्यवस्थायें की जायं ताकि उनका मनोबल बना रहे । मैं कहना चाहता हूं कि गोरखपुर में 45 दिनों से वकीलों की हड़ताल चल रही है, इससे आजमगढ़ तथा मण्डल के अन्य स्थान भी प्रभावित हैं, केवल इंस्पेक्टर तथा अन्य अधिकारी को हटाने के सम्बन्ध में हड़ताल जारी है । यह माननीय मंत्री जी की भी जानकारी में है वहां के अधिवक्ताओं की हड़ताल खत्म नहीं हो रही है । गोरखपुर के अधिवक्ताओं की हड़ताल खत्म कराने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए । जो इस सम्बन्ध में अधिकारियों की हठधर्मी है उसमें माननीय मंत्री जी इंटरवीन करें ताकि गोरखपुर के वकीलों की हड़ताल समाप्त हो सके जो वहां की अन्य समस्यायें हैं उनका भी समाधान करायें । मुझे आशा है कि मैंने जो सुझाव रखे हैं तथा जनपद आजमगढ़ में प्रस्तावित थानों, चौकी के सम्बन्ध में और फायर स्टेशन के सम्बन्ध में जो बात कही है गाड़ियों के भेजने की, उस पर ध्यान दिया जायेगा ।

श्री सन्तन बड़थ्वाल–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण बजट है । यह महत्वपूर्ण वर्ष पुलिस के लिए और जन-प्रतिनिधियों के लिए है । जनप्रक्रिया चुनाव की शुरू हो गयी है । काफी देर से इस पुलिस पर चर्चा हो रही है, विपक्ष के नेताओं ने विरोधी दल के नेता ने यह नहीं कहा कि पुलिस ने कहीं किसी चुनाव में दखल अंदाजी की है । पुलिस की सफलता इसमें है । लोकतंत्र की प्रक्रिया में पुलिस सही निकली इसके लिए माननीया गृह मंत्री जी माननीय राज्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । न कोई हरिश्चन्द्र है और न कोई सुल्ताना डाकू है । पुलिस में सुधार की आवश्यकता है, पुलिस में सुधार हो रहा है । श्रीमन् फौज का सिपाही तथा अधिकारी ज्यादा सुरक्षित है बजाय पुलिस के अधिकारी कर्मचारी के । पुलिस का कर्मचारी जब घर से निकलता है तो यह नहीं पता रहता कि शाम को वह सुरक्षित घर पहुंच जायेंगे । हम लोगों को नजरिया बदलना पड़ेगा । केवल पुलिस के खिलाफ बोलने से समाज में लोकतंत्र में खतरा पैदा हो जायेगा । वास्तविकता है उसे कहा जाना चाहिए पुलिस सर्विसेज का सुधार होना चाहिए । 90 प्रतिशत अच्छे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी भावनाओं का आदर होना चाहिए । माननीया गृह मंत्री जी माननीय गृह राज्य मंत्री जी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बढ़ रही है । अब अगर किसी मियां बीबी का झगड़ा हो और मुहल्ले वाले इकट्ठे होकर गवाह बन जायं तो उसमें पुलिस क्या करे ? उसमें पुलिस क्या भूमिका निभायेगी ? पहाड़ों की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि पहाड़ों में थानों का विस्तार नहीं किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपकी बात समाप्त हो गयी । आप बैठे ।

(व्यवधान)

श्री सन्तन बड़थ्वाल–

वहां पर केवल पटवारियों के साथ दो-दो सिपाही रखे जायं । थानों का कार्य यह तो जनता चाहती देख नहीं । वहां पुलिस की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें । दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है। वह भी कड़े हैं ।

श्री सन्तन बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं यह भी चाहूंगा कि गृहमंत्री इसकी व्यवस्था करें, इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री आसान सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है और आज अगर शासन और प्रशासन किसी का है, तो वह पुलिस का है, गुण्डों का राज है । कांग्रेस का राज नहीं है, बल्कि प्रदेश में पुलिस का राज है और इसके लिए दोषी हैं, राजनैतिक लोग और खासतौर से सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग । अगर यह सब लोग और पुलिस कसम खा लें, तो क्राइम कल से शून्य परसेन्ट हो जायगा । अगर शून्य परसेन्ट न हो जाय, तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा । आज अपराधी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रवृत्ति के लोग दो ही जगह संरक्षण पाते हैं, या तो खाकी वर्दी वालों के साये के नीचे या फिर सत्ता में बैठे हुए लोग, कांग्रेसी लोगों के खद्दर के नीचे अपराधियों को संरक्षण मिलता है, तीसरा कोई स्थान नहीं है, संरक्षण देने का । यह जनता में जाकर आप मंत्री जी पूछ लें । आज गांव का गैर पढ़ा लिखा आदमी भी कहने लगा है कि इससे तो अच्छी अंग्रेजी हुकूमत थी, उसके अन्दर आपकी पुलिस के लिए ऐसे भावना ऐसी व्याप्त हो गई है ।

मान्यवर, दुनिया में कोई ऐसा अपराध नहीं है, जो यह पुलिस के खाकी वर्दी वाले न करते हों । आज पुलिस में और अपराधी में कोई अन्तर नहीं है । केवल अन्तर यह है कि यह प्राइवेट अपराधी है और दूसरे सरकारी हैं, यानि सरकार से लाइसेंसशुदा अपराधी हैं । मैं आपके ध्यान में अपने जनपद इटावा की बात लाना चाहता हूं । मान्यवर केवल औरैय्या में ही 25 ऐसे जुआघर हैं, जिनको पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है और कांग्रेसी लोगों का संरक्षण मिला हुआ है । मान्यवर, आप जांच करा लें और अगर मेरी बात गलत निकल जाए, तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा । आज 25 जुआघर, 15 सट्टे इटावा में चल रहे हैं । मान्यवर, आप भी इटावा से भलीभांति परिचित हैं और वहां के बारे में जानते हैं । वहां का पुलिस प्रशासन और सरकारी सत्ता में बैठे हुए लोग, मिलकर के वहां जनता का शोषण करवा रहे हैं और जनता से इसकी शिकायतें बराबर मिल रही हैं । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि गोवर्धन काला, आर0 आई0 इटावा हैं और दो बार उनका ट्रांसफर हो चुका है, उनके कृत्यों की एक लम्बी कहानी चल रही है, उसका आपके विधान सभा में प्रश्न भी उठा, लेकिन आज तक उसका स्थानान्तरण नहीं हुआ और वरिष्ठ पुलिस कप्तान उससे पैसा लेते हैं और उसको संरक्षण देते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आसान जी, आप विराजें, आपका समय समाप्त हो गया ।

(व्यवधान)

श्री आसान सिंह–

मान्यवर, बस एक मिनट और, मैं अपनी अंतिम बात कहकर समाप्त कर रहा हूं ।

(माननीय सदस्य द्वारा बिना अनुमति के बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आसान जी, अब समाप्त करें, आपका समय खत्म हो गया है, आप विराजें, मैंने दूसरे सदस्य को बुला लिया है ।

(श्री आसान सिंह द्वारा पुनः बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आसान जी, आप बगैर अनुमति के बोल रहे हैं, मैं अब आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । आपका समय खत्म हो चुका है, आप बैठें ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, आपने गृह मंत्रालय के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, आजादी के बाद पुलिस का चरित्र बदला हो या न बदला हो, किन्तु इसका नाम नहीं बदला है । आजादी के पहले जिसे हम अंग्रेजी

में कलेक्टर कहते थे, उसे अब हिन्दी में जिलाधिकारी कहते हैं, जिसको हम डिप्टी कलेक्टर कहते थे, उसे हम परगनाधिकारी कहते हैं, होम मिनिस्टर को हम अब गृह मंत्री कहते हैं, लेकिन पुलिस को हम आज भी पुलिस ही कहते हैं । मैंने अपने बहुत से साथियों से पूछा कि पुलिस तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका हिन्दी में पर्याय क्या होगा ? किन्तु इसका हिन्दी पर्याय नहीं है । पुलिस उस समय भी हमारे पीछे थी जब हम गुलाम थे और आज भी अभी तक कई मायनों में हम अपनी गुलामी की मानसिकता को नहीं बदल सके हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, और इस सम्मानित सदन के माध्यम से मा0 गृह मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि पुलिस का कोई अच्छा हिन्दी भाषा में नाम रखा जाय । न्यायिक रक्षक रखा जाय, कानून रक्षक रखा जाय या फिर जन रक्षक रखा जाय, पर पुलिस नाम न रखा जाय । आज भी जब कहीं पुलिस जाती है तो कहा जाता है कि पुलिस आ गई है, शक होती है क्यों आई है, जनता के ऊपर एक साईकोलोजिकल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है जिससे जनता पुलिस के खिलाफ हो जाती है ।

मान्यवर, मैं पर्वतीय क्षेत्र की ओर मा0 गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और साथ ही सुझाव भी देना चाहता हूं । हमारे यहां अधिकार क्षेत्र में रवेन्यू पुलिस है । उनके पास बहुत से रवेन्यू के ही काम पड़े रहते हैं । पुलिस पावर भी उनको दी गई है परन्तु न उनके पास वर्दी है, न हथियार है न कोई चौकी है और न ही पुलिस कान्सटेबिल के बराबर उनको वेतन दिया जाता है उनके पास सिर्फ एक हथकड़ी है । ये हमारे यहां पटवारी, एस0 ओ0 कहलाते हैं । इनके पास कुछ न होने से आज पहाड़ों पर क्राइम बढ़ रहे हैं । पहले कभी कई वर्षों में एक-दो संगीन क्राइम होते थे, आज सैकड़ों क्राइम एक वर्ष में हो रहे हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि रवेन्यू पुलिस को पर्याप्त प्रशिक्षण एवं सुविधाएं दी जायं । इनके लिए आवास की व्यवस्था की जाय और इनकी नौकरी अच्छी की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं । और गृह मंत्रालय का बजट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती । हालत यह है कि आज इस प्रदेश के अन्दर मुसलमानों के साथ बहुत नाइन्साफी हो रही है । चाहे वह मेरठ हो, मुरादाबाद हो, मलियाना हो चाहे हाशिमपुर हो । जब हम अपने कौम की बात करते हैं तो हमें कम्युनल कहा जाता है । अगर हकबात कहना जुर्म है तो मैं इस जुर्म को बार-बार करता रहूंगा । माननीय मंत्री जी ने जो पुलिस बजट पेश किया है, उसके अन्दर मुसलमानों का कोई रिप्रिजेन्टेशन नहीं है । आज पुलिस के अन्दर मुसलमान बिल्कुल ना के बराबर है । उनको भरती नहीं किया जाता है । जब कोई बलवा व फसाद होता है और इसे रोकने के लिए जब पी0 ए0 सी0 को भेजा जाता है तो वह मुहाफिज की जगह कातिल बन जाती है । आज पी0 ए0 सी0 पर मुसलमानों को कोई एतबार नहीं रह गया है । पी0 ए0 सी0 को हटाया जाय । मैंने एक टेलीग्राम 12-11-1988 को चीफ मिनिस्टर को, श्री नियाज हसन, स्पीकर विधान सभा को, श्री नूर मोहम्मद, मैनेजिंग डाइरेक्टर, माइनोरिटीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लखनऊ को भेजा था । जब

उत्तर प्रदेश के अन्दर 12 जिलों में 12-11-88 से सिविल कांस्टेबिल्स का रिक्रूटमेण्ट होने जा रहा था उसका वैरीफिकेशन और मेजरमेंट जो 12-11-88 से 16-11-88 तक होना था उस समय चेयरमैन और मेम्बर्स आफ दि बोर्ड जो 17 नवम्बर को बुलाया गया लेकिन मुसलमानों का कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं था । जो भर्ती की जाती है उसमें मुसलमानों की नुमाइन्दगी नहीं होती है । हम भी इस विधान सभा के सदस्य हैं, हमें भी अपनी बात कहने का हक हासिल है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

इसलिए माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि पुलिस में मुसलमानों की भर्ती की जाय जिससे बलवे और फसाद में मुसलमानों के साथ नाइन्साफी न हो ।

श्री अधिष्ठाता–

अब बात समाप्त करें । अब नहीं लिखा जायगा ।

श्री बसन्त सिंह गहलौत–

मान्यवर, ग्रामीण जनता बड़ा असुरक्षित हो रही है । असलहों के लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं । व्यक्ति को रक्षा के लिए लाइसेंस दिए जाने आवश्यक हैं । पुलिस दल इतना नहीं है कि सबकी सुरक्षा का इन्तजाम सुदूर ग्रामीण अंचलों में कर सके : फिर स्वतंत्र देश में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि नागरिक अपनी रक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले सके । मान्यवर, दफा 323 के अन्दर इनवेस्टीगेशन पुलिस के द्वारा नहीं हो सकता इसका यह परिणाम हो रहा है कि फर्जी केस 324-25 के बनाए जाते हैं, डाक्टर पैसा लेकर सर्टीफिकेट दे देता है, दो गवाह मिल जाते हैं । ऐसी स्थिति में 324–25 के मामले में पुलिस को अच्छे तरीके से इनवेस्टीगेशन करके केस चलाना चाहिए । एक्स-रे के द्वारा जो हड्डी टूटी दिखाई जाती है, उसे प्रामाणिकता दे दी जाती है । यह गलत है । डाक्टर झूठे तरीके से एक्सरे द्वारा टूटी हड्डी दिखला देते हैं इसे प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए ।

*श्री गोपीनाथ वर्मा–

आपने गृह विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, आभारी हूं । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि न तो फर्जी मुठभेड़ हुई है, न होगी । एक उदाहरण देना चाहता हूं । फैजाबाद में नौराही में असलर एक व्यक्ति था, पुलिस के लोगों ने उसको पकड़ा और 12 बजे रात्रि को मार दिया । सुबह अखबारों में आया कि उसे मुठभेड़ में मारा गया और उसके पास से बन्दूक बरामद हुई । यह बन्दूक उसी थाने के अन्तर्गत एक ठाकुर परिवार की चोरी चली गई थी, उसने रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने उसे बरामद करके मालखाने में जमा कर दिया था । वही बन्दूक उस व्यक्ति के पास से बरामद दिखा दी गई । मैं कहना यह चाहता हूं कि फर्जी मुठभेड़ हो रही हैं । माननीया मंत्री जी जो कहती हैं कि फर्जी मुठभेड़ नहीं हो रही है, यह सत्य से परे है । पूरे प्रदेश में असलहों के लाइसेंस पर पाबन्दी लगा दी गई है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बहुत से लोगों को इसकी आवश्यकता है । इन्हीं के कार्यालय में 10 हजार रु0 लेकर एक व्यक्ति आया था, किसी ने उड़ा लिए । उसकी रिपोर्ट लखनऊ कोतवाली में दर्ज कराई गई । जब मा0 मंत्री जी स्वयं सुरक्षित नहीं हैं और उनसे मिलने वाला सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में असलहों की पाबन्दी को हटा लेना चाहिए । मालीपुर थाना में लाल बहादुर वर्मा पर मिट्टी का तेल डालकर उसकी हत्या कर दी गई ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें ।

श्री राम सिंह एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गृह विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीया मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । यह हम लोगों की वेदना है और विपक्षी लोगों की भी यही शिकायत है कि थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है । हरिजन और गरीब लोगों की तो रिपोर्ट बहुत बार नहीं लिखी जाती है । तो इस संबंध में मेरा माननीया मंत्री जी को सुझाव है कि इसके लिए आप अलग से एक एजेन्सी शहर कोतवाली थाने में बनाएं जहां पर एक कांस्टेबिल और एक हेड कांस्टेबिल नियुक्त कर दें कि कोई भी आदमी रिपोर्ट लिखाने आए तो वे उसकी रिपोर्ट जरूर लिख लें, रिपोर्ट के लिखने के बाद तो यह बाद की बात है कि जांच हो और उसका क्या रेजल्ट आए । उसके अनुसार कार्यवाही हो।

दूसरी बात यह है कि जैसा कि अभी विपक्ष के भी सदस्य कह रहे थे कि अपराधों का मिनिमाइजेशन कर दिया जाता है । जैसे हम किसी थानेदार के खिलाफ शिकायत करते हैं तो व शिकायत एस0 पी0 के पास जाती है और घूम फिर कर अन्ततोगत्वा वह शिकायत लौट कर उसी थानेदार के या व्यक्ति के पास आ जाती है जिसकी शिकायत की जाती है । इस कारण से शिकायत का कोई प्रभावी प्रभाव हो नहीं पाता है । इसके लिए जैसे पहले आप एक कम्पलेन्ट आफिसर रखते थे उसी तरह से डिप्टी एस0 पी0 रैंक का अधिकारी कम्पलेन्ट आफिसर के रूप में आप नियुक्त करायें ताकि इस ओर सही कार्यवाही हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । चार घण्टे हो गए अब 8 बजने वाला है अभी नेता विरोधी दल बोलेंगे और फिर माननीया गृह मंत्री जी बोलेंगी । नहीं, अब और नहीं ।

श्री राम सिंह–

अरे, मान्यवर, हमें अपनी बात तो समाप्त कर लेने दें ।

(श्री हरदेव पहले अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहे इसके कारण बराबर व्यवधान बना रहा ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, अब आप लिखकर भेज दीजिएगा ।

श्री राम सिंह एडवोकेट–

बस मैं एक बात और कह कर समाप्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैंने माननीय नेता विरोधी दल को बुला लिया है ।

(श्री हरदेव अपने स्थान से उठकर आगे आ गये और बराबर बोलने के प्रयास में घोर व्यवधान)

श्री हरदेव–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य बैठ जायं । माननीय सदस्य बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि गृह विभाग का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है । यह ठीक है कि आपने काफी लोगों को बुलवाया है लेकिन फिर भी अपने-अपने क्षेत्र की समस्यायें जो गृह विभाग से संबंधित हैं, उसे लोग रखना चाहते हैं । इसके लिए आप निर्देश कर दें कि जो माननीय सदस्यों के सुझाव हैं उसे वे गृह मंत्री जी को लिख कर दे दें और वे कार्यवाही के अंग बना दिए जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

वे अपने सुझाव गृह मंत्री को लिख कर दे दें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

यह कार्यवाही का अंग बनेंगा ?

श्री अधिष्ठाता–

आज ही अगर दे दें तो वह कार्यवाही का अंग मानी जायेंगी । मा0 सदस्य कृपया बैठ जांय . . . (व्यवधान)

श्री हरदेव–

. . . (घोर व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डेय–

मान्यवर जो जबरदस्ती बोलने का प्रयास माननीय हरदेव जी कर रहे हैं, इनके विरुद्ध विशेषाधिकार ले आया जाए । . . . (शोर) . .

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया बैठ जांय . . . . (व्यवधान)

नोटः–[x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया । वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अभी काफी लोग बोलना चाहते हैं, इसलिए आप कृपा करके आधे घंटे का समय और बढ़ा दीजिए, ताकि यह शोर खत्म हो जाए . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जैसा कि अभी माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि जो मा0 सदस्य बोलना चाहते हैं, समय की कमी की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, वह अपना लिखित सुझाव आज ही दे दें तो वह कार्यवाही का अंग मान लिए जायेंगे . . . कृपया बैठ जायं सभी माननीय सदस्य . . . (व्यवधान)

श्री राम सिंह एडवोकेट–

मान्यवर मुझे अपनी पूरी बात कहने का मौका दिया जाए . . . . (शोर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय राम सिंह जी जो सुझाव दे रहे हैं, सुन लीजिए, लेकिन दो माननीय सदस्यों के बारे में आपसे बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, वैसे आपका निर्णय शिरोधार्य है, एक तो मूलचन्द्र जी और दूसरे हमारे मा0 हरदेव जी को 2-2 मिनट का समय अवश्य दे दें यह लोग कुछ सुझाव अपने-अपने क्षेत्र के देना चाहते हैं, जो न दे पाने की वजह से रोष में आ गये और इन्होंने जो कुछ इस रोष के कारण कह दिया आपको, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, वैसे यह दिल के बुरे नहीं हैं, दिल के बहुत साफ हैं, कह लेने दीजिए 2-2 मिनट सिर्फ इन्हीं दोनों मा0 सदस्यों के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं . . . . (घोर व्यवधान)

श्री राम सिंह एडवोकेट–

मान्यवर, यह जो किताब हम लोगों को मिली है, इसके पेज 10 को आप देखें, जिसमें एक हरिजन सेल के स्थापना की बात कही गयी है इस सेल को मात्र मान्यवर बना दिया गया है और इसमें जो शिकायतें होती हैं, इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई, इसका कोई विवरण इस किताब में नहीं दिया गया है, फिर मान्यवर इस हरिजन सेल से कोई फायदा नहीं है, जब तक इसे आप प्राजीक्यूशन पावर न दें, अगर कोई शिकायत कहीं की हो और उस पर जो जांच हो, अगर वह अदालत को न जाए तब तक ऐसे सेल से कोई फायदा होने वाला नहीं है, यही मेरा सुझाव है . . . (व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय सदस्यगण अपने अपने सुझाव देंगे तो वह आज की कार्यवाही का अंग बनेगें . . . . (घोर व्यवधान)

श्री हरदेव–

[xxx]

(घोर व्यवधान)

नोटः–[x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की जिज्ञासा को देखते हुए तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप समय ही बढ़ा दीजिए एक घंटा, ताकि सभी माननीय सदस्य अपने-अपने विचार रख सकें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

हां यह तय हो जाए कि कितने सदस्य बोलने वाले हैं तो बढ़ा दिया जाए समय लेकिन अब लिखित सुझाव कार्यवाही का अंग नहीं बनेंगे ।

(चर्चा का समय बढ़ाया गया ।)

*श्री मूल चन्द–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । हकीकत में अगर कोई क्राइम होता है तो पुलिस की साजिश से होता है, चाहे डकैती हो या चोरी हो मैं अपनी बात कह रहा हूं, 3 तारीख की बात है । 8 बजे डकैतों का गैंग आया, थाने से दो फर्लांग दूर फायरिंग करने लगे, जब डकैतों ने फायरिंग करना शुरू किया तो लोग थाने पर पहुंच गए, तो दरोगा पान की दुकान पर पान खाने के लिए चला गया । डकैतों की फायरिंग से मुन्नी लाल गुप्ता को गोली लगी, और वह मर गया और पारस नाथ मौर्य घायल हो गए । इन लोगों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाना चाहिएं । पुलिस जो थी वह बाईपास पर अपनी गाड़ी लेकर खड़ी रही और जब डकैत जाने लगे तो जीप की लाइट को बुझा दिया । दूसरे दिन लोगों में आक्रोश के कारण पंजाब मेल को रोक दिया । वहां की जनता ने कहा कि थाना जो है डकैतों का गिरोह है और उस डकैती में उसका हाथ है और जनता ने मांग की कि पूरा थाना बदला जाए । वहां की पुलिस का रवैया है कि जमीन जो रोड पर है, बसवापुर चौमुहानी पर, 15 हजार रुपए लेकर कब्जा करा देती है, अनधिकृत कब्जा करवा देती है ।

वहां पर पी0 ए0 सी0 लगवा दी, लोग स्टे आर्डर ले जाते हैं, लेकिन दरोगा स्टे आर्डर को नहीं मानता है । गौरी शंकर वहां का प्रधान है, वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उस पर पुलिस ने 10 मुकदमें कायम कर दिए है । इसी प्रकार से देहुवा थाना सुमेरी में एक हरिजन को अपराधियों ने मार डाला, कई दरख्वास्तें दी गयीं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है । जो अपराधी थे, वह जमानत पर छूट कर आ गए और उसकी जान को खतरा उत्पन्न हो गया है । अगर हकीकत पूंछी जाए, तो पता चलेगा कि डकैती क्यों पड़ती है, अगर जानमाल की रक्षा के लिए असलहा मांगा जाता है, तो उसको लाइसेंस नहीं दिया जाता है, जब डकैती पड़ जाती है, डकैत सब लूट ले जाते हैं, तब उसको बन्दूक का लाइसेंस दिया जाता है, तो कहां का यह न्याय है, कहां की नीति है, यह । जान माल की रक्षा के लिए असलहा मांगा जाता है और नहीं दिया जाता है, तो मैं निवेदन करूंगा कि लोगों को असलहे दिए जायें । हकीकत तो यह है कि डकैत तो दौलत लूटते हैं, लेकिन डकैती के बाद पुलिस इज्जत लूटती है । हम मंत्री जी को क्या कहें । माननीय मंत्री जी के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्यालय में 8 तारीख को 10 हजार 75 रुपया डकैत ले गए । जब मंत्री जी कार्यालय की रक्षा नहीं कर सकती हैं, तो हमारी वह क्या रक्षा कर सकती हैं । मान्यवर, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम मुडेरा में विजय बहादुर प्रधान मंदिर में पूजा कर रहा था, 8 बजे पूजा कर रहा था, बदमाशों ने उस पर बम मारा । वहां की पुलिस उन बदमाशों को सह दिए हुए है और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती है, आज भी वह बदमाश घूम रहे हैं । . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मूलचन्द जी आप बैठें, बहुत हो गया ।

श्री मूलचन्द–

[xxx]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

*श्री सन्तोष चतुर्वेदी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । बोलने के लिए जो अब तक प्रक्रिया है, वह यह है कि आपके पास नाम भेजे जाते हैं और माननीय सदस्य यहां पर खड़े होते हैं और आप उनको बोलने का अवसर देते हैं, लेकिन अभी कौन सी प्रक्रिया चालू की गई है, जिसके अन्तर्गत दो माननीय सदस्यों को बुलाया गया है । क्या यही प्रक्रिया है कि जो सदन में अधिक से अधिक न्यूसेंस क्रियेट करे उसी को बोलने का अवसर मिलेगा, तो इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, यह दो नाम किस आधार पर चयनित किए गए हैं, इस बात पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह ठीक है कि इस तरह का बल का प्रयोग या बल प्रवाह से बात करना अच्छा और उचित नहीं है लेकिन कोशिश यह की जाती है कि हर इलाके के लोगों को अपने-अपने क्षेत्र की बात कहने का मौका मिल जाय । हर वर्ग के लोगों को मौका मिल जाय । ताकि यह बात न होने पाए कि किसी को मौका मिल जाय और किसी को न मिले । जो माननीय सदस्य रोज-रोज नहीं बोलते हैं, उन्हें इस तरह से भी मौका दिया जाता है । उन्हें बजट पर बोलने का हम मौका देते हैं । आपको बजट पर बोलने का मौका दिया गया है । लिहाजा कृपया बैठ जायं ।

*श्री हरदेव–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है । मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, अपने विद्वान अधिकारियों द्वारा जो उत्तर प्रदेश का गृह विभाग का महत्वपूर्ण बजट प्रस्तुत किया है जिससे प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था में सुधार आयेगा । इसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूं और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, एक कानून पास किया गया है गृह विभाग में कि जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी डी0 आई0

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जी0, आई0 जी0, थानेदार, एस0 पी0, डी-वाई0 एस0 पी0 सरहदी जनपद के या प्रान्त के होंगे उसको आस-पास के जनपदों से तथा सीमा प्रान्त सरहद की ओर नहीं रखा जायेगा । उसे दूसरे रीजन जो दूर हो, उस रीजन में रखा जायेगा । इस नियम का तत्काल प्रभावी ढंग से पालन करते हुए पुलिस की नियुक्तियों में उपयोग किया जाय । इसी सिद्धान्त के अनुसार डी0 आई0 जी0 गोरखपुर श्री वी0 पी0 सिंह डी0 आई0 जी0 वाराणसी श्री जे0 एन0 राय को तत्काल दूसरे रीजन में स्थानान्तरित कर दिया जाय ।

मान्यवर, पुलिस की भर्ती में लड़कों और लड़कियों की उम्र कम से कम 18 वर्ष मान ली जाय । इससे पुलिस बल में काफी मदद मिलेगी । मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज पुलिस के विचार में, जातीय भावनाओं में, किसी ऊंच-नीच का भेदभाव न रखते हुए अधिकार और दायित्व की भावना से काम करने में सुधार लाने की आवश्यकता है । इस पर जोर दिया जाय । जो अधिकारी जागरूक हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं उनको पुलिस अधीक्षक बनाया जाय । ताकि कानून व्यवस्था और जन-जीवन की सुरक्षा हो सके । हरिजन सेल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप विशेष अधिकार इस हरिजन सेल को दें ताकि वह सफलतापूर्वक काम कर सके और अपराधियों को दण्डित करने में सहयोग कर सकें । वर्ष 1983-84 में जो स्पेशल कानून डी-वाई0 एस0 पी0 को उत्तर प्रदेश में एस0 पी0 का कार्यभार सौंपा गया था उन्हें प्रमोशन देकर डी0 आई0 जी0 आदि बनाने का काम किया जा रहा है । इस प्रकार जो सक्षम एस0 पी0 हैं उनको भी तत्काल प्रमोट करके डी0 आई0 जी0 बनाने का अवसर दिया जाय ताकि कानून और पुलिस विभाग की गरिमा की रक्षा हो सके ।

रसड़ा में डी-वाई0 एस0 पी0 श्री आर0 डी0 सिंह हैं उनको पी0 ए0 सी0 में हटाया गया है उन्हें पुनः देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बनारस, गोरखपुर जनपद में सिविल पुलिस में न रखा जाय उनको कहीं दूर पहाड़ी क्षेत्र में पी0 ए0 सी0 या होमगार्ड में भेज दिया जाय इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री और मुख्य मंत्री से सदन में 301 में स्वीकृति करता हूं । थाना भीमपुरा जनपद बलिया में एक अध्यापक हैं श्री राधाकान्त सिंह, जो ग्राम पुरा उर्फ फरहदा का निवासी है । दिनांक 13 फरवरी, 89 को 6 बजे रात को अपनी एनाकी देवी को जान से मार दिया और उसे डाक्टर मुस्तफा हुसैन से जहर की सुई लगाकर मरी हुई दिखाने जाने का समाचार मिला है जिसको राजबली हरिजन गरदन की हड्डी बैठाने गया और कहा कि यह मर गई है । सुबह होते ही उसे जला दिया गया जिससे लोगों में दहशत फैल गई ।

इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से कराई जाय । गाजियाबाद, थाना राजनगर में श्री मित्तल पी0 डब्ल0 डी0 सहायक इन्जीनियर के दो लड़कियां और एक लड़के को अनुपम नाम का अपराधी जान से मार दिया और इस संबंध में उसकी गिरफ्तारी और सजा की कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गई । हमारे जनपद बलिया में एडीशनल एस0 पी0 की नियुक्ति तत्काल की जाय । जनपद मऊ को संवेदनशील जनपद घोषित किया जाय और डी0 आई0 जी0 की पोस्टिंग शीघ्र की जाय । मेरे क्षेत्र में रसड़ा जनपद बलिया में तहसील मुख्यालय पर 32 लाख 73 हजार रुपए का

फायर स्टेशन माननीय गृह मंत्री की घोषणा के अनुसार स्वीकृत किया गया है और उसका पैसा बरेली जनपद में ट्रांसफर कर दिया गया है । कृपा करके उसे लौटाकर मेरे क्षेत्र रसड़ा में फायर स्टेशन बना दिया जाय । मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ क्षमा चाहता हूं और बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया है । मान्यवर, माननीय गृह मंत्री सुशीला जी, कानपुर की हैं वे सीधे दिल्ली से आईं और लखनऊ में उन्होंने गृह मंत्री का पद भार ग्रहण किया । मुझे इसकी प्रसन्नता है । लेकिन जब प्रदेश के अंदर शान्ति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की ओर हमारा ध्यान जाता है तो हम देखते हैं कि पूरे राज्य में पुलिस का राज कायम हो गया है । मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा जहां से सुशीला जी दो बार एम0 पी0 हुई हैं। वहां पर थाना महराजपुर में जो एस0 ओ0 6/7 साल से तैनात थे जनता की शिकायत पर उनका गोरखपुर स्थानान्तरण कर दिया गया। माननीया सुशीला जी जब गृह मंत्री होकर आईं और उनके लेफ्टीनेन्ट माननीय राज्य मंत्री श्री सईदुज्जमा जब आये तो उनका स्थानान्तरण रोक दिया गया। मैंने इसकी शिकायत आई0 जी0 और डी0 आई0 जी0 तक की कि क्यों स्थानान्तरण रोका गया तो उन अधिकारियों ने मुझ से कहा यह शासन की ओर से नियुक्त किया गया है इसको हटाने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है । मैंने इसकी शिकायत माननीय गृह मंत्री सुशीला जी तथा उनके राज्य मंत्री लेफ्टीनेन्ट साहब से भी की तो उन्होंने कहा जांच कराकर कार्यवाही करेंगे । जिसने 6 महीने के अंदर कटरी ठोकनपुर गांव सभा में अराजक तत्वों का सहारा लेकर झूठा मुकदमा 307 का दर्ज करा दिया और वहां की जनता को लुटवा दिया और इस मामले की जांच नहीं होने दी तथा फर्जी एक रिपोर्ट करके मामले का रफा दफा कराया गया है। 17 फरवरी को ऐसी ही एक और घटना घटती है हमारे क्षेत्र में महाराजपुर में गंगा के किनारे में दोड़घाट में ब्रह्मचारी आश्रम है जिसकी करोड़ों की संपत्ति है जिसे रवि मालवीय हड़पना चाहते हैं उन्होंने माननीय गृह मंत्री के लड़के केमाध्यम से जिनसे उनके डाइरेक्ट अधिकारियों से सम्बन्ध हैं एस0 एस0 पी0 कानपुर से कह कर थाना महाराजपुर में एक फर्जी रिपोर्ट 17-2-89 को लिखवा दी कि दोड़ी आश्रम में नक्श अमन का अन्देशा है रातो रात एस0 ओ0 महाराजपुर पी0 ए0 सी0 लेकर 2 बजे रात को आश्रम के सरबरा स्वामी कर्ण प्रकाश को जगाकर धमकाया कि यहां पर भंडरा नहीं होगा क्योंकि श्री मालवीय ने शिकायत की है कि आश्रम में अधिकार का झगड़ा है। वह आश्रम में।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें आप लिख कर भेज दें ।

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी–

एस0 ओ0 महाराजपुर रात में दो बजे पी0 ए0 सी0 लेकर पहुंच गया और संतों से कहा कि तुम्हारा भंडार नहीं होने दिया जायेगा तो उन्होंने पूछा कि क्यों नही होने दिया जायगा तो उनको उत्तर मिला कि ऊपर से आदेश है कि भंडारा नहीं होना चाहिए। जिसका विरोध स्थानीय जनता ने किया और 5 हजार की भीड़ वहां एकत्र हो गयी और कहा

कि इसे स्थगित नहीं किया जायेगा लेकिन पुलिस ने जनता को मारा जिससे वहां असंतोष व्याप्त है । जिसकी शिकायत सुशीला जी से की गयी लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए इस मामले की जांच कराई जाय तथा एस0 ओ0 का स्थानान्तरण जो पहले गोरखपुर के लिए हो गया था किया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें लिखा नहीं जायेगा ।

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी–

[x x x]

*श्री गया प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधीदल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और एक मिनट में अपने दो तीन सुझाव रखना चाहता हूं । मान्यवर, इटावा जिले में मेरे क्षेत्र में लखना बीहड़ क्षेत्र है वहां पर कई जिलों से डकैत आकर बस गये हैं उनसे हमारे क्षेत्र की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। हमारे महोबा ब्लाक के ब्लाक प्रमुख श्री मुंशी लाल दोहरे हैं उनको ठाकुर गैंग जो बना है उसने मारने की धमकी दी है । मैं चाहूंगा कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाय वैसे जिला प्रशासन ने पुलिस व्यवस्था की है लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अधिकारियों को सतर्क कर दें और उस गैंग का सफाया करा दें । दूसरे वहां अजीतमल के ब्लाक प्रमुख श्री पाल सिंह सेंगर को अपनी जान माल का भारी खतरा बना हुआ है । उनके पास पहले अंगरक्षक था, लेकिन विगत दो तीन महीने पहले वह हटा लिया गया है । उसी गैंग से उन्हें खतरा है, अतः उनकी भी सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाए । मैनपुरी जनपद में कई वर्ष पहले कई सामूहिक हत्यायें हरिजनों की हुई थीं । जिसमें दिवली में 25 और रामपुरा में 5 हरिजन जाति के लोग सामूहिक रूप से मार दिये गये थे । उस समय इन घटनाओं की गम्भीरता को देखते हुए यह निर्देश हुआ था वहां पर एस0 पी0 और कलेक्टर में से एक हरिजन जाति का अधिकारी रहेगा । लेकिन दो-तीन वर्षों से इस प्रकार के अधिकारी नहीं रखे जा रहे हैं वहां पर । इसलिए मैं मांग करता हूं कि एस0 पी0 और कलेक्टर में से एक अनुसूचित जाति का अधिकारी वहां जरूर रखा जाए । इसके साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री सरदार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश की 13 करोड़ जनता आज असामाजिक तत्वों के रहमोकरम पर रह रही है । कोई गुंडा किसी को मारना चाहे, तो वह मार देगा, और इनकी पुलिस किसी हालत में उसे बचा नहीं पाएगी । एस0 पी0 मथुरा के बारे में बताना चाहूंगा । श्री श्रीपाद बाबा, जो बहुत बड़े महात्मा हैं और जिनके भक्त राष्ट्रपति भी हैं । उनके आश्रम में भी वह पधारे थे । उनके बच्चे वहां आते-जाते रहते हैं । उन्होंने कुछ समय पहले अपने यहां विश्व शान्ति और पर्यावरण की विशुद्धता के लिए एक अति विशिष्ट यज्ञ किया था । उसमें तीन वरिष्ठ मंत्री गण प्रदेश के

नोट–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पधारे थे । हमारी दीदी जी, लोकपति त्रिपाठी जी और स्वबीर सिंह यादव वहां इस अवसर पर गये थे और कई-कई दिन वे रहे भी थे। यज्ञ के आयोजकों ने बार-बार पुलिस अधीक्षक से कहा कि यहां पर चूंकि असामाजिक तत्वों का जोर है, इसलिए एक अस्थायी चौकी पास में खोल दी जाए, इसी तरह दीदी जी ने कहा, मंत्रियों ने कहा, लेकिन पुलिस अधीक्षक मथुरा ने इनके आदेशों की अवहेलना की और उनकी बड़ी खिल्ली उड़ाई । वह इतने अशिष्ट हैं, कानून व्यवस्था तो वहां है ही नहीं, कि जब कोई विधायक या संसद सदस्य उनके पास जाता है तो वह भी खड़े नहीं होते हैं, न कायदे से बात करते हैं । वह इस गिरोह के चलते और इनकी लापरवाही के कारण ड़ेढ़ माह अदालतों का सारा काम-काज बन्द रहा । इनका वहां बड़ा आतंक है और इसके कारण से निजी बसों में भी हड़ताल हो रही है। वहां अवैध वाहन खूब चल रहे हैं, अवैध शराब के अड्डे और भट्ठियां चला रखी है। साथ ही यह इतने पाखण्डी हैं कि देवरहा बाबा के यहां तो पी0 ए0 सी0 आदि तमाम पुलिस फौज लगा रखी थी। जिस समय बाबा पधारे पुलिस पूरे सदल बल से इलाहाबाद भेजते रहे और पूरे समय वह स्वयं उनके अखाड़े में अपना समय व्यतीत करते रहे । जो एस0 डी0 ओ0 काम्पलेक्स है, वहां मुंसिफ और कलेक्ट्रेट के लोग रहते हैं....(व्यवधान) उन्होंने अपना जिला मुख्यालय बदल लिया और तहसील मुख्यालय में कोई कानून नाम की चीज नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपसे निवेदन करूंगा कि अब आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री गया प्रसाद वर्मा–

तो इसके साथ मैं अपने नेता विरोधी दल के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने सभी माननीय सदस्यों के विचारों को सुना और औपचारिक रूप से सत्ता पक्ष के लोगों ने जो बजट प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने रखा, उसका समर्थन किया, लेकिन बीच में जिसने भी अपना भाषण दिया पुलिस की परेशानी पर

[समय:8.30 बजे]

व्याख्यान दिया । मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव में चर्चा की मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं इस आशय के साथ, पिछली बार गोपीनाथ दीक्षित जी बैठते थे, तो वह कभी भी हमारे विचारों के बारे में, सुझावों के बारे में जवाब नहीं देते थे चन्द रामायण की लाइन कह कर टाल देते थे, तो गृह मंत्री जी हमारी बातों का स्पष्ट रूप से जबाब देंगी, ऐसा हम चाहते हैं । हमारी आजादी को 40 साल हो गये और आजादी के चालीस साल के बाद भी पुलिस का चेहरा डरावना है, वह इसलिए है कि पुलिस भोले आदमी और गुण्डे व्यक्ति में कोई फर्क नहीं समझती है वैसे चारों तरफ मानव के अधिकारों की सुरक्षा की बात होती है । मान्यवर, पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के बाद पूछ-ताछ करने के बाद प्रताड़ित करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वर्तमान पुलिस बहुत ही अमानविक व्यवहार करती है । जबकि पशुओं के साथ भी क्रूर व्यवहार न किया जाए

ऐसा कहा जाता है फिर मानव के साथ क्यों इतना अमानवीय और क्रूर व्यवहार किया जाता है । मान्यवर, आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो पुलिस के उत्पीड़न से प्रभावित न हो । मान्यवर, फतेहपुर, जालौन, झांसी, सीतापुर आदि अनेकानेक जगहों पर पत्रकारों के उत्पीड़न की खबर आती है । अगर पुलिस की कोई खबर सच्चाई के साथ छाप दी जाती है तो पत्रकारों को उत्पीड़ित किया जाता है उसको उत्पीड़ित किए बगैर छोड़ा नहीं जाता है । तो इस तरह से जो पत्रकारों का उत्पीड़न होता है उसको रोका जाए आप पुलिस वालों को निर्देश दें कि पत्रकारों के साथ उत्पीड़न की कार्यवाही होती है तो उसमें कड़े कदम उठाये जाएंगे । मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी जो उनको जाकर पढ़ा रहे हैं यह ठीक नहीं है ।

(इस समय 8 बजकर 31 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, कल अमृत प्रभात के एक कर्मचारी राम बहादुर हैं इनका भतीजा खो गया पुलिस इनका भतीजा ढूंढने गयी वह नहीं मिला तो रामबहादुर जो पत्रकार कार्यालय में थे, उनके हाथ-पैर तोड़ दिए जो कार्यालय के लोग हैं वह एस0एस0पी0 के यहां धरना दिए हुए हैं । तो इस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है । पुलिस के लोग पत्रकारों को ही नहीं विधायकों को ही नहीं, जजेज को भी धमकी देने से नहीं मानते हैं । गाजीपुर में एक एल0 एन0 राय जज थे उन्होंने किसी सहादत के लिए सरकारी वकील के कहने पर पुलिस अधीक्षक को तलब किया । पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमको तलब न किया जाए । लेकिन सरकारी वकील के बार-बार अनुरोध पर उनको तलब कर लिया गया तो उन्होंने धमकी दिया वह पुलिस अधीक्षक श्री बी0 के0 भोला थे, उन्होंने धमकी दिया कि आप मुझे तलब कर सकते हैं तो मैं अपने दरोगा के माध्यम से आपको थाने बुला लूंगा । इसी तरह से सीतापुर के जज ने भी शिकायत की कि एस0 पी0 धमकी दे रहे हैं । मैं केवल सुझाव दे रहा हूं आप पुलिस पर नियंत्रण करिए । मान्यवर, अभी रामलक्षन जी का प्रश्न उठा था उनकी मां और पुत्र की पिटाई की गई मान्यवर, इसी सदन में हरीश जी की समस्या उठी जिसमें आपको अपमानित होना पड़ा आपको कष्ट उठाना पड़ा जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी लेकिन आपके पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों के कृत्यों का फल आपको भोगना पड़ा । आपकी तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य दत्ता जी के साथ दुर्व्यहार किया गया और अभी कुछ दिन पहले माननीय हरदेव जी के साथ एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी ने दुर्व्यहार किया क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है । इसी प्रकार से माननीय रामगोविन्द चौधरी के घर की तलाशी ली गयी तथा उनके दरवाजे पुलिस ने तोड़े । यह किसी जिले की घटना नहीं है बल्कि यहीं राजधानी लखनऊ में यह घटना हुयी जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है ।

आज मेरे पास सुरेन्द्र बहादुर जो रायबरेली के विधायक हैं, मेरे पास कागज लेकर आये । वह यात्रा कर रहे थे तो उनका कंडक्टर के साथ कुछ झगड़ा हो गया । उनका शैडो भी उनके साथ था । उनके शैडो ने कंडक्टर को 2–4 झापड़ मार दिया क्योंकि कंडक्टर माननीय विधायक को पीटने जा रहा था । इस घटना की रिपोर्ट शैडो ने लिखायी कि उसने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये कंडक्टर को 3–4 झापड़ मार दिये क्योंकि कंडक्टर माननीय विधायक को गाली दे रहा था और मारने जा रहा था ।

चूंकि वहां के एस0 पी0 विधायकों के खिलाफ थे इसलिये उन्होंने रिपोर्ट बदलवायी । वहां के एस0 पी0 शैडो के द्वारा माननीय विधायक के खिलाफ आरोप लिखवा दिया । तो इस तरह का षडयंत्र किया गया है ताकि विधायक को फांसा जा सके । यह मान्यवर, उस थाने का कागज है और यह थानेदार द्वारा लिखा गया है यह कागज मैं आपके पास भेज दूंगा । इसी तरह से मान्यवर, विजय सिंह राणा के यहां चोरी हो गयी और उनकी रायफल चोरी हो गयी । वह पुलिस अधीक्षक के पास गये और अनेकों बार अधिकारियों के पास गये और उन्होंने नाम भी बताये लेकिन चूंकि उन्होंने रिश्वत नहीं दी इसलिये उनकी राइफल बरामद नहीं हो सकी । इस तरह का व्यवहार माननीय विधायकों के साथ पुलिस कर रही है । जैसा कि माननीय सरदार सिंह जी ने कहा कि पुलिस इतनी बेशऊर हो गयी है कि जब माननीय विधायक मिलने जाते हैं तो इनका स्वागत सम्मान नहीं किया जाता है। माननीय गृह मंत्री जी जब हम आपसे मिलने जाते हैं तो आप पूरा सम्मान देती हैं लेकिन आपके अधिकारियों का व्यवहार उचित नहीं है । आप पुलिस वालों को चेतावनी दीजिये कि अगर इस तरीके से अपमानित किया जायगा तो किसी अधिकारी को माफ नहीं किया जायगा । अगर विधायकों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती हैं तो आपका भी सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा।

मैं देख रहा हूं कि आजकल वकीलों को प्रताड़ित किया जा रहा है । अभी गोरखपुर में, मथुरा में उनकी हड़ताल रही क्योंकि वकीलों के साथ पुलिस दुर्व्यहार कर रही है । जो इस सोसायटी की क्रीम कहे जाते हैं उनको हथकड़ियां लगायी जा रही हैं और उनकी पिटाई हो रही है । इसीलिये वह आंदोलन कर रहे हैं । माननीय राम नरेश यादव जी ने एक पत्र लिखा है । शिकोहाबाद में एक यतीन्द्र कुमार जैन नाम के एडवोकेट हैं। वह एक 380 के मुकदमें की पैरवी कर रहे हैं लेकिन वहां का जो इंसपेक्टर है वह धमकी दे रहा है कि यदि तुमने पैरवी की तो तुमको तथा तुम्हारे परिवार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा । किसी भी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी वकील के अधिकारों पर अतिक्रमण करे । वकील जिसकी चाहे पैरवी करे यह उसके ऊपर है । आपकी पुलिस आपके कब्जे में नहीं है । हमारे लिये कहा जाता है कि हम विरोध कर रहे हैं हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि गरीबों के गले से, उसका कालर पकड़ने के लिए आपकी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन जहां पर अपराधियों को पकड़ने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर नहीं पहुंचती है । जिला फैजाबाद में सम्मनपुर गांव है, वहां पर डकैती पड़ गयी, मैं वहां पर गया, मैंने उनसे पूछा कि तुमने कैसे डकैतों का मुकाबिला किया, तो गांव वालों ने कहा कि मैंने पत्थर से मुकाबिला किया । लेकिन जिस रोज डकैती पड़ी, दो सिपाही हमारे यहां घर पर आये, उनको खाना खिलाया, कम्बल दिया और जिस समय डकैती पड़ी, उस समय वे दोनों सिपाही कोठरी के अन्दर खटिया के नीचे घुस गये, तो गांव के लोगों ने उसे घसीट कर बाहर किये । जहां पर बहादुरी की जरूरत थी, वहां पर आपकी पुलिस ने पीठ दिखाया । यह आपकी पुलिस का करेक्टर है । कोई इस बात से मना नहीं कर सकता है । पुलिस से हमें कोई दुश्मनी नहीं है । यह ब्रिटिश पीरियड की पुलिस नहीं है । आज की पुलिस का कर्तव्य है कि हमारी सेवा करे, हमारी सुरक्षा करे । लेकिन आज ये लोग रिश्वत के फंदे में पड़ रहे हैं । ये लोग सरकारी दबाव के फंदे में पड़ रहे हैं । अगर इनके ऊपर सर-

कारी दबाव न हो, राजनीतिक दबाव न हो, तो वह इतनी न बेकार होती । जैसा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता ने कहा कि आपने अपनी उपलब्धि में कहा है कि हमने राजनैतिक आंदोलनों को नियंत्रित किया । इसको कुचलने का अधिकार आपको नहीं है, लेकिन राजनैतिक आंदोलनों को इस प्रकार से कुचल रहे हैं कि मुजफ्फरनगर के अन्दर राजनैतिक लोगों की पिटाई की ।

रविदास मेहरोत्रा जो हैं, उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया, जबकि वायरलेस किया गया कि उस दरोगा की मृत्यु हृदय गति रुक जाने से हुई । आपको इस तरह से अतिक्रमण नहीं करना चाहिए । यह आपकी उपलब्धि नहीं है । यह बहुत ही निन्दनीय बात है । आपने लिखा था कि पुलिस बल को प्रोन्नत किया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको जो कुछ कहना है, वह मेरे माध्यम से कहिये ।

श्री सत्यपाल सिंह–

आपकी पीठ को पूरा सम्मान देकर मान्यवर मैं यह रहा हूं । मान्यवर, जिस समय दंगा भड़क उठता है, तो उस समय आपकी पुलिस वहां पर नहीं पहुंचती है । वर्ष 87-88 में आपने अपने परफारमेंस में कहा था कि अल्पसंख्यकों को सुविधाएं दी जायेंगी, लेकिन मान्यवर यदि अल्पसंख्यकों को सुविधायें दी गयी होतीं, तो मेरे जैसा व्यक्ति आपको बधाई देता कि आपने अल्पसंख्यकों के प्रतिकूल कार्य किया है । लेकिन यह सरकार बिल्कुल अल्पसंख्यक के प्रति अकलियत के प्रति पूर्णतः संवेदनहीन हो चुकी है उनके प्रति कोई विचार, उनकी सुविधा, कोई प्रोन्नति उनके प्रति किसी के सम्बन्ध में, अकलियत के सम्बन्ध में कोई बात नहीं दी गयी है इसलिए मैं गृहमंत्री की इन उपलब्धियों की पूरी तरह से निन्दा करता हूं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, हमारे नेता जी ग्रीन झण्डी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बसपा आपकी तरफ ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, पीठ में वह आकर्षण कहां है।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, हमारे नेता जी ग्रीन झण्डी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बसपा पुरुषों की तरफ ज्यादा देखते हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैं तो 2 बुजुर्गों की लड़ाई में फंस गया ।

मान्यवर, एक बात मैं सी0 आई0 डी0 के विषय में कहना चाहता हूं कि सी0 आई0 डी0 के प्रति अभी लोगों में कुछ विश्वास है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यह कैसे बैठाये गये हैं जैसे लगता है थाने के मुलजिम बैठे हों।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 के प्रति अभी लोगों का विश्वास है मैं जानकारी दे रहा हूं अगर मेरी जानकारी कुछ गलत हो तो स्पष्ट कर दें । मान्यवर, मेरी जान-

कारी में आया है कि डी0 जी0, सी0 आई0 डी0 ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिये हैं कि अगर किसी रपट के अन्दर कोई मुलजिम नामजद है तो उसके खिलाफ चार्जशीट जरूर लगायें यह अदालत का काम है कि उसको छोड़े या न छोड़े । यह इस तरह का निदेश गया है तो इस तरह से बहुत बड़ा अन्याय हो जायेगा क्योंकि लोग सी0 आई0 डी0 पर भरोसा करते हैं अगर दुर्भावनावश नाम लिखा दिया है तो अगर सी0 आई0 डी0 के पास मामला पहुंच जायेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा तो मान्यवर, अगर इस तरह की राजाज्ञा गयी है तो उसको स्पष्ट करें मैं मांग करता हूं कि इस तरह की राजाज्ञा को समाप्त करने की कोशिश करें । मान्यवर, एक बात सी0 आई0 डी0 के बारे में कहता हूं कि आवास समस्या की बात कही गयी तो आवास व्यवस्था करायें और जो उनकी स्पेशल पे 75 रुपया है वह कम है उसको बढ़ाइये और साथ ही साथ 23 मार्च 87 को आपने जी0 ओ0 दिया उसके माध्यम से यह निर्देशित कर दिया है कि यह डी0 ए0 मिलेगा यह 75 रुपया जोड़कर नहीं मिलेगा । इसी तरह से आपने एक एलाउन्स दिया वर्किंग एलाउन्स 175 रु0, वर्किंग एलाउन्स और स्पशल पे दोनों को नहीं जोड़ा जा रहा है इनको पेंशन में दोनों को नहीं जोड़ा जा रहा है जो हाउस एलाउन्स दिया गया था वह 76 में 200 रुपया दिया गया था वही आज भी चल रहा है जब कि किराया कई गुना बढ़ गया है तो इसको बढ़ाया जाय। क्योंकि सी0 आई0 डी0 के लोगों पर अभी लोगों का विश्वास है इसलिए उनमें काम करने की इच्छा बनी रहे, उनमें कुंठा न आये इसलिए जरूरी है कि उनके हाउस एलाउन्स को रिवीजन करें ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। मान्यवर, मैं लाइसेन्स के बारे में कहना चाहता हूं जैसे इटावा के अन्दर दिया गया उसको शैडो दे रखा है अभी एक प्रश्न विधान सभा में उठाया गया 25 फरवरी 88 को तो 25 फरवरी 88 को आपने 4 वैकेन्सी बनाई थी एक तो मर जाने पर उसके वारिस को दिया जायेगा दूसरे सरकारी कर्मचारी के लिए तीसरे अगर कोई वृद्ध हो जाय और उसका वारिस लेना चाहे और चौथी एम0 पी0, एम0 एल0 ए0, एम0 एल0 सी0 के लिए ।

तो मैं चाहता हूं कि सारे सदन के बहुत से लोगों ने इस बात की शिकायत की है हर एक को आप सिपाही दरोगा नहीं दे सकते हैं, हरेक को आप शैडो नहीं दे सकते हैं तो इस पर कानून में संशोधन करवायें ताकि कोई संभ्रान्त व्यक्ति जिसके जीवन के लिए खतरा है और उसका चाल चलन अच्छा है, करेक्टर अच्छा है और लाइसेन्स लेना चाहता है तो लाइसेन्स मिल सके । इस पर विशेष रूप से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसके साथ-साथ मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा यह चुनाव जो आपने कराये, बहुत शांतिपूर्वक चुनाव कराये । यह सही है कि चुनाव आपके शांतिपूर्वक हुए। हमारी मंत्री जी को पता होगा इस बात का कि इलाहाबाद में जब उप चुनाव हो रहे थे तो चुनाव के दो दिन पहले ही सारे इलाहाबाद में एक भीषण वातावरण हो गया था, संघर्ष का वातावरण हो गया था। उस समय थाना धूमनगंज, इलाहाबाद में एक आदमी को पुलिस के दरोगा ने मार दिया और उसके बाद लाश को बढ़ाकर एक होटल के सामने डाल दिया। जब लाश डाल दी गयी तो जनता में आक्रोश फैल गया। लोगों को एक्सप्लाइट करने की कोशिश की गयी लेकिन पुलिस ने सहयोग नहीं किया। दरोगा ने उसकी लाश को होटल के सामने डाल दिया और बाद में गोलीबारी होने पर एक आदमी

और मर गया। इतनी संवेदनहीन पुलिस हो गयी है कि उसके आश्रितों को शव भी नहीं दिया गया और आप कहती हैं कि पुलिस ने शान्ति व्यवस्था बनाए रखने में बड़ा सहयोग दिया उप चुनाव में। मैंने यह उदाहरण दिया इसमें पुलिस ने कोई काम नहीं किया, बल्कि जनता को शाबासी देनी चाहिए कि इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद भी शांति व्यवस्था बनाए रखी।

इसलिये इसका पूरा श्रेय वहां की जनता को है, पुलिस को नहीं है। अभी म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव हुए कानपुर में। आपको पता है 10 जनवरी, 1989 को पोलिंग थी महापालिका कानपुर में और उसमें वार्ड नम्बर 21, चमनगंज, कानपुर में, आप कहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग नहीं करते, वहां पुलिस के लोगों ने कैप्चरिंग की। यह साबित हुआ और साढ़े दस बजे चुनाव बन्द कर दिया गया। इसका साक्ष्य इसीलिए नहीं मिल पाया कि लखनऊ से आयोग ने तय कर दिया कि साढ़े दस बजे तक जितने वोट पड़े थे, उसके आगे के पड़ेंगे। इस तरह से अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। पुलिस पर नियंत्रण रखें, इसीलिये आपको जरूरी है कि अपने शासन और प्रशासन में पुलिस को अस्थायी बना रखा है, स्थायित्व नहीं रखा है। इस तरह से आपका राज नहीं चल पाएगा। जनता का आक्रोश भड़क गया और पी0 ए0 सी0 और पुलिस से विश्वास उठ गया तो हमारे समाज के अन्दर जो हमारे प्रदेश के अन्दर जरूरी है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, वह किसी भी हालत में बनी नहीं रह पाएगी। मैं एक घटना को बताता हूं।

शाहजहांपुर में थाना खुदागंज में दो ठाकुर भाइयों की हत्या हो गयी। डकैती पड़ गयी और डकैत रायफल ले गये। पुलिस ने क्या किया, पुलिस के दरोगा ने मुलजिमान को पकड़ा सारा माल, जेवर और रुपया पकड़ा, मंगा लिया और सिर्फ पुलिस के लोगों ने आपस में बांट लिया। ऐसे मुलजिम जो जघन्य अपराधी थे उनको छोड़ दिया। अब उसकी जांच सी0 आई0 डी0 को दी गयी है। आप भी इससे बचने वाली नहीं हैं। अब मैं आगे और लम्बा न कह कर केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मंत्री जी को जो सुझाव दिये हैं, जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, जिस तरह से मा0 सदस्यों से उससे सहमति व्यक्त की है उसी तरह से आप भी सहमति व्यक्त करेंगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, मा0 नेता विरोधी दल और जितने मा0 सदस्य, दोनों पक्ष के, इधर के हों या उधर के हों, सबने जो इसमें भाग लिया है और जो सुझाव दिये हैं, मैं उनकी आभारी हूं और हृदय से धन्यवाद देती हूं। आज इतनी बुनियादी चीजें हमारे समक्ष आयी हैं और हर क्षेत्र की अलग अलग बातें आयी हैं, अगर मैं नाम लेकर एक-एक सदस्य से न कह सकूं तो कृपापूर्वक मेरा विनम्र निवेदन है कि समय काफी हो जाने के कारण जवाब नहीं दे पा रही हूं। मैं आश्वस्त करना चाहती हूं कि जो भी सुझाव हैं, मैं सहमत हूं या असहमत हूं, हर सुझाव पर गम्भीरता से विचार किया जायगा और उसके साथ ही इसके साथ-साथ मैं सोचती हूं कि जो स्वीकार तुरन्त किये जा सकते हैं वह किये जायेंगे। जो स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं, जब मंडल की मीटिंग हो परिक्षेत्र की मीटिंग हो उसमें भी वह आयें। मान्यवर, मैंने पिछली बार कहा था कि मैं परिक्षेत्र की मीटिंग लेना चाहती हूं आप लोगों ने मेरे उस सुझाव का स्वागत भी किया था। तीन मीटिंग ले चुकी हैं लखनऊ कानपुर और गढ़वाल में। जब यह सत्र समाप्त होगा तो आप

लोगों की सुविधानुसार मीटिंग लगाऊंगी हर परिक्षेत्र की 3–4 महीने के अन्दर। ताकि जितने सदस्य हैं अधिकारी हैं उनके बीच में जो खाई है वह दूर हो । क्षेत्रीय समस्याएं सामने आयें उनका निराकरण करें जो कमियां हैं वह दूर हों माननीय सदस्य पूरे क्षेत्र का कार्य कर सकें। यह मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं। मैं मान्यवर माननीय नेता विरोधी दल की बात सुन रही थी, सम्मानित नेता विरोधी दल बिल्कुल सम्मानित हैं, इसीलिए दोहराया नहीं। ऐसा लगा जब वह भाषण दे रहे थे ओजस्वी भाषण दिया शायद पता नहीं सारे सदन में दिख रहा था गूंज रहा था . . .

श्री विजय सिंह राणा–

आप प्रभावित हुई या नहीं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

बहुत प्रभावित हुई।

श्री प्रमोद कुमार–

प्रभावित हुई या नहीं हुई लेकिन नेता विरोधी दल को पसीना आ गया।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

पूरे सदन में आज जो गूंज है। आप मुझे धैर्यपूर्वक सुनें।

श्री विजय सिंह राणा–

आपके बगल में ही बैठे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री सत्यपाल सिंह–

आप इनको समझाइये कि जब बड़ी बहन बोल रही हो तो छोटे भाई न बोलें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

किस-किस को समझाऊं । पहले मैं आपसे निवेदन करती हूं, कोने-कोने से गूंज आ रही थी पुलिस जो है क्रूर है बर्बर है पुलिस लोगों को मदद देने के बजाय उनके साथ जुल्म कर रही है, नरसंहार कर रही है पुलिस जो है बेकार है निर्मम है कठोर है । सम्मानित विपक्ष के लोगों ने किसी आयोग के माध्यम से कहा कि 1 प्रतिशत पुलिस के आदमी गलत हैं किसी ने कहा कि 25 प्रतिशत गलत है। 25 प्रतिशत में 1 प्रतिशत जोड़ लें 26 प्रतिशत, 74–75 प्रतिशत के बारे में आपकी क्या राय है। अगर 25 प्रतिशत कठोर है तो बाकी कठोर नहीं है। जो लाजिक है दूसरे पक्ष को भी देखना पड़ेगा लाजिक को देखना होगा। उस हिसाब से न पुलिस बर्बर है न क्रूर है न जनता पर जुल्म कर रही है बल्कि जनता का भक्षण न करके जनता का सहयोग करके बड़ी-बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करके सारी बुराइयों को सुनकर गाली सुनकर अपना कार्य कर रही है। सुधार की जो बात है उसमें मैं आप सबका सहयोग चाहती हूं मैं आमंत्रित करती हूं निवेदन करती हूं कि आप सहयोग दें सुझाव दें । मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करना चाहती हूं कहना चाहती हूं कि आप कह रहे हैं कि कल इस तरफ इस सदन में बैठेंगे, निकट भविष्य में ऐसे कोई आसार नहीं है। माननीय नेता विरोधी दल का हम सम्मान करते हैं। इतना अवश्य कहना चाहती हूं कि हम रहे या न रहें पुलिस की सेवा आपको मिलती रहेगी । आप बता दें कि कैसे पुलिस में सुधार किया जाय, व्यवहार में किया जाय शिष्टाचार में किया जाय । जो

अधिवक्ता हैं, विधायक हैं, पत्रकार हैं और जो समाज के सम्मानित लोग हैं जिनका समाज में ऊंचा स्तर है उनको कैसे सम्मान दिया जाय। मैं मानती हूं कि हिदायत देनी चाहिए, ऐसी हिदायत देनी चाहिए कि लोग समझें कि वास्तव में हमारे समाज के वे अंग हैं, प्रतिष्ठित अंग हैं। विधायक कहीं जाय तो अच्छी तरह बात को जाय उन्हें बिठाया जाय। जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं गांव के लोग हैं, लोकसभा में तमाम साल रहकर ग्रामीण अंचल को जाना है देखा है, दिल्हौर क्षेत्र में माननीय द्विववेदी जी बैठे हुए हैं मरसौल विधान सभा क्षेत्र के हैं, 5 क्षेत्र थे हमारे क्षेत्र में मैं सब कुछ जानती हूं कोई इतनी निर्मम नहीं हूं। विधायकों को, पत्रकारों को, अधिवक्ताओं को सम्मानित नागरिकों को सभी को सम्मान मिलना चाहिए। मैं यह भी चाहती हूं कि जो गरीब आदमी है उसको जो पुकार है गुहार है उसके साथ न्याय किया जाय यह मैं अपेक्षा करती हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, सवाल इस बात का है कि नेता विरोधी दल ने जो बात घोड़े की लगाम के बारे में कही थी, आप उस पर क्या कह रही हैं?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, घोड़े की लगाम तो कसी जा सकती है, लेकिन माननीय राणा जी की लगाम कसना हम लोगों के बस में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

कसने की बात है तो आगरे चले जाइये, वहां से सीख लीजियेगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

तो मान्यवर, मैं कह रही थी कि जो भी चीजें की जानी हैं, उसे हम अपने बलबूते पर करके दिखायेंगे। लेकिन आप हमारे विपक्षी हो सकते हैं और चुनाव आयेगा, हम चुनाव लड़ लेंगे, जनता जो वोट देगी, उसको सर्वमान्य मानेंगे। लेकिन अभी आप हमारे साथी हैं और आपका सहयोग इसमें बहुत जरूरी है। हमारे माननीय सदस्यों ने जो भी एक-एक विचार दिये हैं, उसको मैं अत्यन्त गम्भीरता से लूंगी। एक माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे कमरे से 10 हजार रुपये की चोरी कर ली गयी। मान्यवर, यह गलत बात है, मेरे यहां से कोई चोरी नहीं हुई है और उसका खण्डन आ गया है। इस तरह की चीज पर कोई कैसे विचार कर सकता है। मान्यवर, यहां पर राजनैतिक दबाव की बात आयी। बतायें कि राजनैतिक दबाव किस पर पड़ेगा, हमारी पार्टी पर जो 100 साल पुरानी है, जिसने अंग्रेजों के कब्जे से इस देश को स्वाधीन किया, आजादी दिलाने का काम किया, जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया, हमें आजादी दी, स्वाधीनता दी।

मान्यवर, कुछ इसी तरह की बातें हैं, जो बहुत बचकानी हैं, उन्हें मैं यहां अब नहीं कहना चाहती हूं। हमारे बीच में काफी अनुभवी और विद्वान लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगी, आपकी तरफ के लोग ऐसी कोई चीज न कहें। मान्यवर, मुझे इन्दिरा जी की एक बात याद आती है, उन्होंने एक बार नहीं, अनेक बार मुझसे कहा कि सुशीला जी, अगर मैंने कोई बात कह दी हो, तो उस पर मत जाओ और मेरी तारीफ न

करो । लेकिन अगर हमारी कोई कमजोरी है, तो उसको जरूर सामने लाओ । मान्यवर, इसी तरह की बात हम भी चाहते हैं कि जो हमारी कमजोरी हैं, उनको सामने लाया जाय। मैं उसका स्वागत करूंगी और जो भी बातें यहां पर लायी गयी हैं, मैं उनमें से एक-एक को देखूंगी और उस पर विचार करूंगी। इसके साथ ही साथ अपने सम्मानित नेता विरोधी दल से यह भी कहना चाहती हूं कि उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें भी कहीं जैसे उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया जाय। मैं एक-एक गुना नहीं, चार-चार गुना बढ़ाना चाहती हूं। लेकिन अगर यह कटौती करेंगे, तो हम कैसे करेंगे? यह कटौती हटाकर बढ़ोत्तरी करवाते तो ज्यादा अच्छा होता। मान्यवर, आप देखें कि हमने कितनी कल्याणकारी योजनायें रखी हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है, हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रयास किया है और उन्होंने 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ उसी वक्त कर दिया था।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने ही कटौती कर दी, तब तो आपने एतराज नहीं किया, फिर हमारी कटौती पर एतराज क्यों?

(जोरदार हंसी)

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल के 41 करोड़ से बढ़ोत्तरी की है । अगर यह मदद कर दें, तो कटौती का सवाल ही न हो। कुछ नेता विरोधी दल दे दें, तो हम एक अरब इकतालिस करोड़ कर सकते हैं। तमाम और भी जो बातें यहां कही गयीं, मैं उनको देखूंगी कि कैसे उनको करा जाय। मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने कहा कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी कटौती को वापस ले लें तो मैं भी वापस ले लूंगा। मान्यवर, यह मुकाबला तो माननीय नेता सदन व माननीय नेता विरोधी दल के बीच हो रहा है, हम लोग बीच में क्यों पड़ें?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री व माननीय नेता विरोधी दल पर तो बसन्त आ रहा है। आप हमारी रक्षा कीजिये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, कुम्भ मेले के ऊपर कुछ बातें यहां पर कही गईं कि एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार हुआ और एक साधु के यहां एक महिला मरी पायी गयी । हमने इसका पता लगाया । मैं कहना चाहती हूं कि इसका खण्डन हुआ है । उस विदेशी महिला सैमन के साथ इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई । उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया है और इस समाचार पर आश्चर्य व्यक्त किया है । उनके साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया गया है और न किसी पुलिस कर्मी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया । मान्यवर, अलग-अलग सेल बनाये जाने की बात कम्पलेन्ट्स के संबंध में कही गई । बहुत अच्छा सुझाव है । मैं कहना चाहती हूं कि वर्तमान में भी हमारे कई विशिष्ट सेल कार्यरत हैं । जैसे भ्रष्टाचार निवारण संघ , विशेष जांच हरिजन सेल,

आर्थिक अपराध संगठन, महिला प्रकोष्ठ, सी0 आई0 डी0, एग्रीकल्चर सेल, राजस्व विद्युत परिषद् सेल और सहकारिता प्रकोष्ठ है । ये सब कार्य कर रहे हैं । मान्यवर, अन्त में मैं महिला के बारे में कहना चाहती हूं । उसके बगैर बात अधूरी रह जाती है । किसी ने महिला को बेचारी कहा, किसी ने अबला कहा । एक समय है और एक समय आयेगा । समाज कल्याण कोई बुरी चीज नहीं है । हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की है महिलाओं को चारो तरफ से समानता दी जाय, इसलिए ए0 आई0 सी0 सी0 में 33 परसेंट देने के लिए कहा है हम इस तरह से काम करेंगे ।

मैं चाहूंगी कि मेरे घर की बहू बेटी चुनाव में इस प्रकार लड़े आप स्वयं अपने हृदय से पूछिये । आज महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाय । जैसे भारत की प्रधान मंत्री माननीया स्व0 श्रीमती इन्दिरा जी बनी थी । इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव को वापस् लेने के लिये मैं माननीय नेता विरोधी दल से आग्रह करूंगी ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन किया है कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें । मान्यवर, एक उर्दू का शेर है : –

"बात साकी की न टाली जायेगी. करके तौबा तोड़ डाली जायेगी ।"

आज उनका साकी की तरफ ही ज्यादा जोर था, इसलिए आज वह कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, शेर व शायरी तो मैं नहीं जानता, वह तो हमारे डाक्टर साहब जानते हैं । माननीय गृह मंत्री जी को मैं अपनी बड़ी बहिन के रूप में देखता हूं, लेकिन श्री सईदुज्जमा से एक सवाल पूछना चाहता हूं । जिस तरीके से स्त्री मजबूत आदमी को पसन्द करती है, पुलिस भी एक फेमिनिनन जेन्डर है, मजबूत प्रशासक पसन्द करती है, तो अपनी मजबूती को दिखाने के लिए वह इस सदन में कोई आश्वासन देंगे ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, पुलिस का क्या जेन्डर है, यह तो हम आज तक नहीं जान पाये । यह तो नेता विरोधी दल ही जान सकते हैं कि क्या उसका जेन्डर है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,61,57,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 में कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से श्री राज किशोर सिंह की सूचना वक्तव्य के लिये और अशोक बाजपेयी की सूचना केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की गयी है, शेष को अस्वीकार करता हूं ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या–13 पुकारे जाने पर)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, अब तो काफी समय हो गया है अगले दिन के लिये स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा के लिये तो लिखकर दे दिया है कि स्थगित कर दी जायं । मद संख्या 16 और 17 स्थगित हैं । क्या वक्तव्य भी स्थगित करने का प्रस्ताव है ?

(नेता, विरोधी दल के चुप रहने पर)

ऐसा करते हैं कि वक्तव्य ले लेते हैं ।

दिनांक 22 जनवरी, 1989 को सायंकाल जनपद वाराणसी के थाना आदमपुर क्षेत्र के सलेमपुरा मोहल्ले के एक मकान में हुए भाषण विस्फोट से आठ व्यक्तियों की मृत्यु के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

एक सदस्य–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है । इसे पढ़ा हुआ माना जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

[प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 22-1-89 को थाना आदमपुर क्षेत्र के मोहल्ला सलेमपुरा में स्थित मकान सं0 ए-25/18 में सायंकाल लगभग 6 बजे विस्फोट हुआ जिसमें 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी । मृतकों में तीन माह से लेकर 12 वर्ष तक की आयु के सात बच्चे भी सम्मिलित हैं । विस्फोट में 12 व्यक्ति घायल हुए जिनमें से कुछ की स्थिति गम्भीर थी । विस्फोट से मोहल्ला सलेमपुरा स्थित उपरोक्त मकान का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया । उपरोक्त मकान की स्वामिनी श्रीमती मदीना बीबी हैं जिन्हें आतिशबाजी बनाने का लाइसेन्स प्राप्त है । विस्फोट की इस घटना के उपरान्त थाना आदमपुर में श्रीमती मदीना बीबी के विरुद्ध एक अपराध संख्या 15/89 धारा 304 ए भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है । उल्लेखनीय है कि अभियुक्ता श्रीमती मदीना बीबी स्वयं भी गम्भीर रूप से घायल हैं ।

मोहल्ला सलेमपुरा, थाना आदमपुरा में इससे पूर्व वर्ष 1971 व 1980 में विस्फोट की घटनाएं हुयी थीं किन्तु इन घटनाओं के क्रमशः लगभग 18 वर्ष व 10 वर्ष पूर्व होने के कारण इनके सम्बन्ध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं । विस्फोट की इस

नोट–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

घटना के बाद यह अनुभव हुआ है कि सलेमपुरा की घनी आबादी के मध्य आतिशबाजी के निर्माण का कार्य नि:सन्देह खतरनाक है अत: श्रीमती मदीना बीबी के लाइसेन्स के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।]

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, वक्तव्य में कहा गया है कि 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 12 घायल हुए । मंत्री जी से पूछना चाहता हू कि यह जो 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी जिसमें बच्चे भी थे, क्या इनके परिवार जनों के लिये कोई क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी ?

श्री सईदुज्जमा–

इनके परिवार के लिए उसी वक्त आर्थिक सहायता दी थी । मृतक को एक हजार रु0 और इन्जर्ड को 5-5 सौ रु0 दिए गए थे।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य में कहा है कि सलेमपुरा की घनी आबादी के मध्य आतिशबाजी के निर्माण का कार्य नि:सन्देह खतरनाक है अत: श्रीमती मदीना बीबी के लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है, तो क्या आतिशबाजी के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस हेतु इस बात का भी कोई प्राविधान है कि जिस स्थान पर लाइसेंस दिया जा रहा है वहां की भौगोलिक स्थिति परिवेश की भी छानबीन कर ली जाय ? यदि हां, तो कब और किनके द्वारा लाइसेन्स दिया गया और क्या भौगोलिक स्थिति परिवेश की छानबीन की गयी ?

श्री सईदुज्जमा–

यह लाइसेंस बहुत पुराना लाइसेंस था । 1988 में इन्सपेक्शन हुआ था लेकिन उस समय इतनी घनी आबादी नहीं थी लेकिन घनी आबादी में लाइसेन्स नहीं होना चाहिए, यह बात सही है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मैंने पूछा था कि क्या इस बात का प्राविधान है कि लाइसेंस देते समय भौगोलिक स्थिति परिवेश की छानबीन कर ली जाय ? यदि नहीं है तो क्या आगे से ऐसा प्राविधान करेंगे ?

श्री सईदुज्जमा–

यह सही है कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए लाइसेंस देना चाहिए । इसमें कोई त्रुटि होगी तो देख लिया जायगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, केवल वक्तव्य में उद्धृत स्थानों में ही नहीं बल्कि बस्ती में भी विस्फोट हुए हैं, तीन-तीन चार-चार आदमी मरे हैं । क्या कोई प्रतिबन्ध लगायेंगे कि जिनको आतिशबाजी का लाइसेंस देते हैं उनको उतनी ही मात्रा तक विस्फोटक पदार्थ रखने की आतिशबाजी का लाइसेंस देते हैं उनको उतनी ही मात्रा तक विस्फोटक पदार्थ रखने की दस लोगों की इससे मृत्यु हो चुकी है । तो एक साथ कितना सामान आतिशबाजी के लिए एक स्थान पर रखा जाता है जिससे कि विस्फोट के समय कठिनाई न हो ?

श्री सईदुज्जमा–

उनको सीमा के अन्दर ही सामान दिया जाता है और जो बिन्दु माननीय सदस्य ने ने उठाये हैं, उसे दिखवा लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जहां तक मुझे जानकारी है कि इन लोगों को एक-एक हजार रु0 दिया गया है, क्या माननीय मंत्री जी इसको और बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री सईदुज्जमा–

इस पर जरूर विचार कर लिया जायेगा।

दिनांक 25/26 जनवरी, 1989 को अधिवक्ता श्री राना रणजीत सिंह की हत्या के विरोध में मथुरा की समस्त अदालतों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

एक सदस्य–

इसे पढ़ा हुआ माना जाये?

श्री उपाध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय?

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार अधिवक्ता स्व0 राना रंजीत सिंह द्वारा अपनी जानमाल की सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था। दिनांक 25-1-89 को प्रातः थाना कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत लालगंज बाजार में बोरे में बन्द एक शव बरामद हुआ था। उसी दिन मृतक की शिनाख्त हुई कि वह श्री राना रंजीत सिंह अधिवक्ता का शव है। इस सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी मृतक राना रंजीत सिंह ने थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 65/89 धारा 302 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया, जिसमें उन्होंने अपने जेठ श्री गुरूदत्त सिंह व उनकी पत्नी श्रीमती शिवरानी के ऊपर हत्या करने का शक जाहिर किया। उक्त हत्याकाण्ड के विरोध में स्थानीय अधिवक्ताओं द्वारा सड़क जाम कर दिया गया। बाद में यह जाम अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के आश्वासन देने पर समाप्त हो गया। दिनांक 25-1-89 से अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल कर दी गयी।

परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त गुरूदत्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध का होना पाया गया। फलस्वरूप उनकी गिरफ्तारी हेतु तलाश की गयी और उन्हें गिरफ्तार करने हेतु कई स्थानों पर दबिशें दी गयीं। उनके गिरफ्तार न होने के कारण दिनांक 1-2-89 को जाब्ता फौजदारी की धारा 82/83 के अन्तर्गत अभियुक्त गुरूदत्त के घर की कुड़की की गयी।

दिनांक 28-2-89 को अभियुक्त गुरूदत्त सिंह ने सी0जे0एम0 मथुरा के न्यायालय में आत्म समर्पण किया और पुलिस द्वारा दो दिन के लिये उन्हें रिमाण्ड पर लिया गया।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अभियुक्त गुरूदत्त सिंह ने पुलिस के समक्ष दिये गये बयान में अपना अपराध स्वीकार करते हुये अपने दो सहअभियुक्त महेन्द्र सिंह तथा निरंजन को अपराध में सम्मिलित होना बताया तथा अपने बयान में हत्या का कारण पैतृक मकान को बेचने व पैसे के बंटवारे को लेकर करना बताया।

अभियुक्त गुरूदत्त सिंह को दिनांक 2-3-89 को जेल भेजा गया और इसी दिन अभियुक्त महेन्द्र सिंह व निरंजन सिंह को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उपरोक्त अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

दिनांक 22-2-89 को जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हड़ताल में शामिल अधिवक्ताओं से बातचीत की गयी तथा दिनांक 23-2-89 को वकीलों द्वारा हड़ताल समाप्त कर दी गई है, तथा न्यायालय में कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

यह कहना सही नहीं है कि जिला जेल अपनी क्षमता से अधिक भरी हुई है, तथा जनपद मथुरा के बाजार बन्द हैं। यह भी सही नहीं पाया गया कि मथुरा शहर में चोरी, डकैती, राहजनी आदि अपराधों की बाढ़ आ गई है बल्कि वास्तविकता यह है कि वर्ष 1988 में हत्या/डकैती/बल्वा एवं अन्य अपराधों में वर्ष 1987 के मुकाबले में काफी कमी आयी है।]

श्री सरदार सिंह–

माननीय, यह बड़ी ही दर्दनाक काण्ड है जिसकी वजह से पूरे आगरा मण्डल में चिन्ता व्याप्त रही। वकील की हत्या हुई, लेकिन किसी को पकड़ा नहीं गया और एस0पी0 साहब ने कह दिया कि हत्या लालगंज में हुई और लाश एक बोरी में मिली। गुरूदत्त का घर और लालगंज में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मृतक की हत्या किस स्थान पर हुई?

श्री सईदुज्जमा–

माननीय, जैसा कि वक्तव्य में स्पष्ट किया गया है कि यह आपसी मकान का मामला था और रास्ते में उनकी हत्या हुई।

श्री सरदार सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि हत्या किस जगह पर हुई लालगंज में या गुरूदत्त के घर में? आपके विवेचना अधिकारी ने हत्या किस जगह पर होना बतलाया है?

श्री सईदुज्जमा–

माननीय, इसमें सूचना की आवश्यकता है।

श्री सरदार सिंह–

तो माननीय, इसे स्थगित करा दीजिये।

श्री सभाध्यक्ष–

इसको स्थगित करते हैं।

आगरा में जमुना नदी पर बने जवाहर पुल के मरम्मत हेतु 6 माह से बन्द हो जाने के फलस्वरूप आवागमन की असुविधा से नागरिकों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य

एक सदस्य–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाये?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

शिक्षा एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री जगदम्बिका पाल)–

[जवाहर सेतु आगरा विशेष मरम्मत हेतु दिनांक 8-8-88 से केवल भारी वाहनों के लिए बन्द कर दिया गया । हल्का यातायात पुल से गुजरता रहा । जनता की असुविधा को देखते हुये रेल कम रोड स्ट्रैचीपुल भी रेलवे विभाग से अनुमति प्राप्त करके खाली ट्रकों के लिए सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है । लेकिन भरे ट्रकों का आवागमन पाये जाने के कारण दिनांक 20-1-89 से रेलवे विभाग द्वारा उक्त सुविधा बन्द कर दिया गया । सेतु की विशेष मरम्मत के अंतर्गत पूरी सतह पर आर0 आर0 सी0 ओवरले का कार्य किया जाना था । अतः एक लो लेवल डाईवर्जन एवं पान्टून पुल बनाकर दिनांक 12-12-88 से हल्के यातायात के लिए खोल दिया गया तथा जवाहर सेतु सभी प्रकार के यातायात के लिए बन्द कर दिया गया । ओखला बैराज से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जल स्तर 1-62 मी0 बढ़ गया जिससे दिनांक 13-1-89 को पान्टून पुल बन्द करना पड़ा । जल स्तर घट जाने से पान्टून सेतु दिनांक 23-1-89 से पुनः खोल दिया गया । जनता की आवागमन की असुविधा को देखते हुए मैंने मरम्मत का कार्य बन्द कराकर सेतु पैदल तथा टू ह्वीलर्स के लिए दिनांक 14-1-89 से खुलवा दिया । मरम्मत का कार्य दिनांक 6-2-89 को पूर्ण कर दिया गया है । पैदल यातायात के लिए दिनांक 12-2-89 से, रिक्शा आदि के लिए दिनांक 15-2-89 से, हल्के वाहनों के लिए दिनांक 22-2-89 से तथा निर्धारित भार वाले भारी यातायात के लिए दिनांक 28-2-89 से पुल खोल दिया गया है ।

यातायात की कठिनाई को देखते हुये एक दूसरा पान्टून पुल बनाने पर विचार किया गया, लेकिन नदी का जल स्तर अधिक होने एवं मरम्मत का कार्य पूर्ण होने में बहुत कम समय का अंतर रह गया था । अतः दूसरे पान्टून पुल बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

पान्टून पुल बनाने में कोई विशेष खर्चा नहीं आया क्योंकि समस्त पान्टून विभाग के पास उपलब्ध थे और अब इनका उपयोग अन्यत्र किया जायेगा । पान्टून पुल के पहुंच मार्ग में प्रयुक्त अधिकांश निर्माण सामग्री पुनः उपयोग में लायी जायगी । दिनांक 8-8-88 से भारी यातायात के लिए जवाहर सेतु बन्द कर दिये जाने के कारण बस अड्डा रामबाग के पास स्थापित कर दिया गया इससे सभी यातायात अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी तथा इटावा आदि की ओर से जाने लगे । रामबाग के पास औद्योगिक संस्थानों से माल का आवागमन

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

था तो सादाबाद मथुरा होकर होता रहा अथवा छोटे मालवाहक वाहनों से स्ट्रैची पुल से गुजरता रहा तथा माल आगरा नगर में आता रहा । श्रमिकों को जाने के लिए दिनांक 14-12-88 तक जवाहर सेतु उपलब्ध रहा तथा दिनांक 12-12-88 से लो लेबिल डाई-वर्जन उपलब्ध करा दिया गया । श्रमिकों के आवागमन हेतु स्ट्रैची पुल पहले से ही उपलब्ध रहा । इस प्रकार स्पष्ट है कि कारोबार चौपट होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पुराने सेतु की विशेष मरम्मत जनहित में आवश्यक था । अतः मरम्मत के समय यातायात में थोड़ी कठिनाई होना स्वाभाविक ही है । जवाहर सेतु कमजोर हो गया है । इस कारण तथा यातायात की अधिकता को देखते हुए एक नये सेतु का निर्माण स्वीकृत हो गया है जिसके निर्माण की निविदाएं भी स्वीकृत हो चुकी है । कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।]

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

आगरा में राष्ट्री मार्ग 2 पर जवाहर पुल की हालत बहुत खराब रही थी। अब वह 15 जगह से चटक गया है जिसे फिर बना रहे हैं। नये पुल को बनाने का जो प्रस्ताव किया गया है तो क्या उसे पहली अप्रैल, 1989 से इस पर कार्य शुरू कराने की कृपा करेंगे और जो निविदायें आमंत्रित की गयी हैं तो इसे सेतु निगम के द्वारा बनवाने में आपको क्या कठिनाई है?

श्री जगदम्बिका पाल–

इन सारे बिन्दुओं का हम परीक्षण करवा लेंगे।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

लीजिये माननीय मंत्री जी अब आ गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो नये पुल के बनाने के प्रस्ताव है वह किस स्थान के लिए है, उसके लिये जमीन क्या ले ली गयी है, और इसके लिए जो निविदायें आमंत्रित की गयी हैं तो क्या सेतु निगम की भी निविदा आयी है? आपको सेतु निगम के जरिये से इसे बनवाने में क्या कठिनाई है? क्या आप इस पर कार्य पहली अप्रैल, 1989 से शुरू करा देंगे?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, जहां तक पुल बन्द है की बात कही गयी है, इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहूंगा कि उस पुल के बन्द होने का कोई प्रश्न नहीं है, वह पुल आज भी खुला हुआ है और आइन्दा भी खुला रहेगा, उसकी मरम्मत वगैरह सब हो गयी है और दूसरे पुल की जो बात कही है उसका निर्माण भी हम शीघ्र ही शुरू करा देंगे।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, यह माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि जो जवाहर पुल की हालत जरजर थी, जिसकी मरम्मत कराई गयी और इस मरम्मत के कारण जो असुविधा रही, इस पर इस वक्तव्य की 10वीं पंक्ति में यह कहा कि "आंखला बैराज से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जल स्तर 1.62 मी0 बढ़ गया, जिससे दिनांक 13-1-89 को पान्टून पुल बन्द करना पड़ा फिर जल स्तर घट जाने से पान्टून सेतु दिनांक 23-1-89 से पुनः खोल दिया गया। इस पर मान्यवर हमारी निजी सूचना है कि जो पान्टून पुल

बनवाया गया है, उसमें बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। माननीय मंत्री जी स्वयं 13–14 में आगरा गये, यह स्वयं उस जगह का निरीक्षण करना चाह रहे थे परन्तु जो पुल बनाने वाले पी0 डब्लू0 डी0 के अधिकारी नहर वालों से मिलकर पानी छुड़वा दिया तो मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की जानकारी चाहूंगा कि वह पानी क्यों छोड़ा गया और इसके कारण क्या थे?

(इस पर विपक्ष के मा0 सदस्य हंस पड़े)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर माननीय बदन सिंह जी के अलावा कोई अन्य माननीय सदस्य जैसे राणा जी व वर्मा जी इस प्रश्न को करते तो कोई और बात होती, लेकिन यह प्रश्न इन्हें करने का हक हासिल है मान्यवर जो पानी उस दिन वहां था, वह आखला बैराज से आया था और मान्यवर आखला बैराज में से पानी क्यों आता है क्योंकि उसमें कोई गेट्स तो बने नहीं हैं और जब पहाड़ों पर अधिक वर्षा हो जाती है तो उसका अधिक पानी इधर आ जाता है, इसलिए जानबूझ कर नहर से पानी छोड़े जाने का कोई प्रश्न नहीं है। 13 व 14 तारीख को मैं खुद वहां पर गया हुआ था, वहां पर मिलेट्री आफिसर्स व हमारे विभाग के सारे अधिकारी मौजूद थे, उस वक्त वहां की जो सड़क है वह पानी से डूबी हुयी थी . . . . (व्यवधान) और पानी कैसे आया इसकी वजह जब सामने आयी तो सभी ने इसको महसूस किया कि यह पानी आखला बैराज का ही है और जब इस पान्टून ब्रिज को तोड़ दिया गया तो पानी का लैविल कुछ नीचा हुआ, तो यह बात मेरे और मौजूद लोगों के आ गयी . . . (व्यवधान) एक साथ कई लोगों के खड़े होने पर . . .

श्री उपाध्यक्ष–

अब राना जी छोड़िए, अब क्या बाकी रह गया . . (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

नहीं मान्यवर एक छोटा प्रश्न कर लेने दें, एक सुझाव है, मान्यवर सारी स्थिति वहां की माननीय मंत्री जी को मालूम है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि प्रथम समस्या जो वहां पर पान्टून पुल पर है, इसके दो कारण हैं एक तो पैन्टून पुल पर जबर्दस्त लोड है चारों तरफ से उसे अगर कम किया जाए तो कुछ हल निकल सकता है, इसके लिए मेरे पास एक सुझाव है कि नेशनल हाई वे नं0–2 और नेशनल हाईवे नं0 3 समोगर के पैन्टून पुल पर होकर यदि जोड़ दिया जाए तो इस तरह से दोनों पुलों पर आधा-आधा भार बंट जायेगा। और 4 सड़कों जिनमें राष्ट्रीय मार्ग नं0 2 बिचपुरी रोड, फतेहपुर सीकरी रोड और तांतपुर रोड का ट्रैफिक वर्तमान जवाहर पुल पर होकर निकलता रहेगा और राष्ट्रीय मार्ग नं0 3 तथा देवारी–एरादत नगर रोड, शमशाबाद रोड और फतेहाबाद रोड इन चार सड़कों का ट्रैफिक प्रस्तावित समोगर के पान्टून पुल से होकर निकाला जा सकेगा। इसके लिए इण्टर कोटस्तर की सड़कें तैयार हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इनको पैंटिंग स्तर तक तैयार कराएंगे, इस प्रकार इन मार्गों से भार कम हो जाएगा और जवाहर पुल का भार बंट जाये, नेशनल हाईवे नं0 2 और 3 को जोड़ने वाली एक सड़क बनायी गयी है, तो उसको पक्का करा दें, तो यह समस्या काफी हद तक हल हो जायेगी।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, राना जी ने जो समस्या बतायी है और उसका समाधान भी बताया है, हम उससे पूरी तरह से सहमत हैं। जो सुझाव दिया है, उससे जवाहर ब्रिज का ट्रैफिक बट जायेगा और हम उसका परीक्षण करा रहे हैं कि दोनों सड़कों को जोड़ दिया जाये, तो ट्रैफिक बट जायेगा, और एक परमानेन्ट साल्यूशन निकल आयेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 16 और 17 स्थगित की जाती हैं।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद 9 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र भुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
15 मार्च, 1989

संसद टीवी

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

संलग्नक

मे0 दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर के बोर्ड आफ डायरेक्टर की सूची व विवरण

नाम	पता	शेयर की संख्या
1—श्री ओ0 पी0 गुप्ता ..	ई–7 गीतान्जली न्यूज, दिल्ली	..
2—श्री एस0 एन0 बंसल ..	123, झार खण्डी, फैजाबाद	2,07,400
3—श्री बी0 एन0 बंसल ..	123, झार खण्डी, फैजाबाद	51,000
4—श्री हर्ष वर्द्धन ..	15/2, मदन मोहन मालवीया मार्ग, लखनऊ।	300
5—श्री डी0 एन0 रंजन ..	के0 5 कैलाश कालोनी, न्यू दिल्ली	..
6—श्री विजय कुमार ..	आई0सी0आई0सी0आई0 जीवन विहार, जीवन–6 न्यू दिल्ली	..
7—श्री शीतला सिंह	मगवारा, फैजाबाद	200
8—श्री जी0 एन0 बंसल ..	123–झार खण्डी, फैजाबाद	52,500
9—श्री के0एल0 बंसल	123–झार खण्डी, फैजाबाद	2,25,240

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

रैलवे द्वारा लगाये गये विलम्ब शुल्क का विवरण

अवधि	रेलवे द्वारा लगाया गया विलम्ब शुल्क (रु0)	रेलवे द्वारा माफ किया गया विलम्ब शुल्क (रु0)	शेष विलम्ब शुल्क राशि (रु0)	विलम्ब शुल्क का भुगतान	
				ठेकेदार द्वारा	परिषद् द्वारा
1984-85	2,49,240.00	2,39,240.00	10,000.00	10,000.00	..
1985-86	..	..	..	..	..
1986-87	2,89,415.00	4,44,707.00	1,44,708.00	..	..
1987-88					
5/87	96,188.00	81,760.00	14,428.00	..	..
6/87	3,25,052.00	2,76,294.00	48,758.00	..	..
9/87	9,21,122.00	4,60,561.00	4,60,561.00	..	..
10/87	3,14,102.00	1,57,051.00	1,57,051.00	..	..
11/87	12,14,136.00	6,07,068.00	6,07,068.00	..	..
12/87	5,30,250.00	3,18,150.00	2,12,100.00	..	..
1/88	16,62,269.00	9,97,361.00	6,64,908.00	..	..
2/88	13,68,204.00	8,20,964.00	5,47,310 00	..	..
3/88	8,03,323.00	4,81,394.00	3,21,929.00	..	..
	72,34,716.00	42,00,603.00	30,34,113.00	..	..
1988-89					
4/88	5,02,618.00	3,01,570.00	2,01,048.00	..	..
5/88	8,60,133.00	5,59,489.00	3,00,644.00	..	..
6/88	25,39,974.00	16,32,493.00	9,07,481.00	..	..
7/88	30,46,188.00	20,53,938.00	9,92,250.00	..	..
8/88	22,86,408.00	6,95,908.00	15,90,500.00	..	..
9/88	4,55,974.00	2,46,025.00	2,09,949.00	..	..
10/88	7,212.00	4,327.00	2,885.00	..	..
11/88	10,703.00	6,422.00	4,281.00	..	..
12/88	6,48,750.00	..	6,48,750.00	..	..
	1,03,57,960.00	55,00,172.00	48,57,788.00	..	..

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 40 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

जनपद फैजाबाद में विकास खण्ड टाण्डा व बसखारी में उन विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों का विवरण जिनको वर्ष 1980 से फरवरी, 1988 के मध्य विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया था—

विकास खण्ड टाण्डा			विकास खंड बसखारी		
क्रम-संख्या	हरिजन बस्ती का नाम	विद्युतीकरण दिनांक	क्रम-संख्या	हरिजन बस्ती का नाम	विद्युतीकरण की दिनांक
1	2	3	1	2	3
1	सुलेमपुर	5-10-82	1	कल्याणपुर उदनपुर	1-12-81
2	कोलुहा दाउदपुर	1-1-83	2	बेला परसा	2-3-82
3	वेहरई	3/87	3	तरोली मुबारकपुर	10-12-82
4	ढेलमऊ	15-10-83	4	इकडल्ला	12-12-82
5	मिर्जापुर एनवा	25-1-84	5	जैनुद्दीनपुर	15-2-83
6	डुहिया	14-6-81	6	हरैया	15-2-83
7	सम्हरिया	13-3-85	7	नरकटन वैरागीपुर	15-12-83
8	ब्राहिमपुर बड़ागांव	11-7-85	8	लाबुकपुर	26-1-84
9	काशीपुर	5-12-85	9	नवरहनी रामपुर	27-1-84
10	मेहरीपुर ककराही	15-2-86	10	टण्डवा दरक	28-1-84
11	दशरथपुर	7-12-85	11	शुक्ल बाजार पण्डित सराय	4-12-81
12	तुलसीपुर बनकटा	15-10-85	12	मोतिगरपुर	15-2-86
13	जिगना	13-3-85	13	मुजाहिदपुर]	6-3-86
14	हुसैनपुर सुघना	15-9-87	14	तिलकारपुर]	11-3-86
15	फरीदपुर कलां	30-3-86	15	सेमरानसापुर]	16-5-87
16	जियापुर	1-3-87	16	मोहम्मदपुर मुसलमान	14-8-87
17	हिथूरी	15-11-86	17	बसहिया	30-3-85
18	नाऊ सांडा	30-9-87	18	बढ़ियानी कला	15-11-86
19	दौलतपुर मोहम्मदपुर	17-2-88	19	मलड़ा मोहनपुर	6-2-87
20	ममरेजपुर	21-1-88			
21	अमेदा	18-6-87			
22	सदरपुर	30-7-87			
23	केशवपुर	6-11-87			
24	सराय मकदूम	20-11-87			
25	भरीडीहा	16-2-88			
26	औसानपुर	28-2-88			

पी0 एस0 यू0 पी0 एल 119 वि0 सभा-(174)-1989-813